सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-2025

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

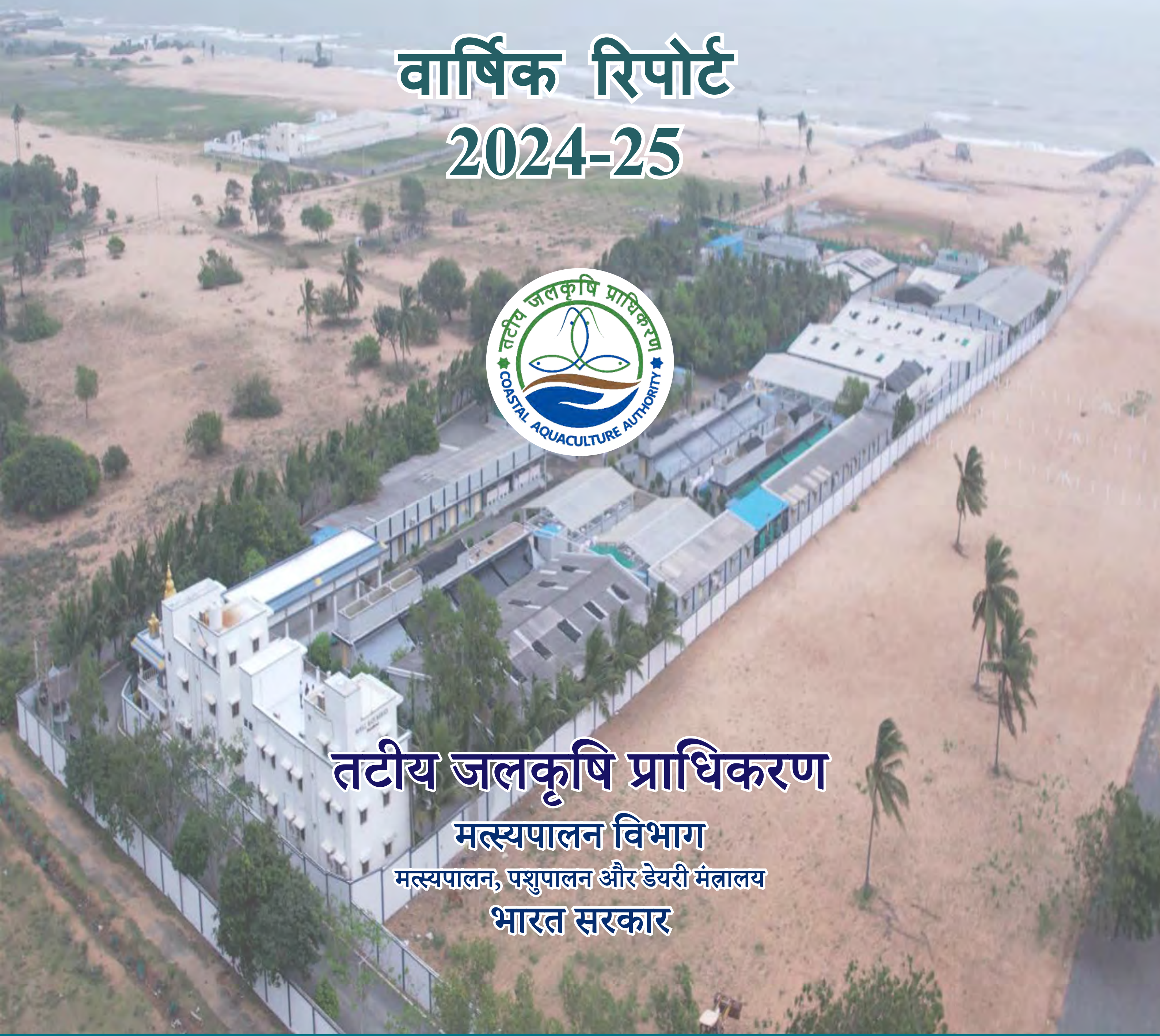

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

मत्स्यपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

भारत सरकार

5वीं मंजिल, पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए एकीकृत कार्यालय परिसर
वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फेनपेट, नंदनम, चेन्नई-600 035
दूरभाष: +91 44 24353502/24353784, ईमेल: caaheadoffice@caa.gov.in
वेबसाइट: https://www.caa.gov.in

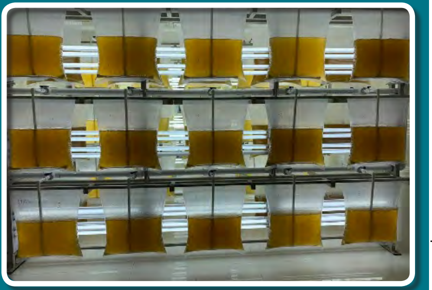

प्रकाशित
के.सी. देवसेनापति, आईएएस
सचिव,
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संलकन और संपादन
डॉ. शंकर राव पी
कनकसबापति डी
प्रिया जी
रमेश कुमार एस
मोनिका आर डी
जयंती आर
षिजो मात्यू
ग्यानवेल एस
विभा उबारे
दाक्षायणी के
दिनमाला के
कुमार एम

डिजाइन और प्रिंटिंग
PM Digital
PRODUCTS
CREATIVE PERSONALISED PRINTING

विषय सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	भूमिका	09
	कार्यकारी सारांश	11
1	**सीएए के बारे में**	
	तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रारंभ	16
	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (अधिनियम सं. 2023 का 27)	16
	तटीय जलकृषि के विकास पर सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 का प्रभाव:	16
	तटीय जलकृषि प्राधिकरण की संरचना	20
	प्राधिकरण के कार्य	25
	सीएए नियम, 2024 के नियम 5 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य	25
	एसडीएलसी/डीएलसीके कार्य	28
	तटीय जलकृषि प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियाँ	29
2	**लक्ष्य और प्रदर्शन**	
	वार्षिक लक्ष्य और प्रदर्शन	34
3.	**प्राधिकरण कीबैठकें और**	
	अन्य विशेषज्ञ समिति की बैठकें	
	प्राधिकरण की बैठकें	40
	एआईएसएचएके सभी अध्यायों के प्रतिनिधियों और हैचरी संचालकों के साथ बैठक	42
	"एएचपीएनडी के विशेष संदर्भ में भारत में एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात पर मसौदा एसओपी" की समीक्षा के लिए बैठक	42
	नए दिशानिर्देशों और एसओपी के प्रारूपण की प्रगति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठकें	42
	चेन्नई स्थित सीएए मुख्यालय में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की बैठक	43

"एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति" पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और हितधारकों के साथ बैठक 43

एक्यूएफके कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए तकनीकी समिति की चौबीसवीं बैठक 43

"जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र हेतु दिशानिर्देश" में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक 44

अखिल भारतीय झींगा हैचरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ हितधारकों की बैठक 44

एक्यूएफके कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए तकनीकी समिति की पच्चीसवीं बैठक 44

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और हैचरी संचालकों के साथ बैठक 44

दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बैठक 44

चार नए दिशानिर्देशों में सुधार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बैठकें 44

अनुमोदित झींगा बीएमसी के संचालन और प्रबंधन तथा एमपीईडीए-आरजीसीए की झींगा मूल्यांकन अध्ययन इकाई की स्थिति पर समीक्षा बैठक 44

4. तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण 47

तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण 50

5. हैचरियों और नौप्ली पालनहैचरियों (एनआरएच) का पंजीकरण और नवीनीकरण

सीएए में पंजीकृत हैचरियों, एनआरएच और लाइव फीड इकाइयों की स्थिति 53

विदेशी ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाना और भारतीय हैचरियों द्वारा आयात 58

एसपीएफ एल. वन्नामेई और एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक का आयात 58

नौप्ली पालन हैचरियों (एनआरएच) एसपीएफ एल. वन्नामेई और पी. मोनोडोन बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत हैं 61

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के राजक्कमंगलम में राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) द्वारा स्थापित झींगा मूल्यांकन अध्ययन इकाई का निरीक्षण 64

6.	**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का प्रमाणन**	66
7.	**देखरेखऔर निगरानी**	
	तटीय जलकृषि इकाइयों/गतिविधियों की निगरानी	70
	तटीय जलकृषि इकाइयों/गतिविधियों की निगरानी	72
8.	**आउटरीच गतिविधियाँ**	76
9.	**इन-हाउस गतिविधियाँ**	
	सचिव (मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए सीएए के कार्यान्वयन योग्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई:	87
	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	87
	विश्व पर्यावरण दिवस समारोह	87
	"निवारक सतर्कता" पर कार्यशाला	87
	नशा मुक्त भारत अभियान पर जन जागरूकता अभियान	88
	78वांस्वतंत्रता दिवस समारोह	88
	“राष्ट्रीय खेल दिवस” का आयोजन	88
	‘’स्वच्छता ही सेवा - 2024’’	89
	हिंदी सप्ताह समारोह	91
	सतर्कता जागरूकता सप्ताह और राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन	92
	राजभाषा पर कार्यशाला	92
	भारत का संविधान दिवस	92
	पांडिचेरी में संसदीय राजभाषा समिति की लेखापरीक्षा	93
	सीएए के सभी सलाहकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	93
10.	**राज्यवार तटीय जलकृषि स्थिति 2023-2024**	
	आंध्र प्रदेश	95
	गोवा	98
	गुजरात	98

	कर्नाटक	100
	केरल	101
	महाराष्ट्र	102
	ओडिशा	103
	तमिलनाडु	105
	पश्चिम बंगाल	107
	संघ शासित क्षेत्र	108
11.	**राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों में भागीदारी**	110
12.	**2024-25 के लिए लक्ष्य**	119
	प्रशासनिक और लेखा मामले	
13.	**प्राधिकरण के कर्मचारी और मौजूदा संगठनात्मक संरचना**	
	सीएए के मौजूदा स्टाफ की स्थिति	124
	भर्ती / पदोन्नति / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन / प्रतिनियुक्ति:	125
	सूचना का अधिकार अधिनियम	125
14.	**वित्त: वास्तविक वित्तीय विवरण का सारांश**	
	वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश	126
	वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों की जानकारी	126
	अनुलग्नक: सीएजी की वार्षिक लेखा और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	
	सीएएके वार्षिक लेखे	127
	सीएजी की पृथकलेखापरीक्षा रिपोर्ट	151
	सीएजीकी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण	155

संक्षिप्ताक्षर

एआईएसएचए	अखिल भारतीय झींगा हैचरी एसोसिएशन
ए एंड एन	अंडमान और निकोबार
एएमआर	एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध
एक्यूएफ	जलीय संगरोध सुविधा
एक्यूसीएस	जलीय संगरोध और प्रमाणन सेवाएं
बीएमसी	ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र
सीआईबीए	केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान
सीआईएफनेट	केंद्रीय मत्स्यिकी,नौसंचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान
सीएमएफआरआई	केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान,
सीआरजेड	तटीय विनियमन क्षेत्र
सीएसएमसीआरआई	केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान
डीएलसी	जिला स्तरीय समिति
डीओएफ	मत्स्यपालन विभाग
डीपीआईआईटी	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
ईटीएस	अपशिष्ट उपचार प्रणाली
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
एमपीईडीए	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एनएसीएसए	राष्ट्रीयसतत जलकृषिकेंद्र
एनबीसी	न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र
एनबीएफजीआर	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
एनसीएससीएम	राष्ट्रीयसतत तटीय प्रबंधन केंद्र
एनडीजेड	विकास वर्जित क्षेत्र
एनएफडीपी	राष्ट्रीय मत्स्यिकी डिजिटल मंच
एनआईओटी	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआरसीपी	राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम
एनआरएच	नौप्लिई पालन केंद्र
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र

ओआईई	अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग कार्यालय
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
पीपीएल	पेरेंट पोस्ट लार्वा
आरएएस	पुनरावर्तित जलकृषिप्रणाली
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरजीसीए	राजीव गांधी जलकृषि केंद्र
एसडीएलसी	उप-मंडलीय स्तर की समिति
एसओपी	मानक परिचालन प्रोटोकॉल
एसपीएफ	विशिष्ट रोगजनकमुक्त
टीसी	तकनीकी समिति
टीएफए	कुल फार्म क्षेत्र
टीएनजेएफयू	तमिलनाडु डॉ. जे. जयललिता मत्स्यिकी विश्वविद्यालय
टीपीडी	पारदर्शी पोस्ट-लार्वारोग
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यूओएएच	विश्वपशु स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएसए	जल विस्तार क्षेत्र

डी.वी. स्वामी, आईएएस
अध्यक्ष
D.V. SWAMY, IAS
CHAIRPERSON
☏ +91 44 2951 5437
✉ caaheadoffice@caa.gov.in

तटीय जलकृषि प्राधिकारण
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

प्राक्कीथन

तटीय जलकृषि और मैरीकल्चर भारत के खाद्य उत्पाउदन परिदृश्यर के महत्वपूर्ण स्तंचभ बनकर उभरे हैं, जो पोषण सुरक्षा, आर्थिक विकास, रोज़गार पैदा करने और अंतरराष्ट्री य व्या पार को बढ़ावा देते हैं। जैसे-जैसे दुनिया भर में और देश में सीफ़ूड की मांगबढ़ रही है, भारत की लंबी तटरेखा और अच्छे मौसम की वजह से जलकृषि उत्पारदन को बढ़ाने के लिए एक मज़बूत आधार मिलता है। हालाँकि, इस तरह के विकास को एक मज़बूत विनियामक प्रणाली से मार्गदर्शित किया जाना चाहिए जो पारिस्थितिक संरक्षण, टिकाऊ प्रथाएं और ज़िम्मेदार खेती सुनिश्चितकरती है। इसी संदर्भ में, तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), जिसे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत बनाया गया था, अपने शासन कानूनी ढांचे,सीएए अधिनियम, नियम,दिशानिर्देशऔर अनुवर्ती संशोधन के साथ, देश में तटीय पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर टिकाऊ तटीय जलकृषि को बढ़ावा देने में एक केंद्रीय और भरोसा दिलाने वाली भूमिका निभाता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अधिदेशमें फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण, मानकों की निगरानी और उन्हें लागू करना, ज़िम्मेदार जलकृषि को बढ़ावा देना और टिकाऊ क्षेत्रीय विकास को आसान बनाना शामिल है। अपनी विनियामकशक्तियों के माध्योम से, सीएएयह सुनिश्चितकरता है कि फार्म अनुमोदित क्षेत्रों में हों, पानी की गुणवत्ता, बनाए रखें, उचितप्रवाह प्रबंधन प्रणालियां अपनाएं, प्रदूषण रोकें और संवेदनशील तटीय पारिस्थितिकी की रक्षा करें। प्राधिकरण निरीक्षण करता है, नियमों का पालन करता है, और ज़रूरत के हिसाब से सुधार के उपाय करताहै, ताकि यह सुनिश्चितहो सके कि जलकृषि विकास से पारिस्थितिक समग्रता या स्थानीय समुदायों के अधिकारों से कोई समझौता न हो।

अपनी विनियामक भूमिका के साथ-साथ, सीएएएक महत्वैपूर्णप्रमोशनल और सलाह देने वाली भूमिका भी निभाता है। यह दिशानिर्देशऔर उत्तसम प्रबंधन पद्धतियां बनाता है, आगे की सोच के साथ प्रौद्योगिकी में तरक्की को बढ़ावा देता है, रोग नियंत्रण और जैव-सुरक्षा उपायों में सहायता करता है, और किसानों तथाहितधारकों तक वैज्ञानिकजानकारी पहुंचाता है। विनियामक और विकास की यह दोहरी भूमिका, प्रौद्योगिकी में तरक्की पर ध्याऔन केंद्रित करने के साथ मिलकर, सीएएको पर्यावरणीयसुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए इस क्षेत्र कोसतत् गहनता की ओर मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता करती है।

सीएए संशोधन अधिनियम, अद्यतन नियमों और नए दिशानिर्देशों के आने से इस क्षेत्रकी शासन क्षमता और मज़बूत हुई है। संशोधनने पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाया है और विनियमन का दायरा बढ़ाया

है। बेहतर जैव-सुरक्षा मानदंड, बेहतर प्रवाह प्रबंधन मानक और ज़्यादा कठिन फार्म स्थारन मानदंड ने जलकृषि फार्मों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की है। इसके अलावा, डिजिटल पंजीकरण प्रणाली में बदलाव, आसान प्रक्रियाऔर किसानों के लिए कम विनियामक अनुपालन बोझ के साथ, इस क्षेत्रको अगले स्तयरतक पहुँचने में मदद करता है। नए दिशानिर्देशों को मैरीकल्चर, सीवीड फार्मिंग और बहुत-प्रजाति जलकृषि प्रणालियां जैसी उभरती गतिविधियोंको कवर करने के लिए बढ़ाया गया है, जिससे ज़्यादा विविधिकरणऔर तकनीकीसुधार का रास्ता साफ़ हुआ है।

मैं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, विशेष रूप से आईसीएआर संस्थानों को अनुसंधान तथा विकास में उनकी भूमिका के लिए, प्राधिकरण के प्रतिष्ठित सदस्यों, बाजार संवर्धन एवं निर्यात विकास में उनकी भूमिका के लिए एमपीईडीए, अन्य केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मत्स्यपालन संस्थानों/विभागों, किसानों, हैचरी संचालकों, इनपुट निर्माताओं/वितरकों और अन्य हितधारकों को देश में तटीय जलकृषि के सतत तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण को उनके लगातार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट को लाने में सचिवऔर उनके अधिकारियों की टीम के प्रभावीकार्य के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

जय हिंद

(डी.वी. स्वामी, आईएएस.)
अध्यडक्ष, सीएए

के. सी. देवसेनापति, भा प्र से
सचिव
K. C. DEVASENAPATHI, IAS
SECRETARY
☎ +91 44 2435 3780
✉ caaheadoffice@caa.gov.in

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
CLEAN INDIA

कार्यकारी सारांश

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की शुरुआत उच्चनतम न्याकयालय की रिट याचिका सं. 1994 का 561 (एस. जगन्नाथन बनाम भारत संघ) में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से हुई, जिसमें पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तटीय इलाकों की सुरक्षा की मांग की गई थी और केंद्रीय सरकार को ज़िम्मेदार तटीय पारिस्थितिकी को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिया गया था। तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005, जिसे संसद ने लागू किया और जून 2005 में अधिसूचित किया गया, ने एक सांविधिक निकाय बनाई जिसका अधिदेश यह सुनिश्चित करना था कि तटीय जलकृषि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो, कानूनी तौर पर सही हो, और तटीय समुदायों के जीवनयापन के लिए मददगार हो।समय के साथ, नई चुनौतियों का समाधान करने, असमंजस को दूर करने और स्वीरकृतजलकृषि गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई, विशेषत: तटीय जलकृषि क्षेत्र (सीआरजेड) के अंदर। इससे तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 बना, जो टिकाऊ विकास और कारोबार करना आसान बनाना के लिए राष्ट्री य प्राथमिकताओं के साथ एक बड़ा सुधार था।

2023 के संशोधन ने लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति को दूर किया, विशेषत: नो डेवलपमेंट ज़ोन (एनडीजेड) के अंदर स्वीकि्त गतिविधियों के बारे में, और सीआरजेडअधिसूचनाके अनुसार औपचारिक रूप सेहैचरियों, ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटरोंऔर न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरोंकी स्वीकिृति दी गई। इस हस्तकक्षेप ने लगभग 550 हैचरियों की निरंतरता को बनाये रखा और झींगाकृषि के लिए ज़रूरी स्टेबल बीजआपूर्तिको सुनिश्चित किया।इस संशोधन से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और जियोमॉर्फोलॉजिकल इलाकों में जलकृषि पर रोक लगाने के लिए कानूनी सहायता भी मज़बूत हुई, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा मज़बूत हुई। खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर में जलकृषि गतिविधियों के लिए नीति में काफ़ी स्पष्ट ता लाई गई,जिससे केज कल्चर, सीवीड फार्मिंग और बाइवाल्व कल्चर जैसी मैरीकल्चर गतिविधियोंको बढ़ावा मिला, जो जीवनयापन में विविधता लाने और तटीय महिलाओं के सशक्तिकरणके लिए ज़रूरी हैं।

पता लगाने की क्षमता बढ़ाने, अंतरराष्ट्री य बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने और छोटे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, संशोधनने सरकार की दी हुई ज़मीन पर खेतों के पंजीकरण को आसान बनाया और प्रक्रियाकी मुश्किलों को आसान बनाया। इसने सीएएको हितधारकों को मिलाकर समितियांबनाने का अधिकार देकर एक भागीदारी ढांचा पेश किया। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरों को पहचानते हुए, संशोधनने जलकृषि इनपुट को सीएएविनियमके तहत लाया, जिससे नुकसानदायक चीज़ों पर रोक लगाई जा सकी और प्रमाणित, सुरक्षित इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चितहुई। रोग-मुक्त और आनुवांशिक रूप से बेहतर स्टॉक के लिए

मज़बूत नियम, जिसमें एसपीएफप्रमाणन के लिए प्रणालीऔर एनबीसीएवंबीएमसीकी स्थापना शामिल है, जैव-सुरक्षाको बेहतर बनाने और बीमारी से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

यह अधिनियमअब प्राधिकरणको इनपुट को विनियमितकरने, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की निगरानी करने, गंदे पानी के लिए मानक तय करने, जांचकरने और प्रदूषण करने वाले प्रिंसिपल के तहत पर्यावरण के नुकसान का मूल्यांककनकरने की शक्ति देता है। अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और मौद्रिक जुर्माने लगाने से अनुपालनका बोझ कम हुआ है, साथ ही पर्यावरण के मज़बूत सुरक्षा उपाय भी बने हुए हैं। किसानों की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, संशोधन में नवीकरण में देरी को माफ करने, मालिकाना हक में बदलाव की अनुमतिदेने और खोए या खराब प्रमाणपत्रको बदलने के नियम लाए गए, जिससे हज़ारों छोटे किसानों को लाभ हुआ। साथ ही, प्रशासनिकसुधारों ने नए प्राधिकृत अधिकारियों, न्याोयनिर्णयन अधिकारियों, अपीलीय तंत्रों और नैसर्गिक न्याडय के सिद्धांत के हिसाब से मानकीकृत जुर्मानों को प्राधिकृत किया है।

संशोधन के साथ, सीएए नियम,2024 ने ऑनलाइन जमा करने और डिजिटल प्रक्रिया के ज़रिए पंजीकरणको आसान बना दिया। मार्च 2024 में सात नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए, जिनमें फ़ार्म, हैचरी, एसपीएफझींगा प्रजातियां, रोग निगरानी, जलकृषि इनपुट, ब्रीडिंग सेंटर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विनियमानको कवर किया गया। तटीय जलकृषि और मैरीकल्चर को पूरी तरह से सीएएके विनियामकदायरे में लाने के साथ, आईसीएआर संस्थान, एमपीईडीए, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, एनसीएससीएमऔर राज्यआ एजेंसियों की मदद से ग्यारह और दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं। आगामी इन दिशानिर्देशोंमें समुद्री फिनफिश, क्रैब कल्चर, देसी झींगा, सजावटी प्रजातियां, सीवीड फार्मिंग, केज/पेन कल्चर, लाइव फीड इकाईयां, आरएएस/बायोफ्लोक प्रणालियां, जलीय क्षेत्रीकरण, बाइवाल्व फार्मिंग और पर्यावरणीय नुकसान लागत शामिल हैं। संशोधन अधिनियम, बदले हुए नियम और नए दिशानिर्देश मिलकर एक आधुनिक, बृहत्और विज्ञान-आधारितविनियामक ढांचा बनाते हैं जो पर्यावरणीय शासन को मजबूत करता है और साथ ही भारत के तटीय जलकृषि क्षेत्र के सतत् विकास और विविधीकरणको भी मुमकिन बनाता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) ने 2024-25 के दौरान महत्वोपूर्ण विकास किया है। वर्ष के दौरान, कुल 712 तटीय जलकृषि फार्म, जो 856.10 हैक्टेयिर फार्म क्षेत्र और 546.69 हैक्टेकयर पानी में फैले क्षेत्र को कवर करते हैं, लिटोपेनियस वन्नामेई और पेनेअस मोनोडोन के कल्चर के लिए पंजीकृत किए गए। इसके अलावा, 2,894 फार्मोंका नवीकरण किया गया, जिसमें 5,220.19 हैक्टेषयर फार्म क्षेत्र और 3,609.75 हैक्टेयिर पानी में फैले क्षेत्र को कवर किया गया।

हैचरी विनियमनमें भी काफी सुधार हुआ। निरीक्षण समिति की सिफारिशों और प्राधिकरण के अनुमोदन से सोलह हैचरियां पंजीकृत की गईं। इनमें दस एल. वन्नामेई हैचरियां, दो पी. मोनोडॉन हैचरियां, एक लाइव फीड इकाई, दो मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्गी हैचरियां और एक आईसीएआर-सीआईबीएइकाई शामिल थीं। कुल पंद्रह हैचरियों का नवीकरण किया गया, जिनमें बारह एल. वन्नामेई, दो पी. मोनोडॉन और एक लाइव फीड इकाई शामिल थीं। इसके अलावा, एसपीएफएल. वन्नामेई बीज के उत्पायदनके लिए चौदह नौप्ली रियरिंग हैचरियां (एनआरएच) पंजीकृत की गईं, जिनमें तेरह एल. वन्नामेईइकाईयां और एक पी. मोनोडॉनइकाई शामिल हैं।

प्राधिकरणने 1,123 एंटीबायोटिक-मुक्तं जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र भी जारी किए और 167 ऐसे इनपुट का नवीकरण किया। ब्रूडस्टॉक विनियमनमें भी प्रगति हुई। एसपीएफएल. वेन्ना मेईब्रूडस्टॉक के एक और विदेशी आपूर्तिकर्ताको पैनल में शामिल किया गया, और ब्रूडस्टॉक और पीपीएलआयातको आसान बनाने के लिए बारह मौजूदा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की वैधता पांच वर्षतक बढ़ा दी गई। कुल मिलाकर, सोलह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल किया गया, जिनमें से चौदह एसपीएफ एल. वेन्नाकमेई के लिए और दो एसपीएफ पी. मोनोडोन के लिए थे। वर्ष के दौरान, हैचरियों और बीएमसी परिचालकों ने 1,83,266 एसपीएफएल. वेन्ना मेईब्रूडस्टॉक, 9,289 एसपीएफपी. मोनोडोन ब्रूडस्टॉक, 4,58,208 पीपीएल एसपीएफ एल. वेन्नारमेई, और 68,568 पीपीएल एसपीएफ पी. मोनोडोनआयात किए।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत विस्ताररित विनियामक अधिदेश के अनुसार, सीएएने विविध तटीय जलकृषि और मैरीकल्चर गतिविधियोंको कवर करते हुए ग्यारह नए दिशनिर्देश विकसित किए हैं। इन्हें सीआईबीए, सीएमएफआरआईऔर एनबीएफजीआरजैसे आईसीएआर संस्थासनों के साथ-साथ एमपीईडीए, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरई, एनसीएससीएम और राज्या मत्य्फ षपालन विभागों से तकनीकी सहायता लेकर तैयार किया गया और

अधिसूचना के लिए मत्य्न्हपालन विभाग को भेजा गया। मत्य्तैयपालन विभाग (जी.एस.आर.750(ई), दिनांक 4 दिसंबर 2025) ने सीएए नियम, 2024 के नियम 3 में बदलाव किया, ताकि खंड (छ) के बाद निम्नकलिखित 11 नए दिशानिर्देशों को शामिल किया जा सके:

(h) केकड़ों के बीज उत्पादन और कल्चकर के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमितकरने के लिए दिशानिर्देश

(i) समुद्री फिनफिशों के बीज उत्पादन और कल्चचर के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(j) समुद्री और खारे पानी में देसी झींगा प्रजातियों के बीज उत्पादन और कल्चररके लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(k) समुद्री/खारे पानी के सजावटी जीवों के लिए हैचरियों और पालन इकाईयों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(l) समुद्री और खारे पानी में सीवीड सीडलिंग उत्पा दनऔर फार्मिंग को विनियमितकरने के लिए दिशानिर्देश;

(m) समुद्री/खारे पानी की जलकृषि प्रजातियों के केज और पेन कल्चर को विनियमितकरने के लिए दिशानिर्देश;

(n) तटीय जलकृषि में लाइव फ़ीड कल्चर इकाईयोंऔर प्रबंधन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(o) बायो-फ्लोक, रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स (आरएएस), और नर्सरी-आधारित जलीयफार्मिंग प्रणालियोंको विनियमितकरने के लिए दिशानिर्देश;

(p) जलीय क्षेत्र को अधिसूचितकरने और जलीयमैपिंग के लिए दिशानिर्देश;

(q) समुद्री और खारे पानी में बाईवाल्व के बीज उत्पाऔदनऔर फार्मिंगको विनियमितकरने के लिए दिशानिर्देश;

(r) पर्यावरण को हुए नुकसान और तोड़-फोड़ की लागत के मूल्यांकिन और पर्यावरण निगरानी निधि के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश।

सीएए ने आईसीएआर-सीआईबीए से तकनीकी सहायता के साथ तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और एसपीएफ प्रमाणन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी विकसित की और इसे अधिसूचना के लिए प्रस्तुत किया।

भारत सरकार की आसानी से कारोबार करने की पहल के तहत, सीएएने डीपीआईआईटीके तहत राष्ट्री य एकल विंडो प्रणाली(एनएसडब्यू्लं एस) की मदद से, सीएए नियम,2024 के नियम9(3) के तहत तटीय जलकृषि फार्मों और मैरीकल्चर इकाईयों पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली विकसित की। ऑनलाइन पोर्टल को माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने 21 नवंबर 2024 को, विश्वे मत्य्ीएएपालन दिवस से एक दिन पहले शुभारंभ किया था। पोर्टल लिंक 9 जनवरी 2025 को सीएएवेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे, जिससे किसान ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकें और एसडीएलसी/डीएलसीसदस्यि संयोजकोंको आवेदनको डिजिटल रूप से कार्यवाही करने और अग्रेषितकरने में आसानी हो।

वर्षके दौरान, प्राधिकरणकी तीन बैठकें 30 अप्रैल 2025, 18 जुलाई 2024 और 21 अक्टूबर 2024 को हुई, जिसमें फार्मों,हैचरियों और जलकृषिइनपुट के पंजीकरणऔर नवीकरणके सभी पात्र प्रस्तामवों अनुमोदित किए गए और प्रमाणपत्रडिजिटल और प्रत्यणक्ष रूप से जारी किए गए। एक्वेटिक क्वारंटाइन फैसिलिटी (एक्यूयएफ) की देखरेख करने वाली तकनीकी समिति ने एमपीईडीए-आरजीसीए, चेन्नई में ब्रूडस्टॉक आयात प्रक्रिया और एक्यूीएफ परिचालनों की समीक्षा करने के लिए 29 नवंबर 2024 और 12 फरवरी 2025 को दो बैठकें की गईं।

पर्यावरणीय देखरेख और निगरानी को मज़बूत किया गया, पंजीकरण और नवीकरण के लिए 269 हैचरियों और एनआरएचका निरीक्षणकिया गया। इसके अलावा, राष्ट्री य अपशिष्टण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एमपीईडीएके साथ मिलकर 409 हैचरियोंका निरीक्षणकिया गया, और फील्ड-लेवल अधिकारियों ने 100 नमूनेइकट्ठा किए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में कुल 6,591 फार्म देखे गए, और 678 फार्मों से पानी के नमूने इकट्ठा किए गए।

जागरूकता और हितधारकसहयोग को बढ़ाने के लिए, सीएएने एमपीईडीए, आईसीएआर-सीआईबीएऔर राज्य/यूटीमत्य्91 पालन विभागों के साथ मिलकर सभी तटीय राज्यों और यूटीमें 56 आउटरीच कार्यक्रम (भौतिक और वर्चुअल दोनों) किए गए। इन कार्यक्रमों ने एसडीएलसी/डीएलसीसमन्व्यकों, नोडल अधिकारियों, मत्य्लकरपालनअधिकारियों, किसानों, हैचरी परिचालकों, जलकृषि इनपुट उत्पा दकोंऔर वितरकों, बीमा प्रतिनिधियों और अन्य, हितधारकों को सीएएके सांविधिक प्रावधानों, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध, नए विकसित किए गए दिशानिर्देशों,ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, प्रजातियां विविधीकरण, उत्तंम प्रबंधन प्रथाएं और पीएमएमकेएसएसवाईके तहत जलकृषि फसल बीमा के बारे में जागरूक किया। सीएएने वर्ष के दौरान दस कार्यशालाओं, प्रदर्शिनियों और एक्सपो में भी हिस्सा लिया।

के. सी. देवसेनापति, आईएएस

सचिव, सीएए

सीएए के बारे में

1

सीएए के बारे में

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रारंभ

उच्च तम न्या यालय ने रिट याचिका सं. 1994 का 561 (जगन्नाथन बनाम भारत संघ) में अपने फैसले में तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण पर चिंता व्यक्त की थी और केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों तथा समुद्र तट की रक्षा के साथ-साथ देश में टिकाऊ एवं जिम्मेदार तटीय जलकृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया था।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 24) के अंतर्गत की गई थी, जिसे 23 जून, 2005 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के अधिदेश के साथ कार्य कर रहा है कि तटीय जलकृषि से तटीय पर्यावरण को कोई हानि न हो, अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुपालन में उत्तरदायी तटीय जलकृषि को बढ़ावा दिया जा सके और तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के विभिन्न वर्गों की आजीविका की भी रक्षा की जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 27):

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तटीय जलकृषि के अभ्यास में आने वाली बाधाओं को दूर करने और इस अधिनियम को अपराधमुक्त करने की तत्काल आवश्यकता की पहचान की गई। यह भी महसूस किया गया कि देश में तटीय जल की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के दायरे में तटीय जलकृषि के नए रूपों को शामिल करके तटीय जलकृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। सभी परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए प्रावधान करने और यह दोहराने के लिए कि तटीय जलकृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां सीआरजेड अधिसूचनाओं के तहत सीआरजेड के भीतर अनुमत गतिविधियां हैं, तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, जो सीएए अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के अठारह साल बाद उसमें संशोधन करता है। भारत सरकार ने तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 27) को 14 अगस्त, 2023 को अधिसूचित किया और यह 12 सितंबर 2023 को लागू हुआ (एस.ओ. 3977(ई) दिनांक 07 सितंबर, 2023)। सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 तटीय जलकृषि क्षेत्र के पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से सतत विकास के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए सबसे बड़े समर्थनों में से एक है।

तटीय जलकृषि के विकास पर सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 का प्रभाव:

सीएए (संशोधन) अधिनियम 2023 ने इस अधिनियम के दायरे में तटीय जलकृषि की सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से शामिल किया है और मूल अधिनियम में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर किया है ताकि देश में एक सुव्यवस्थित और समावेशी नियामक व्यवस्था हो सके, जो सतत विकास का आधार है।

संशोधन का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि यह 'नो डेवलपमेंट ज़ोन' में की जा सकने वाली जलकृषि गतिविधियों के बारे में अस्पष्टता को दूर करने में सफल रहा है, जो पिछले पाँच वर्षों से इस क्षेत्र को परेशान कर रही थी। 2005 में जब मुख्य अधिनियम लागू किया गया था, तब केवल खेतों पर, विशेष रूप से भूमि-आधारित मिट्टी के तालाबों में झींगा पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

प्रधान अधिनियम ने "नो डेवलपमेंट ज़ोन (एनडीजेड)" के भीतर तटीय जलकृषि को प्रतिबंधित कर दिया, जो कि उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) से 200 मीटर की दूरी पर भूमि की ओर और सीआरजेड के भीतर खाड़ियों, नदियों

The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023 (27 of 2023) notified on 14th August, 2023

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) Rules, 2024 notified vide G.S.R 33(E) dated 08th January 2024

और बैकवाटर में है। 2005 में प्रधान अधिनियम के प्रख्यापन के समय, तटीय जलकृषि गतिविधि के लिए केवल खेतों को ही माना गया था। चूंकि खेत लाखों एकड़ में फैले हो सकते हैं, इसलिए उन्हें नो-डेवलपमेंट ज़ोन के संवेदनशील 200 मीटर के भीतर प्रतिबंधित करने पर विचार किया गया था। सीआरजेड अधिसूचना 1991 और 2011 के अनुसार हैचरी हमेशा उपरोक्त एनडीजेड में एक छूट प्राप्त गतिविधि थी, और अब सीआरजेड अधिसूचना 2019 के तहत गतिविधि की अनुमति है। अस्पष्टता को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन किए गए संशोधनों ने तटीय जलकृषि पर बहु-एजेंसी विनियामक और अनुपालन बोझ को भी कम कर दिया है तथा मूल अधिनियम के सत्यापन अनुभाग के तहत प्रदत्त संरक्षण को दोहराया है।

उच्च गुणवत्ता वाले बीज सभी जलकृषि पद्धतियों के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक हैं। गुणवत्तापूर्ण समुद्री जल की पर्याप्त आपूर्ति और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तट पर हैचरी और इसी प्रकार की बीज उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना आवश्यक है। लगभग 550 हैचरी से होने वाले उत्पादन ने देश में झींगा पालन के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे पूरे उत्पादन तंत्र में लाखों लोगों को आजीविका मिली है। सीएए अधिनियम में समय पर किए गए संशोधन ने इस क्षेत्र को सुस्थापित बीज उत्पादन इकाइयों को बनाए रखने और अपनी बीज उत्पादन गतिविधि को निर्बाध रूप से जारी रखने से बचाया है।

मूल अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए सीएए दिशानिर्देश, सीआरजेड अधिसूचना के अनुरूप हैं और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) और भू-आकृति विज्ञान क्षेत्रों में तटीय जलकृषि गतिविधियों की अनुमति नहीं देते हैं। हालाँकि यह प्रावधान सीएए दिशानिर्देशों में पहले से ही मौजूद था, लेकिन मूल सीएए अधिनियम में इसकी कानूनी वैधता और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं था। इसलिए, संशोधन में एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जो सीआरजेड अधिसूचना के अनुरूप है। इससे और अधिक स्पष्टता आई है और यह सुनिश्चित होगा कि जलकृषि के नाम पर नाज़ुक तटीय पारिस्थितिक तंत्रों से छेड़छाड़ न की जाए।

पंजीकरण ट्रेसेबिलिटी स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है, जिसकी मांग आयातक देशों द्वारा की जाती है और इसलिए यह आवश्यक है कि सभी अनुपालन करने वाली इकाइयां पंजीकृत हों और प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण किसी को भी लंबित न रखा जाए। कुछ राज्य सरकारों की पट्टा अवधि से संबंधित राज्य नीतियों के कारण सरकार द्वारा आवंटित/आबंटित भूमि पर स्थापित तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत करने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। हजारों छोटे किसान नियमित रूप से सरकार द्वारा आवंटित/आबंटित भूमि पर जलकृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। यह नया प्रावधान उन सभी छोटे किसानों के पंजीकरण का समर्थन करेगा, जिन्हें एक पहचान मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के अपने उत्पादों का विपणन कर सकेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ट्रेसेबिलिटी प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

हितधारकों को नियामक प्रणाली का हिस्सा बनना होगा और उनकी चिंताओं को सुना जाना चाहिए। अब अधिनियम ने प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन और अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए समितियों की नियुक्ति का अधिकार दिया है, और हितधारक भी इन समितियों का हिस्सा बन सकते हैं। इससे प्राधिकरण के विभिन्न अधिदेशों के निर्णय लेने/ कार्यान्वयन में एक सहभागी दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

प्रधान अधिनियम ने सीआरजेड के भीतर खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर में तटीय जलकृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2005 में, कुछ स्थानों पर, जलाशयों में बांध बनाकर और जलाशयों के चरित्र को बदलकर झींगा फार्म स्थापित किए गए थे। अब तटीय जलकृषि के नए रूप, जैसे पिंजरे की खेती, समुद्री शैवाल की खेती, द्विपक्षी खेती, आदि सामने आए हैं जो केवल इन क्षेत्रों में ही किए जा सकते हैं, और केवल अस्थायी संरचनाओं का उपयोग करते हैं। ये गतिविधियाँ बहुत ही लाभदायक हैं और तटीय मछुआरा समुदायों, विशेष रूप से मछुआरी महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता भी रखती हैं। पहले से ही, कई महिला स्वयं सहायता समूह नियमित रूप से पीएमएमएसवाई से वित्तीय सहायता के माध्यम से इन लघु-स्तरीय गतिविधियों से आय अर्जित कर रहे हैं। तटीय महिलाओं के आर्थिक विकास और सशक्तिकरण का तटीय गांवों में इन तकनीकों को अपनाने पर सीधा प्रभाव पड़ा है सीएए अधिनियम में संशोधन ने यह सुनिश्चित किया है कि सीआरजेड के भीतर खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर्स में ये गतिविधियाँ अनुमेय हैं। तटीय जलकृषि के साथ सुदूर संवेदन में तकनीकी विकास को एकीकृत करने की दृष्टि से, अधिनियम संशोधन में देश के सभी तटीय क्षेत्रों में एक्वा-ज़ोनिंग और एक्वा-मैपिंग की अधिसूचना के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कृषि उपज में एंटीबायोटिक दवाओं का पता चलने और अंतर्राष्ट्रीय आयातकों द्वारा उन्हें अस्वीकार करने से पिछले दो दशकों के दौरान उत्पादन के साथ-साथ समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। सरकार जलकृषि क्षेत्र में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग/दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब, गुणवत्तापूर्ण जलकृषि आदानों, विशेष रूप से प्रमाणित जलकृषि आदानों जैसे चारा, प्रोबायोटिक्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों, जो औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों या रोगाणुरोधी एजेंटों से मुक्त हैं, की उपलब्धता सुनिश्चित करके जलकृषि किसानों के हितों की रक्षा के लिए, जलकृषि आदानों को सीएए अधिनियम के दायरे में लाया गया है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण को अब तटीय पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों या रोगाणुरोधी एजेंटों वाले जलीय आदानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। यह नियामक तंत्र देश को वैश्विक मान्यता भी दिलाएगा।

जलकृषि में रोग हितधारकों के लिए एक दुःस्वप्न रहे हैं। कृषि पशुओं के विकास में मंदता या पूर्ण मृत्यु का कारण बनने वाली बीमारियों के अचानक प्रकोप से हितधारकों

को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। अब यह माना जाता है कि तटीय जलकृषि की सफलता के लिए रोग निवारण महत्वपूर्ण है, और स्थायी तटीय जलकृषि को बढ़ावा देने हेतु रोग-मुक्त और आनुवंशिक रूप से उन्नत स्टॉक और प्रणालियाँ प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, अधिनियम में विशिष्ट रोगाणु मुक्त (एसपीएफ) प्रमाणन, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों और ब्रूड स्टॉक गुणन केंद्रों की स्थापना, जो रोग-मुक्त स्टॉक के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे रोग-मुक्त प्रणालियों की स्थापना और आनुवंशिक रूप से उन्नत एसपीएफ स्टॉक का उत्पादन संभव होगा जिससे तटीय जलकृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों का उत्पादन भारत को अन्य विकासशील देशों को स्वस्थ बीजों का निर्यातक भी बना सकता है। वर्तमान में, यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल आपूर्तिकर्ताओं से विशिष्ट रोगाणु मुक्त ब्रूड स्टॉक का आयात कर रहा है।

अधिनियम ने प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि इकाइयों के संचालन हेतु नियम बनाने और उनके पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने हेतु तटीय जलकृषि इकाइयों का निरीक्षण करने की शक्तियाँ प्रदान की हैं। अधिनियम ने प्राधिकरण को तटीय जलकृषि को विनियमित करने, एसपीएफ प्रमाणन, जलकृषि में प्रयुक्त सामग्री और तटीय जलकृषि इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्टों के लिए मानक निर्धारित करने या अपनाने का भी अधिकार दिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्तम जलकृषि पद्धतियों के संचालन हेतु दिशानिर्देश मौजूद हों और हितधारकों द्वारा उनका सावधानीपूर्वक पालन किया जाए ताकि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो विविध पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करता है, संरक्षित रहे। संशोधन में पर्यावरणीय क्षति मूल्यांकन के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जो उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को कायम रखने में सहायक होंगे।

मूल अधिनियम में पंजीकरण नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने में देरी होने पर नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। किसानों को नए सिरे से आवेदन करना पड़ता था, जो एक जटिल प्रक्रिया थी। अब, पंजीकरण नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लेकर माफ़ी का प्रावधान किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को छोटी-मोटी गलतियों के कारण अनावश्यक परेशानी न हो। सीएए के पास पंजीकृत लगभग 65% खेतों का पंजीकरण नवीनीकृत नहीं हुआ है। अधिनियम में यह संशोधन सीएए को देरी को माफ़ करने और किसानों को आसान नवीनीकरण में सहायता करने में सक्षम बनाएगा। नवीनीकरण प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, और अब आवेदक उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) या जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की सहायता के बिना सीधे सीएए को पंजीकरण नवीनीकरण के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं, जिससे किसानों को निर्धारित समय के भीतर नवीनीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस संशोधन से 30,000 से अधिक किसान तुरंत लाभान्वित होंगे।

मूल अधिनियम में, स्वामित्व में परिवर्तन होने पर पुनः पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। व्यापार सुगमता की अवधारणा के अंतर्गत, वर्तमान संशोधन स्वामित्व में परिवर्तन होने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन करने और प्रमाणपत्र के क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त या खो जाने की स्थिति में नया प्रमाणपत्र प्रदान करने का प्रावधान करता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य कानून होने के नाते, उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए कुछ दंडात्मक कार्रवाइयों की आवश्यकता है। तदनुसार, 'प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत' को लागू करते हुए, अधिनियम के तहत कारावास के स्थान पर उपयुक्त मौद्रिक और अन्य दंडों का संयोजन शामिल किया गया है। इसलिए, तटीय जलकृषि इकाई का पंजीकरण न कराना और कानून के प्रावधानों का पालन न करना तथा तटीय जलकृषि इकाइयों/गतिविधियों/इनपुट में प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग पर तटीय जलकृषि गतिविधि को निलंबित या बंद करके, जुर्माना लगाकर, किसी भी संरचना या खड़ी फसल को हटाकर, पंजीकरण को निलंबित या रद्द करके कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, नियामक अनुपालन के बोझ को कम करके अधिनियम को अपराधमुक्त कर दिया गया।

दंड में संशोधन के साथ-साथ, अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करने के लिए परिणामी प्रावधान किए गए हैं। पारित आदेशों के विरुद्ध अपील के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं क्योंकि अब मामले उन न्यायालयों में नहीं जाएँगे जहाँ अपील और पुनरीक्षण की व्यवस्था है। अधिनियम के प्रावधानों का पंजीकरण न करने और उनका पालन न करने पर दंड का निर्धारण और अधिरोपण इस प्रयोजन के लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों" का पालन करते हुए किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि दंड अत्यधिक न हों और ऊपरी सीमा संशोधित अधिनियम में पहले से निर्धारित राशि से अधिक न हो। इसके अलावा, न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करने के प्रयास किए गए हैं।

सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप, तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) नियम, 2024 को जी.एस.आर. 33(ई) दिनांक 8 जनवरी 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया, जिसमें तटीय जलकृषि इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और तटीय जलकृषि में व्यवसाय करने में किसानों और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान भी शामिल है। तदनुसार, सीएए ने डीपीआईआईटी-एनएसडब्ल्यूएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से एक ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया है और किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने और एसडीसीएल/डीएलसी के सदस्य संयोजकों को आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित करने की सुविधा प्रदान की है।

सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप और सीएए नियम, 2024 के नियम 3 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार स्थायी तटीय जलकृषि प्रथाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित (7) दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए:

(क) तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1496 (ई) दिनांक 20.03.2024)

(ख) बीज उत्पादन और विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त एल. वन्नामेई के संवर्धन के लिए हैचरियों और खेतों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1457 (ई) दिनांक 15.03.2024)

(ग) विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त पी. मोनोडोन के बीज उत्पादन और संवर्धन के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1429 (ई) दिनांक 15.03.2024)

(घ) भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश (S.O. 1479(ई) दिनांक 15.03.2024)

(ङ) जलकृषि इनपुट के अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1456(ई) दिनांक 15.03.2024)

(च) भारत में न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रऔर ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लीकेशन केंद्र की स्थापना तथा संचालन के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1459(ई) दिनांक 15.03.2024)

(छ) तटीय जलकृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1458 (ई) दिनांक 15.03.2024)

चूंकि समुद्री कृषि प्रथाओं सहित तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों के सभी कार्यक्षेत्रों को सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत सीएए के नियामक दायरे में लाया गया है, इसलिए सीएए ने आईसीएआर संस्थानों (सीआईबीए, सीएमएफआरआई और एनबीएफजीआर), एमपीईडीए, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, एनसीएससीएम और राज्य मत्स्यपालन विभागों के तकनीकी सहयोग से 11 नए दिशानिर्देश विकसित किए हैं और उन्हें अधिसूचना के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने जीएसआर 750 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2025 के तहत, खंड (जी) के बाद निम्नलिखित 11 नए दिशानिर्देशों को सम्मिलित करके सीएए नियम, 2024 के नियम 3 में संशोधन किया और इन नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।

(ज) केकड़े के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश;

(झ) समुद्री फिनफिश के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश;

(ञ) समुद्री और खारे पानी में देशी झींगा प्रजातियों के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश;

(ट) समुद्री/खारे पानी के सजावटी जीवों के लिए हैचरियों और पालन इकाइयों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश;

(ठ) समुद्री और खारे पानी में समुद्री शैवाल पौध उत्पादन और खेती को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(ड) समुद्री/खारे पानी की जलीय कृषि प्रजातियों के पिंजरे और बाड़े में पालन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(ढ) तटीय जलकृषि में जीवित चारा पालन इकाइयों और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(ण) बायो-फ्लोक, पुनःपरिसंचरण जलकृषि प्रणालियाँ (आरएएस), और नर्सरी-आधारित जलकृषि प्रणालियों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश;

(त) जलीय क्षेत्रों को अधिसूचित करने और जलीय मानचित्रण हेतु दिशानिर्देश;

(थ) समुद्री और खारे पानी में द्विकपाटी के बीज उत्पादन और कृषि के विनियमन हेतु दिशानिर्देश;

(द) पर्यावरण को होने वाले नुकसान और विध्वंस की लागत के आकलन तथा पर्यावरण निगरानी निधि के उपयोग हेतु दिशानिर्देश।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की संरचना

सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत धारा 4 की उप-धारा 3 के तहत, प्राधिकरण को 20 सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया गया था और मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को एसओ 4754(ई) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

वर्ष 2024-25 के लिए प्राधिकरण के सदस्य:

1.	**सीएए के अध्यक्ष**
	न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह चौहान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (धारा 4(3)(ए) के अंतर्गत 01.04.2024 से 09.12.2024 तक नियुक्त)
	श्री डोड्डा वेंकट स्वामी, आईएएस अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (धारा 4(3ए) के अंतर्गत 03.02.2025 से नियुक्त)
2.	**सदस्य जो तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ है (धारा 4(3)(बी))**
	डॉ. कुलदीप के लाल निदेशक, भाकृअनुप - केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, भारत सरकार, चेन्नई
3.	**सदस्य जो तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ है (धारा 4(3)(सी))**
	डॉ. आर. सेंथिल कुमार, वैज्ञानिक-डी, समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, कोच्चि (01.04.2024 से 19.03.2025 तक)
	डॉ. जी.वी.एम. गुप्ता निदेशक, समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, कोच्चि (20.03.2025 से)
4.	**सदस्य जो पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञ है (धारा 4(3)(डी))**
	डॉ. पूर्वजा रामचंद्रन, निदेशक, राष्ट्री य सतत तटीय प्रबंधन केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, चेन्नई

5.	**केंद्रीय सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(ई))**
	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, आईएएस संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई/पीपी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
	श्री मुक्तानंद अग्रवाल, आईएएस संयुक्त सचिव (पीपी/सीईओ-पीएमएफबीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
	सुश्री एफ. देबोराह इनिथा, आईएएस संयुक्त सचिव (फसल), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
6.	**केंद्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(एफ))**
	श्री डोड्डा वेंकटस्वामी, आईएएस अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
7.	**केंद्रीय सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(एफए))**
	सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद, आईएएस संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
8.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री विश्वेंद्र, आईएएस सचिव (मत्स्यपालन) मत्स्यपालन विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर (01.04.2024 से 15.12.2024 तक)
	सुश्री ज्योति कुमारी, आईएएस सचिव (मत्स्यपालन) मत्स्यपालन विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर (16.12.2024 से)
9.	**आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी, आईएएस (01.04.2024 से 23.06.2024 तक) सचिव पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
	श्री बाबू, ए. आईएएस, सचिव पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन विभाग,

	आंध्र प्रदेश सरकार (19.06.2024 से 16.10.2024 तक)
	श्री एम. एम. नायक, आईएएस सचिव पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार (16.10.2024 से 22.01.2025 तक)
	श्री बी. राजशेखर, आईएएस विशेष मुख्य सचिव, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार (22.01.2025 से)
10.	**दमन और दीव का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	डॉ. सागर डी. डोईफोडे, आईएएस सचिव (मत्स्यपालन) दमन और दीव सरकार
11.	**गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री सरप्रीत सिंह गिल, आईएएस सचिव (मत्स्यपालन), गोवा (01.04.2024 से 23.05.2024 तक)
	श्री ई. वल्लवन, आईएएस सचिव (मत्स्यपालन), गोवा सरकार (23.05.2024 से)
12.	**गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री संदीप कुमार, आईएएस सचिव (सहकारिता, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं गौपालन), कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग गुजरात सरकार
13.	**कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	डॉ. अजय नागभूषण एम.एन. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, कर्नाटक सरकार (01.04.2024 से 12.02.2025 तक)
	सुश्री सलमा के. फहीम, आईएएस सचिव, पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग कर्नाटक सरकार (12.02.2025 से 20.02.2025 तक)

	श्री वी. अंबुकुमार, आईएएस सचिव, पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग कर्नाटक सरकार (20.02.2025 से)
14.	**केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, प्रधान सचिव (मत्स्यपालन) केरल सरकार सचिवालय, तिरुवनंतपुरम-695001, केरल (01.04.2024 से 31.01.2025 तक)
	श्री बी. अब्दुल नासर, आई.ए.एस., विशेष सचिव (मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, केरल सरकार सचिवालय, तिरुवनंतपुरम-695001, केरल (01.02.2025 से)
15.	**लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री संतोष कुमार रेड्डी वी, आईएफएस, सचिव (मत्स्यपालन), लक्षद्वीप द्वीपसमूह (01.04.2024 से 09.10.2024 तक)
	श्री राजतिलक एस., आईएफएस, सचिव (मत्स्यपालन), लक्षद्वीप द्वीपसमूह (13.10.2024 से)
16.	**महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री राजेश कुमार, आईएएस, सचिव (मत्स्यपालन), कृषि एवं पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, (01.04.2024 से 30.07.2024 तक)
	श्री अतुल पाटने, आईएएस सचिव (मत्स्यपालन), कृषि एवं पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार (31.07.2024 से 09.09.2024 तक)
	श्री बी. वेणुगोपाल रेड्डी, आईएएस, प्रधान सचिव (मत्स्यपालन), कृषि एवं पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार (09.09.2024 से 08.01.2025 तक)

	डॉ. रामास्वामी एन. (बी.पी.एस.) सचिव, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन, महाराष्ट्र सरकार, पाँचवीं मंजिल, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र सरकार (08.01.2025 से)
17.	**ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, आईएएस प्रधान सचिव मत्स्यपालन एवं पशु संसाधन विकास विभाग, ओडिशा सचिवालय, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर, ओडिशा ओडिशा सरकार
18.	**पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री ए. नेदुंचेझियान, आईएएस सचिव, पुडुचेरी सरकार (01.04.2024 से 07.02.2025 तक)
	डॉ. डी. मणिकंदन, आईएएस सचिव, पुडुचेरी सरकार (10.02.2025 से)
19.	**तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	श्री मंगत राम शर्मा, आईएएस प्रधान सचिव, सरकार पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार (01.04.2024 से 16.07.2024 तक)
	डॉ. के. गोपाल, आईएएस अपर मुख्य सचिव, सरकार पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार (17.07.2024 से 04.10.2024 तक)
	श्री सत्यब्रत साहू, आईएएस, प्रधान सचिव, सरकार पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार (11.11.2024 से 10.02.2025 तक)
	डॉ. एन. सुब्बैयन आईएएस, सचिव, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु (10.02.2025 से)
20.	**पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (धारा 4(3)(जी))**
	सुश्री रोशनी सेन, आईएएस अपर मुख्य सचिव (अतिरिक्त प्रभार) पश्चिम बंगाल सरकार
	31, जीएन ब्लॉक, आईटी बिल्डिंग, साल्ट लेक, सेक्टर V, कोलकाता, पश्चिम बंगाल सरकार (01.04.2024 से)

प्राधिकरण के कार्य:

सीएए अधिनियम की धारा 11 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कार्य करेगा:

- तटीय क्षेत्रों के भीतर तटीय जलकृषि इकाइयों के निर्माण और संचालन के लिए नियम बनाना;
- तटीय जलकृषि इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए तटीय जलकृषि के कारण उनके पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए;
- तटीय जलकृषि इकाइयों को पंजीकृत करने के लिए;
- ऐसी किसी भी तटीय जलकृषि इकाई को अधिग्रहणकर्ता की सुनवाई के बाद हटाने या ध्वस्त करने का आदेश देना जो प्रदूषण पैदा कर रही हो;
- ऐसे क्षेत्र में किसी भी तटीय जलकृषि की संख्या, प्रजातियों और विधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे कार्यक्रमों की योजना और निष्पादन के माध्यम से, जिसमें पर्यावरणीय रूप से स्थायी तटीय जलकृषि के लिए एक्वा जोनेशन और एक्वा मैपिंग शामिल है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;
- तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रोबायोटिक्स, चिकित्सीय और तटीय जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले ऐसे अन्य इनपुट सहित तटीय जलकृषि इनपुट को मानकों को ठीक करने या अपनाने, प्रमाणित, निगरानी, विनियमित या प्रतिबंधित करना;
- मानकों को निर्धारित करने या अपनाने के लिए, तटीय जलकृषि इकाइयों को प्रमाणित, निगरानी और विनियमित करना, जिसमें जैव-सुरक्षा और करीबी रोग निगरानी के साथ ऐसी इकाइयों में किए गए तटीय जलकृषि गतिविधियां शामिल हैं, ताकि बीमारी से मुक्ति सुनिश्चित की जा सके, इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है;
- तटीय जलकृषि इकाइयों से बहिस्त्रावों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानकों को निर्धारित करना या अपनाना:
- तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना;

सीएए नियम, 2024 के नियम 5 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य

प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्दिष्ट कार्यों के अलावा निम्नलिखित अन्य कार्य करेगा:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि भूमि, मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, वन भूमि, ग्राम सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों को तटीय समुदाय की आजीविका की रक्षा के लिए तटीय जलकृषि फार्मों के निर्माण के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा;
- तटीय जलकृषि के बारे में किसी भी मुद्दे पर कार्य करना, जिसमें वे मुद्दे भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है;
- देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को पर्यावरण अनुकूल तटीय जलकृषि विकास प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने की सलाह देना;
- राष्ट्रव्यापी जलकृषि मानचित्रण और ज़ोनेशन विकसित करना, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं,
  - ✓ उच्च-रिज़ॉल्यूशन भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रों का उपयोग करना, भूमि सर्वेक्षण, उपखंडों, सीमाओं और भूमि स्वामित्व के साथ एकीकृत भूमि उपयोग मानचित्र और कानून के तहत विनियामक आवश्यकताओं के साथ विलय;
  - ✓ क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा मान्य बहु-मानदंड निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से जल स्रोत जैसे समुद्र के किनारे, मुहाना, नदी, खाड़ी, बैकवाटर और भूमि के प्रकार सहित कई मापदंडों के आधार पर संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उनका पता लगाना;
  - ✓ विभिन्न प्रकार के जलकृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों या प्रजातियों या स्टॉकिंग घनत्व या किसी भी पर्यावरणीय खतरे को रोकने और कम करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में सभी के संयोजन के लिए उपयुक्त व्यापक क्षेत्रों को परिभाषित करना;

- अधिक पता लगाने की क्षमता के साथ जलकृषि प्रबंधन क्षेत्रों के विकास के माध्यम से संक्रमण और रोग प्रबंधन की रोकथाम के लिए कदम उठाने में राज्यों को सलाह और सहायता देना;
- जलकृषि मानचित्रों के माध्यम से पहचाने गए संभावित क्षेत्रों में स्थित तटीय जलकृषि इकाइयों के लिए ऑटो-पंजीकरण प्रदान करने के लिए कदम उठाना;
- तटीय जलकृषि के पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए तटीय जलकृषि फार्मों द्वारा सामान्य जल अंतर्ग्रहण और निर्वहन नहरों तथा सामान्य बहिस्त्राव उपचार प्रणालियों जैसे सामान्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना और सहायता देना;
- मानकों को निर्धारित करने या अपनाने के लिए, तटीय जलकृषि आदानों जैसे बीज, चारा और विकास पूरकों सहित प्रोबायोटिक्स, चिकित्सीय और तटीय जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले अन्य आदानों के रखरखाव के लिए तटीय जलकृषि आदानों को प्रमाणित, मॉनीटर, विनियमित या प्रतिबंधित करना, तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण के लिए किसी भी नुकसान की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए जैसाकि जलकृषि इनपुट हेतु अनुपालन के प्रमाणपत्र के लिए दिशानिर्देश विनिर्दिष्टम किए जा सकते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण और तटीय जलकृषि में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से संबंधित जांच तथा अध्ययन या योजनाओं को पूरा करना तथा प्रायोजित करना;
- तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों के संबंध में डेटा और अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक जानकारी एकत्र करना एवं प्रसारित करना;
- तटीय जलकृषि के सतत विकास और उससे संबंधित गतिविधियों से संबंधित मैनुअल, कोड तथा श्रव्यी-दृश्यकसामग्री तैयार करना;
- जलकृषि प्रयोजनों के लिए तटीय संसाधनों के सतत उपयोग और उचित तथा समान बंटवारे के बारे में मीडिया एवं संचार के अन्य साधनों के माध्यम से एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना;
- जलकृषि प्रयोजनों के लिए तटीय संसाधनों के सतत उपयोग में लगे या संभावित कर्मियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसे व्यवस्थित करना;
- तकनीकी मैनुअल,आचार संहिता, आदितैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियों, उप-समितियों, कार्य समूहों और उप-समूहों का गठन करना जिनमें प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों या राज्य सरकारों के वैज्ञानिक और अधिकारी, जन प्रतिनिधि या सिविल सोसाइटी या तटीय जलकृषि संघ या स्थानीय निकाय या किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, ;
- तटीय जलकृषि इकाइयों के मालिकों या ऑपरेटरों को इस तरह के संशोधनों को करने के लिए निर्देशित करना ताकि स्टॉकिंग घनत्व और प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित जलकृषि इनपुट के उपयोग सहित तटीय पर्यावरण पर प्रभावों को कम किया जा सके;
- तटीय जलकृषि प्रथाओं की स्थिरता के लिए तटीय जलकृषि इकाइयों के मौसमी बंद का आदेश देना, पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना और आजीविका की सुरक्षा या तटीय पर्यावरण के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य कारणों से;
- प्रौद्योगिकी, कृषि पद्धतियों आदि में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को सिफारिशें करना और पर्यावरणीय संरक्षण और तटीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ऐसे दिशानिर्देशों में यथावश्यक संशोधनों को शामिल करना;
- जोखिम विश्लेषण, जोखिम शमन उपायों, निरीक्षण और शमन प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से तटीय जलकृषि और पर्यावरण को बीमारियों और कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए;
- स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों तथा स्टॉक के विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट रोगों से मुक्ति सुनिश्चित करके तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य मानीटरिंग, रोग निगरानी और प्रमाणन के लिए आवश्यकताओं को तैयार करना।

सीएए नियम, 2024 के नियम 10 के अनुसार, उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

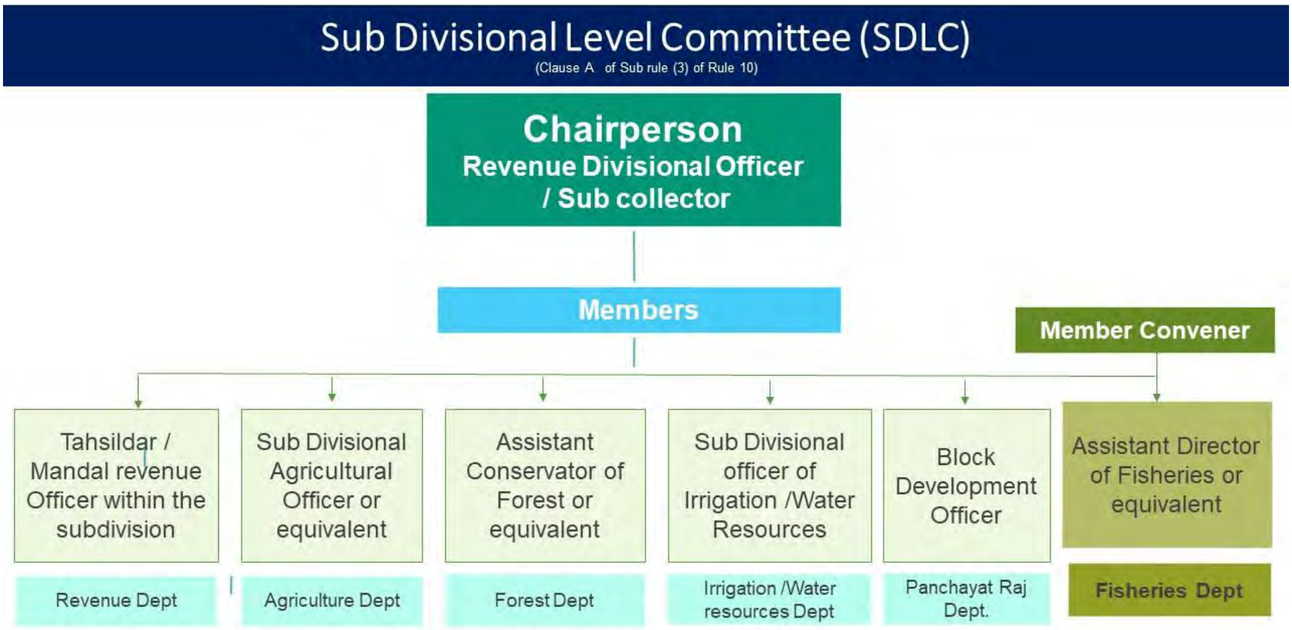
Sub Divisional Level Committee (SDLC)
(Clause A of Sub rule (3) of Rule 10)
Chairperson
Revenue Divisional Officer / Sub collector
Members
Member Convener
Tahsildar / Mandal revenue Officer within the subdivision
Sub Divisional Agricultural Officer or equivalent
Assistant Conservator of Forest or equivalent
Sub Divisional officer of Irrigation /Water Resources
Block Development Officer
Assistant Director of Fisheries or equivalent
Revenue Dept
Agriculture Dept
Forest Dept
Irrigation /Water resources Dept
Panchayat Raj Dept.
Fisheries Dept

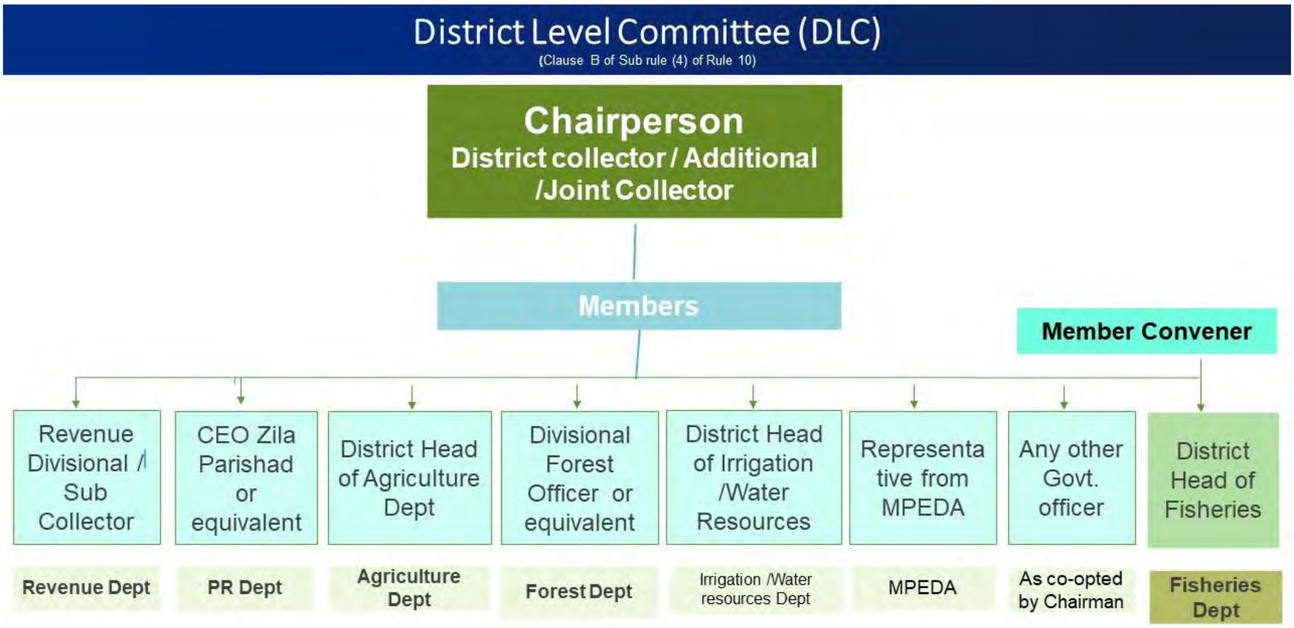
District Level Committee (DLC)
(Clause B of Sub rule (4) of Rule 10)
Chairperson
District collector / Additional /Joint Collector
Members
Member Convener
Revenue Divisional / Sub Collector
CEO Zila Parishad or equivalent
District Head of Agriculture Dept
Divisional Forest Officer or equivalent
District Head of Irrigation /Water Resources
Representative from MPEDA
Any other Govt. officer
District Head of Fisheries
Revenue Dept
PR Dept
Agriculture Dept
Forest Dept
Irrigation /Water resources Dept
MPEDA
As co-opted by Chairman
Fisheries Dept

एसडीएलसी/डीएलसी के कार्य:

सीएए नियम, 2024 के नियम 10 के तहत निर्धारित कुछ तटीय जलकृषि इकाइयों या गतिविधियों के पंजीकरण के लिए किसी आवेदन पर विचार करने का तरीका:

1) नियम 9 के उप-नियम (2) के तहत पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर, उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति (किसी विशेष जिले में उप-मंडल की अनुपस्थिति में) तटीय जलकृषि इकाइयों के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों सहित आवेदन की जांच करेगी, चाहे उनका आकार कुछ भी हो और उन्हें निम्नानुसार संसाधित किया जाएगा:

   (क) 2.0 हेक्टेयर तक के तटीय जलकृषि फार्मों, समुद्री शैवाल संवर्धन, केज कल्चयर, राफ्ट कल्चर, पेन कल्चर, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायो-फ्लोक, नर्सरी, आदि और पारंपरिक तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, उनके आकार के बावजूद, उप-मंडल स्तरीय समिति उसमें दी गई जानकारी से संतुष्ट होने पर, पंजीकरण के विचार के लिए सीधे प्राधिकरण को आवेदन की सिफारिश करेगी;

   (ख) 2.0 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र और 5.0 हेक्टेयर तक जल प्रसार क्षेत्र के तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, उप-मंडल स्तरीय समिति प्राधिकरण को पंजीकरण पर विचार करने के लिए सीधे आवेदन की सिफारिश करेगी, केवल निरीक्षण सहित ऐसी जांच करने के बाद, जो वह ठीक समझे, खुद को संतुष्ट करने के लिए कि ऐसे खेतों का पंजीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा;

   (ग) 5.0 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र के तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, उप-मंडल स्तरीय समिति पंजीकरण के विचार के लिए जिला स्तरीय समिति को आवेदन की सिफारिश करेगी;

      (i) ऐसी जांच करने के बाद, जिसके अंतर्गत निरीक्षण भी है, जो वह ठीक समझे, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि ऐसे फार्मका पंजीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा;

      (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच करने के बाद कि तटीय जलकृषि फार्म नियम 3 के खंड (क), (ख) और(ग) में उल्लिखित तटीय जलकृषि का विनियमन करने के लिए दिशानिर्देशों में किए गए निर्धारणों की पुष्टि करता है।

2) उप-नियम (1) के खंड (ग) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, जिला स्तरीय समिति, संतुष्टि होनेपर, पंजीकरण के विचार के लिए प्राधिकरण को आवेदन की सिफारिश करेगी।

3) जिला स्तरीय समिति या उप-मंडलीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस नियम के तहत कोई भी सिफारिशऐसी सिफारिशें करने के लिए अपनी बैठक में अध्यक्ष और सदस्य संयोजक सहित दो-तिहाई सदस्यों से मिलकर बने कोरम द्वारा की जाएगी।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की मुख्य गतिविधियाँ

1. तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण::
   - ➢ सुनिश्चित करें कि सभी तटीय जलकृषि गतिविधियाँ केवल अनुमत क्षेत्रों में और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में की जाएँ।

2. तटीय जलकृषि हैचरियों का पंजीकरण
   - ➢ तटीय जलकृषि के लिए एसपीएफ/स्वस्थ बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए जैव-सुरक्षित हैचरियों की स्थापना सुनिश्चित करना।

.

3. एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का प्रमाणन
   - ➢ किसानों, हैचरी संचालकों और अन्य हितधारकों को एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

4. एसडीएलसी/डीएलसी के माध्यम से वैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन
   - ➢ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तटजलकृषि के लिए क्षेत्र में एसडीएलसी/डीएलसी के माध्यम से तटजलकृषि को विनियमित और बढ़ावा देना।.

5. एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का पैनलीकरण
   - ➢ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आनुवंशिक आधार, एसपीएफ स्थिति, जैव-सुरक्षा सुविधाओं आदि के आधार पर एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चितकरना।

6. निगरानी और विस्तार
   - ➢ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तटीय जलीय कृषि प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना

1) तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण:

- सीएए सभी तटीय जलकृषि फार्मों को विनियमित और पंजीकृत कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक तटीय जलकृषि किसान के लिए सीएए क्षेत्राधिकार (धारा 13 (1)) के भीतर स्थित सीएए मेंअपने फार्मों को पंजीकृत करना अनिवार्य है।
- किसान सीएए नियम, 2024 की अनुसूची I और II में यथानिर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क को विधिवत संलग्न करते हुए उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) या सीएए अधिनियम, 2005 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) (एसडीएलसी की अनुपस्थिति में) को आवेदन करेंगे, चाहे तटीय जलकृषि फार्म की सीमा कुछ भी हो।
- सीएए 9 समुद्री राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 76जिलों में गठित मौजूदा जिला स्तरीय

समितियों और उप-मंडल स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर फार्मों का पंजीकरण करता है जो सीएए अधिनियम, 2005, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

- सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 5 साल के लिए वैध है और किसानों को हर 5 वर्षों के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि को नवीनीकृत करना होगा। किसान फार्म-I में फार्मों के नवीनीकरण के लिए,एसडीएलसी या डीएलसी के माध्यम से रूट किए बिना,प्रासंगिक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क संलग्न करते हुए सीधे सीएए को आवेदन करेंगे, जैसाकि सीएए नियम, 2024 की अनुसूची I और II में निर्दिष्ट किया गया है। सीएए, जांच के बाद, प्राधिकरण के अनुमोदन से किसानों को नवीकरण का प्रमाणपत्र जारी करता है, जोकि 5 साल के लिए वैध होता है।

- सीएए में पंजीकृत फार्मों की सूची जनता और अधिकारियों के उपयोग के लिए राज्यवार सीएए की वेबसाइट (www.caa.gov.in) में रखी गई है।

2) तटीय हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण:

- सीएए अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी तटीय झींगा और मछली हैचरियों और लाइव फीड इकाइयों को पंजीकृत कर रहा है, क्योंकि ये तटीय जलकृषि इकाइयां सीएए (धारा 13 (1) और नियम 11) में पंजीकृत होंगी।

- हैचरी/लाइव फीड यूनिट ऑपरेटर सीधे फॉर्म-II में सीएए पर लागू होगा, जिसमें सीएए नियम, 2024 की अनुसूची I और II में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक दस्तावेज, निर्धारित शुल्क संलग्न होंगे और इकाई के निर्माण की अनुमति प्राप्त करेंगे। यूनिट के निर्माण के पूरा होने पर, यूनिट ऑपरेटर सीएए से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

- सीएए, पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, निरीक्षण समितिजिसमें आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए, सीएए और संबंधित जिले के मत्स्यपालन अधिकारी के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारास्थापित सुविधाओं का निरीक्षण करने और प्राधिकरण द्वारा इकाई को पंजीकृत करने के लिए अपने सुझाव या सिफारिशें करने के लिए इकाई के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

- निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राधिकरण प्रस्तावों को अनुमोदित करता है और सांविधिक प्रावधानों तथा दिशा-निर्देशों का विधिवत अनुपालन करते हुए तटीय जलकृषि इकाइयों को बीज एवं लाइव फीड उत्पादन और आपूति के कार्यकलाप करने के लिए यूनिट ऑपरेटर को 5 वर्ष की वैधता अवधि के साथ एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

- यूनिट संचालक बीज और लाइव फ़ीड उत्पादन तथा आपूर्ति करने के लिए हर 5 वर्षों के बादपंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

- सीएए में पंजीकृत हैचरियों और लाइव फीड इकाइयों की सूची जनता और अधिकारियों के उपयोग के लिए सीएए की वेबसाइट (www.caa.gov.in) में राज्यवार रखी गई है।

3) एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के अनुपालन का प्रमाणपत्र जारी करना:

- सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक जलकृषि इनपुट निर्माता या वितरक सीएए (धारा 11(1)(डीबी) और नियम 18) से "एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के अनुपालन का प्रमाणपत्र" प्राप्त करेगा।

- जलकृषि इनपुट निर्माता और वितरक "जलकृषि इनपुट के अनुपालन का प्रमाणपत्र" के लिए अधिसूचित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे और सीएए नियम, 2024 की अनुसूची I और II में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के भुगतान को संलग्न करते हुए सीधे सीएए को फॉर्म- III में आवेदन करेंगे।

- सीएए, जांच के बाद और प्राधिकरण के अनुमोदन से, सभी पात्र जलकृषि उत्पादों को "एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन का प्रमाण पत्र" जारी करेगा।

- प्रमाणन के बाद, निर्माता और वितरक "जलकृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाणपत्र के लिए दिशानिर्देश" में निर्धारित लेबलिंग प्रक्रियाओं और अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे।

- प्रमाणन की वैधता अवधि 5 वर्ष है, और इसे हर 5 वर्षों के बादनवीनीकृत किया जाएगा।

- सीएए द्वारा प्रमाणित एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों की सूची सीएए वेबसाइट (www.caa.gov.in) उत्पाद और कंपनी-वार में रखी गई है ताकि जनता और अधिकारियों को जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो सके।

4) सीएए अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों में निहित सांविधिक प्रावधानों का कार्यान्वयन

- सीएए, मौजूदा एसडीएलसी और डीएलसी के माध्यम से, यह सुनिश्चित करता है कि सभी तटीय जलकृषि इकाइयां और गतिविधियां सभी तटीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सांविधिकप्रावधानों के अनुपालन में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए की जाती हैं और तटीय पर्यावरण के साथ सद्भाव में स्थायी तटीय जलकृषि को बढ़ावा भी देती हैं।

- सीएए समय-समय पर किसानों और अन्य हितधारकों द्वारा अनुपालन के लिए तटीय जलकृषि में प्रौद्योगिकियों, प्रथाओं आदि में प्रगति को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश, मानक संचालन प्रक्रियाएवं (एसओपी) और सलाह विकसित करता है।

- देश में सतत तटीय जलकृषि को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए अब तक 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 157 एसडीएलसी और 76 डीएलसी का गठन किया गया है।

5) भारत में एसपीएफ़ ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का पैनल और एक्यूएफ की निगरानी:

- सीएए, आईसीएआर-सीआईबीए, एनएफडीबी, एमपीईडीए और आईसीएआर-एनबीएफजीआर के सदस्यों के साथ गठित “तकनीकी मूल्यांकन समिति” विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी, वर्चुअल मोड में उनकी सुविधाओं का दौरा करेगी और सीएए को उनके आनुवंशिक आधार, विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त (एसपीएफ) स्थिति और स्थापित अन्य जैव-सुरक्षा सुविधाओं के आधार पर उनकोपैनल में शामिल करने के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करेगी।

- तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण सीएए अनुमोदित हैचरियों और बीएमसी को एसपीएफ़ झींगा ब्रूडस्टॉक/पोस्ट पैरेंटल लार्वा (पीपीएल) की आपूति करने के लिए उनके पैनल में शामिल करने के प्रस्तावों की जांच करता है और उन्हें अनुमोदित करता है।

- सीएएप्राधिकरण के अनुमोदन से ऐसे विदेशी आपूतकर्ताओं को पैनल में शामिल करता है और सीएए वेबसाइट पर अधिसूचित करता है ताकि हैचरी/बीएमसी प्रचालकों को ऐसे अनुमोदित विदेशी आपूतकर्ताओं से एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल का आयात करने में सुविधा हो सके।

- अब तक, एसपीएफ़ वन्नामई ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूति के लिए चौदह (14) विदेशी आपूतिकर्ताओं और एसपीएफ़ पी मोनोडोन ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूति के लिए दो (2) विदेशी आपूतिकर्ताओं को पैनल में शामिल किया गया है और सीएए वेबसाइट (www.caa.gov.in) में रखा गया है।

- जलीय संगरोध सुविधा, जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा संचालित है, आयातित एसपीएफ़ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल को संगरोध के साथ हैचरी/बीएमसी ऑपरेटरों की सुविधा प्रदान कर रही है और उन्हें एसपीएफ़ बीज तथा ब्रूडस्टॉक का उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम बना रही है।

- सीएए, एक्यूसीएस, डीओएफ-एमओएफएएचडी, आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए, आरजीसीए, एनएफडीबी और एक्यूएफ परियोजना प्रबंधक के सदस्यों के साथ गठित तकनीकी समिति एक्यूएफ में संचालन की निगरानी कर रही है और समय-समय पर इसके सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए सिफारिश कर रही है।

6) निगरानी और विस्ता र:

- सीएए निरीक्षण समिति नियमित रूप से सभी तटीय क्षेत्रों में झींगा हैचरियों का निरीक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनके संचालन सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में तैनात परामर्शदाता नियमित रूप से फार्मों और हैचरियों

के डिस्चार्ज प्वाइंट्स से जल के नमूने एकत्र कर रहे हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं और डिस्चार्ज जल के निर्धारित मानकों के अनुपालन में डिस्चार्ज जल के मानकों की जांच कर रहे हैं।

- एनआरसीपी कार्यक्रम के तहत हैचरियों और फार्मों से नमूने एकत्र करने के लिए सीएए स्टाफ एमपीईडीए फील्ड अधिकारियों के साथ जुड़ रहा है। एमपीईडीए अधिकारी एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए एकत्र किए गए नमूनों का परीक्षण कर रहे हैं और सभी तटीय जलकृषि इकाइयों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को विनियमित कर रहे हैं।

- एमपीईडीए अधिकारी एनआरसीपी कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित नमूनों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स का पता लगाने के संबंध में सीएए को सकारात्मक चेतावनियां भेज रहे हैं और सीएए अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तटीय जलकृषि फार्म अथवा हैचरी के संबंधित ऑपरेटर को सीएए अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दंडित किया जा रहा है।

- एसडीएलसी और डीएलसी के सभी सदस्यों, किसानों, हैचरी संचालकों, इनपुट निर्माताओं और वितरकों, तथा अन्य हितधारकों को फार्मों एवं हैचरियों के पंजीकरण तथा जलकृषि इनपुट एवं पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलकृषि प्रथाओं के प्रमाणन के लिए किए गए सांविधिक प्रावधानों पर संवेदनशील बनाना।

- सीएए आईसीएआर संस्थानों,एमपीईडीए, विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ भी जुड़ रहा है और कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, किसान सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग ले रहा है और सतत तटीय जलकृषि प्रथाओं पर व्यापक प्रचार कर रहा है।

लक्ष्य और प्रदर्शन

2

लक्ष्य और प्रदर्शन

सीएए के अधिदेश और सीएए अधिनियम तथा उसके नियमों के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गतिविधि-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसके लिए उपलब्धियां और प्रदर्शन नीचे दिए गए हैं:

वार्षिक लक्ष्य और प्रदर्शन

	लक्ष्यक	उपलब्धि
1	**प्राधिकरण की बैठकें:** सीएए के अधिदेशों पर उचित निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण की बैठकें हर दो महीने में कम से कम एक बार बुलाना।	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राधिकरण की तीन बैठकें 30.04.2025, 18.07.2024 और 21.10.2024 को आयोजित की गई। तटीय जलकृषि फार्मों, हैचरियोंके पंजीकरण और नवीनीकरण तथा जलकृषि आदानों के प्रमाणन के सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सीएए ने प्राधिकरण की स्वीकृति से संबंधित किसानों और हितधारकों को डिजिटल और भौतिक रूप से प्रमाणपत्र जारी किए।
2	**तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण** किसानों को अपने संबंधित एसडीएलसी को फॉर्म I में आवेदन करना होगा। उप-मंडल और जिला स्तरीय समितियाँ, क्षेत्र स्तर पर आवेदनों के सत्यापन के बाद, तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए सभी पात्र आवेदनों की सिफारिश सीएए को करेंगी। तटीय जलकृषि फार्मों के नवीनीकरण के लिए किसान सीधे फॉर्म I में सीएए को आवेदन करेंगे। प्राधिकरण, तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए एसडीएलसी और डीएलसी से आवेदन और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए किसानों से आवेदन प्राप्त होने पर, समय के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और प्राधिकरण के अनुमोदन से, किसानों को सीधे भौतिक और डिजिटल दोनों प्रमाण पत्र जारी करेगा।	वर्ष के दौरान, उप-मंडल और जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के साथ खेतों के पंजीकरण के लिए 798 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 856.10 हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र और 546.69 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र वाले 712 आवेदन सही पाए गए और प्राधिकरण के अनुमोदन से किसानों को सीधे पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। संबंधित आवेदकों को सूचित करते हुए अनुपालन न करने के कारण 86 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्राप्त 2913 आवेदनों में से 5220.19 हेक्टेयर कुल फार्म क्षेत्र और 3609.75 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र वाले 2894 आवेदन सही पाए गए और प्राधिकरण के अनुमोदन से किसानों को सीधे पंजीकरण के नवीकरण के प्रमाणपत्र जारी किए गए। संबंधित आवेदकों को सूचित करते हुए अनुपालन न करने के कारण 19 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया।
3	**एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का पैनलीकरण** मंत्रालय ने एनएफडीबी, आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए, आईसीएआर-एनबीएफजीआर के	एल. वन्नामेई के एसपीएफ ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए एक विदेशी आपूर्तिकर्ता की सिफारिश समिति द्वारा की गई और प्राधिकरण के अनुमोदन से उसे पैनल में शामिल किया गया।

	प्रतिनिधियों और सीएए सचिव की अध्यक्षता में पैनलीकरण एवं तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और एसपीएफ स्थिति, आनुवंशिक आधार, रोग स्थिति और अन्य जैव सुरक्षा एवं उत्पादन सुविधाओं के आधार पर योग्य ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं के पैनलीकरण हेतु प्राधिकरण को सिफारिश करना है। सीएए, पंजीकृत हैचरी और बीएमसी संचालकों को सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है और समय-समय पर उनकी वैधता अवधि को बढ़ाता है।	हैचरी/बीएमसी संचालकों को पैनल में शामिल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल आयात करने में सुविधा प्रदान करने के लिए बारह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की वैधता अवधि को पाँच वर्ष तक बढ़ा दिया गया। एल. वन्नामेई के एसपीएफ ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूर्ति के लिए 14 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और पी. मोनोडॉन के एसपीएफ ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूर्ति के लिए 02 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं तथा एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूर्ति के लिए कुल 16 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया गया।
4	**जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) के संचालन की देखरेख और निगरानी** सीएए, एक्यूसीएस, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन मंत्रालय और एएचडी, आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए, आरजीसीए, एनएफडीबी, एक्यूएफ परियोजना प्रबंधक और एआईएसएचए के प्रतिनिधियों के सदस्यों से गठित तकनीकी समिति के सहयोग से, नियमित रूप से एक्यूएफ की गतिविधियों की निगरानी करता है और इसके सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए निर्णय लेता है।	वर्ष के दौरान, 29.11.2024 और 12.02.2025 को दो (2) तकनीकी समिति की बैठकें आयोजित की गईं। 2024-25 के दौरान झींगा हैचरियों और बीएमसी के संचालकों द्वारा सीएए पैनलबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयातित एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक और पीपीएल का विवरण नीचे दिया गया है: **2024-25 के दौरान एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल का आयात** — **संख्याएँ** एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक — 1,83,266 एसपीएफ पी.मोनोडोन ब्रूडस्टॉक — 9,289 एसपीएफ़ एल. वन्नामेई का पीपीएल — 4,58,208 एसपीएफ़ पी. मोनोडॉन का पीपीएल — 68,568
5	**हैचरी का पंजीकरण और नवीनीकरण** हैचरी संचालकों को सीएए नियम, 2024 की अनुसूची I और II में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ हैचरियों/नवपाली पालन केंद्रों/जीवित चारा इकाइयों के पंजीकरण हेतु फॉर्म II जमा करना होगा। सीएए, सीएए नियम, 2024 के नियम 11 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, हैचरियों/एनआरएच/जीवित चारा इकाइयों के पंजीकरण और इन इकाइयों के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगा।	सीएए को हैचरियों के पंजीकरण के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए और सभी 15 हैचरियों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण समिति द्वारा सिफारिश की गई तथा प्राधिकरण के अनुमोदन से सभी 15 इकाइयों (एल. वन्नामेई 10; पी. मोनोडॉन 02; लाइव फीड यूनिट 01; मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्गई 02) और आईसीएआर-सीआईबीए की 01 हैचरी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए। सीएए को हैचरियों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए और सभी 15 हैचरियों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण समिति द्वारा सिफारिश की गई तथा प्राधिकरण के अनुमोदन से सभी इकाइयों को पंजीकरण के नवीनीकरण के प्रमाणपत्र जारी किए गए (एल. वन्नामेई - 12; पी. मोनोडॉन-02; लाइव फीड यूनिट-01)।
6	**नौप्ली पालन हैचरियों (एनआरएच) का पंजीकरण और नवीनीकरण** सीएए दिशानिर्देशों के अनुपालन में एनआरएच के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करता है।	सीएए को एनआरएच के पंजीकरण के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए और एनआरएच की सभी 14 इकाइयों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण समिति द्वारा सिफारिश की गई एवं प्राधिकरण के अनुमोदन से सभी एनआरएच इकाइयों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए (एल. वन्नामेई-13; पी. मोनोडोन-01)। सीएए को एनआरएच के पंजीकरण के नवीकरण के लिए 35 आवेदन प्राप्त हुए और एनआरएच की सभी 35 इकाइयों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण समिति द्वारा सिफारिश की गई तथा प्राधिकरण के अनुमोदन से एनआरएच की सभी इकाइयों को पंजीकरण के नवीकरण के प्रमाणपत्र जारी किए गए (एल. वन्नामेई-35)।

7 जलीय कृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र

सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 11(डीबी) और सीएए नियम, 2024 के नियम 18 के प्रावधानों के अनुसार, जलकृषि आदान निर्माताओं और वितरकों के लिए एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

सीएए, सीएए नियम, 2024 की अनुसूची-III में निर्धारित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आदान निर्माताओं और वितरकों से सीधे फॉर्म-III में आवेदन प्राप्त करता है और नए प्रस्तावों तथा नवीनीकरण के प्रस्तावों की जाँच करता है एवं एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करता है।

सीएए को एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 2690 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1123 आवेदन दिशानिर्देशों के अनुरूप पाए गए और प्राधिकरण के अनुमोदन से 1123 एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए गए। 1210 आवेदनों को 2025-26 के दौरान प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए गए। 85 आवेदनों को उनके अनुपालन न करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और 272 आवेदकों को कमियों को दूर करने के लिए सूचित किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान एंटीबायोटिक-मुक्त आदानों के लिए 167 अनुपालन प्रमाणपत्र नवीनीकरण जारी किए गए।

8 तटीय जलकृषि गतिविधियों का अनुवीक्षण और निगरानी

किसानों और हैचरी संचालकों द्वारा सीएए अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों में निहित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ तटीय जलकृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा के लिए भी खतरा पैदा करेगा। इसलिए, सीएए ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों की नियमित निगरानी और निरीक्षण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2024-25 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष 2024-25 के लिए लक्षित गतिविधियाँ	लक्ष्य (सं.)	उपलब्धियां (सं.)
1	पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए हैचरियों/एनआरएच का निरीक्षण	135	269 इकाईयां
2	एनआरसीपी के अंतर्गत एमपीईडीए के साथ नमूनों का संग्रह और हैचरियों का निरीक्षण	105	409 हैचरियों से 100 नमूने
3	क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से खेतों की निगरानी	2500	6591
4	क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा जल के नमूनों का संग्रह	350	678

9 आउटरीच/जागरूकता कार्यक्रम

सीएए ने राज्य मत्स्यपालन विभागों, एमपीईडीए, आईसीएआर संस्थानों आदि के समन्वय से जागरूकता शिविरों, संवेदीकरण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, किसान सम्मेलनों आदि के माध्यम से सभी समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों, हैचरी संचालकों, इनपुट निर्माताओं/वितरक, अन्य हितधारकों और राज्य मत्स्यपालन विभागों के अधिकारियों के बीच आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने पर अधिक जोर दिया है, ताकि उन्हें सीएए के वैधानिक प्रावधानों, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अच्छे प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने, रोगाणुरोधी प्रतिरोध आदि के बारे में जागरूक किया जा सके।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएए के तकनीकी अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन और उनमें भाग लिया है:

क्र. सं.	वर्ष 2024-25 के लिए लक्षित गतिविधियाँ	लक्ष्य (सं.)	उपलब्धियां (सं.)
1	राज्य स्तर पर भौतिक और आभासी दोनों रूप से संवेदीकरण कार्यक्रमों की संख्या	9	12
2	जिला स्तर पर एमपीईडीए, मत्स्यपालन अधिकारियों के साथ जागरूकता शिविर	11	12
3	हैचरी संचालकों और किसानों के साथ भौतिक और आभासी दोनों तरह से जागरूकता शिविर	8	10
4	एंटीबायोटिक मुद्दों पर संवेदनशीलता	10	12
5	सम्मेलन/प्रदर्शनियां/एक्सपो/कार्यशालाएँ	11	10

10	**तटीय जलकृषि के सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए 11 नए दिशानिर्देशों का विकास:** चूँकि तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों, जिनमें समुद्री कृषि पद्धतियाँ भी शामिल हैं, को सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सीएए के नियामक दायरे में लाया गया है, इसलिए सीएए ने आईसीएआर संस्थानों (सीआईबीए, सीएमएफआरआई, एनबीएफजीआर), एमपीईडीए, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, एनसीएससीएम, राज्य मत्स्यपालन विभागों के तकनीकी सहयोग से 11 नए दिशानिर्देश विकसित किए हैं और उन्हें मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना हेतु प्रस्तुत किया है।	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने जीएसआर 750 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2025 के तहत सीएए नियम, 2024 के नियम 3 में खंड (जी) के बाद निम्नलिखित 11 नए दिशानिर्देश शामिल करके संशोधन किया और इन नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। (ज) केकड़ों के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश (झ) समुद्री फिनफिशके बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश; (ञ) समुद्री और खारे पानी में देशी झींगा प्रजातियों के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश; (ट) समुद्री/खारे पानी के सजावटी जीवों के लिए हैचरी और पालन इकाइयों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश; (ठ) समुद्री और खारे पानी में समुद्री शैवाल के पौधे उत्पादन और खेती को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश; (ड) समुद्री/खारे पानी की जलकृषि प्रजातियों के पिंजरे और बाड़े में पालन के विनियमन हेतु दिशानिर्देश; (ढ) तटीय जलकृषि में जीवित चारा पालन इकाइयों और प्रबंधन के विनियमन हेतु दिशानिर्देश; (ण) बायो-फ्लोक, पुनःपरिसंचरण जलकृषि प्रणालियाँ (आरएएस), और नर्सरी-आधारित जलकृषि प्रणालियों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश; (त) जलीय क्षेत्रों को अधिसूचित करने और जलीय मानचित्रण के लिए दिशानिर्देश; (थ) समुद्री और खारे पानी में द्विकपाटी के बीज उत्पादन और खेती को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश; (द) पर्यावरण को हुए नुकसान और विध्वंस की लागत के आकलन तथा पर्यावरण निगरानी निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश।
11	भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगाणु मुक्त प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश" के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विकास, जिसे एस.ओ. 1479 (ई) दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।	सीएए ने आईसीएआर-सीआईबीए के तकनीकी सहयोग से "भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगाणु मुक्त प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश" के कार्यान्वयन के लिए एसओपी विकसित किया और अधिसूचना के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया, जो प्रक्रियाधीन है।
12	**ऑनलाइन आवेदन का शुभारंभ:** सीएए नियम, 2024 के नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, सीएए जनहित में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने का प्रावधान कर सकता है।	सीएए ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्लूएस) - उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से किसानों को सीएए नियम, 2024 के नियम 9(3) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार व्यापार करने में आसानी के एक भाग के रूप में अपने तटीय जलकृषि फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन विकसित किया है।

भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने विश्व मत्स्य दिवस की पूर्व संध्या पर 21 नवंबर, 2024 को तटीय जलकृषि फार्मों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया।

सीएए की वेबसाइट पर किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तथा सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसडीएलसी/डीएलसी के सदस्य संयोजकों को आवेदन पर ऑनलाइन कार्रवाई करने तथा 09 जनवरी, 2025 को सीएए को सिफारिश करने के लिए लिंक उपलब्ध कराए गए थे।

विश्व मात्स्यिकीदिवस की पूर्व संध्या पर 21 नवंबर, 2024 को तटीय जलकृषि फार्मों के लिए ऑनलाइन आवेदन का शुभारंभ श्री राजीव रंजन सिंह उपनाम ललन सिंह माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायत राज मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया।

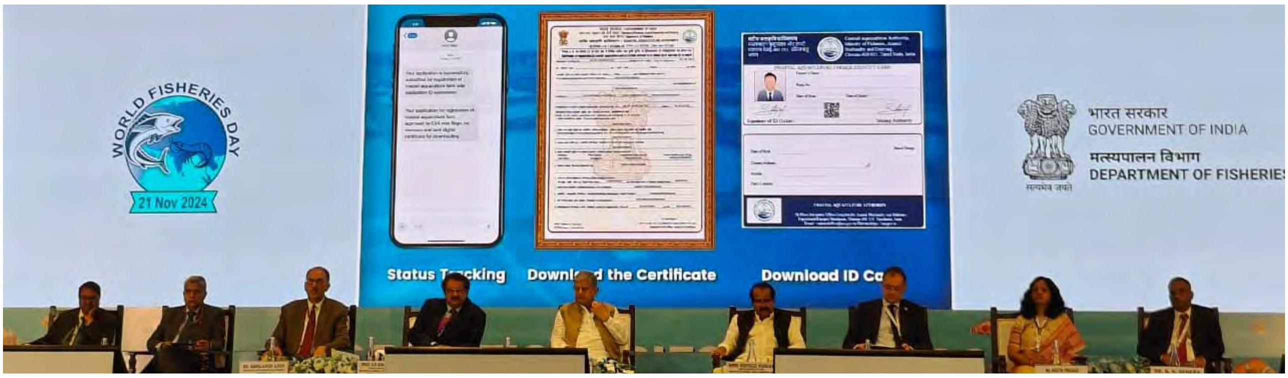

प्राधिकरण की बैठकें और अन्य विशेषज्ञ समिति की बैठकें

3

प्राधिकरण बैठकें और अन्य तकनीकी एवं विशेषज्ञ समिति बैठकें

2024-25 के दौरान, प्राधिकरण की तीन बैठकें वर्चुअल मोड में आयोजित की गईं। इनके अतिरिक्त, सीएए के अधिदेश के अनुसार विभिन्न विषयों पर अन्य तकनीकी और विशेषज्ञ समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं। आयोजित बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

प्राधिकरण की बैठकें

प्राधिकरण की तीन बैठकें आयोजित की गईं और बैठकों का विवरण तथा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश तालिका 3.1 में दिया गया है। प्राधिकरण की 77वीं, 78वीं और 79वीं बैठकें क्रमशः 30.04.2024, 18.07.2024 और 21.10.2024 को आयोजित की गईं। प्राधिकरण के सदस्यों का पुनर्गठन सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।

तटीय जलकृषि फार्मों, हैचरियों, राष्ट्रीय जलकृषि केंद्रों (एनआरएच) के पंजीकरण या नवीनीकरण तथा एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के अनुपालन प्रमाणपत्रों के लिए प्राप्त प्रस्तावों को, जिनका अनुपालन किया गया, संबंधित किसानों और अन्य हितधारकों को प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकरण की बैठकों में अनुमोदित किया गया। सीएए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह चौहान ने प्राधिकरण की तीनों बैठकों की अध्यक्षता की।

2024-25 के दौरान आयोजित प्राधिकरण की बैठकों की दृश्य रिकॉर्डिंग

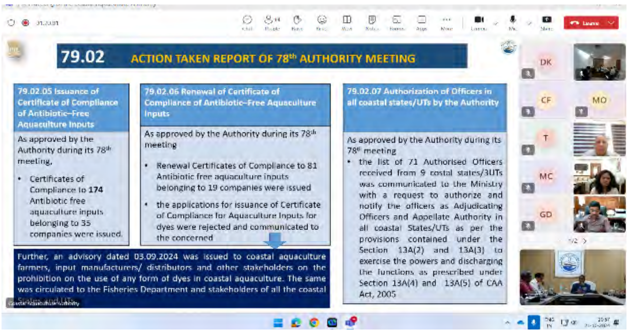

तालिका 3.1 वर्ष 2024-25 के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण की प्राधिकरण बैठकों में अनुमोदित महत्वपूर्ण कार्यसूची बिंदु

बैठक सं.	बैठक की तिथि एवं मोड	बैठक के प्रमुख निर्णय
सतत्तरवीं (77वीं)	30.04.2024 आभासी मोड चेन्नई	• 428.69 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र और 258.09 हेक्टेयर के कुल जल विस्तार क्षेत्र वाले 419 झींगा फार्मों के पंजीकरण को मंजूरी दी गई। • 1311.30 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र और 930.93 हेक्टेयर के कुल जल विस्तार क्षेत्र वाले 671 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई। • चार (04) नई हैचरियों के पंजीकरण को मंजूरी दी गई। • एक (01) नौप्ली पालन हैचरियों के पंजीकरण को अनुमोदन दिया गया। • तैंतीस (33) इकाइयों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदित किया गया, जिनमें नौ (09) हैचरी, तेईस (23) नौप्ली पालन हैचरियों और एक (01) लाइव फीड इकाई शामिल हैं। • एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 46 कंपनियों के 187 जलकृषि इनपुट को मंजूरी दी गई। • एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 19 कंपनियों के 76 जलकृषि इनपुट के नवीनीकरण को अनुमोदन दिया गया। • एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक और पीपीएल की आपूर्ति के लिए सीएए द्वारा सूचीबद्ध 12 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की वैधता अवधि को 5 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। • एनजीटी के आदेशानुसार, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में नागावली नदी के तल में अतिक्रमण करके बनाए गए और लंबे समय से अवैध एवं अनधिकृत झींगा पालन कर रहे 46 झींगा फार्मों को हटाने या ध्वस्त करने के आदेश जारी करने संबंधी सीएए की कार्रवाई की पुष्टि की गई।
अट्ठहत्तरवीं (78वीं)	18.07.2024 आभासी मोड चेन्नई	• 142.81 हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र और 98.13 हेक्टेयर कुल जल विस्तार क्षेत्र वाले 132 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन दिया गया। • 1435.76 हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र और 1016.66 हेक्टेयर कुल जल विस्तार क्षेत्र वाले 779 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदन दिया गया। • पांच (05) नौप्ली पालन हैचरियों के पंजीकरण को अनुमोदन दिया गया। • दो (02) हैचरियों और सात (07) नौप्ली पालन हैचरियों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदन दिया गया। • एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 35 कंपनियों के 174 जलकृषि इनपुट को अनुमोदन दिया गया। • एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु 19 कंपनियों के 81 जलकृषि इनपुट को अनुमोदन दिया गया। • सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 13ए के तहत निर्धारित प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में 09 तटीय राज्यों और 03 केंद्र शासित

		प्रदेशों के 71 तटीय जिलों में 71 अधिकारियों को प्राधिकृत करने को अनुमोदन दिया गया, ताकि वे सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 14 और सीएए नियम, 2024 के नियम 7 और 8 के तहत निर्धारित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकें। • वर्ष 2023-24 के लिए सीएए की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदन दिया गया। • वर्ष 2023-24 के लिए सीएए के वार्षिक लेखा को अनुमोदन दिया गया।
उन्नासीवीं (79वीं)	21.10. 2024 आभासी मोड चेन्नई	• 284.60 हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र और 191.47 हेक्टेयर कुल जल विस्तार क्षेत्र वाले 161 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन दिया गया। • 2473.13 हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र और 1662.16 हेक्टेयर कुल जल विस्तार क्षेत्र वाले 1444 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदन दिया गया। • नौ (09) इकाइयों के नए पंजीकरण को अनुमोदन दिया गया, जिनमें पाँच (05) हैचरी, तीन (03) एनआरएच और एक (01) लाइव फीड इकाई शामिल हैं। • तीन (03) नौप्ली पालन हैचरियों के पंजीकरण के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई। • एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 119 कंपनियों के 762 जलकृषि इनपुट को अनुमोदन दिया गया। • एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए 04 कंपनियों के 10 जलकृषि इनपुट को अनुमोदन दिया गया। • सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 03 झींगा हैचरियों के खिलाफ जुर्माना लगाने को अनुमोदन दिया गया। • सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 13ए के तहत निर्धारित अनुसार दमन और दीव प्रशासन द्वारा नामित 02 अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने को अनुमोदन दिया गया। • वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएए के संशोधित वार्षिक खातों को अनुमोदन दिया गया।

एआईएसएचएके सभी चैप्टरों के प्रतिनिधियों और हैचरी संचालकों के साथ बैठक

सीएएऔर आरजीसीएने संयुक्त रूप से एआईएसएचएके सभी अध्यायों के प्रतिनिधियों और हैचरी संचालकों के साथ 15.04.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, ब्रूडस्टॉक के आयात की वर्तमान स्थिति, एक्यूएफमें क्वारंटाइन कक्षों की बुकिंग से संबंधित मुद्दों और झींगा हैचरी संचालकों के अन्य परिचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।

"एएचपीएनडी के विशेष संदर्भ में भारत में एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात पर मसौदा एसओपी" की समीक्षा हेतु बैठक

सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने "एएचपीएनडी के विशेष संदर्भ में भारत में एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात पर मसौदा एसओपी" की समीक्षा और सीएए अधिनियम, 2005 के तहत नए दिशानिर्देशों के प्रारूपण पर आयोजित बैठक में भाग लिया। यह बैठक संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में 07.05.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में आईसीएआर संस्थानों, एमपीईडीए और अन्य विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

नए दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रारूपण की प्रगति की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठकें

मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) सह तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सचिव ने समुद्री कृषि गतिविधियों सहित तटीय जलकृषि के सभी

क्षेत्रों को शामिल करने हेतु नए दिशानिर्देशों के विकास और "भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगाणु-मुक्त प्रमाणीकरण हेतु दिशानिर्देशों" के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ 03.06.2024, 28.06.2024, 25.07.2024 और 06.08.2024 को कई बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में आईसीएआर-सीआईबीए, सीएमएफआरआई, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, एमपीईडीए, एनआईओटी, डीओएफ, सीएए, एनसीएससीएम के प्रतिनिधियों और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र के मत्स्यपालन अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। आईसीएआर-सीआईबीए, आईसीएआर-सीएमएफआरआई, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई और एमपीईडीए के तकनीकी सहयोग से सीएए द्वारा विकसित निम्नलिखित 11 नए दिशानिर्देशों और एसओपी पर चर्चा की गई, उन्हें अंतिम रूप दिया गया और अधिसूचना के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

I. 11 नए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना:

1) केकड़े के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
2) समुद्री फिनफिश के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
3) समुद्री और खारे पानी में देशी झींगा प्रजातियों के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरी और फार्मों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
4) समुद्री/खारे पानी के सजावटी जीवों के लिए हैचरियों और पालन इकाइयों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
5) समुद्री और खारे पानी में समुद्री शैवाल के अंकुर उत्पादन और खेती के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
6) समुद्री/खारे पानी की जलकृषि प्रजातियों के पिंजरे और बाड़े में पालन के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
7) तटीय जलकृषि में जीवित चारा संवर्धन इकाइयों और प्रबंधन के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
8) बायो-फ्लोक, पुनःपरिसंचरण जलकृषि प्रणालियों (आरएएस) और नर्सरी आधारित जलकृषि प्रणालियों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
9) जलीय क्षेत्रों को अधिसूचित करने और जलीय मानचित्रण हेतु दिशानिर्देश
10) समुद्री और खारे पानी में द्विकपाटी के बीज उत्पादन और खेती के विनियमन हेतु दिशानिर्देश
11) पर्यावरण को हुए नुकसान और विध्वंस की लागत के आकलन और पर्यावरण निगरानी निधि के उपयोग हेतु दिशानिर्देश

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने जी.एस.आर. 750(ई) दिनांक 4 दिसंबर, 2025 के तहत सीएए नियम, 2024 के नियम 3 में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत खंड (जी) के बाद उपरोक्त 11 नए दिशानिर्देश जोड़े गए हैं और इन नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।

II.मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करना

"भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगाणु-मुक्त प्रमाणीकरण हेतु दिशानिर्देश" के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

अमेरिकी खादय एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) के अधिकारियों की चेन्नई स्थित सीएए मुख्यालय में बैठक

यूएसएफडीए अधिकारियों और सीएए ने संयुक्त रूप से 26.08.2024 को सीएए मुख्यालय, चेन्नई में हाइब्रिड मोड के माध्यम से एफडीए सीफूड ट्रेसेबिलिटी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। एफडीए टीम ने सीफूड ट्रेसेबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेसेबिलिटी अभियान और सीफूड सुरक्षा पर प्रस्तुतियाँ दीं। सीएए, एफएसएसएआई, एमपीईडीए, ईआईसी और भारतीय मसाला बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक में प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। लगभग 80 अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

"एसपीएफ़ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति" पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और हितधारकों के साथ बैठक

सीएए ने 07.10.2024 को "पैनल में शामिल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और बीएमसी संचालकों द्वारा सीएए पंजीकृत हैचरीज़ को एसपीएफ़ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति" पर वर्चुअल बैठकें आयोजित कीं। बैठक में निदेशक, आरजीसीए, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीआईबीए, उपायुक्त, मत्स्य पालन विभाग, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधि, एआईएसएचए, किसान संघ और हैचरी संचालक शामिल हुए।

एक्यूएफ के लिए जलीय संगरोध के कामकाज की देखरेख और निगरानी हेतु तकनीकी समिति की चौबीसवीं बैठक

जलीय जीव-जंतुओं के लिए जलीय संगरोध के कामकाज की देखरेख और निगरानी हेतु तकनीकी समिति की चौबीसवीं बैठक, सीएए के सचिव और एक्यूएफ की तकनीकी समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, 29.11.2024 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए-आरजीसीए, एक्यूसीएस, एनएफडीबी, डीओएफ, आरजीसीए-एक्यूएफ, एआईएसएचए और सीएए के सदस्य शामिल हुए।

"जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र हेतु दिशानिर्देश" में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक

भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा आदेश संख्या J-1903336/2/2024-Fy (E-23648) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक, मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 09.12.2024 को आयोजित की गई। यह बैठक तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप "जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र हेतु दिशानिर्देश" में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित की गई थी।

अखिल भारतीय झींगा हैचरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ हितधारकों की बैठक

सीएए के सचिव और एक्यूएफ के टीसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 29 नवंबर 2024 को जलीय संगरोध के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए तकनीकी समिति की 24वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सीएए ने 20.12.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय झींगा हैचरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और झींगा ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ हितधारकों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक्यूएफ और मूल देश में आयातित झींगा ब्रूडस्टॉक और पीपीएल में उभरती हुई बीमारी टीपीडी की जांच से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

एक्यूएफ के कामकाज की देखरेख और निगरानी हेतु तकनीकी समिति की पच्चीसवीं बैठक

जलीय संगरोध सुविधा के कामकाज की देखरेख और निगरानी हेतु तकनीकी समिति की पच्चीसवीं बैठक 12.02.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचिव, सीएए की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एक्यूसीएस, आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए, एक्यूएफ-आरजीसीए, सीएए, एनएफडीबी के तकनीकी समिति के सदस्य और अखिल भारतीय झींगा हैचरी संघ (एआईएसएचए) के प्रतिनिधि शामिल हुए।

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और हैचरी संचालकों के साथ बैठक

सीएए और एमपीईडीए-आरजीसीए ने संयुक्त रूप से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और अखिल भारतीय झींगा हैचरी संघ (एआईएसएचए) के प्रतिनिधियों के साथ 17.02.2025 को स्क्रीनिंग सूची में ट्रांसलूसेंट पोस्ट लार्वल डिजीज-टीपीडी (वीएचवीपी2) रोग को शामिल करने और हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयातित झींगा ब्रूडस्टॉक और एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन के पीपीएल में रोगज़नक़ का परीक्षण करने के लिए एक बैठक आयोजित की।

दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बैठक

सीएए ने जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र हेतु दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के लिए 11.03.2025 को विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की। बैठक में सीएए, आईसीएआर-एनबीएफजीआर, आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए के विशेषज्ञ समिति के सदस्यों और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात राज्यों के मत्स्यपालन अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में दंडात्मक प्रावधान करने और जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु दिशानिर्देशों में नए प्रावधान सम्मिलित करने हेतु मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

चार नए दिशानिर्देशों में सुधार हेतु विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बैठकें

सीएए ने भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा चार नए मसौदा दिशानिर्देशों में सुझाए गए सुधारों को लागू करने के लिए 12.03.2025 को विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की। बैठक में आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए के विशेषज्ञ समिति सदस्यों और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के मत्स्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर, आवश्यक सुधार किए गए और सीएए ने निम्नलिखित चार नए दिशानिर्देशों के संशोधित संस्करण 18.03.2025 को मंत्रालय को प्रेषित किए।

1. सीएए नियम, 2024 के खंड (एच) के तहत "केकड़े के बीज उत्पादन और संवर्धन के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने" के लिए दिशानिर्देश।
2. सीएए नियम, 2024 के खंड (आई) के तहत "समुद्री फिनफिश के बीज उत्पादन और संवर्धन के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने" के लिए दिशानिर्देश।
3. सीएए नियम, 2024 के खंड (जे) के तहत समुद्री और खारे पानी में देशी झींगा के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश।
4. सीएए नियम, 2024 के खंड (के) के तहत समुद्री और खारे पानी के सजावटी जीवों के लिए हैचरियों और पालन इकाइयों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश।

अनुमोदित झींगा बीएमसी के संचालन और प्रबंधन तथा एमपीईडीए-आरजीसीए की झींगा मूल्यांकन अध्ययन इकाई की स्थिति पर समीक्षा बैठक

सीएए के निदेशक (तकनीकी) और सहायक निदेशक (तकनीकी) ने 19.03.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित झींगा बीएमसी के संचालन और प्रबंधन तथा एमपीईडीए-आरजीसीए की झींगा मूल्यांकन अध्ययन इकाई की स्थिति की समीक्षा पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।

06.08.2025 को सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार नए दिशानिर्देशों के प्रारूपण पर समीक्षा बैठक

जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए गठित तकनीकी समिति की बैठक 12.02.2025 को

09.12.2024 को सीएए नियम, 2024 के तहत "जलकृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश" में संशोधन पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक।

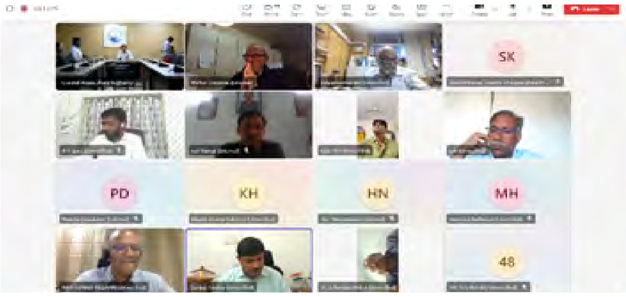

07.10.2024 को भारतीय हैचरियों में एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और हितधारकों के साथ बैठक

यूएसएफडीए अधिकारियों और सीएए ने संयुक्त रूप से 26.08.2024 को एफडीए सीफूड ट्रैसेबिलिटी पर सेमिनार की मेजबानी की।

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण

4

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण

क. तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण

सीएए इस अधिदेश के साथ कार्य कर रहा है कि तटीय जलकृषि गतिविधियों से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान न हो और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की आजीविका की रक्षा हो (धारा 3)। कोई भी व्यक्ति तटीय क्षेत्र में तटीय जलकृषि नहीं करेगा, या करवाने का कारण नहीं बनेगा (धारा 13(1)) जब तक कि उसने तटीय जलकृषि प्राधिकरण के साथ तटीय जलकृषि फार्म का पंजीकरण नहीं करा लिया हो।

तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य बिठाते हुए स्थायी तटीय जलकृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों के तहत कई सांविधिक प्रावधान किए गए हैं। तटीय जलकृषि किसानों को सरल पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करने के लिए, संभागीय स्तर पर उप-मंडल स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) गठित की गईं, जो अपने अधिकार क्षेत्र में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण हेतु सीएए को आवेदन प्राप्त करने, उन पर कार्रवाई करने और उनकी अनुशंसा करने के लिए गठित की गईं। पूर्वी और पश्चिमी तट पर, सीएए नियम, 2024 के तहत 76 जिला स्तरीय समितियाँ और 157 उप-मंडल समितियाँ गठित की गईं।

जैसा कि सीएए दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है, मैंग्रोव, कृषि भूमि और अभयारण्यों और समुद्री पार्कों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को झींगा पालन के लिए परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए और तटीय जलकृषि को विनियमित करने के दिशानिर्देशों में पर्यावरण कानून के एहतियाती सिद्धांत के रूप में पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्राकृतिक संसाधनों से जलीय कृषि फार्मों तक न्यूनतम दूरी बनाए रखने का भी प्रावधान किया गया है (दिशानिर्देशों का पैरा 11)।

तटीय जलकृषि फार्म के पंजीकरण के लिए किसान को संबंधित एसडीएलसी को फॉर्म I में आवेदन करना होगा। उप-मंडल और जिला स्तरीय समितियाँ, सीएए नियम 2024 के नियम 10 के तहत निर्धारित "कुछ तटीय जलकृषि इकाइयों या गतिविधियों के पंजीकरण हेतु आवेदन पर विचार करने के तरीके" का पालन करते हुए, सीएए के सांविधिक प्रावधानों का पालन करने वाले आवेदनों को अग्रेषित करेंगी। सीएए, एसडीएलसी और डीएलसी से प्राप्त ऐसे आवेदनों की जाँच करेगा और प्राधिकरण के अनुमोदन से सभी पात्र फार्मों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएए ने सात तटीय राज्यों में स्थित 856.10 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र और 546.69 हेक्टेयर के जल-विस्तार क्षेत्र को कवर करने वाले 712 फार्मों को पंजीकृत और डिजिटल तथा मुद्रित, दोनों प्रकार के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीएए के साथ पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्मों का जिलावार विवरण सीएए की वेबसाइट (www.caa.gov.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान सीएए के साथ पंजीकृत राज्यवार तटीय जलकृषि फार्म तालिका 4.1 में दिए गए हैं

तालिका 4.1 वर्ष 2024-25 के दौरान सीएए में पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्म

क्र. सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत सीमा वार (डब्ल्यूएसए) फार्म (है. में)					पंजीकृत फार्मों की कुल सं.	कुल फार्म क्षेत्र (टीएफए) (है. में)	जल फैलाव क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (है. में)
		2.00 तक	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक			
1	आंध्र प्रदेश	113	4	0	0	0	117	134.91	96.16
2	गोवा	2	0	0	0	0	2	2.48	1.66
3	गुजरात	0	14	0	0	0	14	70	42.00
4	केरल	31	0	0	0	0	31	46.75	27.89
5	ओडिशा	495	3	0	0	0	498	489.07	306.35
6	तमिलनाडु	41	7	0	0	0	48	111.38	71.51
7	पश्चिम बंगाल	2	0	0	0	0	2	1.51	1.12
	कुल	**684**	**28**	**0**	**0**	**0**	**712**	**856.10**	**546.69**

चित्र 4.1 वर्ष 2024-25 के दौरान सीएए में पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्म

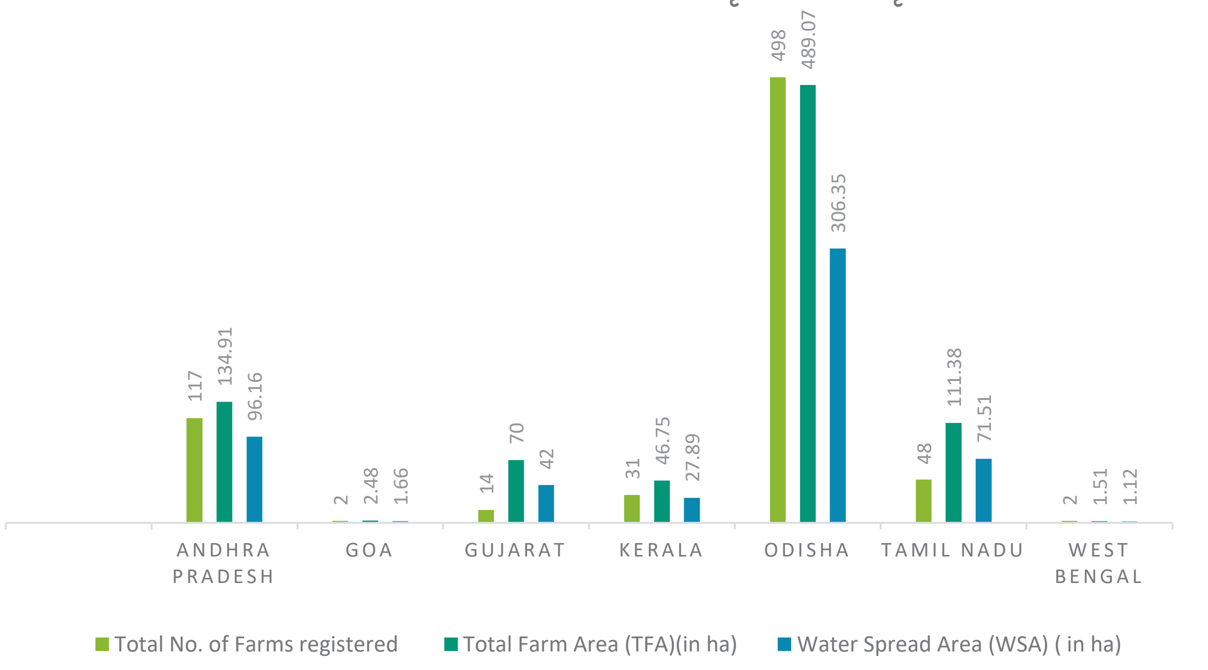

2006-07 से 2024-25 तक सीएए में पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्म

2005 में सीएए की स्थापना के बाद, वर्ष 2006-07 में तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण शुरू हुआ और 1856.61 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 1352.3 हेक्टेयर के जल विस्तार क्षेत्र के साथ 1334 फार्म पंजीकृत किए गए। सीएए के निरंतर प्रयासों के कारण, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एसडीएलसी और डीएलसी के सहयोग से कुल 71211.39 हेक्टेयर के कुल फार्म क्षेत्र और 48465.02 हेक्टेयर के जल विस्तार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) को कवर करने वाले 47,038 तटीय जलकृषि फार्म पंजीकृत किए गए। स्थापना से 2024-25 तक सीएए के साथ पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्मों का राज्यवार विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2 2006-07 से 2024-25 तक सीएए में पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्म									
क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत सीमा वार (डब्ल्यूएसए) फार्म (है. में)					पंजीकृत फार्मों की कुल सं.	कुल फार्म क्षेत्र (टीएफए) (है. में)	जल फैलाव क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (है. में)
		2.00 तक	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक			
1	अंडमान एवं निकोबार	3	1	0	0	0	4	22.18	5.29
2	आंध्र प्रदेश	21909	658	103	70	11	22751	33281.88	23178.72
3	दीव एवं दमन	0	12	0	0	0	12	60.01	38.40
4	गोवा	31	15	3	1	0	50	159.03	113.36
5	गुजरात	262	838	10	10	2	1122	5237.32	3723.02
6	कर्नाटक	276	38	1	1	0	316	462.54	351.56
7	केरल	1303	214	13	4	1	1535	2952.16	2029.22
8	महाराष्ट्र	159	113	20	19	6	317	2361.99	1497.24
9	ओडिशा	13371	74	24	22	0	13491	15868.13	9870.97
10	पुडुच्चेरी	86	6	1	0	0	93	141.31	105.46
11	तमिलनाडु	1818	532	54	5	0	2409	6331.62	4609.16
12	पश्चिम बंगाल	4918	19	1	0	0	4938	4333.23	2942.62
	कुल	**44136**	**2520**	**230**	**132**	**20**	**47038**	**71211.39**	**48465.02**

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि सीएए के साथ पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्मों में से 48.37% आंध्र प्रदेश में हैं, इसके बाद ओडिशा (28.68%), पश्चिम बंगाल (10.50%) और तमिलनाडु (5.12%) का स्थान है, जबकि अन्य राज्यों में पंजीकृत फार्मों का प्रतिशत देश में पंजीकृत कुल तटीय जलकृषि फार्मों के 4 प्रतिशत से भी कम है।

खेतों के जल विस्तार क्षेत्र की सीमा पर विचार करते हुए, 93.81% पंजीकृत खेतों में डब्यूरत एसएका विस्तार 2 हेक्टेयर से कम है, 5.36% खेतों में डब्यूएमे एसएका विस्तार 2.01 से 5.0 हेक्टेयर है, तथा केवल 0.84% खेतों में डब्येयर एसएका विस्तार 5.00 हेक्टेयर से अधिक है।

चित्र-4.2 2006-07 से 2024-25 तक सीएए के साथ पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्म

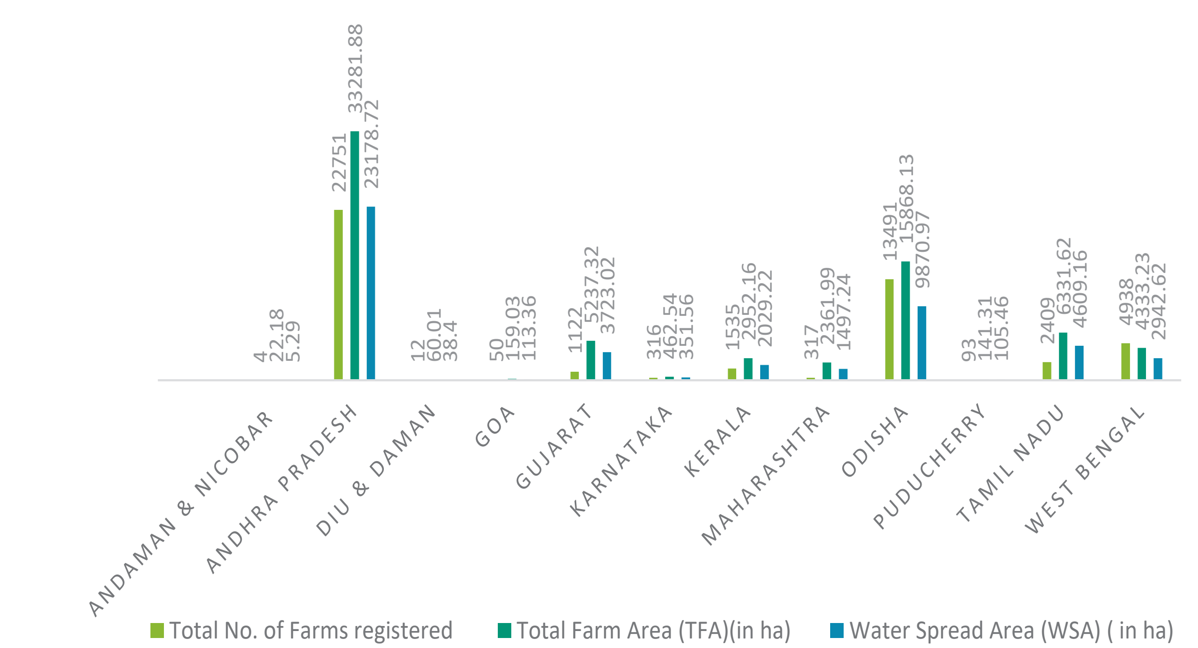

(ख) तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण

सीएए में पंजीकृत सभी तटीय जलकृषि फार्मों का हर पांच साल में नवीनीकरण किया जाएगा, क्योंकि फार्मों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र पांच साल की वैधता अवधि के साथ जारी किया जाएगा। किसानों को वैधता अवधि (नियम 13(1)) की समाप्ति की तिथि से नब्बे दिन पहले फॉर्म I में प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। चूंकि अधिकांश तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण या नवीनीकरण की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण नवीनीकरण आवेदन करने में देरी को माफ कर सकता है, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लागू शुल्क का दोगुना भुगतान करने और लिखित में देरी के कारणों को प्रस्तुत करने के अधीन (धारा 13(10)(बी) (प्रावधान))। प्राधिकरण, यदि संतुष्ट हो, नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी को माफ कर सकता है।

- वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएए ने खेतों की पंजीकरण अवधि का नवीनीकरण किया है और आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित 5220.19 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र और 3609.75 हेक्टेयर के जल विस्तार क्षेत्र को कवर करते हुए 2894 खेतों को डिजिटल और मुद्रित दोनों प्रमाण पत्र जारी किए हैं (तालिका 4.3)।

- सीएए वाले सभी तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नवीनीकृत तटीय जलकृषि फार्मों की जिलावार जानकारी सीएए वेबसाइट (www.caa.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई है।

तालिका 4.3 तटीय जलकृषि फार्मों ने वर्ष 2024-25 के दौरान सीएए में अपने पंजीकरण का नवीनीकरण किया

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत खेतों की सीमा-वार संख्या (डब्ल्यूएसए) (हेक्टेयर में)					पंजीकरण नवीनीकृत करने वाले फार्मों की कुल संख्या	कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर में)	जल फैलाव क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (हेक्टेयर में)
		2.00 तक	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक			
1	आंध्र प्रदेश	1033	62	13	6	0	1114	1950.48	1369.767
2	गोवा	2	0	0	0	0	2	1.81	1.42
3	गुजरात	10	103	0	0	0	113	528.5	387.84
4	कर्नाटक	15	1	0	0	0	16	30.43	16.37
5	केरल	1	0	0	0	0	1	1.35	1.08
6	महाराष्ट्र	6	10	0	0	0	16	70.37	52.52
7	ओडिशा	1226	5	3	1	0	1235	1557.96	972.44
8	पुडुच्चेरी	1	0	0	0	0	1	2.71	1.56
9	तमिलनाडु	285	103	7	1	0	396	1076.58	806.75
	कुल	**2579**	**284**	**23**	**8**	**0**	**2894**	**5220.19**	**3609.75**

चित्र 4.3 तटीय जलकृषि फार्मों ने वर्ष 2024-25 के दौरान सीएए में अपने पंजीकरण का नवीनीकरण किया

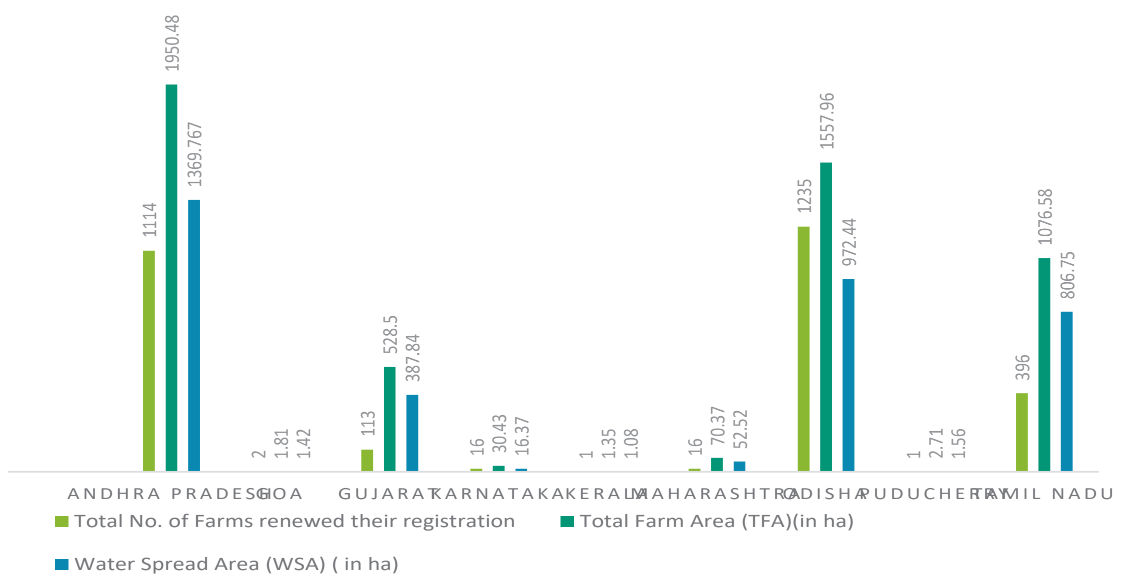

तटीय जलकृषि फार्मों ने 2012-13 से 2024-25 तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण किया।

2012-13 से 2024-25 तक, कुल 15714 तटीय जलकृषि फार्मों का नवीनीकरण किया गया, जिनका कुल कृषि क्षेत्रफल 31904.41 हेक्टेयर और जल विस्तार क्षेत्रफल 22324.25 हेक्टेयर था। स्थापना से 2024-25 तक नवीनीकृत तटीय जलकृषि फार्मों का राज्यवार विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4 तटीय जलकृषि फार्मों ने सीएए के साथ अपने पंजीकरण का नवीनीकरण प्रारंभ से 2024-25 तक किया

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत खेतों की सीमा-वार संख्या (डब्ल्यूएसए) (हेक्टेयर में)					पंजीकरण नवीनीकृत करने वाले फार्मों की कुल संख्या	कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर में)	जल फैलाव क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (हेक्टेयर में)
		2.00 तक	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक			
1	आंध्र प्रदेश	7526	189	46	34	8	7803	13110.02	9363.17
2	दीव एवं दमन	0	9	0	0	0	9	45	28.80
3	गोवा	24	20	2	1	0	47	141.73	104.02
4	गुजरात	139	887	6	1	2	1035	4685.12	3360.74
5	कर्नाटक	119	21	0	0	0	140	232.84	174.83
6	केरल	295	31	2	1	1	330	674.34	503.49
7	महाराष्ट्र	88	70	11	6	2	177	1025.85	695.69
8	ओडिशा	3924	40	26	20	0	4010	6023.86	3725.81
9	पुडुच्चेरी	38	7	1	0	0	46	91.52	67.96
10	तमिलनाडु	1578	456	59	8	0	2101	5859.87	4289.59
11	पश्चिम बंगाल	16	0	0	0	0	16	14.26	10.15
	कुल	**13747**	**1730**	**153**	**71**	**13**	**15714**	**31904.41**	**22324.25**

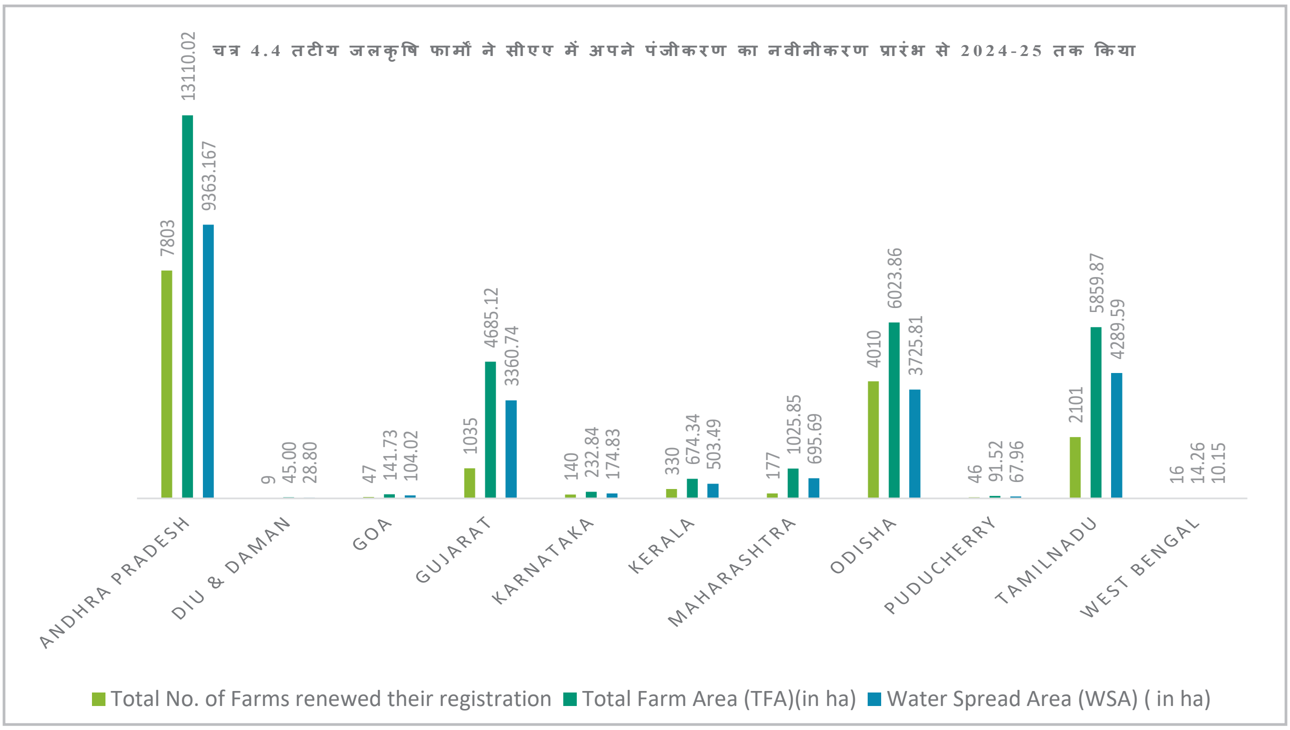

चित्र 4.4 तटीय जलकृषि फार्मों ने सीएए में अपने पंजीकरण का नवीनीकरण प्रारंभ से 2024-25 तक किया

हैचरियों और नौपली पालन हैचरियों (एनआरएचएस) का पंजीकरण और नवीनीकरण

5

हैचरियों और नौपली पालन हैचरियों (एनआरएच) का पंजीकरण और नवीनीकरण

लाभदायक और टिकाऊ तटीय जलकृषि सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ बीज का उत्पादन और आपूर्ति महत्वपूर्ण है। भारत में, तटीय जलकृषि फार्मों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति में हैचरियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में तटीय जलकृषि फार्मों की सेवा करने वाली हैचरियों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) (धारा 13 (1)) में पंजीकृत किया जाएगा, जो सीएए के अधिकार क्षेत्र में हैं। सीएए, हैचरियों को पंजीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि वे जैव सुरक्षा, रोग निवारण और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से सांविधिक प्रावधानों, दिशानिर्देशों और नियमों का कड़ाई से पालन करें। इस प्रकार, सीएए देशभर के किसानों को अपने खेतों में एसपीएफ/स्वस्थ बीज की खरीद और भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए एल. वन्नामेई, पी. मोनोडॉन, फिनफिश, स्कैम्पी, लाइव फीड और केकड़े के बीज का उत्पादन करने के लिए निजी और सरकारी हैचरियों को पंजीकृत करता है।

एल. वन्नामेई के मामले में, जो एक विदेशी प्रजाति है, हैचरी या बीएमसी संचालक अनुमोदित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ ब्रूडस्टॉक या पीपीएल का आयात करेंगे, जो कि सीएए द्वारा पैनल में शामिल किया गया हैं, जो कि पैनल समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय मात्यिमकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), आईसीएआर-केंद्रीय खारा जलकृषि संस्थान (आईसीएआर-सीआईबीए), आईसीएआर-राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीएफजीआर), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और सीएए के सदस्य शामिल हैं। पैनल समिति, प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद, एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रस्तावों का उनके आनुवंशिक आधार, रोग-मुक्त स्थिति, स्थापित जैव सुरक्षा सुविधाओं आदि के आधार पर मूल्यांकन करती है। पैनल समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राधिकरण सीएए पंजीकृत हैचरियों और बीएमसी को एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक और पीपीएल की आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को पैनल में शामिल करता है। नीलंकराई, चेन्नई में स्थित और एमपीईडीए-आरजीसीए द्वारा संचालित जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) आयातित एसपीएफ ब्रूडस्टॉक/पीपीएल को संगरोधित करती है और हैचरी/बीएमसी को एसपीएफ झींगा बीज/ब्रूडस्टॉक का उत्पादन करने की अनुमति देती है, यदि ब्रूडस्टॉक/पीपीएल का डब्ल्यूओएएच सूचीबद्ध रोगजनकों और भारत के लिए चिंताजनक रोगजनकों के लिए परीक्षण नकारात्मक आता है। सीएए के सचिव तकनीकी समिति के अध्यक्ष हैं, जो एक्यूएफ के कामकाज की देखरेख और निगरानी करती है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राधिकरण ने सीएए के निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया है, जिसमें आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए और डीएलसी के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति हैचरियों और एनआरएच के पंजीकरण तथा नवीनीकरण हेतु जैव-सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए हैचरियों और एनआरएच का निरीक्षण करेगी। प्राधिकरण पंजीकृत झींगा हैचरियों को पैनल में शामिल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए वार्षिक आवंटन आदेश जारी करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, नई हैचरियों (एल. वन्नामेई - 10 संख्या; पी. मोनोडॉन - 2 संख्या; मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्गई 2; लाइव फीड यूनिट - 1 संख्या) के पंजीकरण के लिए कुल 15 आवेदन और नौप्ली पालन हैचरियों (एनआरएच) के पंजीकरण के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए (एल. वन्नामेई - 13 संख्या; पी. मोनोडॉन - 1 संख्या)। इन सभी इकाइयों का निरीक्षण समिति द्वारा किया गया और निरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया और एसपीएफ झींगा बीज तथा लाइव फीड के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।

वर्ष के दौरान, हैचरियों के पंजीकरण नवीनीकरण हेतु 15 आवेदन और नौप्ली पालन हैचरियों (एनआरएच) के पंजीकरण नवीनीकरण हेतु 35 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी इकाइयों का निरीक्षण समिति द्वारा किया गया और निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया तथा एसपीएफ झींगा बीज के उत्पादन एवं आपूर्ति की अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पंजीकरण नवीनीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।

सीएए में पंजीकृत हैचरियों, एनआरएच और लाइव फीड इकाइयों की स्थिति

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों में एसपीएफ झींगा बीज के उत्पादन और पंजीकृत किसानों

को आपूर्ति के लिए झींगा हैचरियों में स्वच्छता, जैव-सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता निर्धारित की गई है। हालाँकि कई हैचरियों ने भारी मात्रा में निवेश करके परिपक्वता सुविधाएँ स्थापित की हैं, फिर भी हैचरी संचालकों को परिपक्वता अनुभाग के संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण परिपक्वता प्रक्रिया में अपर्याप्त सफलता और उपयुक्त एवं प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की कमी है। जिन हैचरियों ने परिक्वता प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और अतिरिक्त नौप्ली का उत्पादन किया, वे परिपक्वता की समस्या से जूझ रही अन्य हैचरियों को नौप्ली की आपूर्ति कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप नौप्ली पालन हैचरियों (एनआरएच) को एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। एनआरएच का निरंतर समर्थन और विकास झींगा जलकृषि उद्योग के आगे विकास में सहायक है। परिणामस्वरूप, पिछले दस वर्षों में भारत में एसपीएफ एल. वन्नामेई के लिए एनआरएच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एसपीएफ पी. मोनोडॉन हैचरियों में भी यही स्थितियाँ हैं। इसलिए, एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन दोनों के लिए एनआरएच की संख्या 2015-16 के दौरान 267 मिलियन बीज प्रति वर्ष की बीज उत्पादन क्षमता वाली 5 इकाइयों से बढ़कर 2024-25 के दौरान 24,320 मिलियन बीज प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाली 216 इकाइयों तक पहुँच गई है।

एल. वन्नामेई हैचरी/एनआरएच:

शुरुआत से लेकर 2024-25 तक, सीएए में एल. वन्नामेई की कुल 498 झींगा बीज उत्पादन इकाइयाँ पंजीकृत की गईं, जिनकी उत्पादन क्षमता 89,590 मिलियन बीज प्रतिवर्ष है। ये हैचरियां/एनआरएच पाँच समुद्री राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में फैली हुई हैं। पंजीकृत 498 इकाइयों में से 382 इकाइयाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, जो कुल उत्पादन इकाइयों का 76.71% है, इसके बाद तमिलनाडु (18.67%), ओडिशा (3.82%), गुजरात (0.6%) और पश्चिम बंगाल (0.2%) का स्थान है।

पी. मोनोडॉन हैचरियां/एनआरएच:

कुल मिलाकर, एसपीएफ़ पी. मोनोडॉन की 37 झींगा बीज उत्पादन इकाइयाँ (23 हैचरियां और 14 एनआरएच) सीएए में पंजीकृत हैं, जिनकी कुल बीज उत्पादन क्षमता 9,410 मिलियन बीज प्रतिवर्ष हैं। पंजीकृत 37 इकाइयों में से 22 इकाइयाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, जो कुल उत्पादन इकाइयों का (59.46%) हिस्सा हैं, इसके बाद तमिलनाडु (27.03%) और गुजरात (8.11%), ओडिशा (2.7%) और कर्नाटक (2.7%) का स्थान आता है।

समुद्री फिनफिश हैचरियां:

कुल मिलाकर, 5 समुद्री फिनफिश हैचरियां सीएए में पंजीकृत हैं, जिनकी कुल मछली बीज उत्पादन क्षमता 285 मिलियन प्रतिवर्ष है और ये आंध्र प्रदेश (02), कर्नाटक (01), गुजरात (01) और पश्चिम बंगाल (01) में स्थित हैं।

जीवित चारा उत्पादन इकाइयाँ:

तटीय जलकृषि में झींगा लार्वा के सफल पालन के लिए लाइव चारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। झींगा हैचरियों में उच्च-गुणवत्ता वाले लाइव चारे की माँग को पूरा करने के लिए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने दस लाइव चारा उत्पादन इकाइयाँ पंजीकृत की हैं, जिनमें से तीन इकाइयाँ आर्टेमिया उत्पादन के लिए पंजीकृत हैं, जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और शेष सात इकाइयाँ पॉलीचेट वर्म उत्पादन के लिए पंजीकृत हैं, जो आंध्र प्रदेश (06) और तमिलनाडु (01) में स्थित हैं। तालिका 5.9 और चित्र 5.8

अनुसंधान एवं विकास और विस्तार इकाइयाँ:

तमिलनाडु (04 इकाइयाँ) और केरल (03 इकाइयाँ) में स्थित सात अनुसंधान एवं विकास/सरकारी इकाइयाँ, जिनका संचालन आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए-आरजीसीए, टीएनजेएफयू और केरल सरकार द्वारा किया जाता है, को अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों हेतु झींगा और बहु-प्रजाति फिनफिश बीज उत्पादन हेतु सीएए में पंजीकृत किया गया।

तालिका 5.1 राज्य और प्रजाति-वार हैचरियां और एनआरएच जो सीएए में प्रारंभ से 2024-25 तक पंजीकृत हैं							
		हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (प्रतिवर्ष मिलियन बीज)	एनआरएच की सं.	एनआरएच की बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन बीज)	कुल बीज उत्पादन इकाइयाँ (हैचरी +एनआरएच)	कुल बीज उत्पादन क्षमता (हैचरी +एनआरएच) (प्रति वर्ष मिलियन बीज)
क	**एल. वन्नामेई बीज उत्पादन इकाइयाँ**						
1	आंध्र प्रदेश	211	51240	171	17140	382	68380
2	तमिलनाडु	75	14450	18	2880	93	17330
3	ओडिशा	6	1410	13	1390	19	2800
4	गुजरात	3	780	0	0	3	780
5	पश्चिम बंगाल	1	300	0	0	1	300
	कुल एल. वन्नामेई	**296**	**68180**	**202**	**21410**	**498**	**89590**
ख	***पी.मोनोडोन बीज उत्पादन इकाइयाँ***						
1	आंध्र प्रदेश	16	4440	6	1590	22	6030
2	तमिलनाडु	5	1160	5	700	10	1860
3	ओडिशा	0	0	1	80	1	80
4	गुजरात	2	900	1	480	3	1380
5	कर्नाटक	0	0	1	60	1	60
	कुल पी. मोनोडॉन	**23**	**6500**	**14**	**2910**	**37**	**9410**
ग	**बहु-प्रजाति फिनफिश बीज उत्पादन इकाइयाँ**						
1	आंध्र प्रदेश	2	20	0	0	2	20
2	कर्नाटक	1	5	0	0	1	5
3	गुजरात	1	200	0	0	1	200
4	पश्चिम बंगाल	1	60	0	0	1	60
	कुल समुद्री फिनफिश	**5**	**285**	**0**	**0**	**5**	**285**
घ	***मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्गी बीज उत्पादन इकाइयाँ***						
1	आंध्र प्रदेश	1	240	0	0	1	240
2	तमिलनाडु	1	30	0	0	1	30
	कुल एम. रोसेनबर्गी	**2**	**270**	**0**	**0**	**2**	**270**
ड.	**अनुसंधान संस्थान (बहुप्रजाति)**						
1	केरल	3	**अनुसंधान कार्यक्रम हेतु**	0	**अनुसंधान कार्यक्रम हेतु**	3	0
2	तमिलनाडु	4		0		4	0
	जोड़	**7**		**0**		7	**0**
	सकल जोड़	**333**	**75235**	**216**	**24320**	**549**	**99555**

चित्र 5.1.1. मार्च 2025 तक सीएए में पंजीकृत एल. वन्नामेई हैचरीज़/एनआरएच की संख्या

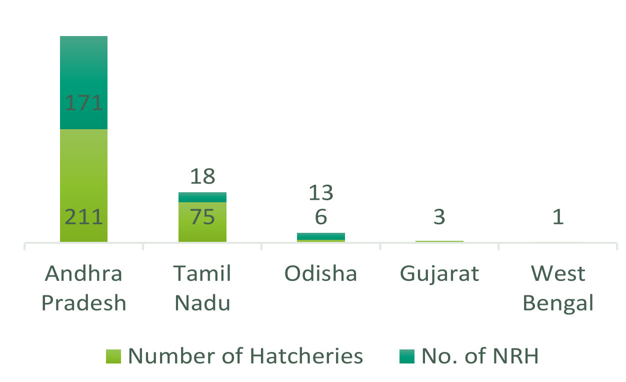

चित्र 5.1.2. मार्च 2025 तक सीएए में पंजीकृत पी.मोनोडोन हैचरीज़/एनआरएच की संख्या

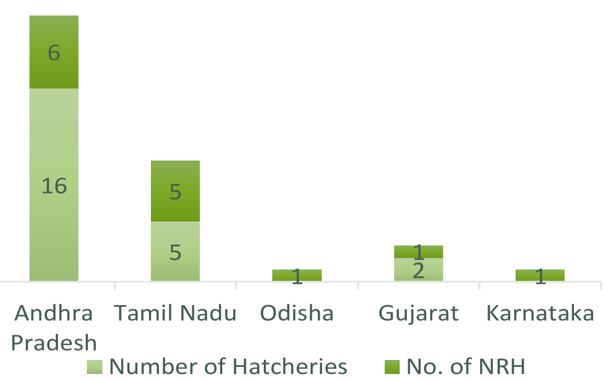

भारत में एसपीएफ एल. वन्नामेई के बीज उत्पादन और खेती को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार/सीएए द्वारा जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, सलाह और दिशानिर्देश

2008: पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित) के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा 15 अक्टूबर 2008 को अधिसूचना जारी की गई, जिसमें एसपीएफ एल. वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक के आयात की अनुमति प्रदान की गई।

2009: तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005; एसपीएफ एल. वन्नामेई के परिचय के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, एल. वन्नामेई के प्रजनन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए, एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज के उत्पादन और बिक्री के लिए तकनीकी आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं तथा फार्मों के अनुमोदन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंड और विनियमन निर्धारित किए गए।

2012: सीएए नियम, 2005 में संशोधन करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचना: हैचरी संचालकों और झींगा किसानों द्वारा सुचारू संचालन की सुविधा के लिए, (i) वयस्क ब्रूडस्टॉक को पालन के लिए 10 ग्राम तक एल. वन्नामई के एसपीएफ़ किशोरों के आयात की अनुमति देना; (ii) अनुमत हैचरियों में नौपली बेचना; और (iii) पर्याप्त ड्राई-आउट अवधि के बाद एक प्रजाति के कल्च र को दूसरे में स्थानांतरित करना। यह अधिसूचना अनधिकृत स्टॉक को नष्ट करने या सीएए के निरीक्षण दल द्वारा स्टॉक के निपटान और निपटान के माध्यम से एल वन्नामई के अनधिकृत बीज उत्पादन और खेती से निपटने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को भी मजबूत करती है।

2015: अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2015: शून्य जल विनिमय के बाद कम स्टॉकिंग घनत्व के साथ एल वन्नामई कल्च र को लेने के लिए पी. मोनोडोन के लिए पंजीकृत खेतों को अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। सीएए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सीएए द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी. मोनोडोन सहित) के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुलग्नक 1 में दिशानिर्देशों में नवंबर 2015 में संशोधन।

2020:आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2020: भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) द्वारा अनुमोदित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए सैनिटरी आयात परमिट (एसआईपी) की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया। हालांकि, पत्त न के प्रवेश पर, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा (एक्यूसीएस) पूर्व-रोगज़नक़ संगरोध प्रमाणपत्र और निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अतिसंवेदनशील प्रजातियों के ओआईई-सूचीबद्ध रोगज़नक़ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले प्रमाणपत्र की पुष्टि करने के बाद सीमा शुल्क विभाग को एक एनओसी जारी करेगी। इसके अलावा, एसपीएफ़ झींगा ब्रूडस्टॉक का आयात तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (2001 में यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित अन्य सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन होगा।

2024: एल. वन्नामेई के बीज उत्पादन और फार्मिंग को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए:

(1) तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1496(ई) दिनांक 20.03.2024)

(2) बीज उत्पादन और विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त एल. वन्नामेई के संवर्धन के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1457(ई) दिनांक 15.03.2024)

(3) भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य अनुवीक्षण, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1479 (ई) दिनांक 15.03.2024)

(4) भारत में न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर और ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर की स्थापना और संचालन के लिएदिशानिर्देश (एसओ 1459 (ई) दिनांक 15.03.2024)

(5) तटीय जलकृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश (एस.ओ.1458(ई) दिनांक 15.03.2024)

आंध्र प्रदेश में हैचरियों/एनआरएच का निरीक्षण

तमिलनाडु में हैचरियों/एनआरएच का निरीक्षण

ओडिशा में हैचरियों/एनआरएच का निरीक्षण

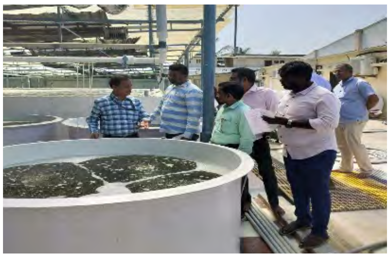

गुजरात में हैचरियों/एनआरएच का निरीक्षण

विदेशी ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाना और भारतीय हैचरियों/बीएमसी द्वारा आयात:

सीएए, आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए, एनएफडीबी और आईसीएआर-एनबीएफजीआर के सदस्यों से गठित पैनल समिति की सिफारिश के आधार पर देश में एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल करता है। समिति विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन आनुवंशिक आधार, एसपीएफ स्थिति और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सुविधा में स्थापित जैव-सुरक्षा सुविधाओं के आधार पर करती है तथा सीएए को उनके पैनल में शामिल करने की सिफारिश करती है।

सीएए ने अब तक एसपीएफ़ एल. वन्नामेई के लिए 14 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और एसपीएफ़ पी. मोनोडॉन के लिए 2 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल किया है ताकि सीएए-पंजीकृत हैचरियां और बीएमसी को सीएए के पैनल में शामिल आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ़ झींगा ब्रूडस्टॉक और पीपीएल आयात करने में सुविधा हो। सीएए किसानों की जानकारी के लिए सीएए वेबसाइट (www.caa.gov.in) पर एसपीएफ़ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल आयात करने वाली हैचरियों/बीएमसी का विवरण अपडेट करता है।

एसपीएफ एल. वन्नामेई और एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक/पीपीएल का आयात

एसपीएफ एल. वन्नामेई और एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक/पीपीएल का आयात भारत के झींगा जलकृषि क्षेत्र को बनाए रखने और विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रोगमुक्त और आनुवंशिक रूप से उन्नत झींगा स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जो संवर्धित झींगा उत्पादन के उच्च मानकों को बनाए रखने और वैश्विक बाजार की माँगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। संगरोध, आयात परमिट, प्रवेश बंदरगाह, सीमा-पूर्व संगरोध आवश्यकताओं, आयातित ब्रूडस्टॉक के आगमन पर संगरोध आवश्यकताओं आदि के लिए जैव सुरक्षा आवश्यकताएँ, कीटाणुशोधन विधियाँ और अन्य परिचालन विवरण अधिसूचित दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए हैं।

वर्ष के दौरान एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक और पीपीएल के आयात का विवरण इस प्रकार है:

आयातित नर एल. वन्नामेई ब्रूडर्स की सं.	91586
आयातित मादा एल. वन्नामेई ब्रूडर्स की सं.	91680
आयातित कुल एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक (सं.)	183266
आयातित नर पी. मोनोडोन ब्रूडर्स की सं. (सं.)	4687
आयातित मादा पी. मोनोडोन ब्रूडर्स की सं. (सं.)	4602
आयातित कुल पी. मोनोडोन ब्रूडस्टॉक (सं.)	9289
आयातित एल. वन्नामेई पीपीएल की सं. (सं.)	458208
आयातित एल. मोनोडोन पीपीएल की सं. (सं.)	68568

तालिका 5.2. स्थापना के बाद से सीएए में पंजीकृत एल. वन्नामेई हैचरी की वर्षवार संख्या (जुलाई, 2009 से मार्च, 2025 तक)

वर्ष	अनुमत हैचरियों की कुल संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल/वर्ष)	प्रति वर्ष अनुमत ब्रूडस्टॉक की संख्या	वर्ष के दौरान आयातित ब्रूडस्टॉक की संख्या
2008-09	9	-	-	-
2009-10	24	615	30600	24734
2010-11	21	1329	32200	21466
2011-12	74	5608	97440	37960
2012-13	105	8295	132720	129160
2013-14	117	8776	140416	105636
2014-15	183	13928	330312	199798
2015-16	259	24209	605264	169458
2016-17	281	26783	678600	204720
2017-18	298	29155	736600	257100
2018-19	310	31568	793400	231140
2019-20	315	32518	815400	249914
2020-21	293	43342	1040200	276346
2021-22	305	68200	1081720	249088
2022-23	312	71055	1126200	230900
2023-24	301	69190	1408200	189314
2024-25	296	68180	1407200	183266

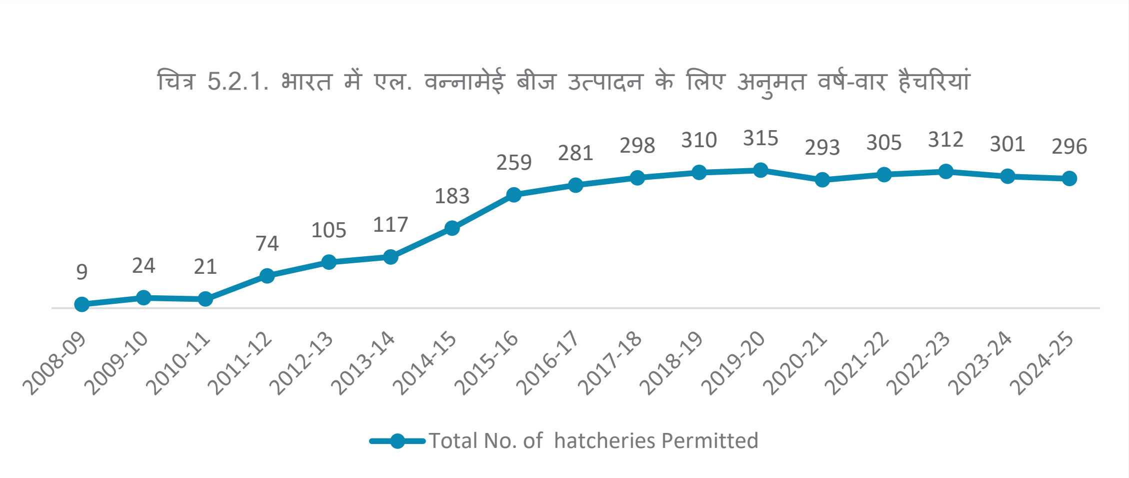

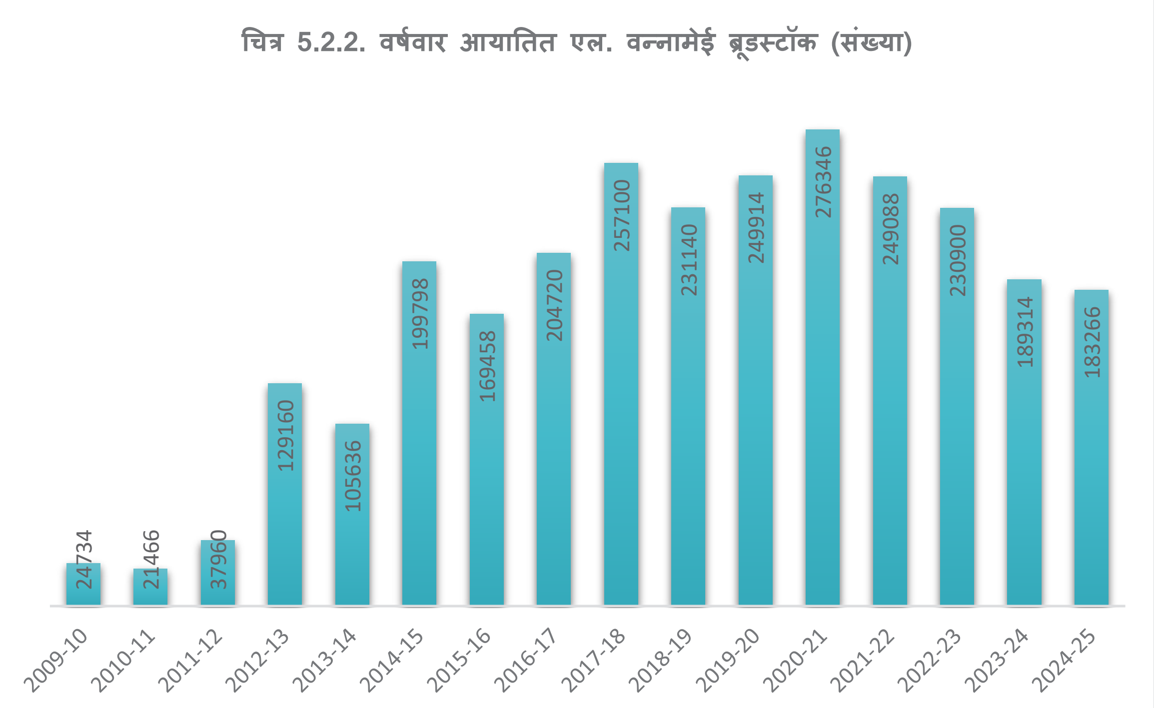

तालिका 5.3 सीएए में पंजीकृत वर्षवार एसपीएफ पी. मोनोडॉन हैचरियां				
वर्ष	पंजीकृत हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल/वर्ष)	प्रति वर्ष अनुमत ब्रूडस्टॉक की संख्या	वर्ष के दौरान आयातित ब्रूडस्टॉक की संख्या
2021-22	5	1325	21600	5854
2022-23	7	2025	124200	12553
2023-24	20	6200	108000	3611
2024-25	23	6500	198200	9289

चित्र 5.3. वर्षवार एसपीएफ पी. मोनोडॉन हैचरी ब्रूडस्टॉक आयातित (सं.)

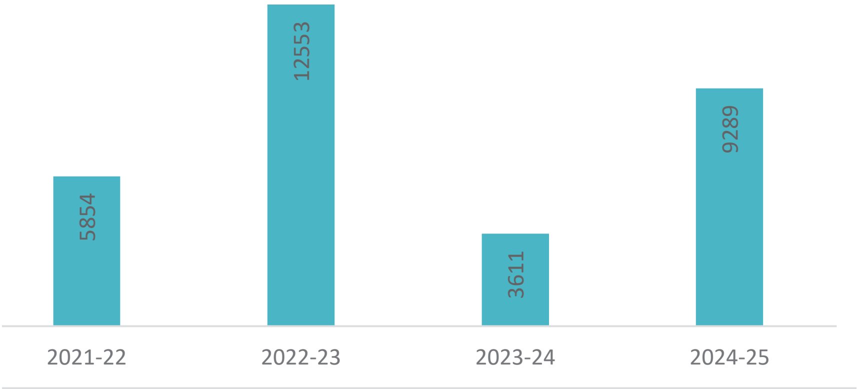

तालिका 5.4. सीएए में पंजीकृत जिलावार एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरियां और ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए किया गया वार्षिक आवंटन

	राज्य/जिला	पंजीकृत हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन/वर्ष)	अनुमत ब्रूडस्टॉक की संख्या
1	**तमिलनाडु**			
	चेंगलपट्टू	30	4470	85600
	कुड्डालोर	1	250	3800
	माइलादुत्रयी	5	1400	22200
	रामनाथपुरम	1	300	3600
	विल्लुपुरम	38	8030	128400
	उप-जोड़	**75**	**14450**	**243600**
2	**आंध्र प्रदेश**			
	अनकापल्ली	23	6885	99600
	बापतला	15	5575	72000
	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	4	650	9600
	काकीनाडा	64	13865	225600
	एसपीएसआर नेल्लोर	51	9985	169800
	प्रकाशम	26	5100	109200
	श्रीकाकुलम	1	350	4200
	तिरुपति	10	2655	48200
	विशाखापत्तनम	9	3225	31800
	विजयनगरम	8	2950	32400
	उप-जोड़	**211**	**51240**	**802400**
3	**ओडिशा**			
	गंजम	6	1410	17400
	उप-जोड़	**6**	**1410**	**17400**
4	**गुजरात**			
	गिर-सोमनाथ	2	300	4200
	पोरबंदर	1	480	7200
	उप-जोड़	**3**	**780**	**11400**
5	**पश्चिम बंगाल**			
	पूर्व मेदिनीपुर	1	300	6000
	उप-जोड़	**1**	**300**	**6000**
	सकल जोड़	**296**	**68180**	**1080800**

एसपीएफ एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत नौप्ली पालन हैचरियां (एनआरएच)

देश में सीएए में पंजीकृत एसपीएफ एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन के लिए नौप्ली पालन हैचरियों की स्थापना (2015-16) से 2024-25 तक की वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 5.5 से 5.8 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 5.5. एसपीएफ एल. वन्नामेई के लिए सीएए में पंजीकृत वर्षवार नौप्ली पालन हैचरियां		
वर्ष	**पंजीकृत एनआरएच की संख्या**	**बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल/वर्ष)**
2015-16	5	267
2016-17	10	915
2017-18	31	3485
2018-19	84	7519
2019-20	132	11620
2020-21	150	13922
2021-22	163	15437
2022-23	171	17960
2023-24	192	20445
2024-25	202	21410

चित्र 5.5. एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए सीएए के साथ पंजीकृत वर्षवार नौप्ली पालन हैचरियां

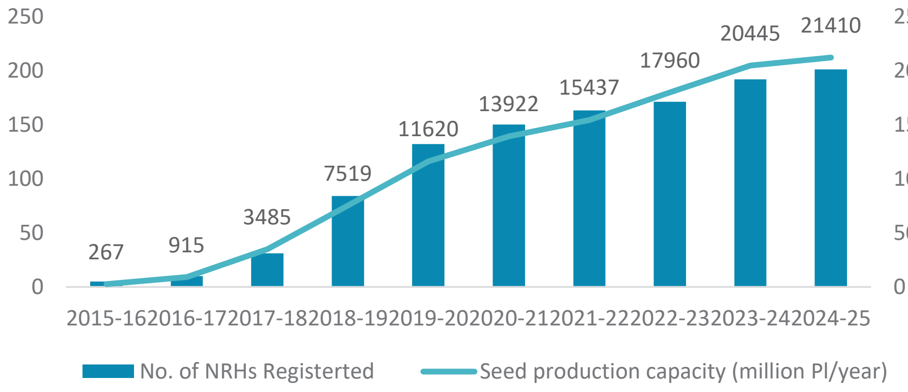

तालिका 5.6. एसपीएफ पी. मोनोडॉन बीज उत्पादन के लिए सीएए में पंजीकृत वर्षवार नौप्ली पालन हैचरियां		
वर्ष	**पंजीकृत एनआरएच की संख्या**	**बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल/वर्ष)**
2021-22	3	730
2022-23	7	1560
2023-24	12	2560
2024-25	14	2910

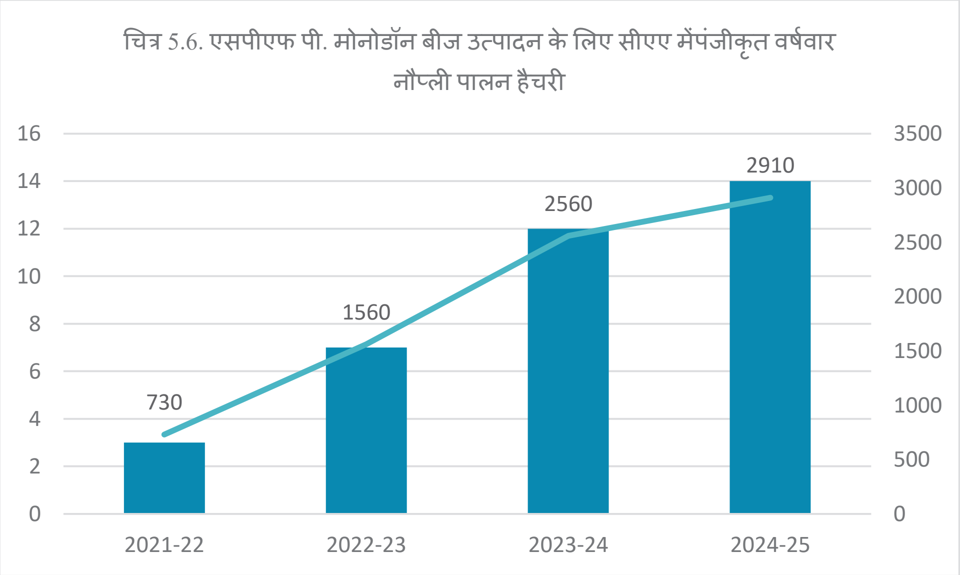

तालिका 5.7. एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए सीएए में पंजीकृत जिलावार एनआरएच			
राज्य	जिला	पंजीकृत एनआरएच की सं.	बीज उत्पादन क्षमता मिलियन पीएल/वर्ष
तमिलनाडु	चेंगलपट्टू	9	720
	माइलादुत्रयी	1	60
	विल्लुपुरम	8	2100
	उप-जोड़	**18**	**2880**
आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	14	1355
	बापतला	3	300
	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	3	310
	काकीनाडा	111	10355
	कृष्णा	7	400
	एसपीएसआर नेल्लोर	12	1555
	प्रकाशम	6	1160
	श्रीकाकुलम	4	600
	तिरूपति	2	150
	विशाखापत्तनम	3	295
	विजयनगरम	6	660
	उप-जोड़	**171**	**17140**
ओडिशा	गंजम	10	1030
	पुरी	3	360
	उप-जोड़	**13**	**1390**
जोड़		**202**	**21410**

तालिका 5.8. एसपीएफ पी. मोनोडॉन बीज उत्पादन के लिए सीएए में पंजीकृत जिलावार हैचरियां और एनआरएच							
राज्य	जिला	पंजीकृत हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल/वर्ष)	पंजीकृत एनआरएच की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल/वर्ष)	कुल पंजीकृत बीज उत्पादन इकाइयाँ	कुल बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल/वर्ष)
आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	1	280	1	305	2	585
	बापतला	1	560	0	0	1	560
	एसपीएसआर नेल्लोर	7	2110	1	225	8	2335
	कृष्णा	0	0	1	480	1	480
	काकीनाडा	1	200	1	250	2	450
	श्रीकाकुलम	0	0	1	80	1	80
	तिरुपति	2	370	1	250	3	620
	विशाखापत्तनम	2	570	0	0	2	570
	विजयनगरम	2	350	0	0	2	350
तमिलनाडु	चेंगलपट्टू	3	650	4	500	7	1150
	विल्लुपुरम	2	510	1	200	3	710
ओडिशा	गंजम	0	0	1	80	1	80
गुजरात	गिर सोमनाथ	1	750	0	0	1	750
	वलसाड	1	150	1	480	2	630
कर्नाटक	उत्तर कन्नड	0	0	1	60	1	60
जोड़		**23**	**6500**	**14**	**2910**	**37**	**9410**

तालिका 5.9. सीएए में पंजीकृत जिलावार लाइव फीड इकाइयाँ			
राज्य	जिला	पंजीकृत लाइव फ़ीड इकाइयाँ	
		आर्टेमिया	पॉलीकेटी कृमि
आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	0	1
	बापतला	0	1
	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	0	1
	काकीनाडा	3	0
	नेल्लोर	0	2
	तिरुपति	0	1
उपजोड़		**3**	**6**
तमिलनाडु	विल्लुपुरम	0	**1**
जोड़	**10**		

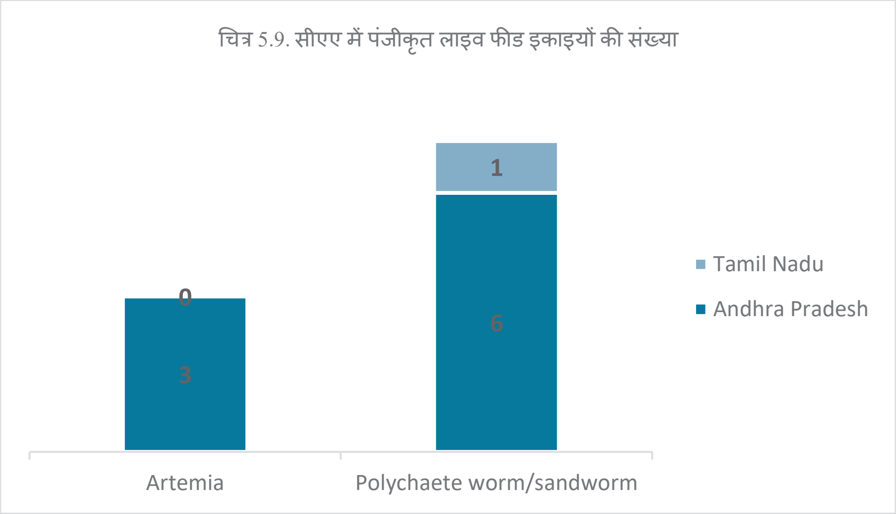

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के राजक्कमंगलम में राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) द्वारा स्थापित झींगा मूल्यांकन अध्ययन इकाई का निरीक्षण

सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने 24 सितंबर, 2024 को आईसीएआर-सीआईबीए के निदेशक की अध्यक्षता वाली तकनीकी और निरीक्षण समिति के अन्य सदस्यों के साथ तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के राजक्कमंगलम में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के लिए पीएमएमएसवाई के तहत स्थापित एमपीईडीए-आरजीसीए के टाइगर झींगा के लिए झींगा मूल्यांकन अध्ययन इकाई के निरीक्षण में भाग लिया और भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का प्रमाणन

6

एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का प्रमाणन

एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण समुद्री खाद्य निर्यात का अस्वीकार होना झींगा जलकृषि उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है। इन समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए, तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों में औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों और रोगाणुरोधी एजेंटों के उपयोग को विनियमित करने के लिए सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में सांविधिक प्रावधान किए गए (धारा 12ए)। तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण को होने वाले नुकसान की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन हेतु, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त प्रोबायोटिक्स, थेरेप्यूटेंट्स और अन्य आदानों सहित तटीय जलकृषि आदानों के लिए मानक निर्धारित करने या अपनाने, प्रमाणित करने, निगरानी करने, विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए सीएए को अधिकार प्राप्त है (धारा 11(1)(डीबी))।

तदनुसार, सीएए नियम, 2024 के नियम 18(3) के तहत प्रावधान किया गया था कि "प्राधिकरण से प्रमाणीकरण के बिना तटीय जलकृषि में कोई भी जलकृषि इनपुट उपलब्ध या उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय उनके जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है, जैसा कि जलकृषि इनपुट के अनुपालन प्रमाणपत्र के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।" निषिद्ध औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों और रोगाणुरोधी एजेंटों या अन्य सामग्रियों की सूची, जिनके तटीय जलकृषि में उपयोग से मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, नीचे दी गई है (नियम 18(1)(सी):

List of pharmacologically active substance, antimicrobial agent or other material, banned for the use in coastal aquaculture as per Rule 18 of Rules 2024

(i) Chloramphenicol	(xi) Dimetridazole
(ii) Nitrofurans including: Furaltadone, Furazolidone, Furylfuramide, Nifuratel, Nifuroxime, Nifurprazine, Nitrofurantoin, Nitrofurazone;	(xii) Metronidazole
(iii) Neomycin	(xiii) Ronidazole
(iv) Nalidixic acid	(xiv) Ipronidazole
(v) Sulphamethoxazole	(xv) Other nitroimidazoles
(vi) Aristolochiaspp and preparations thereof	(xvi) Clenbuterol
(vii) Chloroform	(xvii) Diethylstilbestrol (DES)
(viii) Chlorpromazine	(xviii) Sulfonamide drugs (except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine)
(ix) Colchicine	(xix) Fluroquinolones
(x) Dapsone	(xx) Glycopeptides

"जलीय कृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र" जारी करने के दिशानिर्देश एस.ओ.1456(ई) दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें लेबलिंग मानक, प्रमाणन प्रक्रिया, प्रवर्तन तंत्र आदि निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, आयातित सहित जलकृषि आदानों के सभी निर्माता और वितरक, सीएए नियम, 2024 की अनुसूची III में निर्धारित प्रासंगिक दस्तावेजों और शुल्क के साथ फॉर्म III में सीधे सीएए को आवेदन करेंगे और अपने एंटीबायोटिक-मुक्त उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करेंगे। किसानों, हैचरी संचालकों और अन्य तटीय जलकृषि इकाई संचालकों को केवल सीएए-अनुमोदित आदानों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। धारा 12ए के तहत निषिद्ध सामग्रियों के उपयोग पर जुर्माना लगाने के लिए सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएए ने दस श्रेणियों, जैसे कि फ़ीड-लार्वा, फ़ीड-वयस्क, फ़ीड योजक, प्रोबायोटिक्स, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, औषधियाँ, रसायन और कीटाणुनाशक, खनिज मिश्रण आदि, के अंतर्गत 1123 एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया। सीएए द्वारा 2024-25 तक उत्पाद और फर्म-वार प्रमाणित जलकृषि आदानों की सूची सीएए की वेबसाइट पर उपलब्ध है और समय-समय पर अद्यतन की जाती है। सीएए ने 2024-25 तक दस श्रेणियों के अंतर्गत 6901 जलकृषि आदानों को प्रमाणित किया है। सीएए द्वारा प्रमाणित श्रेणी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार जलकृषि आदानों की जानकारी तालिका 6.1 और 6.2 में दी गई है।

तालिका 6.1 सीएए द्वारा 2015-16 से 2024-25 तक एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट का श्रेणीवार और वर्षवार प्रमाणन

क्र.सं.	श्रेणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	जोड़
1	फीड लार्वा	37	11	14	23	2	4	6	26	50	3	176
2	फीड वयस्क	27	31	18	44	19	5	21	23	31	38	257
3	फ़ीड योजक	72	281	208	859	60	54	189	355	490	453	3021
4	प्रोबायोटिक	75	147	130	478	13	31	65	169	282	258	1648
5	इम्यूनोस्टिमुलेंट	4	12	19	57	3	1	5	11	31	31	174
6	ड्रग	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	9
7	रसायन	31	65	53	376	6	3	23	118	165	166	1006
8	निस्संक्रामक	11	35	55	180	5	6	19	33	92	73	509
9	खनिज मिश्रण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
10	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	जोड़	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**104**	**328**	**735**	**1141**	**1123**	**6901**

तालिका 6.2. 2015-16 से 2024-25तक सीएए द्वारा एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का राज्यवार और वर्षवार प्रमाणन

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	जोड़
आंध्र प्रदेश	23	120	176	805	28	47	83	190	252	497	2221
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
दिल्ल	0	2	0	4	0	0	0	4	3	4	17
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
गुजरात	0	0	39	77	1	8	30	31	74	37	297
हरिणया	0	0	3	17	8	0	2	1	11	3	45
कर्नाटक	15	17	20	82	10	6	24	53	62	77	366
केरल	0	0	0	0	0	0	1	4	1	16	22
मध्य प्रदेश	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
महाराष्ट्र	36	97	29	140	5	13	16	73	51	36	496
ओडिशा	0	0	0	4	0	0	1	0	0	19	24
पुडुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	2	12	4	18
तमिलनाडु	117	151	136	198	39	12	88	115	233	98	1187
तेलंगाना	66	197	74	658	17	16	77	239	403	320	2067
उत्तर प्रदेश	0	0	11	12	0	0	0	0	10	2	35
उत्तराखंड	0	0	0	3	0	0	0	5	5	1	14
पश्चिम बंगाल	1	0	10	10	0	2	6	9	24	9	71
जोड़	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**104**	**328**	**735**	**1141**	**1123**	**6901**

चित्र 6.1. 2015-16 से 2024-25 तक सीएए द्वारा एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट का श्रेणी-वार प्रमाणन

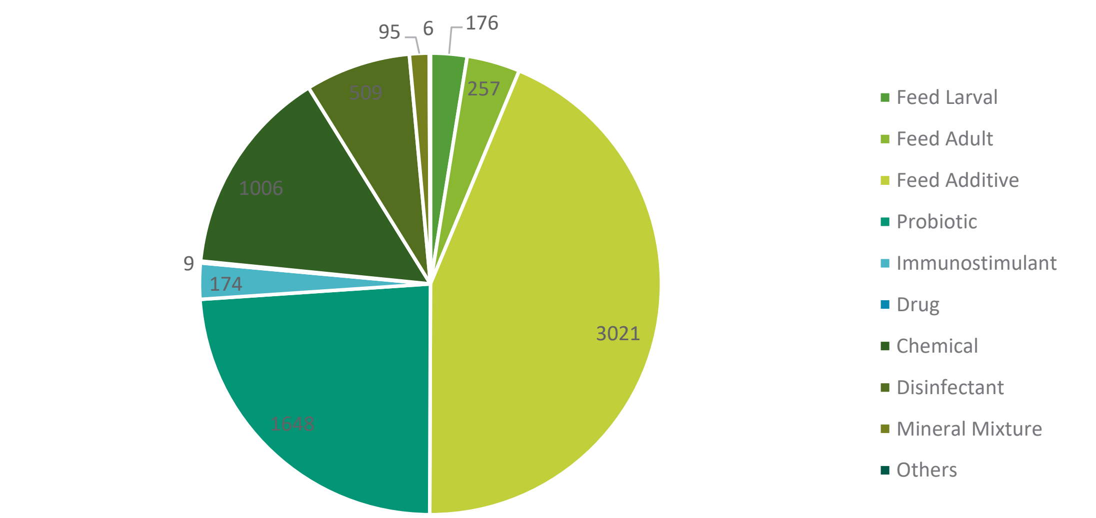

चित्र 6.2. 2015-16 से 2024-25 तक सीएए द्वारा एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का राज्यवार प्रमाणन

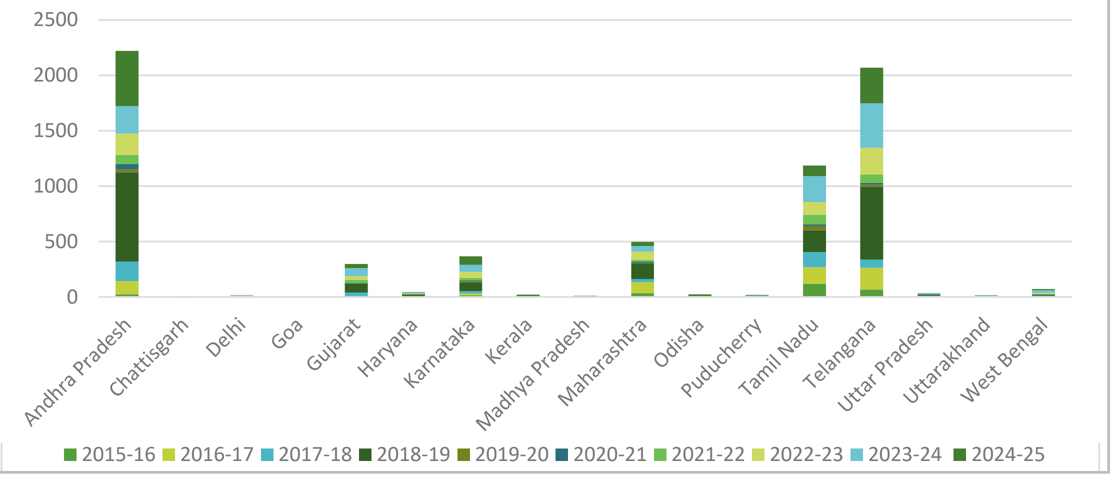

चित्र 6.3. 2015-16 से 2024-25 तक सीएए द्वारा एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट का श्रेणीवार और वर्षवार प्रमाणन

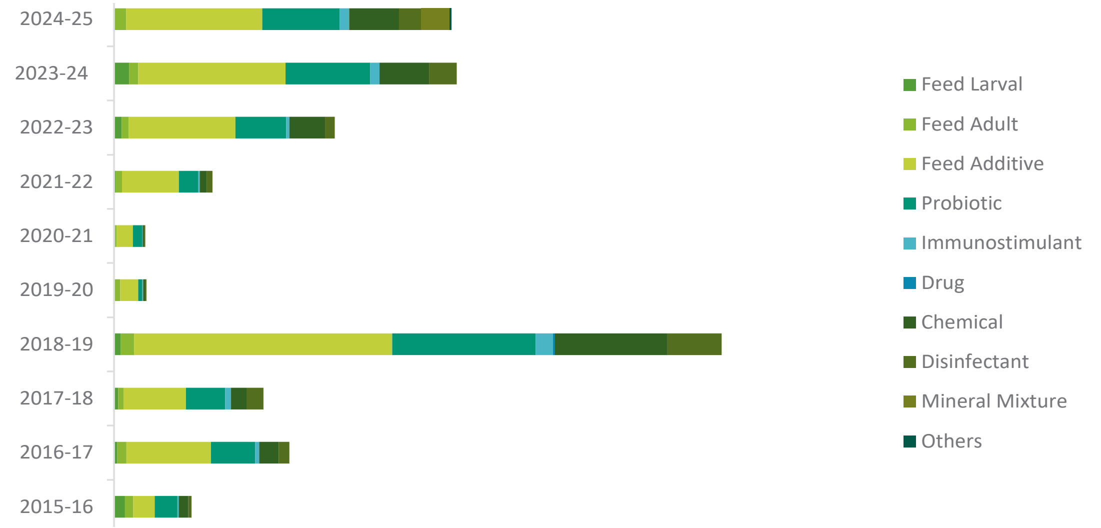

देखरेख और निगरानी

7

देखरेख और निगरानी

क. तटीय जलकृषि इकाइयों/गतिविधियों की देखरेख

- वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएए के तकनीकी अधिकारियों और सलाहकारों ने तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों की नियमित निगरानी की और विभिन्न तटीय जिलों में फार्मों और हैचरियों से पानी तथा पशु नमूने एकत्र किए।
- सीएए टीम ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा स्थित 6591 फार्मों और 40 हैचरियों का दौरा किया (तालिका 7.1) और फार्मों (662 नमूने) और हैचरियों (16 नमूने) में ईटीएस के अंतिम निर्वहन बिंदु से 678 जल नमूने एकत्र किए। जल के नमूनों का विश्लेषण निकटवर्ती मान्यता प्राप्त सरकारी प्रयोगशालाओं में पीएच, निलंबित ठोस, घुलित ऑक्सीजन, मुक्त अमोनिया (एनएच3-एनके रूप में), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग-बीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग-सीओडी, घुलित फॉस्फेट (पीके रूप में), कुल नाइट्रोजन (एनके रूप में) और नाइट्रेट जैसे मापदंडों के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया ताकि यह जाँचा जा सके कि जल के नमूने निर्धारित अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं (तालिका 7.2)।
- परिणामों से पता चला कि फार्मों और हैचरियों से निकाले गए पानी के नमूनों के पैरामीटर इष्टतम मानकों के भीतर हैं।
- जल गुणवत्ता निगरानी के अलावा, सीएए के तकनीकी कर्मचारियों ने एमपीईडीए अधिकारियों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्थित हैचरियों और फार्मों में एनआरसीपी कार्यक्रम के अंतर्गत बीज तथा संवर्धित झींगे के नमूने एकत्र करने में भी भाग लिया। टीम ने 409 इकाइयों (तालिका 7.3) से 100 नमूने एकत्र किए, जिनका विश्लेषण एमपीईडीए ने अपनी प्रयोगशालाओं में एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए किया। एमपीईडीए ने 8 इकाइयों, जिनमें 4 हैचरी, 1 एनआरएच और 3 फार्म शामिल हैं, से एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए सकारात्मक अलर्ट की सूचना दी। सीएए ने सभी 8 पंजीकृत हैचरियों/एनआरएच और फार्मों को स्पष्टीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

तटीय जलकृषि इकाइयों/गतिविधियों की देखरेख

तटीय जलकृषि हैचरियों की देखरेख

हैचरियों और जलकृषि फार्मों में जलकृषि इनपुट का निरीक्षण

एमपीईडीए टीम के साथ एनआरसीपी बीज नमूना संग्रह

तालिका 7.1. वर्ष 2024-25 के दौरान देखरेख की गई तटीय जलकृषि इकाइयों और एकत्रित जल नमूनों की संख्या

क्र.सं.	जिले	फार्म		हैचरियां		कुल	
		खेतों की निगरानी	जल के नमूने एकत्र किए गए	हैचरी की निगरानी	जल के नमूने एकत्र किए गए	निगरानी की गई इकाइयाँ	जल के नमूने एकत्र किए गए
1	बापटला, आंध्र प्रदेश	903	99	19	5	922	104
2	प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	427	3	3	0	430	3
3	श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	675	97	0	0	675	97
4	विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	7	0	0	0	7	0
5	विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	21	0	0	0	21	0
6	अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश	126	0	0	0	126	0
7	एसपीएसआर नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	752	102	13	8	765	110
8	तिरुपति, आंध्र प्रदेश	507	55	0	0	507	55
9	कृष्णा, आंध्र प्रदेश	1100	144	5	3	1105	147
10	पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	79	15	0	0	79	15
11	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा, आंध्र प्रदेश	1518	141	0	0	1518	141
12	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	384	6	0	0	384	6
13	बालासोर, ओडिशा	52	0	0	0	52	0
14	भद्रक, ओडिशा	40	0	0	0	40	0
	जोड़	**6591**	**662**	**40**	**16**	**6631**	**678**

तालिका 7.2: तटीय जलकृषि इकाइयों से अपशिष्ट जल स्रावों के लिए निर्धारित मानक

क्र.सं.	पैरामीटर	अंतिम निर्वहन बिंदु	
		तटीय समुद्री जल	खाड़ी या मुहाना के रास्ते, जब उन्हीं अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग जल स्रोत और निपटान बिंदु के रूप में किया जाता है
1.	पीएच	6.0 – 9.0	6.0 – 9.0
2.	सस्पेंडेडठोस मिलीग्राम / 1	100	100
3.	घुलित ऑक्सीजन मिलीग्राम / 1	3 से अनाधिक	3 से अनाधिक
4.	मुक्त अमोनिया (NH3-N के रूप में) मिलीग्र	1	0.5
5.	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग-बीओडी (5 दिन @ 20°C) मिलीग्राम / 1 अधिकतम	50	20
6.	रासायनिक ऑक्सीजन मांग-सीओडी मिलीग्राम/1 अधिकतम	100	75
7.	घुलित फॉस्फेट (P के रूप में) मिलीग्राम / 1 अधिकतम	0.4	0.2
8.	कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) मिलीग्राम / 1	2	2
9.	नाइट्रेट एन (पीपीएम)	1	0.5

तालिका 7.3. वर्ष 2024-25 के दौरान एकत्रित एनआरसीपी नमूनों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले	निरीक्षण की गई हैचरियों की संख्या	एकत्रित नमूनों की संख्या
1.	विल्लुपुरम, तमिलनाडु	143	22
2.	चेंगलपट्टू, तमिलनाडु	136	29
3.	विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	25	4
4.	अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश	29	11
5.	बापटला, आंध्र प्रदेश	14	8
6.	श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	5	2
7.	विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	8	2
7.	विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	8	2
8.	तिरुपति, आंध्र प्रदेश	3	1
9.	कृष्णा, आंध्र प्रदेश	9	5
1(	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	15	7
1:	प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	12	6
1:	एसपीएसआर नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	10	3
	जोड़	**409**	**100**

क. तटीय जलकृषि इकाइयों/गतिविधियों की निगरानी

संबंधित एसडीएलसी और डीएलसी, निरीक्षण समिति द्वारा फार्मों और हैचरियों का निरीक्षण करेंगे ताकि दिशानिर्देशों के अनुपालन में जैव सुरक्षा सुविधाओं, ईटीएस, स्वच्छता और अन्य उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और संचालन सुनिश्चित किया जा सके, और सीएए को क्रमशः फार्मों और हैचरियों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश की जा सके। इस प्रकार, सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों के तहत जैव-सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल तटीय जलकृषि इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने और देशभर में तटीय पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक उचित नियामक तंत्र मौजूद है।

हैचरियों का औचक निरीक्षण

- सीएए तकनीकी कर्मचारियों ने टास्क फोर्स समितियों के साथ मिलकर 04, 10, 11 और 12 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम (02), विशाखापत्तनम (04), अनकापल्ली (01) और विजयनगरम (01) जिलों में अनधिकृत बीज उत्पादन गतिविधियों, यदि कोई हो, को सत्यापित करने के लिए आठ (08) झींगा हैचरियों का औचक निरीक्षण किया। यह बताया गया कि आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के परवाड़ा मंडल में स्थित एक हैचरी में पी. मोनोडॉन का अनधिकृत बीज उत्पादन किया गया और ब्लीचिंग पाउडर लगाकर 54 मिलियन बीज नष्ट कर दिए गए।
- तीन हैचरियों पर जुर्माना लगाया गया, अर्थात् (1) तमिलनाडु (2) आंध्र प्रदेश, जो अनधिकृत झींगा बीज उत्पादन में शामिल थीं और प्रत्येक हैचरी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आंध्र प्रदेश में भी सीएए पंजीकरण के बिना अवैध बीज उत्पादन की सूचना मिली और सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार पहली बार अपराध के रूप में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

तालिका 7.4 जलकृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को विनियमित करने के लिए आंध्र प्रदेश में किए गए एक्वा दुकानों, चारा इकाइयों और हैचरियों के निरीक्षण का विवरण

क्र.सं.	जिले	निरीक्षण की गई हैचरियों की संख्या	निरीक्षण की गई एक्वा दुकानों की संख्या	निरीक्षित फ़ीड इकाई की संख्या
1.	रापल्ले मंडल, बापटला जिला	0	3	0
2.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा जिला	3	1	0
3.	टी.पी. गुडुर मंडल, नेल्लोर जिला	1	2	1
4.	नेल्लोर जिले में विदावलुर मंडल	1	0	0
5.	पित्तलवनिपालेम मंडल, बापटला जिला	0	1	0
6.	निज़ामपट्टनम मंडल, बापटला जिला	2	0	0
7.	कोथापट्टनम मंडल, प्रकाशम जिला	2	1	0
8.	चेल्लापल्ली मंडल, कृष्णा जिला	1	0	2
9.	कोडुरु मंडल, कृष्णा जिला	0	2	0
10.	भोगापुरम मंडल, विजयनगरम जिला	4	0	0
11.	मुथुकुर मंडल, नेल्लोर जिला	0	1	0
12.	ओंगोल, प्रकाशम जिला	0	6	0
13.	नेल्लोर नगर, नेल्लोर जिला	0	3	0
14.	I. पोलावरम, मुरुमुल्ला और केसनाकुररुपलेम गांव	0	5	0
15.	मलकीपुरम गाँव	0	3	0
16.	कवाली मंडल. नेल्लोर जिला	0	4	0
17.	कृतिवेन्नु, बंटुमिल्ली मंडल, कृष्णा जिला	2	3	0
18.	बापुलपाडु मंडल, कृष्णा जिला	0	3	3
19.	मुम्मिडिवरम और अमलापुरम	0	6	0
20.	बापटला जिला	1	3	0
21.	चल्लापल्ली, गंटासाला मंडल, कृष्णा जिला	1	0	2
22.	रामतीर्थम गांव, विदावलुर मंडल, नेल्लोर जिला।	1	0	0
23.	मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला	0	4	0
24.	नागयालंका और कोडुरु मंडल कृष्णा जिला	0	6	0
	जोड़	**19**	**57**	**8**

टास्क फोर्स समिति के साथ एक्वा शॉप्स, फीड यूनिटों और हैचरियों का निरीक्षण

सीएए के क्षेत्रीय कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश में जलकृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के नियमन हेतु टास्क फोर्स समितियों के साथ एक्वा शॉप्स, फीड यूनिटों और हैचरियों के निरीक्षण में भाग लिया और विवरण तालिका 7.4 में दिया गया है।

टास्क फोर्स समितियों के साथ एक्वा शॉप, फीड इकाइयों और हैचरियों का निरीक्षण

2024-25 के दौरान देखरेख और निगरानी के तहत की गई गतिविधियों का सारांश तालिका 7.5 में दिया गया है

तालिका 7.5 2024-25 के दौरान देखरेख और निगरानी के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	निरीक्षण समिति द्वारा हैचरियों/एनआरएच का निरीक्षण	269
2	बीज के नमूनों के संग्रह के लिए एमपीईडीए टीम के साथ हैचरियों/एनआरएच का दौरा करने वालों की संख्या	409
	क) एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	100
	ख) एंटीबायोटिक अवशेषों के सकारात्मक मामले के लिए प्राप्त एनआरसीपी अलर्ट की संख्या	08
	ग) जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या	08
3	खेतों और हैचरियों की निगरानी और पानी के नमूनों का संग्रह	
	क) निगरानी किये गए खेतों की संख्या	6591
	ख) निगरानी की गई हैचरी की संख्या	40
	ग) खेतों के निर्वहन बिंदुओं से एकत्रित और जल मापदंडों के लिए विश्लेषित जल नमूनों की संख्या	662
	घ) हैचरियों के निर्वहन बिंदुओं से एकत्रित और जल मापदंडों के लिए विश्लेषित जल नमूनों की संख्या	16

आउटरीच गतिविधियाँ

For Shrimp Hatchery operators Kakinada Coast.
"Quality seed and Antibiotic free productions"
Speakers from
Coastal Aquaculture Authority

8

आउटरीच गतिविधियाँ

वर्ष के दौरान, सीएए ने आईसीएआर-सीआईबीए, एमपीईडीए-आरजीसीए, राज्य मत्स्यपालन विभाग, झींगा किसान संघ, अखिल भारतीय झींगा हैचरी संघ, जलकृषि स्वास्थ्य उत्पाद निर्माता संघ और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में जिला और राज्य स्तर पर कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए (तालिका8.1)। सीएए ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में किसानों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय सलाहकारों को भी तैनात किया।

❖ आउटरीच कार्यक्रम निम्नलिखित क्षेत्रों में आयोजित किए गए:

- सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और किसानों, हितधारकों, मत्स्यपालन अधिकारियों, तकनीशियनों, अन्य संस्थानों आदि के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक प्रावधान।
- सीएए में तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण।
- फार्मों और हैचरियों में जैव-सुरक्षा उपायों, स्वच्छता प्रोटोकॉल, जल उपचार और स्राव प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन।
- एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए प्रमाणन।
- तटीय जलकृषि में उत्तम जलकृषि पद्धतियों को अपनाना।
- वैकल्पिक संभावित प्रजातियों के साथ तटीय जलकृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देना।
- औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों और अन्य रोगाणुरोधी एजेंटों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के उपयोग पर विनियमन।

❖ सीएए के तकनीकी अधिकारियों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लिया, प्रदर्शनी स्टॉल लगाए और किसानों तथा अन्य हितधारकों को जागरूक किया।

❖ सीएए ने आईसीएआर संस्थानों और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किसान सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया और तटीय जलकृषि के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी।

❖ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एसडीएलसी और डीएलसी के सदस्य संयोजकों, किसानों, हैचरी संचालकों और अन्य हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

❖ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जिला स्तर पर किसान बैठकें आयोजित की गईं।

❖ वर्ष के दौरान आयोजित आउटरीच गतिविधियों का विवरण तालिका 8.1 में दिया गया है।

तालिका 8.1

क्र.सं.	तिथि	आयोजित आउटरीच गतिविधियों का विवरण
1	02.04.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने तटीय जलकृषि इकाइयों के पंजीकरण और नवीनीकरण पर एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों और ओडिशा राज्य के एमपीईडीए अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया और उन्हें सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में हाल ही में किए गए संशोधनों के बारे में भी संवेदनशील बनाया।
2	03.05.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने आईसीएआर-सीआईबीए और आईसीएआर-सीआईएफई द्वारा आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई में संयुक्त रूप से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मत्स्यपालन/बीमा पेशेवरों के साथ भाग लिया और तटीय जलकृषि इकाइयों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए सीएए की गतिविधियों और वैधानिक प्रावधानों पर प्रस्तुति दी।

	21.05.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, किसानों और गुजरात राज्य के अन्य हितधारकों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया और उन्हें सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण तथा पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति के बारे में जागरूक किया।
4	22.05.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, किसानों और कर्नाटक राज्य के अन्य हितधारकों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया तथा उन्हें सीएए अधिनियम, नियमों एवं दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण की स्थिति के बारे में जागरूक किया।
5	06.06.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, एमपीईडीए के अधिकारियों, तमिलनाडु राज्य के किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एक संवेदीकरण बैठक आयोजित की तथा सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण एवं पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति के बारे में संवेदीकरण किया।
6	13.06.2024	सीएए ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्वाकल्चर हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एएचएमए) के सदस्यों के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य एंटीबायोटिक-मुक्त एक्वाकल्चर इनपुट के लिए प्रमाणन की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में हितधारकों को जागरूक करना था। मत्स्यपालन विभाग और एमपीईडीए के अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
7	14.06.2024	सीएए ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में एक्वा इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक जागरूकता बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के प्रमाणीकरण की अनिवार्य आवश्यकता पर ज़ोर देना था। मत्स्यपालन विभाग, एमपीईडीए और एनएसीएसए के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
8	18.06.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, एमपीईडीए के अधिकारियों, किसानों और आंध्र प्रदेश राज्य के अन्य हितधारकों के साथ एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया तथा सीएए अधिनियम, नियमों एवं दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण तथा पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति के बारे में संवेदीकरण किया।
9	20.06.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, एमपीईडीए के अधिकारियों, पुडुचेरी के किसानों तथा अन्य हितधारकों के साथ एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया एवं सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति के बारे में संवेदीकरण किया।

10	24.06.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा राज्य के एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया और सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति के बारे में संवेदनशील बनाया।
11	05.07.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, एमपीईडीए के अधिकारियों, पश्चिम बंगाल राज्य के किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया और सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति के बारे में संवेदीकरण किया।
12	30.07.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएलसी/डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, एमपीईडीए के अधिकारियों, केरल राज्य के किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया और सीएए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों में किए गए हालिया संशोधनों और तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति के बारे में संवेदीकरण किया।
13	31.07.2025	सीएए ने डीपीआईआईटी-एनएसडब्ल्यूएस द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर एक प्रदर्शन सत्र आयोजित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएलसी, डीएलसी और अन्य राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया समझाई। बैठक में सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 120 अधिकारियों ने भाग लिया।
14	02.08.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने ओडिशा राज्य के मत्स्यपालन अधिकारियों और किसानों के साथ सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024, दिशानिर्देश और सीएए के साथ पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्मों की स्थिति पर एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया।
15	09.08.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, आईसीएआर-सिबा और सीआइएफई द्वारा कोलकाता स्थित आईसीएआर-सीआइएफई केंद्र में "झींगा फसल बीमा और हानि आकलन" पर बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों, मत्स्यपालन विभागीय अधिकारियों, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएए की गतिविधियों और भारत में सतत तटीय जलकृषि के विनियमन और संवर्धन में इसकी भूमिका पर प्रस्तुति दी।
16	09.10.2024	सीएए ने चेन्नई स्थित सीएए मुख्यालय में सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ "तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर प्रदर्शन कार्यक्रम" आयोजित किया। 6 तटीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 13 नोडल अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 155 मत्स्यपालन अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। एनएसडब्ल्यूएस और टीसीएस के संसाधन व्यक्तियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर एक डेमो दिया।

17	24.10.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, आईसीएआर-सीआईबीए, चेन्नई में एनएफडीबी-सीआईबीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जलकृषि फसल बीमा और राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर हितधारकों की इंटरैक्टिव बैठक में भाग लिया। इस बैठक में बीमा कंपनियों, मत्स्यपालन अधिकारियों, एनएसीएसए, किसानों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने देश में तटीय जलकृषि के विनियमन और संवर्धन में सीएए की भूमिका और जिम्मेदारियों पर प्रस्तुति दी।
18	19.11.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने हाइब्रिड मोड के माध्यम से सीएए के तकनीकी कर्मचारियों और सलाहकारों के बीच "जलकृषि में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम" पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।
19	22.11.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, एनएसीएसए और मत्स्यपालन विभाग द्वारा किसानों और अन्य हितधारकों के साथ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के तल्लारेवु गांव में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और "जलकृषि में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध की रोकथाम" पर प्रस्तुति दी।
20	25.11.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, जलकृषि तकनीशियनों के साथ पुडुचेरी में एमपीईडीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण के लिए सीएए वैधानिक प्रावधान और तटीय जलकृषि इकाइयों में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश" पर प्रस्तुति दी।
21	26.11.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, एमपीईडीए द्वारा भीमावरम, आंध्र प्रदेश में जलकृषि तकनीशियनों के साथ आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "तटीय जलकृषि फार्मों, हैचरियों के पंजीकरण और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के प्रमाणीकरण के लिए सीएए सांविधिक प्रावधान" पर प्रस्तुति दी।
22	03.12.2024	सीएए ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों, उप-मंडल स्तरीय समितियों (एसडीएलसी) और जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) के सदस्य संयोजकों के बीच तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पर एक प्रदर्शन सत्र आयोजित किया। सीएए के सचिव एवं भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्य पालन)ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवेदनों का ऑनलाइन प्रसंस्करण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। एनएसडब्ल्यूएस टीम ने ऑनलाइन आवेदनों पर कार्यवाही पर एक डेमो दिया।

23	04.12.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में विशाखापत्तनम में एमपीईडीए द्वारा आयोजित "जलकृषि तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम" में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "देश में तटीय जलकृषि को विनियमित करने और बढ़ावा देने में सीएए की भूमिका और सीएए अधिनियम, 2005, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों में किए गए प्रमुख प्रावधानों" पर प्रस्तुति दी।
24	10.12.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन के रूप में बापटला, आंध्र प्रदेश राज्य में जलकृषि तकनीशियनों के साथ एमपीईडीए द्वारा आयोजित "फार्म तकनीशियनों के लिए क्षमता निर्माण बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम" में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "तटीय जलकृषि में विविधीकरण और सीएए अधिनियम, 2005, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों में किए गए प्रमुख संशोधनों" पर प्रस्तुति दी।
25	16.12.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, पांडिचेरी में झींगा हैचरी तकनीशियनों के साथ एमपीईडीए द्वारा आयोजित "हैचरी तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम" में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "सीएए अधिनियम, 2005 में किए गए सांविधिक प्रावधान, सीएए नियम, 2024 और हैचरियों के लिए निर्धारित दिशानिर्देश" पर प्रस्तुति दी।
26	19.12.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने कटक, ओडिशा स्थित मत्स्यपालन आयुक्त कार्यालय में तटीय मत्स्यपालन अधिकारियों, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ "तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण पर राज्य स्तरीय जागरूकता बैठक" में भाग लिया। यह बैठक ओडिशा राज्य के मत्स्यपालन निदेशक और एमपीईडीए के उप निदेशक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने "सीएए में पंजीकृत तटीयजलकृषि इकाइयों की स्थिति, नवीनीकरण के लिए लंबित फार्मों और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों" की मुख्य विशेषताओं पर प्रस्तुति दी।
27	30.12.2024	सीएए के निदेशक (तकनीकी) जो एक संसाधन व्यक्ति हैं, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात राज्य के किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एमपीईडीए द्वारा आयोजित "पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ झींगा पालन पर किसान बैठक" में भाग लिया और "सीएए अधिनियम, 2005, नियम और दिशानिर्देशों में किए गए प्रमुख प्रावधानों और संशोधनों" पर प्रस्तुति दी।
28	09.01.2025	निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के मत्स्यपालन आयुक्त कार्यालय में तटीय मत्स्यपालन अधिकारियों, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ आंध्र प्रदेश के मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित "तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण पर राज्य स्तरीय जागरूकता बैठक" में भाग लिया। मत्स्यपालन आयुक्त और आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त मत्स्यपालन निदेशक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने "सीएए में पंजीकृत तटीय जलकृषि इकाइयों और नवीनीकरण के लिए लंबित फार्मों की स्थिति और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों" की मुख्य विशेषताओं पर प्रस्तुति दी।

29	11.01.2025	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एआईएसएचए चैप्टर, काकीनाडा के साथ मिलकर हैचरियों में जैव सुरक्षा मुद्दों और एसपीएफ़ झींगा बीज के उत्पादन एवं आपूर्ति पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. पूर्णिमा, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीआईबीए, श्री राजकुमार नाइक, डीडी, एमपीईडीए, एडी, ईआईए ने इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लिया। एआईएसएचए के पदाधिकारी और हैचरी संचालक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
30	10.01.2025 और 23.01.2025	निदेशक (तकनीकी), सीएए ने 10.01.2025 और 23.01.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार के मत्स्यपालन आयुक्त द्वारा एमपीईडीए, एफएसएसएआई, एपीपीसीबी, सीएए, डीओएफ और विभागीय अधिकारियों के साथ जलकृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर विनियमन पर "टास्क फोर्स समिति" की बैठकों में भाग लिया और जलकृषि में औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों और रोगाणुरोधी एजेंटों के विनियमन पर किए गए सांविधिक प्रावधानों की जानकारी दी।
31	24.02.2025	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने मत्स्यपालन विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निदेशक और अधिकारियों के साथ एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें सीएए अधिनियम, 2005, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों और एक्वा ज़ोन की अधिसूचना के तहत निहित सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में "स्थायी तटीय जलकृषि प्रथाओं और समुद्री कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने" के बारे में संवेदनशील बनाया।
32	24.02.2025	निदेशक (तकनीकी) सीएए ने दिनांक 24.02.2025 को आंध्र प्रदेश राज्य के भीमावरम में जलकृषि तकनीशियनों के साथ एमपीईडीए द्वारा आयोजित "जलकृषि तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम" में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों को विनियमित करने के लिए सीएए के सांविधिक प्रावधानों" पर प्रस्तुति दी।
33	25.02.2025	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने सीएए मुख्यालय, चेन्नई में सभी सीएए परामर्शदाताओं के बीच "तटीय जलकृषि फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि क्षेत्र के किसानों को अपने तटीय जलकृषि फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जागरूक किया जा सके।
34	27.02.2025	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एमपीईडीए द्वारा गोपालपुर, गंजम जिला, ओडिशा में हैचरी तकनीशियनों के साथ आयोजित "हैचरी प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण" में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन की हैचरियों और तटीय जलकृषि फार्मों को विनियमित करने के लिए सीएए के सांविधिक प्रावधानों" पर प्रस्तुति दी।

35	05.03.2025	सहायक निदेशक (तकनीकी), सीएए ने मत्स्यपालन स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान और मत्स्यपालन और मछुआरा कल्याण विभाग, चेन्नई, तमिलनाडु राज्य द्वारा टीएन मत्स्यपालन विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और सीएए अधिनियम 2005, सीएए नियम 2024 और टिकाऊ तटीय जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए इसके दिशानिर्देशों में किए गए सांविधिक प्रावधानों पर प्रस्तुति दी और "ऑनलाइन मोड के माध्यम से तटीय जलकृषि फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही" पर डेमो भी दिया।
36	07.03.2025	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने काकीनाडा तट के झींगा हैचरी संचालकों के साथ एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया और जैव सुरक्षा सुविधाओं के रखरखाव, अपशिष्ट उपचार प्रणालियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा उत्पादन इकाइयों में बीएमपी अपनाने पर सीएए के सांविधिक प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाई। डॉ. आनंद राजा, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीआईबीए, डॉ. बंगारामम्मा, संयुक्त तकनीकी अधिकारी, एमपीईडीए, श्री उमामहेश्वर राव, श्री रामकृष्णा, मत्स्यपालन विकास अधिकारी और एस. रमेश कुमार, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने भी संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया।

तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित विभिन्न संवेदीकरण कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट और तस्वीरें

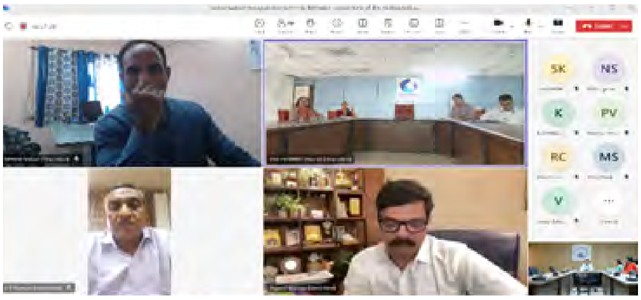

गुजरात

तमिलनाडु

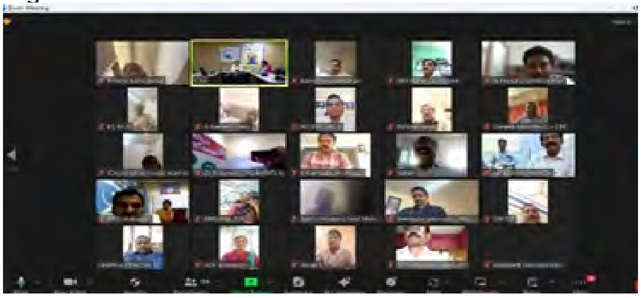

आंध्र प्रदेश

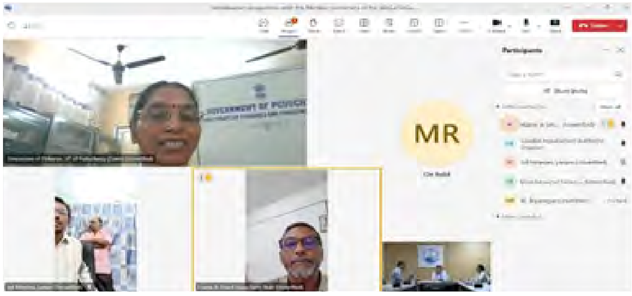

पुडुच्चेरी

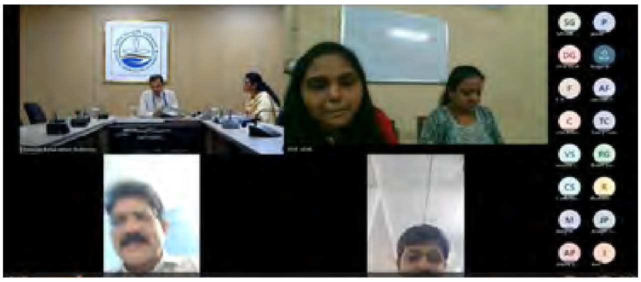

गोवा

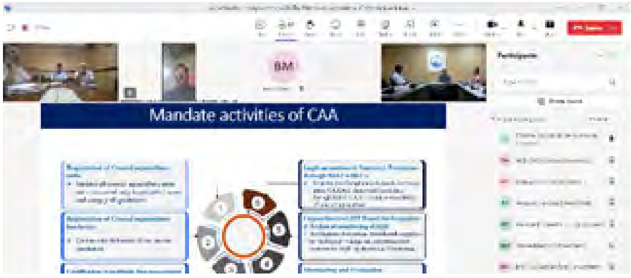

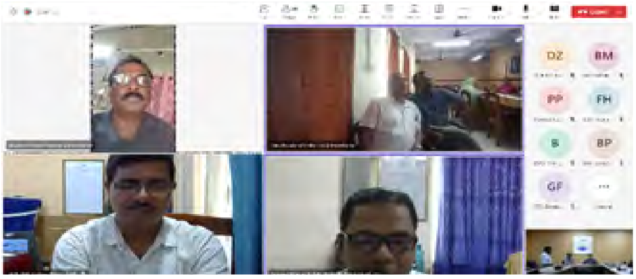

पश्चिम बंगाल

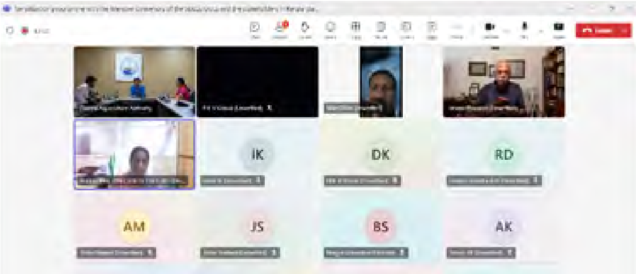

केरल

ओडिशा

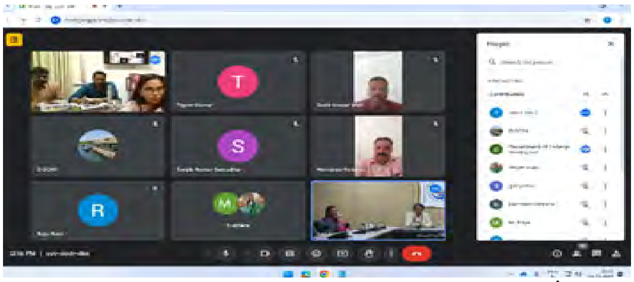
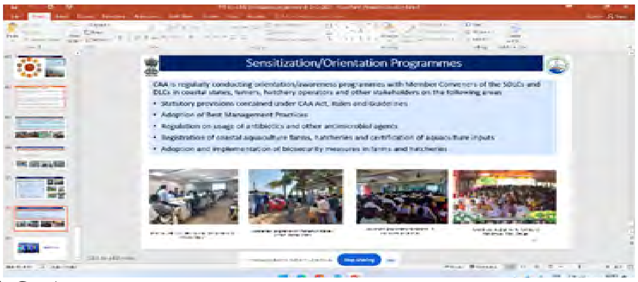

अंडमान एवं निकोबार

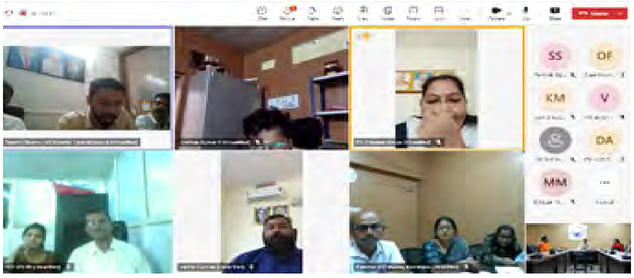
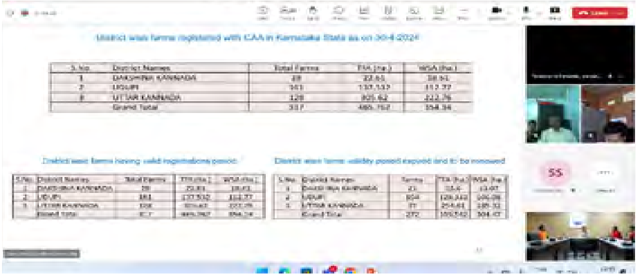

कर्नाटक

13.06.2024 को एक्वाकल्चर हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एएचएमए), विजयवाड़ा के सदस्यों के साथ जागरूकता कार्यक्रम

14.06.2024 को एक्वा इनपुट डीलर्स एसोसिएशन, भीमावरम के सदस्यों के साथ जागरूकता बैठक

09.10.2024 को सीएए में एसडीएलसी, डीएलसी के अधिकारियों और अन्य राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों तटीय जलकृषि इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर प्रदर्शन

24.10.2024 को जलकृषि फसल बीमा और राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर हितधारकों की परस्प र-संवादबैठक

03.12.2024 को एसडीएलसी/ डीएलसीके सदस्य-समन्वयकों के लिए एनएसडब्यू4 एसप्रदर्शन सत्र

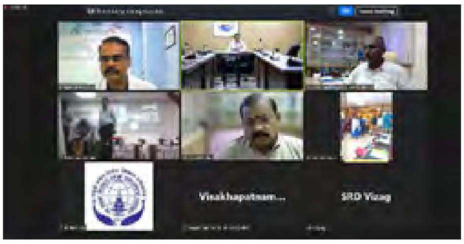

04.12.2024 को विशाखापत्तनम में जलकृषि तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

19.12.2024 को मत्स्यपालन आयुक्त कार्यालय, कटक में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण पर राज्य स्तरीय संवेदीकरण बैठक

30.12.2024 को, पर्यावरण - अनुकूल एवं टिकाऊ झींगा पालन पर किसान सम्मेलन, गुजरात

सहायक निदेशक (तकनीकी) ने मत्स्यपालन स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान और मत्स्यपालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

11.01.2025 को एआईएसएचएचैप्टर, काकीनाडा के साथ संयुक्त रूप से हैचरियों में जैव सुरक्षा मुद्दों और एसपीएफझींगा बीज के उत्पादन और आपूर्ति पर संवेदीकरण कार्यक्रम

सहायक निदेशक (तकनीकी) ने मत्स्यपालन स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान और मत्स्यपालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

07.03.2025 को काकीनाडा के झींगा हैचरी संचालकों के साथ अभिविन्यास कार्यक्रम

❖ रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) जागरूकता सप्ताह में भागीदारी

सीएए के तकनीकी अधिकारी और फील्ड स्टाफ एमपीईडीए-एनएसीएसए से जुड़े और 18 से 24 नवंबर 2024 तक रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) जागरूकता सप्ताह में भाग लिया और झींगा एक्वा किसानों, हैचरी संचालकों और अन्य हितधारकों के बीच "जलकृषि में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम" पर जागरूकता पैदा की और साथ ही एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध, जलकृषि में रंगों, फ़ीड और स्वास्थ्य प्रबंधन, जैव-सुरक्षा सुविधाओं के रखरखाव, स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति, अच्छी जलकृषि प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने आदि के बारे में भी संवेदनशील बनाया।

सीएए स्टाफ द्वारा भाग लिए गए कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	आयोजन की तिथियां	जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए स्थान
1.	18.11.2024	विश्वनाथपल्ली गाँव, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश
2.	19.11.2024	चिंट्वलसा गांव, गारा मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश
3.	21.11.2024	कराईमेडु गांव, सिरकाली तालुक, मयिलादुथुराई जिला, तमिलनाडु
4.	22.11.2024	गंगापट्टनम गांव, इंदुकुरपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश
5.		मुथुपेट्टई गांव, तिरुवरूर जिला, तमिलनाडु
6.	23.11.2024	निज़ामपट्टिनम गाँव, बापटला जिला, आंध्र प्रदेश
7.		तल्लेराव़ु गाँव, काकीनाडा जिला, आंध्र प्रदेश
8.	26.11.2024	सखीनेट्टीपल्ली गांव, डॉ.बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिला, आंध्र प्रदेश
9.	28.11.2024	नवदुरु गाँव, वीरवसराम मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश

सीएए के निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों और अन्य हितधारकों को रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूक किया

मयिलादुथुराई, तमिलनाडु

मयिलादुथुराई, तमिलनाडु

तिरुवरुर, तमिलनाडु

श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश

नेल्लोर, आंध्र प्रदेश

नेल्लोर, आंध्र प्रदेश

बापटला, आंध्र प्रदेश

इन-हाउस गतिविधियाँ

9

इन-हाउस गतिविधियाँ

सीएए ने भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन गतिविधियों की योजना और भागीदारी सीएए के सभी कर्मचारियों और सलाहकारों की भागीदारी से समयबद्ध तरीके से बनाई गई। विभिन्न गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है:

सचिव (मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए सीएए के कार्यान्वयन योग्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई:

सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 22.05.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएए के वर्ष 2024-25 के कार्यान्वयन योग्य बिंदुओं और सीएए की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान, सीएए के सचिव और निदेशक (तकनीकी), सीएए ने सीएए की गतिविधियों की प्रगति और 2024-25 के लिए सीएए की कार्य योजना की जानकारी दी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

सीएए कार्यालय में 21.06.2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सीएए के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कृष्णमाचार्य योग मंदिरम, चेन्नई की सुश्री जी. पद्मिनी ने योग सत्रों का आयोजन किया और मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर योग के महत्व पर एक व्याख्यान दिया।

"निवारक सतर्कता" पर कार्यशाला

सीएए कर्मचारियों ने सिफनेट इकाई कार्यालय, चेन्नई में श्री सुशील कुमार झा, निदेशक (सतर्कता), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन मंत्रालय, एएचडी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.07.2024 को आयोजित "निवारक सतर्कता" पर कार्यशाला में भाग लिया।

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

सीएए ने 05.06.2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शपथ ली। सीएए के सभी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

नशा मुक्त भारत अभियान पर जन जागरूकता अभियान

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कर्मचारियों ने 12.08.2024 को सीएए मुख्यालय, चेन्नई में "नशा मुक्त भारत अभियान पर जन जागरूकता अभियान" की पूर्व संध्या पर एक प्रतिज्ञा ली।

78वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह

सीएए के निदेशक (तकनीकी) और अन्य कर्मचारी 15.08.2024 को चेन्नई स्थित पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग के एकीकृत कार्यालय परिसर में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए।

"राष्ट्रीय खेल दिवस" समारोह

राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, सीएए के सभी कर्मचारियों ने 26.08.2024 को चेन्नई स्थित सीएए कार्यालय में "फिट इंडिया शपथ" ली। सीएए के कर्मचारियों के बीच विभिन्न खेल गतिविधियों पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

"स्वच्छता ही सेवा-2024"

सीएए के कर्मचारियों ने "स्वच्छता ही सेवा-2024" कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर 16 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक कार्यालय परिसर और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। आयोजित/उपस्थित कार्यक्रमों का तिथिवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	आयोजन	आयोजन की तिथि
1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों ने चेन्नई स्थित मुख्यालय में "स्वच्छता ही सेवा 2024" की शपथ ली।	16.09.2024
2.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने कर्मचारियों और आईसीएआर-सीआईबीए के प्रधान वैज्ञानिक, मत्स्यपालन अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश के त्रिपाठी जिले के कोटा मंडल के श्रीनिवाससत्रम गाँव में "तटीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 38 ग्रामीणों और हैचरी कर्मचारियों ने भाग लिया।	18.09.2024
3.	सीएए ने कार्यालय परिसर और उसके आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया।	18.09.2024
4.	सीएए स्टाफ ने येकुवुरु/बत्तीगल्लुरु गांव सोमपेटा मंडल श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश में "तटीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया	18.09.2024
5.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के कम्मनमोलू गांव नागयालंका मंडल कृष्णा जिले में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	18.09.2024
6.	सीएए स्टाफ ने येकुवुरु/बत्तीगल्लुरु गांव, सोमपेटा मंडल श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा" में भाग लिया।	18.09.2024
7.	निदेशक (तकनीकी), सीएए ने कर्मचारियों और प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीआईबीए, मत्स्यपालन अधिकारियों के साथ कोडुरु बिट II गांव, टी.पी.गुदुर मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में "तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" के तहत शपथ ली। मेसर्स सीपीएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 20 कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।	19.09.2024
8.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के तिरूपति जिले के वकाडु मंडल के दुगाराजपट्टनम पंचायत के कोंडुरपालेम गांव में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	20.09.2024
9.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के गारा मंडल, गारा मंडल, कुरमानधापुरम गांव में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा" में भाग लिया।	20.09.2024
10.	सीएए कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के गारा मंडल, गारा मंडल, कुरमानधापुरम गांव में "तटीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	20.09.2024
11.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के गमल्लापलेम गांव कोथापट्टनम मंडल प्रकाशम जिले में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	20.09.2024
12.	सीएए स्टाफ ने एमपीडीओ, एफडीओ, वीएफए, सागर मित्र टीम के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के वकाडु मंडल के तुप्लीपलेम समुद्र तट पर "तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम और स्वच्छता ही सेवा शपथ" में भाग लिया।	21.09.2024

13.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के अल्लूर मंडल के नट्टालवारी पालम में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	23.09.2024
14.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम मंडल के कनुरू गांव में "तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	23.09.2024
15.	सीएए स्टाफ ने थिरुप्पलाइक्कुडी बीच, आर.एस. में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया। मंगलम तालुका, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु।	24.09.2024
16.	सीएए स्टाफ ने तमिलनाडु के नागपट्टिना जिले के किलवेलूर तालुक के थलायमाझाई गांव में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	24.09.2024
17.	सीएए स्टाफ और एनएसीएसए फील्ड मैनेजर ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के इंदुकुरपेट मंडल के गंगापट्टनम गांव में "स्वच्छता ही सेवा शपथ और तटीय गांव सफाई कार्यक्रम" में भाग लिया।	25.09.2024
18.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के गारा मंडल के कोरलम गांव में "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	25.09.2024
19.	सीएए स्टाफ ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के वेदारण्यम तालुक के पेरियाकुथागई गांव में एडी, एमपीईडीए और क्षेत्रीय समन्वयक एनएसीएसए के साथ "स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा और तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	25.09.2024
20.	सीएए स्टाफ ने मत्स्यपालन उपनिरीक्षक, मत्स्यपालन निरीक्षक, मत्स्यपालन ओवरसीज सागर मित्र टीम, स्थानीय पंजचायत टीम, खादिर मोहिदीन कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों, डाकघर विभाग, नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों के साथ तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सरबेंद्रराजनपट्टिनम,मनोरा बीच, पट्टुकोट्टई तालुक में "स्वच्छता ही सेवा शपथ और तटीय गांव सफाई कार्यक्रम" में भाग लिया।	26.09.2024
21.	सीएए स्टाफ ने आंध्र प्रदेश के चिंतालपल्ली मलिकिनपुरम रोड, मलिकिनपुरम कोनासीमा जिले में "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान" में भाग लिया।	26.09.2024
22.	सीएए स्टाफ ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के किलवेलुर तालुक, पूवैथेडी गांव में आरिफा एक्वा फार्म में स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रम "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान" का आयोजन किया।	26.09.2024
23.	सीएए के निदेशक तकनीकी, अधिकारी और कर्मचारी सीएए कार्यालय परिसर, चेन्नई, तमिलनाडु में "वृक्षारोपण अभियान" में शामिल हुए।	26.09.2024
24.	सीएए स्टाफ ने मेसर्स रमेश रेड्डी एक्वा फार्म, भ्रमदेवम गांव, मुथुकुर मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान" का आयोजन किया।	26.09.2024
25.	सीएए कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम मंडल के पेडापट्टनम गाँव में वृक्षारोपण कार्यक्रम "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान" का आयोजन किया	26.09.2024
26.	सीएए के अध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी सीएए कार्यालय परिसर, चेन्नई, तमिलनाडु में "वृक्षारोपण अभियान" में शामिल हुए	26.09.2024
27.	सीएए स्टाफ ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के किलवेलूर तालुक के वेलंकन्नी बीच में अध्यक्ष (एनएएफए), प्रवर्तक (टीएसटी एजेंसियां), प्रवर्तक (नेत्रा एक्वा नीड्स), स्थानीय निगम अधिकारी और कर्मचारियों और एनएसीएसए के साथ "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान और तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	27.09.2024
28.	सीएए स्टाफ ने तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के मुथुपेट्टई तालुक के जम्बुवनोदय गांव में मत्स्यपालन निरीक्षक, सागर मित्र टीम, गांव के लोगों, स्थानीय पंचायत टीम के साथ "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान और तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	27.09.2024
29.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने श्रीरामपुरम गांव, यू. कोथापल्ली मंडल, काकीनाडा जिला आंध्र प्रदेश में "वृक्षारोपण अभियान" में भाग लिया।	27.09.2024
30.	सीएए स्टाफ ने सचिवालयम राजुकवाला गांव रेपल्ले मंडल, बापटला जिला, आंध्र प्रदेश में एक्वा किसानों और गांव के उपाध्यक्ष के साथ "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान और तटीय गांव स्वच्छता कार्यक्रम" में भाग लिया।	27.09.2024
31.	सीएए स्टाफ ने प्रगतिशील किसान सोसायटी के अध्यक्ष के साथ एस. रायवरम गांव और मंडल, अनकापल्ली जिला, आंध्र प्रदेश में "एसएचएस 2024 वृक्षारोपण अभियान" में भाग लिया।	27.09.2024
32.	vसीएए कार्यालय परिसर, चेन्नई, तमिलनाडु में महिला शौचालय (पूर्व और पश्चिम विंग) में नैपकिन वेंडिंग मशीन / इंसिनेरेटर की स्थापना।	27.09.2024

सीएए मुख्यालय में “स्वच्छता ही सेवा-2024” पर शपथ

सीएए कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण

आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में “स्वच्छता ही सेवा-2024” कार्यक्रम में भाग लिया

तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में “स्वच्छता ही सेवा-2024” कार्यक्रम में भाग लिया

हिंदी पखवाड़ा समारोह

सीएए हर साल 14 सितंबर, 2024 से शुरू होने वाले राजभाषा सप्ताह समारोह के तहत एक पाक्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है। तदनुसार, सीएए ने वर्ष के दौरान 14 से 29 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया, ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी सीखने और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस समारोह के एक भाग के रूप में, सीएए कर्मचारियों के बीच हिंदी भाषा में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह और राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

28.10.2024 को सभी सीएए कर्मचारियों के साथ सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसके बाद सीएए के कर्मचारियों के साथ एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। चेन्नई स्थित सीएए कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीएए के सभी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई।

राजभाषा पर कार्यशाला

सीएए ने 03.10.2024 को सभी सीएए कर्मचारियों के साथ राजभाषा कार्यान्वयन और ई-टूल्स के उपयोग पर एक कार्यशाला आयोजित की। भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग की सहायक निदेशक (राजभाषा) सुश्री रेशमी ने सीएए मुख्यालय, चेन्नई में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्यशाला में भाग लिया।

भारत का संविधान दिवस

सीएए कर्मचारियों ने मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया और 26.11.2024 को राष्ट्रीय संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर “भारतीय संविधान की उद्देशिका” पढ़ी।

पांडिचेरी में संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण

सीएए के निदेशक (तकनीकी), श्री एस.के. झा, निदेशक (प्रशासन), वन विभाग और सीएए के तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों ने दिनांक 07.01.2025 को पांडिचेरी में संसदीय राजभाषा समिति की द्विवितीय उप-समिति की बैठक में भाग लिया और तटीय जलकृषि प्राधिकरण कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा बैठक स्थल ओशन बे, पांडिचेरी में प्रदर्शनी स्टॉल पर हिंदी भाषा में लिखे गए सभी दस्तावेजों और रिपोर्टों को प्रदर्शित किया।

सीएए के सभी सलाहकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीएए ने 25.02.2025 को सीएए मुख्यालय, चेन्नई में सभी सीएए सलाहकारों के लिए "तटीय जलकृषि फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सलाहकारों को किसानों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सहायता करने के लिए जागरूक करना था।

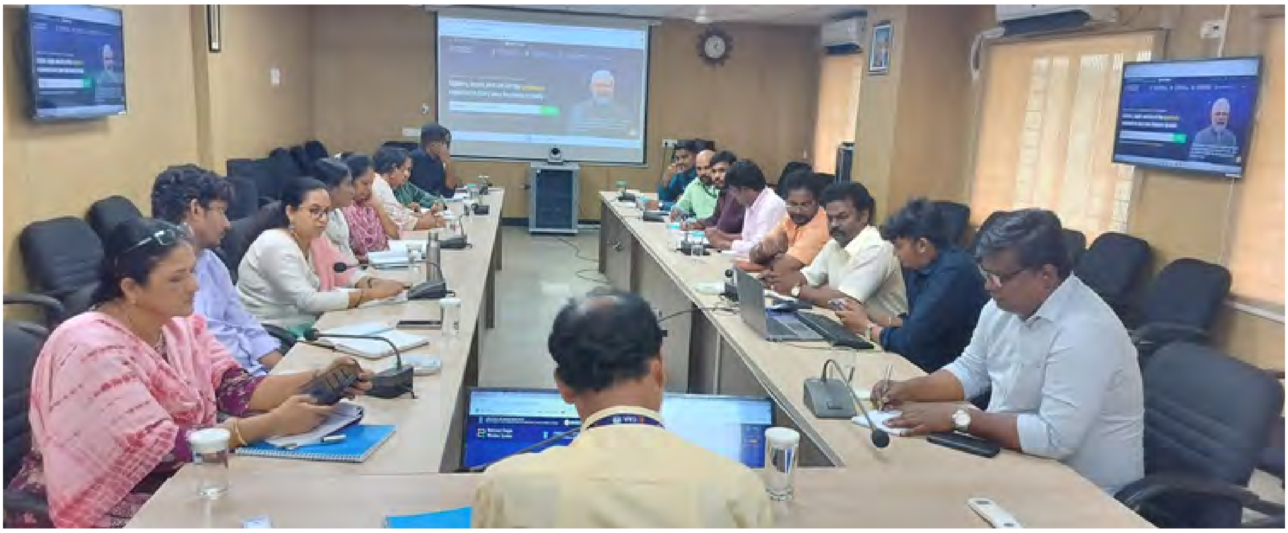

राज्यवार तटीय जलकृषि स्थिति
2024-2025

10

राज्यवार तटीय जलकृषि स्थिति 2024-2025

जलकृषि एक तेज़ी से विस्तार करने वाला क्षेत्र है, जहाँ विविध जलीय प्रजातियों की खेती के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य तकनीकों का विकास और परिशोधन साल-दर-साल किया जा रहा है। शोधकर्ताओं, योजनाकारों और प्रवर्तकों के विभिन्न समूहों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास तथा प्रचार गतिविधियों के कारण देश में विभिन्न प्रकार की नई कृषि पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, विशेष रूप से मौजूदा झींगा पालन पद्धतियों के अलावा, पंखदार मछलियों की पिंजरा पालन, समुद्री शैवाल पालन, केकड़ा पालन, द्विकपाटी पालन, सजावटी मछली पालन, बायो-फ्लोक आदि।

पिछले पांच वर्षों में, एल. वन्नामेई उत्पादन ने लगातार ऊपर की ओर रुझान प्रदर्शित किया है, जो 2019-20 में 7,11,674 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 10,76,970 मीट्रिक टन हो गया और वर्ष 2022-23 में 10,97,481 मीट्रिक टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया गया, जो 8.64% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है।

इस अवधि के दौरान पी. मोनोडॉन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2019-20 में 35,437 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 85,752 मीट्रिक टन हो गई, जो 19.33% की प्रभावशाली संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाती है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, कुल झींगा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2019-20 में 7,47,111 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 11,62,722 मीट्रिक टन हो गया है, जिसकी संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 9.25% है। झींगा पालन सबसे लोकप्रिय तटीय जलकृषि गतिविधि बनी हुई है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख निर्यात उत्पाद है।

विभिन्न राज्यों में खेतों की संख्या, क्षेत्रवार खेतों, हैचरियों की संख्या, नौप्ली पालन हैचरियों और प्रत्येक जिले में उनकी बीज उत्पादन क्षमता का विवरण आंकड़े 10.1-10.14 में प्रस्तुत किया गया है। राज्यवार समीक्षा वर्णानुक्रम में प्रस्तुत की गई है।

आंध्र प्रदेश

- राज्य में अनाकापल्ली, बापटला, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, एलुरु, कोनसीमा, काकीनाडा, कृष्णा, प्रकाशम, एसपीएसआर नेल्लोर, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी के तटीय जिलों में तेरह ज़िला स्तरीय समितियां (डीएलसी) और बीस उप-मंडल स्तरीय समितियां (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्म पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करती हैं।
- 22,751 खेतों के साथ, राज्य में देश भर में सीएए में पंजीकृत कुल खेतों का 48.37% हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से, 96.3% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 2.89% खेत 2.01-5.0 हेक्टेयर के बीच फैले हैं और 0.8% खेत 5 हेक्टेयर से ज़्यादा के क्षेत्रफल वाले हैं।
- एसपीएसआर नेल्लोर जिले में खेतों की संख्या सबसे अधिक है, जो राज्य के कुल खेतों का 19.30% है, इसके बाद डॉ. बी. आर. अंबेडकर कोनासीमा (18.76%) और बापटला (17.65%) जिले हैं (तालिका 10.1)।
- आंध्र प्रदेश में, एसपीएफ एल. वन्नामेई, एसपीएफ पी. मोनोडॉन और समुद्री फिनफिश की 406 बीज उत्पादन इकाइयां सीएए में पंजीकृत थीं, जिनकी कुल बीज उत्पादन क्षमता 74,430 मिलियन है (तालिका 10.2)।
- बीज उत्पादन इकाइयों की अधिकतम संख्या काकीनाडा में स्थित है, जहां 175 एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन इकाइयां, जिनकी बीज उत्पादन क्षमता 24,220 मिलियन बीज प्रति वर्ष है, 01 हैचरी और एसपीएफ पी. मोनोडोन के लिए 01 एनआरएच, जिनकी बीज उत्पादन क्षमता 450 मिलियन प्रतिवर्ष है और दो समुद्री फिनफिश हैचरी सीएए में पंजीकृत हैं।
- एसपीएसआर नेल्लोर में 71, अनकापल्ली में 39, प्रकाशम में 32 और बापटला में 19 एसपीएफ एल. वन्नामेई और एसपीएफ पी. मोनोडॉन की बीज उत्पादन इकाइयां सीएए में पंजीकृत की गईं, जिनकी कुल बीज उत्पादन क्षमता चार जिलों में क्रमशः 13,875, 8825, 6260 और 6435 मिलियन प्रतिवर्ष है।

तालिका 10.1. आंध्र प्रदेश में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत							
क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए%	डब्ल्यूएसए%
1	अनाकापल्ली	67	226.80	178.05	0.294493	0.681452	0.768161
2	बापातला	4016	5594.66	4249.31	17.65197	16.80993	18.33281
3	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोरासीमा	4269	5192.18	3593.42	18.76401	15.60062	15.5031
4	काकीनाडा	1251	1743.06	1260.96	5.498659	5.237264	5.440162
5	कृष्णा	3918	4688.99	3041.11	17.22122	14.08872	13.12027
6	एसपीएसआर नेल्लोर	4393	8888.94	5436.53	19.30904	26.70805	23.45483
7	प्रकाशम	1798	3252.60	2468.70	7.902949	9.772885	10.65072
8	श्रीकाकुलम	870	1036.77	827.63	3.824008	3.115118	3.570646
9	तिरुपति	38	64.30	38.99	0.167026	0.193198	0.168215
10	विशाखापत्तनम	117	484.39	378.40	0.514263	1.455417	1.632532
11	विजयानगरम	18	51.96	39.65	0.079117	0.156121	0.171062
12	पश्चिम गोदावरी	1996	2057.23	1665.97	8.773241	6.181231	7.187498
	जोड़	**22751**	**33281.88**	**23178.72**	100		

चित्र 10.1. आंध्र प्रदेश में सीएए में पंजीकृत कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर) और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूए)

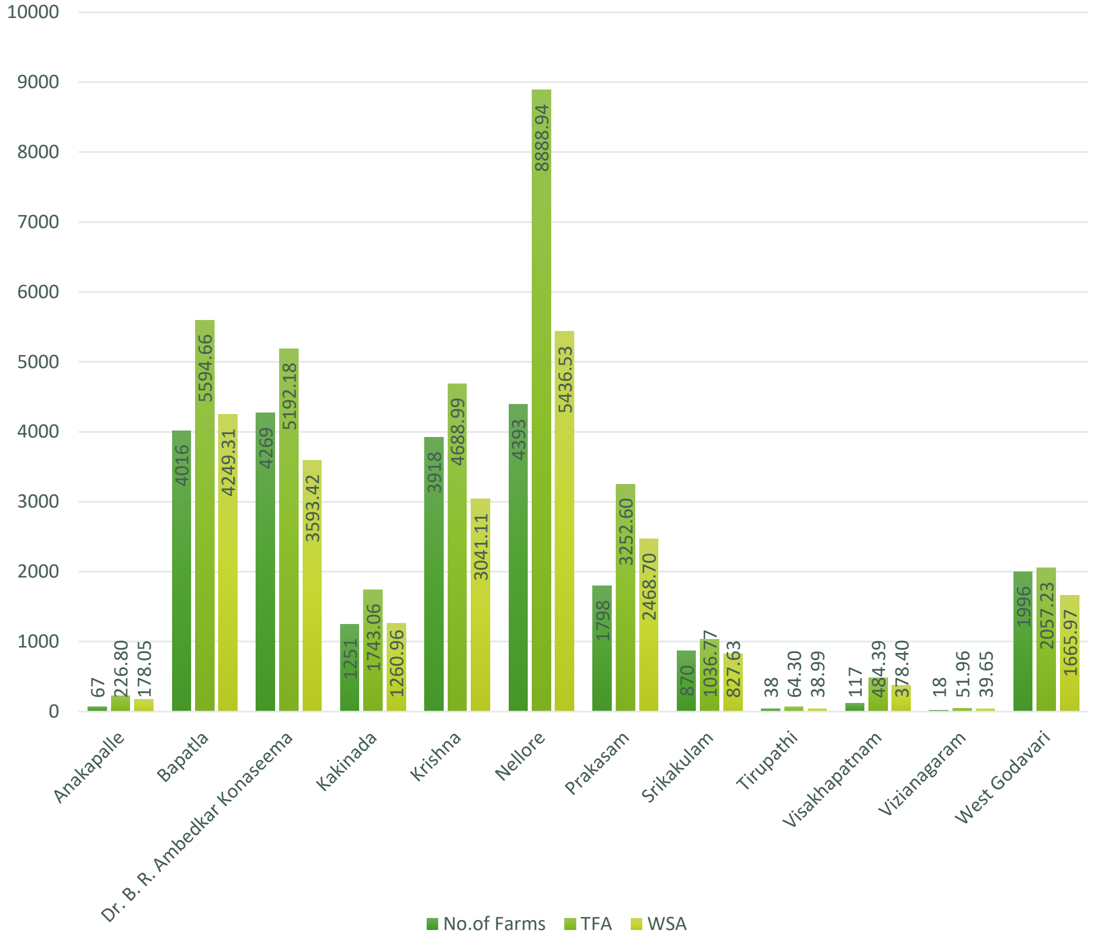

तालिका 10.2. आंध्र प्रदेश में सीएए में पंजीकृत उत्पादन क्षमता वाली बीज उत्पादन इकाइयाँ							
प्रजातियां	**जिला**	**पंजीकृत हैचरियां**	**बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल प्रति वर्ष)**	**पंजीकृत एनआरएच**	**बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल प्रति वर्ष)**	**कुल बीज उत्पादन इकाइयाँ**	**कुल बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल प्रति वर्ष)**
एल वन्नामेई	अनाकपल्ली	23	6885	14	1355	37	8240
	बापतला	15	5575	3	300	18	5875
	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	4	650	3	310	7	960
	काकीनाडा	64	13865	111	10355	175	24220
	कृष्णा	0	0	7	400	7	400
	एसपीएसआर नेल्लोर	51	9985	12	1555	63	11540
	प्रकाशम	26	5100	6	1160	32	6260
	श्रीकाकुलम	1	350	4	600	5	950
	तिरुपति	10	2655	2	150	12	2805
	विशाखापत्तनम	9	3225	3	295	12	3520
	विजयानगरम	8	2950	6	660	14	3610
पी मोनोडोन	अनाकपल्ली	1	280	1	305	2	585
	बापतला	1	560	0	0	1	560
	एसपीएसआर नेल्लोर	7	2110	1	225	8	2335
	कृष्णा	0	0	1	480	1	480
	काकीनाडा	1	200	1	250	2	450
	श्रीकाकुलम	0	0	1	80	1	80
	तिरुपति	2	370	1	250	3	620
	विशाखापत्तनम	2	570	0	0	2	570
	विजयानगरम	2	350	0	0	2	350
समुद्री फिनफिश	काकीनाडा	2	20	0	0	2	20
	जोड़	**229**	**55700**	**177**	**18730**	**406**	**74430**

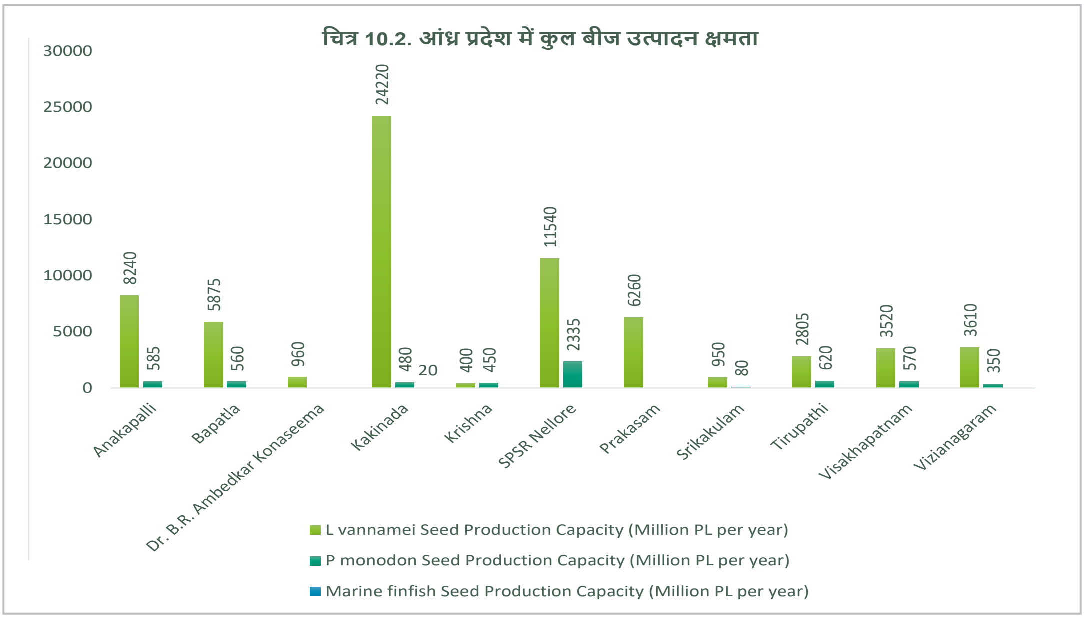

गोवा

- राज्य के उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के तटीय जिलों में दो जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और दो उप-मंडल स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण हेतु आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं और उनकी सिफ़ारिश करती हैं।
- कुल 50 तटीय जलकृषि फार्म सीएए में पंजीकृत हैं, क्षेत्रफल के अनुसार, 62% फार्म छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 30% फार्म 2.01-5.0 के बीच हैं और 8% फार्म 5 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल वाले हैं (तालिका 10.3)।
- गोवा में कोई भी हैचरी या नौप्ली पालन हैचरियां सीएए में पंजीकृत नहीं है।

तालिका 10.3. गोवा में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत

क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए%	डब्ल्यूएसए%
1	उत्तर गोवा	20	81.34	61.04	40	51.15	53.85
2	दक्षिण गोवा	30	77.69	52.32	60	48.85	46.15
	जोड़	50	159.03	113.36	100		

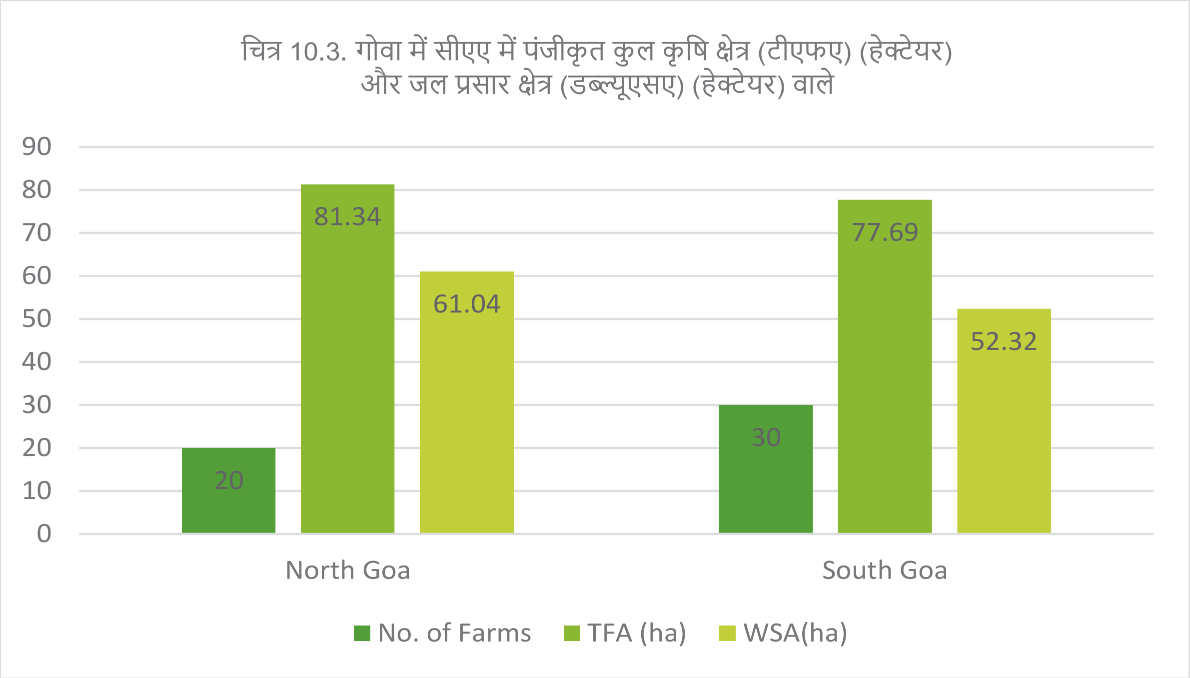

गुजरात

- राज्य के तटीय जिलों अमरेली, आणंद, भरूच, भावनगर, देवभूमि द्वारका, गिरसोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मोरबी, नवसारी, पोरबंदर, सूरत और वलसाड में चौदह जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और तिरपन उप-मंडल स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्म पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं।
- 1122 फार्मों के साथ, राज्य में देश में सीएए में पंजीकृत फार्मों का 2.38% हिस्सा है। क्षेत्रफल के अनुसार, 74.69% फार्मों का क्षेत्रफल 2.01-5.0 हेक्टेयर है, 23.35% फार्म 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे हैं और 1.96% फार्म 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं।
- सूरत जिले में सबसे अधिक फार्म हैं, जो राज्य के कुल फार्मों का 32.97% है, इसके बाद नवसारी में 31.55% और वलसाड में 12.03% है। हालाँकि, कुल फार्म क्षेत्र और जल प्रसार क्षेत्र सूरत की तुलना में नवसारी में अधिक है (तालिका 10.4)।
- गुजरात में, एसपीएफ एल. वन्नामेई, एसपीएफ पी. मोनोडॉन और समुद्री फिनफिश की 07 बीज उत्पादन इकाइयाँ सीएए में पंजीकृत हैं, जिनकी कुल बीज उत्पादन क्षमता 2360 मिलियन प्रतिवर्ष हैं।
- गुजरात में पंजीकृत 07 बीज उत्पादन इकाइयों में से, 03 एसपीएफ एल. वन्नामेई के लिए, 03 एसपीएफ पी. मोनोडॉन के लिए और 01 समुद्री फिनफिश के लिए पंजीकृत हैं, जो चार तटीय जिलों में स्थित हैं (तालिका 10.5)।

तालिका 10.4 गुजरात में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत।							
क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए %	डब्ल्यूएसए %
1	अमरेली	12	58.65	39.85	1.07	1.12	1.07
2	आणंद	47	226.88	175.89	4.19	4.33	4.72
3	भरुच	132	651.39	430.52	11.76	12.44	11.56
4	भावनगर	52	238.55	161.10	4.63	4.55	4.33
5	गिरसोमनाथ	7	21.91	15.01	0.62	0.42	0.40
6	जूनागढ़	12	44.53	28.25	1.07	0.85	0.76
7	नवसारी	354	2149.27	1522.89	31.55	41.04	40.90
8	पोरबंदर	1	2.00	1.60	0.09	0.04	0.04
9	सूरत	370	1331.58	959.42	32.98	25.42	25.77
10	वलसाड	135	512.56	388.49	12.03	9.79	10.43
	जोड़	**1122**	**5237.32**	**3723.02**		100	

चित्र 10.4. गुजरात में सीएए में पंजीकृत कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर) और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (हेक्टेयर)

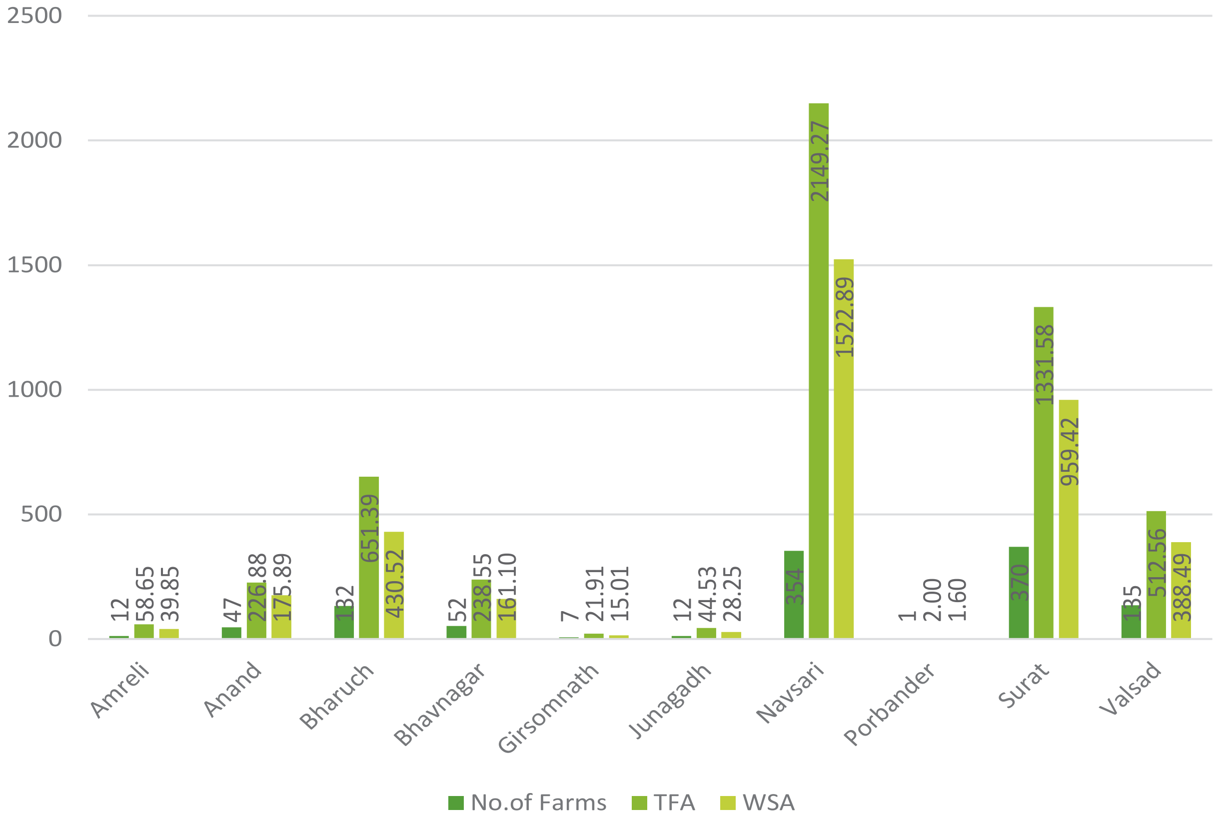

तालिका 10.5. गुजरात में सीएए में पंजीकृत उत्पादन क्षमता वाली बीज उत्पादन इकाइयाँ							
प्रजातियां	जिले	हैचरियों की सं.	हैचरियों की बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन प्रति वर्ष)	एनआरएच की सं.	एनआरएच की बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन)	कुल बीज उत्पादन इकाइयाँ (हैचरी और एनआरएच) (संख्या)	कुल बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन प्रति वर्ष)
एल वन्नामेई	गिर-सोमनाथ	2	300	0	0	2	300
	पोरबंदर	1	480	0	0	1	480
पी मोनोडोन	गिर-सोमनाथ	1	750	0	0	1	750
	वलसाड	1	150	1	480	2	630
समुद्री फिनफिश	नवसारी	1	200	0	0	1	200
	जोड़	**6**	**1880**	**1**	**480**	**7**	**2360**

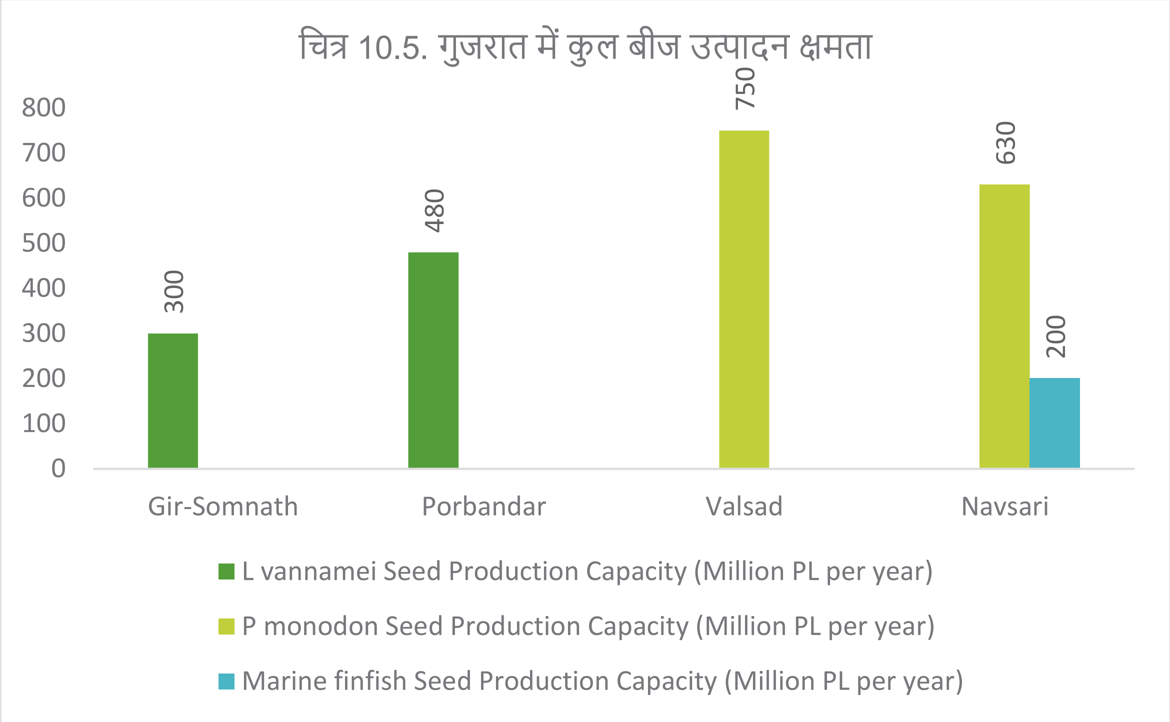

कर्नाटक

- राज्य के तटीय जिलों उडुपी, उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ में तीन जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और चार उप-मंडल स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं और उनकी सिफारिश करती हैं।
- 316 खेतों के साथ, राज्य में देश भर में सीएए में पंजीकृत कुल खेतों का 0.67% हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, 87.34% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 12.03% खेतों का क्षेत्रफल 2.01-5.0 हेक्टेयर है और 0.63% खेतों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। हालाँकि उडुपी में खेतों की संख्या अधिक (51%) है, लेकिन खेती का क्षेत्रफल (जल विस्तार क्षेत्र) उत्तर कन्नड़ में अधिक (63%) है (तालिका 10.6)।
- कर्नाटक में, सीएए ने उत्तर कन्नड़ में एक एसपीएफ पी. मोनोडॉन एनआरएच पंजीकृत किया, जिसकी उत्पादन क्षमता 60 मिलियन बीज प्रतिवर्ष है, तथा एक समुद्री फिनफिश हैचरी पंजीकृत की, जिसकी उत्पादन क्षमता 5 मिलियन बीज प्रतिवर्ष है।

तालिका 10.6 कर्नाटक में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत।

क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए%	डब्ल्यूएसए%
1	दक्षिण कन्नड	28	22.61	18.61	8.86	4.89	5.29
2	उडुपी	161	137.53	112.77	50.95	29.73	32.08
3	उत्तर कन्नड	127	302.4	220.18	40.19	65.38	62.63
	जोड़	**316**	**462.54**	**351.56**		100	

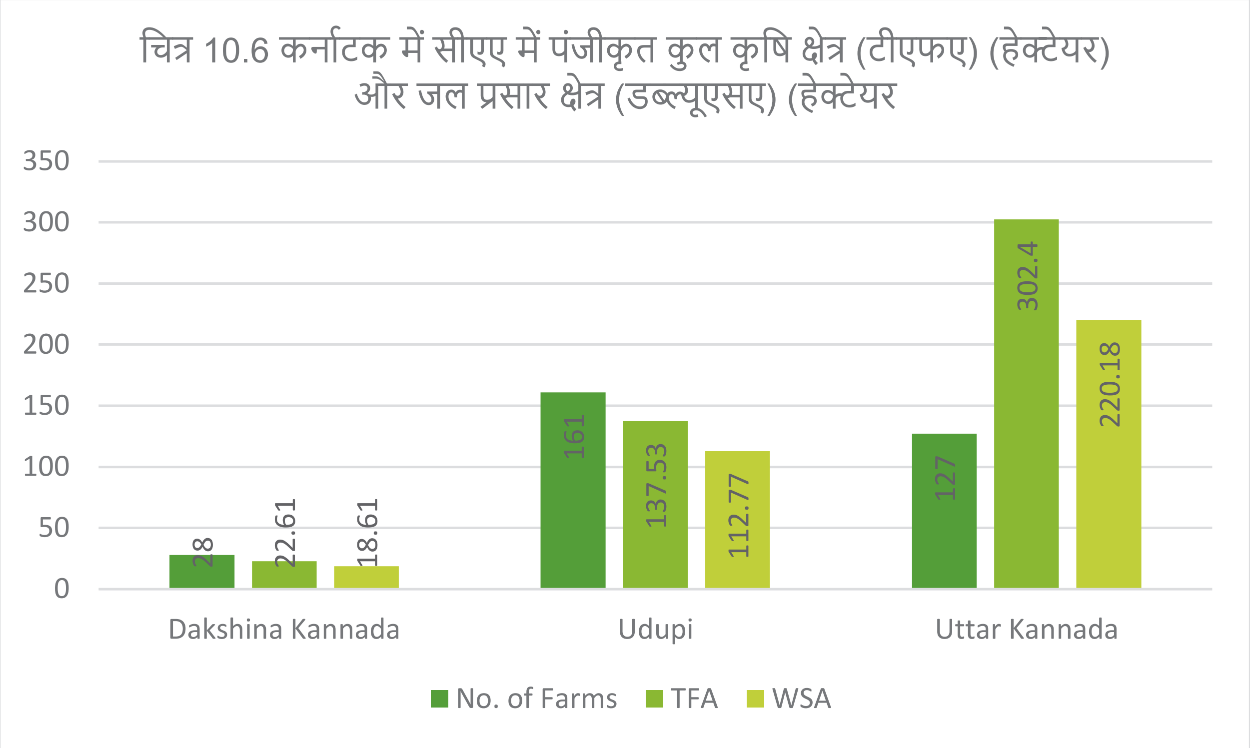

केरल

- राज्य के तटीय जिलों अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोझीकोड, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में नौ जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और चौदह उप-मंडल स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्म पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं।
- 1,535 खेतों के साथ, राज्य में देश भर में सीएए में पंजीकृत कुल खेतों का 3.26% हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से, 84.89% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 13.94% खेतों का क्षेत्रफल 2.01-5.0 हेक्टेयर है और 1.17% खेतों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है।
- एर्नाकुलम जिले में खेतों की संख्या सबसे अधिक है, जो राज्य के कुल खेतों का 24.56% है, इसके बाद त्रिशूर (24.36%) और अलप्पुझा (19.21%) जिले हैं (तालिका 10.7)।
- अनुसंधान संस्थानों से संबंधित तीन बहु-प्रजाति बीज उत्पादन इकाइयों को केरल में सीएए में पंजीकृत किया गया।

तालिका 10.7 केरल में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत।

क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए%	डब्ल्यूएसए %
1	अलाप्पुझा	295	442.43	254.80	19.22	14.99	12.56
2	एरणाकुलम	377	813.64	615.46	24.56	27.56	30.33
3	कन्नूर	267	697.65	422.02	17.39	23.63	20.80
4	कासरगोड	9	24.01	17.46	0.59	0.81	0.86
5	कोल्लम	159	164.06	97.22	10.36	5.56	4.79
6	कोट्टयम	1	1.50	1.20	0.07	0.05	0.06
7	कोझीकोड	27	59.85	43.99	1.76	2.03	2.17
8	मालाप्पुरम	16	19.10	13.51	1.04	0.65	0.67
9	तिरुवनंतपुरम	10	8.84	4.11	0.65	0.30	0.20
10	त्रिशूर	374	721.08	559.45	24.36	24.43	27.57
	जोड़	**1535**	**2952.16**	**2029.22**	100		

चित्र 10.7. केरल में सीएए में पंजीकृत कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर) और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (हेक्टेयर)

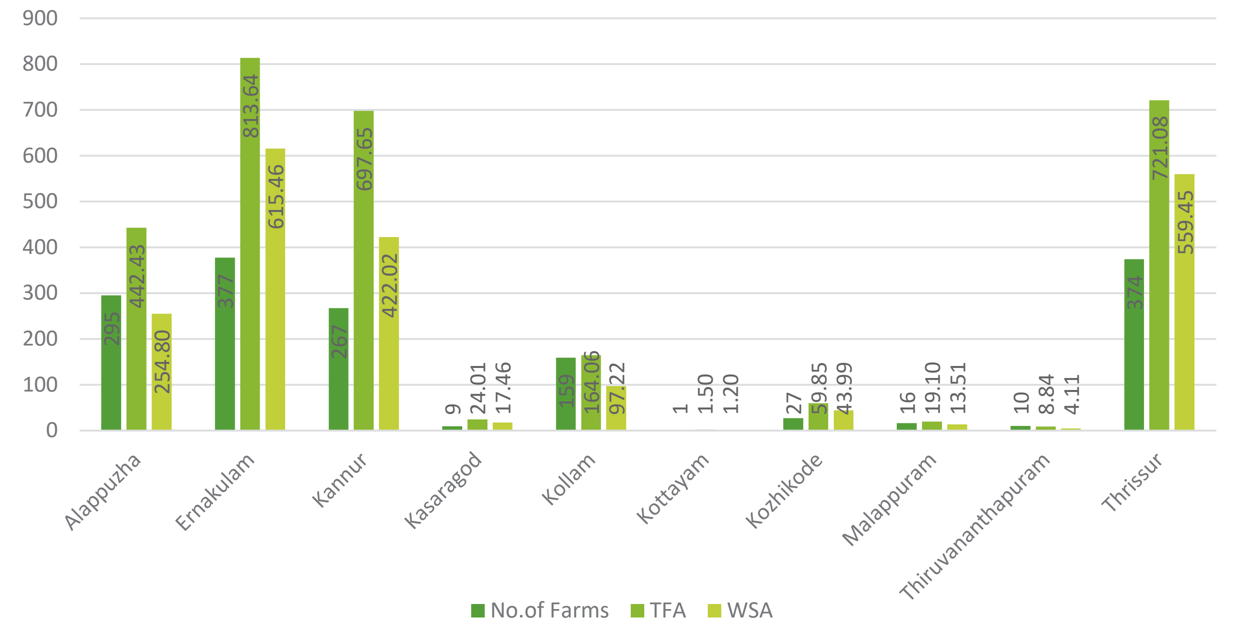

महाराष्ट्र

- राज्य के तटीय जिलों पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे में पाँच जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और उन्नीस उप-विभागीय स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं।
- 317 खेतों के साथ, राज्य में देश भर में सीएए के साथ पंजीकृत कुल खेतों का 0.67% हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से, 50.16% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 35.64% खेत 2.01-5.0 हेक्टेयर के बीच और 14.19% खेत 5 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल वाले हैं।
- ठाणे जिले में सबसे अधिक फार्म हैं, जो राज्य में 36.90% है, उसके बाद रायगढ़ जिले (24.60%) का स्थान है (तालिका 10.8)।
- महाराष्ट्र में कोई भी हैचरियां या नौपली पालन हैचरियां सीएए में पंजीकृत नहीं है।

तालिका 10.8 महाराष्ट्र में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत।							
क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए%	डब्ल्यूएसए%
1	पालघर	15	32.76	22.01	4.73	1.39	1.47
2	रायगढ़	78	491.29	312.73	24.61	20.8	20.89
3	रत्नागिरी	52	175.06	126.57	16.4	7.41	8.45
4	सिंधुदुर्ग	55	131.98	95.66	17.35	5.59	6.39
5	ठाणे	117	1530.9	940.27	36.91	64.81	62.8
	जोड़े	**317**	**2361.99**	**1497.24**		100	

चित्र 10.8. महाराष्ट्र में सीएए में पंजीकृत कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर) और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (हे.)

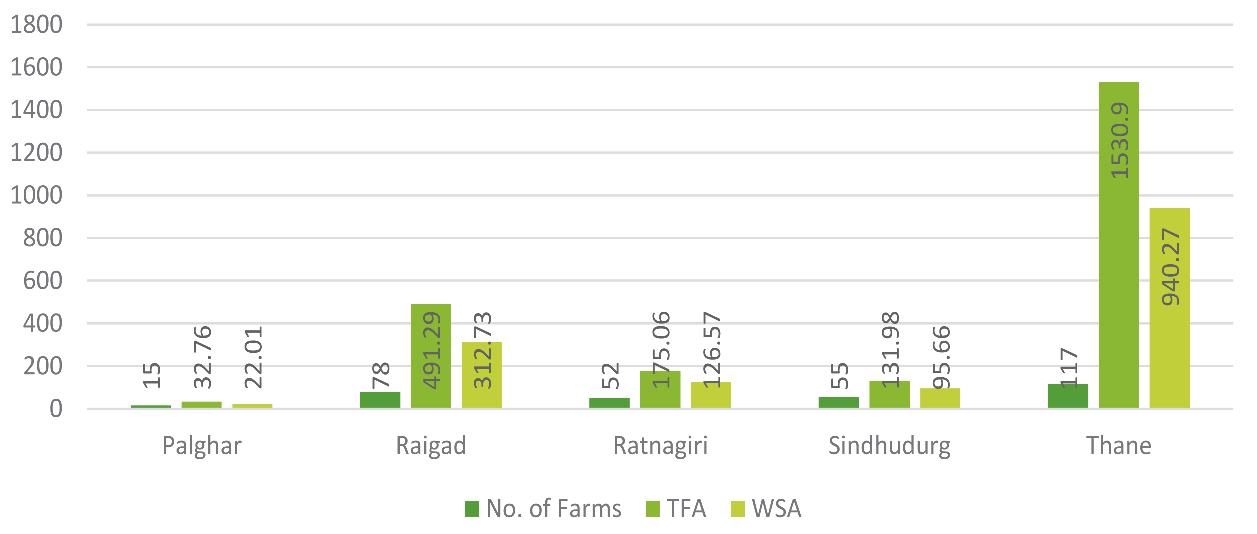

ओडिशा

- राज्य के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक, खोरदा, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और गंजम में छह जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और आठ उप-मंडल स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं।
- 13,491 खेतों के साथ, राज्य में देश भर में सीएए के साथ पंजीकृत कुल खेतों का 28.68% हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से, 99.11% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 0.55% खेत 2.01-5.0 हेक्टेयर के बीच फैले हैं और 0.34% खेत 5 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल वाले हैं (तालिका 10.9)।
- राज्य के कुल खेतों में से भद्रक जिले में सबसे अधिक 32.65% खेत हैं, जिसके बाद बालासोर जिले (27.87%) का स्थान है।
- राज्य में एसपीएफ एल. वन्नामेई और एसपीएफ पी. मोनोडोनी के लिए 20 बीज उत्पादन इकाइयाँ सीएए में पंजीकृत हैं, जिनकी कुल बीज उत्पादन क्षमता 2800 मिलियन प्रति वर्ष है (तालिका 10.10)।

तालिका 10.9 ओडिशा में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत							
क्र.सं.	**जिले**	**खेतों की सं.**	**टीएफए (हैक्ट.)**	**डब्ल्यूए सए (हैक्ट.)**	**खेतों की सं. % में**	**टीएफए%**	**डब्ल्यूएसए %**
1	बालासासेर	3761	4383.05	2617.93	27.88	27.62	26.52
2	भद्रक	4406	6088.45	3655.04	32.66	38.37	37.03
3	गंजम	649	562.06	381.53	4.81	3.54	3.87
4	जगतसिंहपुर	1185	1214.47	800.39	8.78	7.65	8.11
5	केन्द्रपाड़ा	862	995.41	743.75	6.39	6.27	7.53
6	खोरधा	7	11.44	6.82	0.05	0.07	0.07
7	पुरी	2621	2613.25	1665.51	19.43	16.47	16.87
	जोड़	**13491**	**15868.13**	**9870.97**	100		

चित्र 10.9. ओडिशा में सीएए में पंजीकृत कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर) और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (हेक्टेयर)

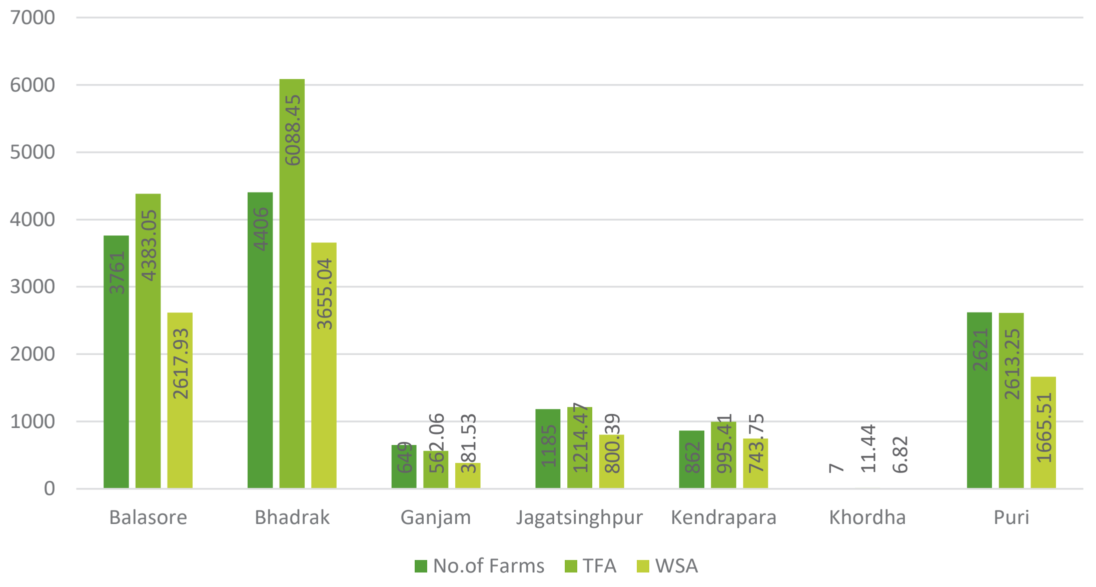

तालिका 10. 10. ओडिशा में सीएए में पंजीकृत उत्पादन क्षमता वाली बीज उत्पादन इकाइयाँ							
प्रजातियां	**जिले**	**हैचरियों की सं.**	**हैचरियों की बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन प्रति वर्ष)**	**एनआरएच की सं.**	**एनआरएच की बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन)**	**कुल बीज उत्पादन इकाइयाँ (हैचरी और एनआरएच) (संख्या)**	**कुल बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन प्रति वर्ष)**
एल वन्नामेई	गंजम	6	1410	10	1030	16	2440
	पुरी	0	0	3	360	3	360
पी मोनोडोन	गंजम	0	0	1	80	1	80
	जोड़	**6**	**1410**	**14**	**1470**	**20**	**2880**

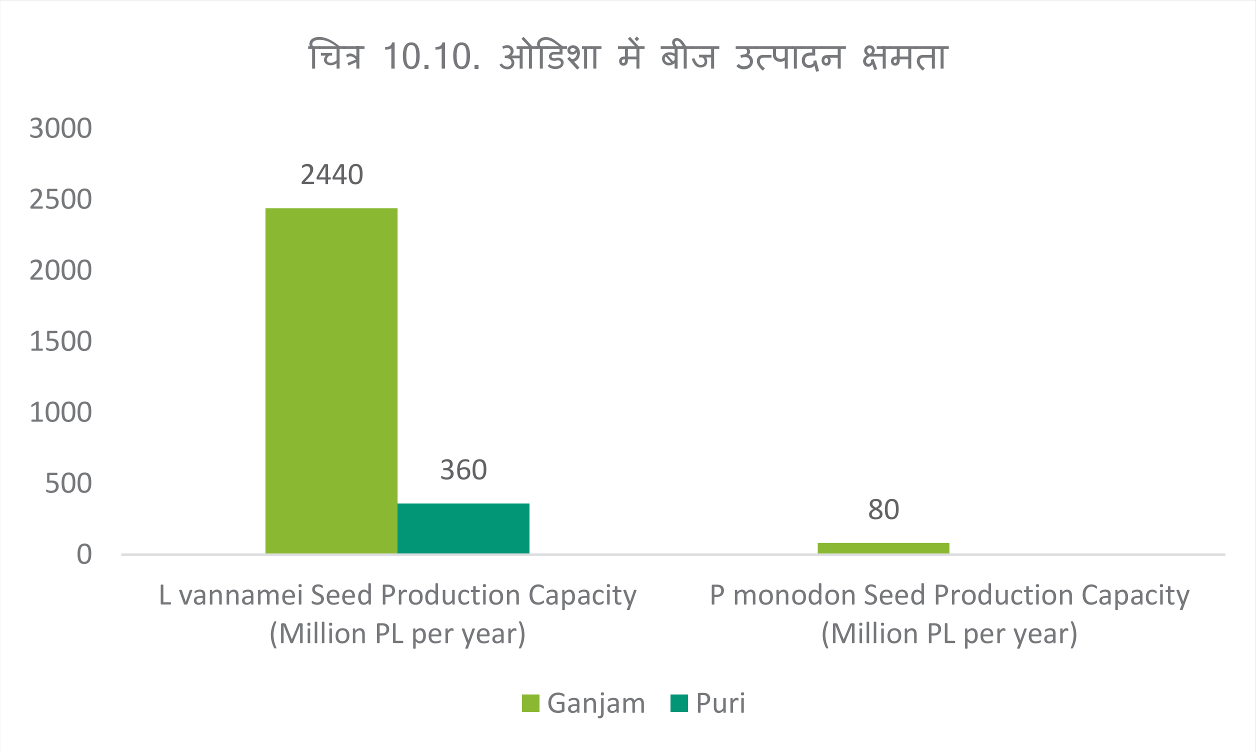

तमिलनाडु

- राज्य में चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, कन्याकुमारी, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, तंजावुर, तिरुवल्लुर, तिरुवरूर, थूथुकुडी, विल्लुपुरम और तिरुनेलवेली के तटीय जिलों में तेरह जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) और बीस उप-विभागीय स्तरीय समितियां (एसडीएलसी) हैं, जो तटीय जलकृषि फार्म पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं।
- 2409 खेतों के साथ, राज्य में देश भर में सीएए में पंजीकृत कुल खेतों का 5.12% हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से, 75.47% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 22.08% खेतों का क्षेत्रफल 2.01-5.0 हेक्टेयर है और 2.44% खेतों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है।
- नागपट्टिनम जिले में सबसे अधिक 31.84% खेत हैं, उसके बाद तंजावुर (14.98%) का स्थान है (तालिका 10.11)।
- राज्य में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी झींगा बीज उत्पादन इकाइयाँ हैं। एसपीएफएल. वन्नामेई और एसपीएफ़ पी. मोनोडोनी की कुल 103 बीज उत्पादन इकाइयाँ सीएए में पंजीकृत हैं, जिनकी कुल बीज उत्पादन क्षमता 19131 मिलियन प्रति वर्ष है (तालिका 10.12)।
- बीज उत्पादन इकाइयों की अधिकतम संख्या विल्लुपुरम जिले में स्थित है, जहां 46 इकाइयां एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए हैं, जिनकी बीज उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 10,130 मिलियन बीज है। 02 हैचरियां और 01 एनआरएच एसपीएफ पी. मोनोडॉन के लिए हैं, जिनकी बीज उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 710 मिलियन बीज है।
- चेंगलपट्टू जिले में एसपीएफ एल. वन्नामेई और एसपीएफ पी. मोनोडोन के लिए सीएए में पंजीकृत 46 बीज उत्पादन इकाइयां हैं, जिनकी कुल बीज उत्पादन क्षमता 6,340 मिलियन प्रतिवर्ष है।

तालिका 10.11 तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत।							
क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूए सए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए%	डब्ल्यूएसए %
1	चेंगलपट्टू	79	131.18	102.21	3.28	2.07	2.22
2	कुड्डालोर	209	494.18	339.12	8.68	7.80	7.36
3	कन्याकुमार	1	0.60	0.50	0.04	0.01	0.01
4	माइलादुत्रयी	310	789.35	559.18	12.87	12.47	12.13
5	नागपट्टिनम	767	1827.67	1389.9	31.84	28.87	30.16
6	पुडुकोट्टई	56	159.63	120.09	2.32	2.52	2.61
7	रामनाथपुरम	166	571.09	392.54	6.89	9.02	8.52
8	तंजावुर	361	993.95	735.69	14.99	15.70	15.96
9	तिरुवल्लुर	125	332.80	249.78	5.19	5.26	5.42
10	थिरुवरुर	211	641.46	481.04	8.76	10.13	10.44
11	थुथुकुडी	23	199.89	104.62	0.95	3.16	2.27
12	विल्लुपुरम	101	189.82	134.49	4.19	3.00	2.92
	जोड़	**2409**	**6331.62**	**4609.16**	100		

चित्र 10.11. तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर) और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (हेक्ट.)

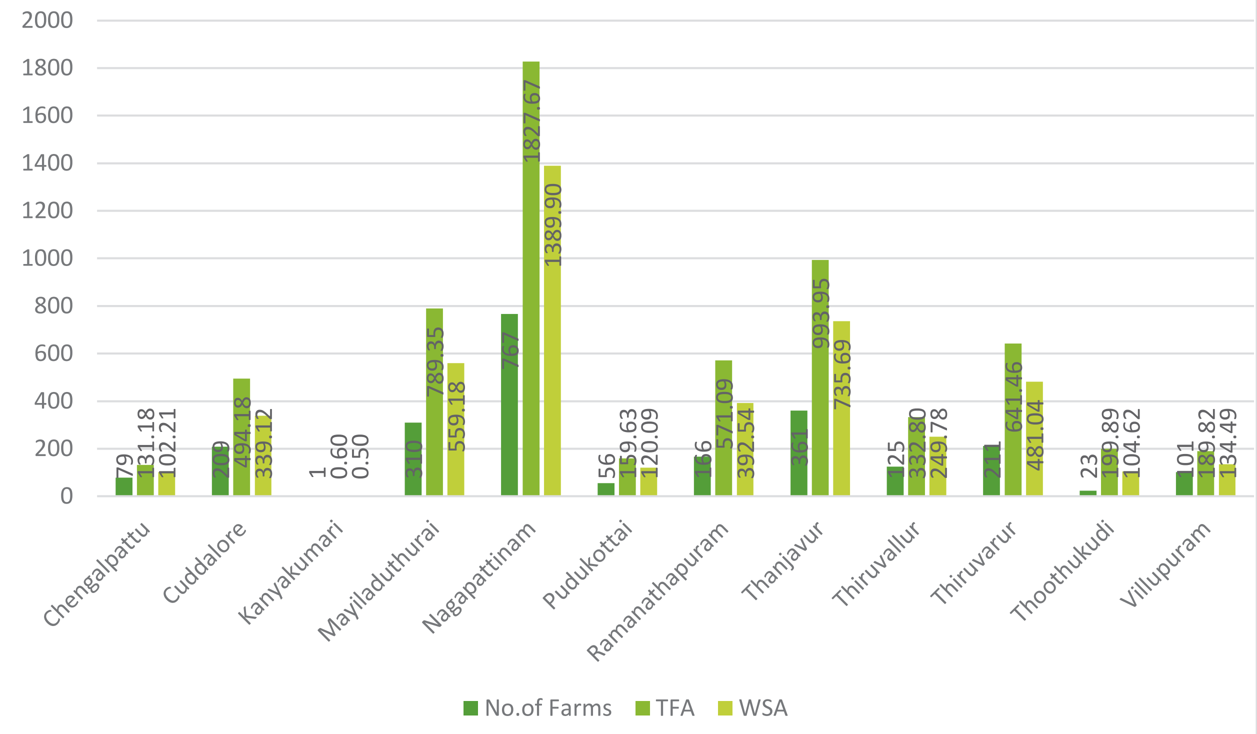

तालिका 10.12. तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत उत्पादन क्षमता वाली बीज उत्पादन इकाइयाँ							
प्रजातियां	जिले	हैचरियों की सं.	हैचरियों की बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन प्रति वर्ष)	एनआरएच की सं.	एनआरएच की बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन)	कुल बीज उत्पादन इकाइयाँ (हैचरी और एनआरएच) (संख्या)	कुल बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन प्रति वर्ष)
एल वन्नामेई	चेंगलपट्टू	30	4470	9	720	39	5190
	कुड्डालोर	1	250	0	0	1	250
	माइलादुत्रयी	5	1400	1	60	6	1460
	रामनाथपुरम	1	300	0	0	1	300
	विल्लुपुरम	38	8030	8	2100	46	10130
पी मोनोडोन	चेंगलपट्टू	3	650	4	500	7	1150
	विल्लुपुरम	2	510	1	200	3	710
	जोड़	**80**	**15610**	**23**	**3580**	**103**	**19190**

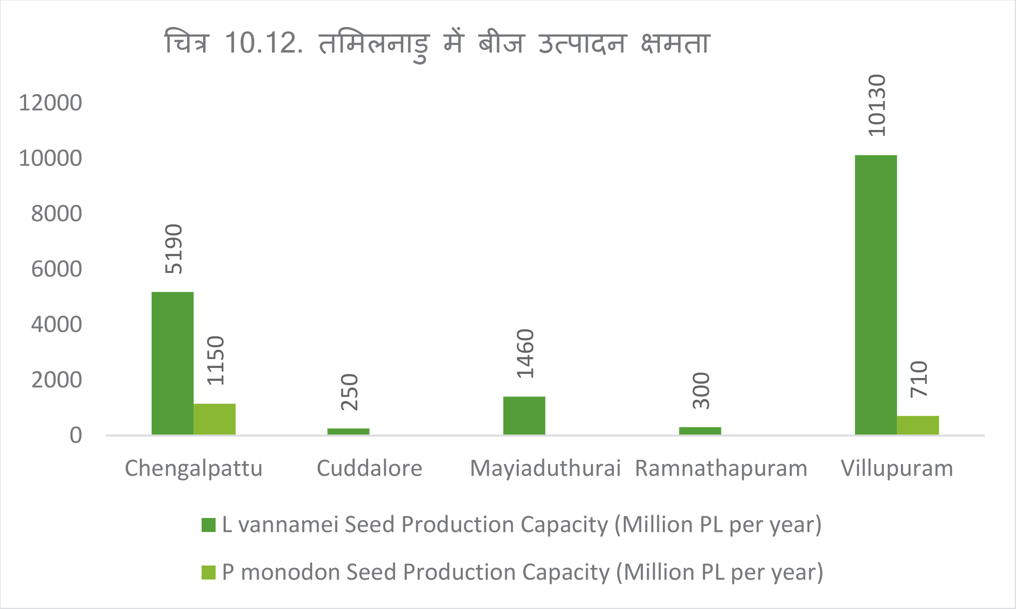

पश्चिम बंगाल

- राज्य के तटीय जिलों पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में तीन जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और दस उप-मंडल स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) हैं जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करती हैं।
- 4,938 खेतों के साथ, राज्य में देश भर में सीएए में पंजीकृत कुल खेतों का 10.49% हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से, 99.59% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से भी कम है।
- पूर्व मेदिनीपुर में सबसे अधिक खेत हैं, जो राज्य के कुल खेतों का 40.56% है, इसके बाद दक्षिण 24 परगना (30.63%) और उत्तर 24 परगना (28.79%) का स्थान है। (तालिका 10.13)।
- सीएए में पंजीकृत एक एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरी है, जिसकी बीज उत्पादन क्षमता 300 मिलियन प्रतिवर्ष है और पूर्व मेदिनीपुर में 60 मिलियन प्रतिवर्ष बीज उत्पादन क्षमता वाली एक समुद्री फिनफिश हैचरी है।

तालिका 10.13. पश्चिम बंगाल में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत							
क्र. सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए %	डब्ल्यूएसए %
1	24 उत्तर परगना	1422	1489.58	1041.71	28.80	34.38	35.40
2	पूर्व मेदिनीपुर	2003	1393.47	1045.45	40.56	32.16	35.53
3	24 दक्षिण परगना	1513	1450.18	855.46	30.64	33.47	29.07
	जोड़	**4938**	**4333.23**	**2942.62**	100		

चित्र 10.13. पश्चिम बंगाल में सीएए में पंजीकृत कुल कृषि क्षेत्र (टीएफए) (हेक्टेयर) और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) (है.)

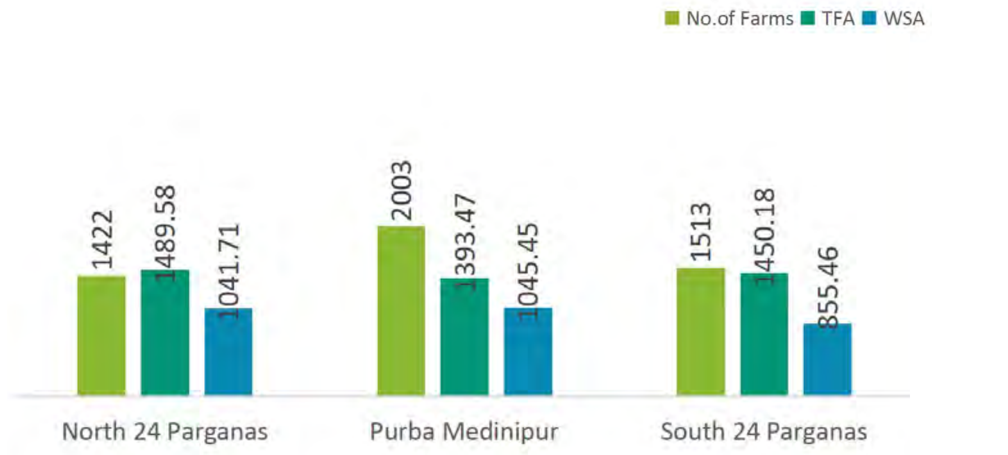

केंद्र शासित प्रदेश:

पुडुचेरी, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह

- तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से, पुडुचेरी में बड़ी संख्या में झींगा फार्म स्थित हैं।
- पुडुचेरी में दो जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) और एक उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) हैं, जिनके 93 खेत सीएए में पंजीकृत हैं (तालिका 10.14)। क्षेत्रफल की दृष्टि से, 92.5% खेत छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है, 6.5% खेतों का क्षेत्रफल 2.01-5.0 हेक्टेयर है और 1% खेतों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है।
- सीएए ने दमन और दीव में 12 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4 फार्म पंजीकृत किए हैं।
- लक्षद्वीप में सीएए में कोई तटीय जलकृषि फार्म पंजीकृत नहीं है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी हैचरी पंजीकृत नहीं है।

तालिका 10.14 पुडुचेरी में सीएए में पंजीकृत जिलेवार खेत।							
क्र.सं.	जिले	खेतों की सं.	टीएफए (हैक्ट.)	डब्ल्यूएसए (हैक्ट.)	खेतों की सं. % में	टीएफए%	डब्ल्यूए सए%
1	करइकल	57	90.53	66.76	61.3	64.07	63.31
2	यानम	36	50.78	38.7	38.7	35.94	36.7
	जोड़	**93**	**141.31**	**105.46**	100		

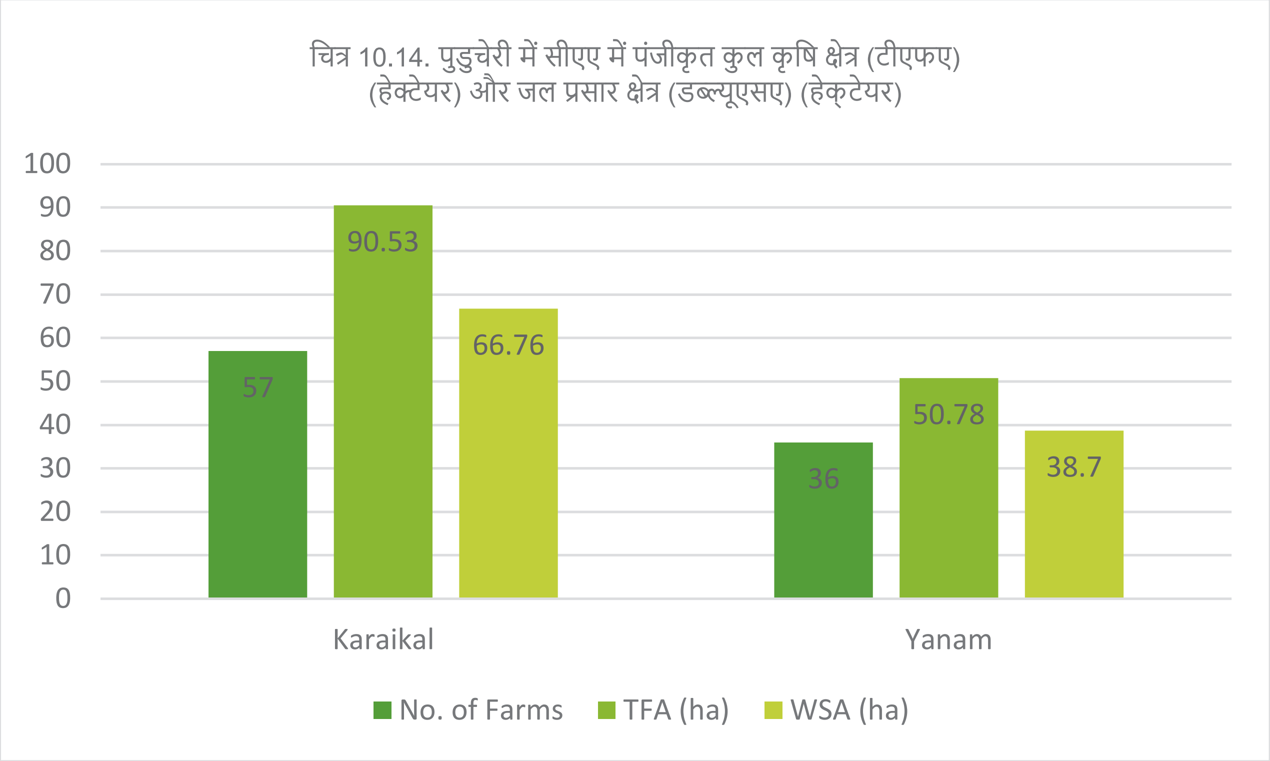

11

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रमों में भागीदारी

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सीएए के तकनीकी अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	आयोजन का विवरण	बैठक की तिथि जिसमें भाग लिया गया
1.	सीएए के तकनीकी स्टाफ के साथ निदेशक (तकनीकी) ने भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जिसका विषय था "समुद्री और खारे पानी की फिनफिश के ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन के मुद्दे।"	08.04.2024
2.	सीएए के तकनीकी कर्मचारियों के साथ निदेशक (तकनीकी) ने भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में आयोजित विदेशी जलीय प्रजातियों के परिचय पर राष्ट्रीय समिति की 39वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, निदेशक (तकनीकी) ने भारत में पॉलीचेट कृमियों के आयात पर सीएए के इनपुट प्रदान किए।	10.04.2024
3.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने आईसीएआर-सीआईबीए द्वारा चेन्नई स्थित सीबा में आयोजित जलकृषि फसल बीमा पर एक कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। सत्र के दौरान, निदेशक ने भारत में तटीय जलकृषि की स्थिति और सीएए द्वारा तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया पर एक व्याख्यान दिया।	13.04.2024
4.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में "अमेरिका में भारतीय जलकृषि क्षेत्र के नकारात्मक प्रचार के प्रयासों" पर आयोजित एक बैठक में भाग लिया। यह बैठक भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में एमपीईडीए के अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश के मत्स्यपालन आयुक्त और एपीपीसीबी, ईआईए, डीसीए, एमपीईडीए और राज्य मत्स्यपालन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान, सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने सीएए की अनिवार्य गतिविधियों और एनआरसीपी के तहत हैचरियों से एकत्रित बीज के नमूनों में एंटीबायोटिक्स पाए जाने पर हैचरियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी।	17.04.2024
5.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने लक्षद्वीप, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में समुद्री शैवाल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। यह बैठक भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।	05.06.2024

6.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने मत्स्यपालन और जलकृषि के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर 5वीं बैठक में भाग लिया, जो सचिव (मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।	07.06.2024
7.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) और संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) की सह-अध्यक्षता में आयोजित “भारतीय जल में विदेशी जलीय प्रजातियों के प्रवेश पर राष्ट्रीय समिति की 41वीं बैठक” में भाग लिया।	18.06.2024
8.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसएसवाई)" के तहत ट्रेसेबिलिटी घटक पर दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्य पालन) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।	20.06.2024
9.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में आयोजित "ग्रीष्मकालीन मीट 2024" के सभी समिति सदस्यों के साथ बैठक में भाग लिया।	22.06.2024
10.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यवार मछली उत्पादन डेटा के संग्रह और अंतिम रूप देने में तेजी लाने के लिए तकनीकी निगरानी समिति की 18वीं बैठक में भाग लिया, जो कि आईसीएआर-आईएएसआरआई के निदेशक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।	25.06.2024
11.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में पीएमएमकेएसएसवाई के तहत ट्रेसेबिलिटी घटक पर दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लिया।	27.06.2024
12.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के सचिव (मत्स्यपालन पालन) की अध्यक्षता में आयोजित "मत्स्यपालन और जलकृषि के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों" पर 7वीं बैठक में भाग लिया।	27.06.2024
13.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय) की अध्यक्षता में डब्ल्यूओएएच द्वारा आयोजित “जलीय पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन पर परिचयात्मक बैठक” में भाग लिया।	02.07.2024
14.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के तहत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सांविधिक/स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन पर बैठक में भाग लिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव (एआर एंड पीजी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।	10.07.2024
15.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और अन्य तकनीकी अधिकारियों ने भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा मदुरै, तमिलनाडु में आयोजित "मत्स्यपालन ग्रीष्मकालीन	12.07.2024

	सम्मेलन-2024" में भाग लिया। सीएए ने कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी स्टॉल लगाया, जहाँ सूचनात्मक पोस्टरों के माध्यम से सीएए की गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया और आगंतुकों को ब्रोशर वितरित किए गए।	
16.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी स्टाफ ने झींगे के लिए ऑस्ट्रेलिया की जैव सुरक्षा आयात शर्तों और जलीय पशु स्वास्थ्य पर एक्वाप्लान पर एक बैठक में भाग लिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।	26.07.2024
17.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत नई उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।	26.07.2024
18.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने आईसीएआर-सीआईबीए द्वारा पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में आयोजित तीसरे झींगा किसान सम्मेलन में झींगा किसानों, अधिकारियों, बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ भाग लिया। निदेशक ने तटीय खेतों के पंजीकरण की प्रक्रिया, सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों और प्रावधानों, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों तथा पश्चिम बंगाल राज्य में सीएए में पंजीकृत तटीय जलकृषि इकाइयों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।	10.08.2028
19.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने एफएओ की जीईएफ-8 परियोजना "आंध्र प्रदेश जलकृषि को एक सतत, निम्न कार्बन पदचिह्न और जलवायु-अनुकूल खाद्य प्रणाली में परिवर्तित करना" पर आंध्र प्रदेश सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में एफएओ के प्रतिनिधियों, मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों, आईसीएआर के वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों ने भी भाग लिया।	13.08.2024
20.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने "कैनबरा फ़ेलोशिप प्रोग्राम" के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा प्रायोजित "ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा पर संगोष्ठी" में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया की इस यात्रा ने उनकी कृषि प्रणालियों में जैव-सुरक्षा के अंतर्निहित स्वरूप, जैसे कि पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सुविधा - मेलबर्न में जीवित पशुओं और पौधों के लिए अत्याधुनिक केंद्रीकृत क्वारंटाइन सुविधा, का अनुभव प्रदान किया। गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलियाई जैव-सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया, जो उनके देश में जैव-सुरक्षा के लिए सर्वोच्च मंच है और 24 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक विश्व-अग्रणी उत्पादकता स्तर वाले एक खेत का अनुभव प्राप्त किया।	26.08.2024 to 31.08.2024
21.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने ईएफसीसी के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बजट पैरा-ब्लू इकोनॉमी पर वेबिनार में भाग लिया और वीसी के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए तटीय जलकृषि और समुद्री कृषि में पहल पर चर्चा की।	11.09.2024
22.	संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) सह सचिव, सीएए और तकनीकी अधिकारियों ने एमपीईडीए के अध्यक्ष द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित "भारत-फिलीपींस समुद्री शैवाल हितधारक परामर्श बैठक" में भाग लिया।	04.10.2024
23.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) द्वारा पीएमएमकेएसएसवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया।	04.10.2024

24.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और तकनीकी कर्मचारियों ने आईसीएआर-सीआईबीए द्वारा आयोजित मुटुक्कडु में झींगा संग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया और "अति-गहन परिशुद्धता एवं प्राकृतिक झींगा पालन (एसआईपीएनएसएफ)" पर हितधारकों की बैठक में भाग लिया। इस कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन; आईसीएआर के उप महानिदेशक; एमपीईडीए के अध्यक्ष; एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी; आईसीएआर-सीआईबीए के निदेशक; और अन्य हितधारकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान, सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने तटीय जलकृषि प्राधिकरण के मुख्य कार्यों पर प्रकाश डाला।	08.10.2024
25.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने सीएए-पंजीकृत हैचरियों को विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) पेनेअस मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यह बैठक एमपीईडीए के अध्यक्ष द्वारा अखिल भारतीय झींगा हैचरीज़ एसोसिएशन (एआईएसएचए) के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई थी।	22.10.2024
26.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में "समुद्री उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संचालन समिति" की तीसरी बैठक में भाग लिया।	04.11.2024
27.	निदेशक (तकनीकी) और सहायक निदेशक (तकनीकी), सीएए ने निदेशक, आईसीएआर-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई), नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित "वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए मछली उत्पादन डेटा को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी निगरानी समिति" की बैठक में भाग लिया।	18.11.2024
28.	सीएए के तकनीकी कर्मचारियों के साथ निदेशक (तकनीकी) ने जेनिक्स द्वारा आयोजित "वैश्विक जैव सुरक्षा समाधान - भारत के जलकृषि भविष्य में जेनिक्स की भूमिका" पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया सरकार के कृषि, मत्स्यपालन और वानिकी विभाग और भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।	28.11.2024
29.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने तकनीकी कर्मचारियों के साथ भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर बैठक में भाग लिया। यह बैठक मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।	02.12.2024
30.	सीएए के सचिव सह संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) और निदेशक (तकनीकी), सीएए ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की अंतर-सत्र बैठक में भाग लिया, जिसका विषय था "मत्स्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन और निर्यात संवर्धन", जो संसद भवन एनेक्सी भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।	13.12.2024
31.	सीएए के अधिकारियों ने मत्स्य मंथन श्रृंखला के सत्र के 8वें व्याख्यान में भाग लिया, जिसका विषय था "मत्स्यपालन और जलकृषि के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग", जिसे मेसर्स ब्लूकैच के सीईओ श्री गणेश नखवा ने प्रस्तुत किया और मत्स्यपालन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मत्स्यपालन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।	19.12.2024
32.	सीएए के सहायक निदेशक (तकनीकी) ने एनएफडीबी, हैदराबाद में आयोजित 'समुद्री कृषि नीति ढाँचे पर राष्ट्रीय कार्यशाला' में भाग लिया। कार्यशाला में भारत की समुद्री कृषि क्षमता को बढ़ाने, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और तटीय आजीविका को मज़बूत करने के लिए एक मज़बूत नीति ढाँचा विकसित करने पर ज़ोर दिया गया।	23.12.2024

33.	सहायक निदेशक (तकनीकी) और सीएए स्टाफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित मत्स्यपालन विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के पोर्टल के साथ भाषिणी के एकीकरण पर बैठक में भाग लिया।	24.12.2024
34.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने आईसीएआर-सीआईबीए द्वारा झींगा किसानों और अन्य हितधारकों के साथ बालासोर, ओडिशा में आयोजित “झींगा किसान सम्मेलन के चौथे संस्करण” में भाग लिया और तटीय खेतों के पंजीकरण की प्रक्रिया, सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों और प्रावधानों, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देश और ओडिशा में सीएए में पंजीकृत तटीय जलकृषि इकाइयों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।	31.01.2025
35.	सीएए के तकनीकी निदेशक ने विजयवाड़ा में "ग्लोबल फोरम फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन" (जीएफएसटी) और मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित "जलकृषि नवाचार तकनीक 2.0" में भाग लिया। निदेशक ने "समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने और विस्तार देने तथा बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ बनाने" पर विचार-मंथन सत्र में भाग लिया और तटीय जलकृषि इकाइयों के नियमितीकरण और पता लगाने संबंधी मुद्दों पर प्रस्तुति दी।	16.02.2025 to 18.02.2025
36.	सहायक निदेशक (तकनीकी), सीएए ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में समुद्री कृषि नीति, कृत्रिम रीफ के कार्यान्वयन की स्थिति और समुद्री फिनफिश हैचरियों की स्थापना की समीक्षा के लिए किया गया।	20.02.2025
37.	सीएए के अध्यक्ष ने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की 11वीं शासी निकाय बैठक में भाग लिया और विचार-विमर्श में भाग लिया। बैठक के दौरान, सीएए के अध्यक्ष और एमपीईडीए के अध्यक्ष ने माननीय केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की प्रमुख गतिविधियों और तटीय जलकृषि को बढ़ावा देने तथा समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से चल रही पहलों के बारे में जानकारी दी।	08.03.2025
38.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और सहायक निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदित झींगा बीएमसी के संचालन और प्रबंधन और एमपीईडीए-आरजीसीए की झींगा मूल्यांकन अध्ययन इकाई की स्थिति पर संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में भाग लिया।	19.03.2025
39.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के अंतर्गत निष्पादन अनुदान आवेदन जुटाने की रणनीति पर चर्चा हेतु आयोजित एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफफेट) और केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।	24.03.2025
40.	सीएए के निदेशक (तकनीकी) और सहायक निदेशक (तकनीकी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमपीईडीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित आरजीसीए की तिहत्तरवीं कार्यकारी बैठक में भाग लिया।	26.03.2025

अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में सीएए अधिकारियों की भागीदारी

मत्स्यपालन ग्रीष्मकालीन मीट 2024

पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में तीसरा झींगा किसान सम्मेलन

झींगा किसान सम्मेलन का चौथा संस्करण, बालासोर

कैनबरा फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई जैव-सुरक्षा प्रणाली पर संगोष्ठी

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की 11वीं शासी निकाय बैठक, हैदराबाद

यूरोपीय संघ का डीजी (एसएएनटीई) मिशन 2024

जलकृषि नवाचार तकनीक 2.0, विजयवाड़ा

सुपर गहन परिशुद्धता और प्राकृतिक झींगा फ्रेमिंग

समुद्री और खारे पानी की फिनफिश के ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन के मुद्दों पर वीसी

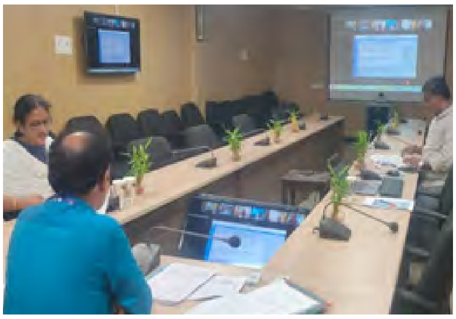

विदेशी जलीय प्रजातियों के परिचय पर राष्ट्रीय समिति की 39वीं बैठक

अमेरिका में भारतीय जलकृषि क्षेत्र के नकारात्मक प्रचार के प्रयासों पर बैठक

जलीय पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन पर परिचयात्मक बैठक

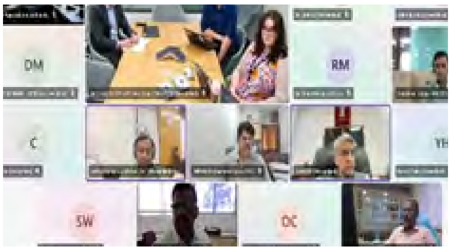

ऑस्ट्रेलिया में झींगे के लिए जैव सुरक्षा आयात शर्तों पर बैठक और जलीय पशु स्वास्थ्य पर एक्वाप्लान

एफएओ की जीईएफ-8 परियोजना "आंध्र प्रदेश जलकृषि को एक टिकाऊ, कम कार्बन फुटप्रिंट और जलवायु-लचीली खाद्य प्रणाली में बदलना"

बजट पैरा-ब्लू इकोनॉमी पर वेबिनार

पीएमएमकेएसएसवाई पर वीसी बैठक

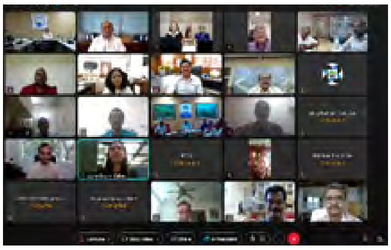

भारत-फिलीपींस समुद्री शैवाल हितधारक परामर्श बैठक

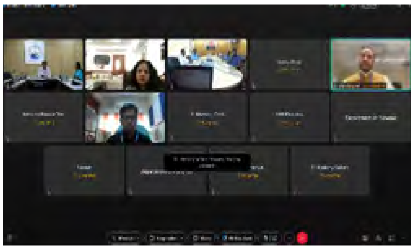

"वैश्विक जैव सुरक्षा समाधान - भारत के जलकृषि भविष्य में जेनिक्स की भूमिका", जेनिक्स द्वारा आयोजित

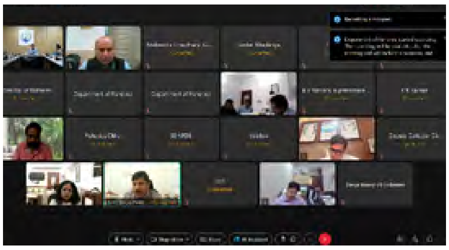

समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर बैठक

मत्स्य मंथन श्रृंखला सत्र का 8वां व्याख्यान

समुद्री कृषि नीति ढांचे पर राष्ट्रीय कार्यशाला, एनएफडीबी कार्यशाला, एनएफडीबी

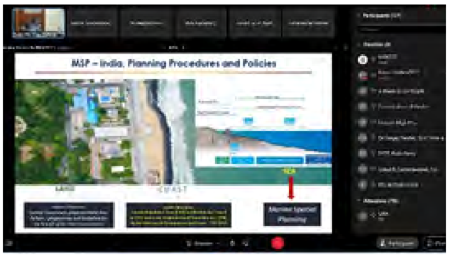

बजट पैरा-ब्लू इकोनॉमी पर वेबिनार

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के अंतर्गत निष्पादन अनुदान आवेदनों को जुटाने की रणनीति

2025-26 के लिए लक्ष्य और कार्य योजना

12

2025-26 के लिए लक्ष्य और कार्य योजना

सीएए अधिनियम, 2024 की धारा 3 के तहत प्रदत्त अपने अधिदेश के अनुसार, सीएए यह सुनिश्चित करता है कि तटीय जलकृषि इकाइयाँ और गतिविधियाँ तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचाएँ, अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुपालन में उत्तरदायी तटीय जलकृषि को बढ़ावा दें और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की आजीविका की रक्षा करें। तदनुसार, सीएए पर्यावरण संरक्षण हेतु तटीय जलकृषि गतिविधियों के नियमन और देश के सभी तटीय क्षेत्रों में स्थायी एवं पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलकृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाए रखता है। अपने अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख सीएए गतिविधियों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

क) तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सभी समुद्री राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गठित एसडीएलसी एवं डीएलसी के सहयोग से, सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 13 एवं सीएए नियम, 2024 के नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित अपंजीकृत तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत करने तथा उन सभी तटीय जलकृषि फार्मों का नवीनीकरण करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएँगे जिनकी पाँच वर्ष की पंजीकरण अवधि या नवीनीकरण अवधि समाप्त हो गई है।

ख) हैचरियों, एनआरएच और लाइव फीड इकाइयों का पंजीकरण और नवीनीकरण

सीएए तटीय जलकृषि के लिए खेती योग्य प्रजातियों के एसपीएफ/स्वस्थ बीज और हैचरी/एनआरएच के लिए लाइव फीड के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए जैव-सुरक्षित हैचरियों, एनआरएच और लाइव फीड इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देता है।

नई हैचरियों, एनआरएच और लाइव फीड इकाइयों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें फील्ड में इकाइयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण समिति को भेजा जा सके। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकरण के अनुमोदन से इकाई संचालकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाएँगे ताकि वे अपने बीज/लाइव फीड उत्पादन कार्य निर्बाध रूप से जारी रख सकें।

जिन हैचरियों, एनआरएच और लाइव फीड इकाइयों का पंजीकरण 2025-26 के दौरान नवीनीकृत किया जाना है, उन्हें संबंधित इकाई संचालकों को समय के भीतर सीएए को आवेदन करने, निरीक्षण समिति द्वारा ऐसी इकाइयों का निरीक्षण सुनिश्चित करने और ऐसी इकाइयों के पंजीकरण/नवीनीकरण अवधि की समाप्ति से पहले प्राधिकरण के अनुमोदन से नवीनीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पहले ही सूचित किया जाएगा।

ग) नए फार्मों, हैचरियों और समुद्री कृषि इकाइयों का पंजीकरण

तटीय जलकृषि में विविधीकरण, समुद्री कृषि गतिविधियों और नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के तकनीकी सहयोग से, सीएए ने निम्नलिखित नौ (9) दिशानिर्देश विकसित किए हैं, जो अब मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना की प्रक्रिया में हैं। इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना प्राप्त होने पर, सीएए तटीय जलकृषि के संवर्धन और विस्तार हेतु ऐसे नए फार्मों, हैचरियों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण हेतु कार्रवाई शुरू करेगा।

1) केकड़े के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
2) समुद्री फिनफिश के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
3) समुद्री और खारे पानी में स्वदेशी झींगा प्रजातियों के बीज उत्पादन और पालन हेतु हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
4) समुद्री/खारे पानी के सजावटी जीवों के लिए हैचरियों और पालन इकाइयों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
5) समुद्री और खारे पानी में समुद्री शैवाल पौध उत्पादन और खेती को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
6) समुद्री/खारे पानी की जलकृषि प्रजातियों के पिंजरे और बाड़े में पालन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

7) तटीय जलकृषि में जीवित चारा संवर्धन इकाइयों और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

8) बायो-फ्लोक, पुनःपरिसंचरण जलकृषि प्रणालियों (आरएएस) और नर्सरी-आधारित जलकृषि प्रणालियों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

9) समुद्री और खारे पानी में बीज उत्पादन और द्विकपाटी की खेती को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

घ) भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगाणु मुक्त प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन:

सीएए ने "भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगाणु-मुक्त प्रमाणीकरण हेतु दिशानिर्देश" के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) विकसित की हैं। इसमें सभी बीएमसी के लिए एसपीएफ प्रमाणन और हैचरियों के लिए एसपीएफ प्रमाणन वैकल्पिक रूप से प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। एसओपी को भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग को अधिसूचना हेतु भेज दिया गया है। एसओपी की अधिसूचना प्राप्त होने पर, सीएए उन्हीं दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु कार्रवाई शुरू करेगा।

ड.) जलीय क्षेत्र और जलीय मैपिंग की अधिसूचना:

सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 11(1)(डीए) और सीएए नियम, 2024 के नियम 5 के तहत निर्धारित अनुसार, प्राधिकरण पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तटीय जलकृषि के लिए एक्वा ज़ोनेशन और एक्वा मैपिंग सहित ऐसे कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन के माध्यम से ऐसे क्षेत्र में किसी भी तटीय जलकृषि की संख्या, प्रजाति और विधि को विनियमित या प्रतिबंधित करेगा। तदनुसार, सीएए ने "जलीय क्षेत्र और जलीय मैपिंग की अधिसूचना के लिए नए दिशानिर्देश" विकसित किया और इसे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया, जो अब अधिसूचना की प्रक्रिया में है। उन्हीं दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद, सीएए देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तटीय जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए जलीय क्षेत्र और जलीय मैपिंग की अधिसूचना के लिए सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी रूप से समर्थन देने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा।

च) एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करना

चूँकि एंटीबायोटिक अंशों की उपस्थिति के कारण आयातक देश द्वारा समुद्री खाद्य निर्यात को अस्वीकार करना तटीय जलकृषि, विशेष रूप से झींगा पालन, में प्रमुख चुनौतियों में से एक है, इसलिए सीएए ने एमपीईडीए, आईसीएआर संस्थानों और राज्य मत्स्यपालन विभागों के समन्वय से मत्स्यपालन अधिकारियों, किसानों, हैचरी संचालकों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने पर विशेष ध्यान दिया है ताकि सीएए नियम, 2024 के नियम 18 के तहत निर्धारित सभी तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों में औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों और रोगाणुरोधी एजेंटों के उपयोग को सख्ती से विनियमित किया जा सके।

सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा 1(डीबी), सीएए नियम, 2024 के नियम 18 और जलकृषि इनपुट के अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र के दिशानिर्देशों के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी जलकृषि इनपुट निर्माताओं और वितरकों को अनिवार्य रूप से अपने एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए सीएए से प्रमाणन प्राप्त करना होगा और सीएए प्रमाणन के बिना बाजार में कोई भी जलकृषि इनपुट उपलब्ध नहीं होगा।

सीएए ने तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों में सीएए-प्रमाणित उत्पादों के उपयोग और सभी जलकृषि उत्पादों के सीएए के साथ अनिवार्य प्रमाणीकरण के बारे में मत्स्यपालन अधिकारियों, किसानों, हैचरी संचालकों, इनपुट निर्माताओं और वितरकों तथा अन्य हितधारकों को जागरूक करने के लिए पहले ही सभी कदम उठाए हैं। इसके अलावा, 2025-26 के दौरान, सभी हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्र स्तर पर तेज किया जाएगा।

नए जलकृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण और जलकृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर समय पर कार्रवाई की जाएगी और प्राधिकरण के अनुमोदन से ऐसे जलकृषि उत्पादों के लिए प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

सीएए ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करके, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अंतर्गत जलकृषि आदानों के गैर-प्रमाणन और गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधान किए जाएँ, और "जलकृषि आदानों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के दिशानिर्देशों" में नए प्रावधान भी किए जाएँ। इन संशोधनों की अधिसूचना जारी होने पर, सीएए टास्क फोर्स के माध्यम से क्षेत्र में औचक निरीक्षण करने, निर्माण कंपनियों, आयातकों, जलकृषि दुकानों, फार्मों, हैचरियों आदि से नमूने एकत्र करने, नमूनों का परीक्षण करने, आदानों के गैर-प्रमाणन और गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाने और एंटीबायोटिक अवशेषों के सकारात्मक मामले की जाँच करने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा।

छ) देखरेख और निगरानी

सीएए, खेतों और हैचरियों में सुविधाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से जैव-सुरक्षा, स्वच्छता की स्थिति, अपशिष्ट उपचार प्रणाली, उत्पादन सुविधाओं आदि से संबंधित, ताकि तकनीकी अधिकारियों और क्षेत्रीय सलाहकारों द्वारा एमपीईडीए, आईसीएआर संस्थानों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों और तटीय

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य संबद्ध विभागों के समन्वय से सांविधिक प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

नियमित देखरेख और निगरानी में मुख्य रूप से शामिल हैं -

- तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों के स्राव बिंदुओं से जल के नमूने एकत्र करना ताकि यह जांचा जा सके कि स्रावित किया जा रहा जल पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए "तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश" में निर्धारित अपशिष्ट जल स्राव के मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं।
- राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत एमपीईडीए के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ खेतों और हैचरियों से बीज/कल्चर प्रजातियों के नमूनों का संग्रह, ताकि नमूनों में एंटीबायोटिक के अंशों का परीक्षण किया जा सके।
- निरीक्षण दल और सीएए द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खेतों और हैचरियों का नियमित दौरा, ताकि सांविधिक प्रावधानों के अनुसार बीएमपी को अपनाया जाना, जैव-सुरक्षा सुविधाओं का रखरखाव, अपशिष्ट उपचार प्रणालियाँ, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ आदि सुनिश्चित की जा सकें।

धारा 13(ए) के तहत निहित प्रावधान के अनुसार सीएए ने सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे सभी तटीय जिलों में सहायक मत्स्यपालन निदेशक के पद से नीचे के अधिकारियों को नामित करें ताकि उन्हें तटीय जलकृषि इकाइयों की नियमित निगरानी के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जा सके जैसा कि सीएए नियम, 2024 के नियम 7 और 8 के तहत निर्धारित है। तदनुसार, सीएए ने सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकारियों का नामांकन प्राप्त किया और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लगाए गए दंडों को स्थगित करने के लिए और सीएए द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना के साथ-साथ धारा 13ए(2) और 13ए(3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील लेने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए। मत्स्यपालन विभाग, सरकार द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी की अधिसूचना के भारत सरकार द्वारा, सीएए अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित करता है और सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों की नियमित आधार पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू करता है।

(ज) विस्तार कार्यक्रम

- तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण, कृषि पंजीकरण और नवीनीकरण, उत्तम जलकृषि पद्धतियों और रोगाणुरोधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों पर समय-समय पर परामर्श जारी किए जाएंगे ताकि हितधारकों को अनधिकृत गतिविधियों को विनियमित करने और टिकाऊ तटीय जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए बीएमपी को अपनाने के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।
- सीएए के नियमों और विनियमों, अच्छी जलकृषि प्रथाओं, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर विनियमन और तटीय जलकृषि से संबंधित अन्य मामलों की मुख्य विशेषताओं पर ब्रोशर, पैम्फलेट और हैंडआउट व्यापक प्रचार के लिए मुद्रित और प्रसारित किए जाएंगे।
- तटीय जलकृषि गतिविधियों में कमियों और परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एमपीईडीए, आईसीएआर संस्थानों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों और अन्य संबद्ध विभागों के साथ मिलकर हितधारक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां तकनीकी सुधारों और अन्य पहलुओं पर विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

तालिका 12. वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों और निगरानी गतिविधियों के आयोजन के लिए प्रस्तावित अस्थायी लक्ष्य निम्नानुसार हैं।

क्र.सं.	वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ	सं.
1	किसानों, हैचरी संचालकों, इनपुट निर्माताओं/वितरक, मत्स्यपालन अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ राज्य और जिला स्तर पर संवेदीकरण कार्यक्रम	20
2	पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए हैचरियों/एनआरएच का निरीक्षण	100
3	राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत एमपीईडीए के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बीज के नमूनों का संग्रह और हैचरियों का निरीक्षण	100
4	रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) पर संवेदनशीलता	10
5	सेमिनार/प्रदर्शनी/एक्सपो/कार्यशालाओं का संचालन/उनमें भाग लेना	15
6	खेतों की निगरानी	3000
7	जल के नमूनों का संग्रह	500

ज) सीएए की सभी सेवाओं को स्वचालित करने हेतु सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास

सीएए नियम, 2025 के नियम 9 के उप-नियम 3 के अंतर्गत, यह निर्धारित है कि प्राधिकरण जनहित में, तटीय जलकृषि इकाइयों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने का प्रावधान कर सकता है। तदनुसार, सीएए ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन आवेदन विकसित किए हैं ताकि किसानों को अपने तटीय जलकृषि फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में सुविधा हो और एसडीएलसी/डीएलसी के सदस्य संयोजकों द्वारा आवेदन पर ऑनलाइन कार्रवाई की जा सके और सीएए को ऐसी इकाइयों के पंजीकरण हेतु अनुशंसा की जा सके। एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों के लिए लिंक 9 जनवरी 2025 को सीएए वेबसाइट (https://caa.gov.in/NSWS_farms.html) पर उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, सीएए ने तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदनों के प्रसंस्करण पर वर्ष के दौरान सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों, किसानों, एमपीईडीए क्षेत्र अधिकारियों और मत्स्यपालन अधिकारियों के साथ कई प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए।

इसके अलावा, 2025-26 के दौरान, तटीय जलकृषि फार्मों के नवीकरण, तटीय जलकृषि हैचरियों के पंजीकरण और नवीकरण तथा एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के प्रमाणीकरण जैसी सीएए की अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदनों को समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएए की सभी सेवाओं को स्वचालित करने हेतु एनएसडब्ल्यूएस-डीपीआईआईटी के तकनीकी सहयोग से फास्ट ट्रैक मोड पर विकसित किया जाएगा।

प्राधिकरण की कर्मचारी
और
मौजूदा संगठनात्मक संरचना

13

प्राधिकरण की कर्मचारी और मौजूदा संगठनात्मक संरचना

(क) सीएए की मौजूदा स्टाफ स्थिति

वर्तमान में, सीएए की स्वीकृत पदों की संख्या 21 पद है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:

स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	समूह	पद	स्वीकृत पदों की सं.	प्रारंभ में कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान वापस भेजे गए/पदोन्नत/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान जोड़े गए/पदोन्नत किए गए नए कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के अंत में कर्मचारी [(5-6)+7]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	क	निदेशक	1	1	0	0	1
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	0	1
		सहायक निदेशक	1	1	0	0	1
2	ख	अधीक्षक	1	0	0	0	0
		निजी सचिव	2	2	2	0	0
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	1	0	0	1
		लेखाकार	1	0	0	0	0
		आशुलिपिक समूह 'ग'	2	1	0	0	1
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	2	0	0	2
		आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	1	0	0	0	0
		कनिष्ठ लिपिक	2	0	0	0	0
		स्टाफ कार ड्राइवर	1	1	0	0	1
		एमटीएस	4	4	0	0	4
		कुल	**21**	**14**	**2**	**0**	**12**

परामर्शदाता

क्र.सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान छोड़कर जाने वालों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़े गए नये	वित्तीय वर्ष के अंत में
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	परामर्शदाता (प्रशा.)	1	1	0	0

एक मैनपावर एजेंसी के माध्यम से संविदा पर:

क्र.सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान छोड़कर जाने वालों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़े गए नये	वित्तीय वर्ष के अंत में [(3-4)+5]
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	परामर्शदाता तकनीकी	16	2	0	14
2.	परामर्शदाता आईटी	3	1	0	2
3.	परामर्शदाता (लेखा)	1	1	0	0
4	लिपिकीय कर्मचारी	1	0	0	1
5	सहयोगी स्टाफ	2	0	0	2

(ख) भर्ती / पदोन्नति / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन / प्रतिनियुक्ति:

- न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान सीएए के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 09.12.2024 को कार्यमुक्त हुए।
- श्री डी.वी. स्वामी, आईएएस, अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) को केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश सं.9-6/2017-प्रशासन-V दिनांक 03.2.2025 के तहत 03.02.2025 से सीएए के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।
- श्रीमतीजी. दुर्गा, निजी सचिव, 30.04.2024 को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर सीएए की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गईं।
- श्री पी.के. गणेशन, निजी सचिव, 31.01.2025 को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर सीएए की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2024-25 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सीपीआईओ को कुल उन्नीस (19) आवेदन और प्रथम अपीलीय अधिकारी को एक (01) आवेदन प्राप्त हुए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुल 20 आवेदनों के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई गई।

14

वित्त

(i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नई द्वारा किया गया और इसकी रिपोर्ट अनुलग्नक में प्रस्तुत है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 और 17 के अनुसार, मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय, नई दिल्ली के बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत, तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा किए गए बजट अनुमान के आधार पर अनुदान सहायता 2 (दो) किस्तोंत में प्रदान की गई। प्रशासनिक मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 572 लाख रुपये की जीआईए स्वीकृत की है। मंत्रालय ने 500 लाख रुपये के संशोधित अनुमान स्वीकार किए हैं। हालाँकि, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 428.50 लाख रुपये की जीआईए जारी कर दी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान / संशोधित अनुमान और व्यय निम्नानुसार हैं:

(रु. लाखों में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया बीई	मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया आरई	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	अव्ययित जमाशेष
572	500	428.50	339.92	88.58

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-शीर्ष	बीई 2025-26
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	**103240031 सहायता अनुदान** (सामान्य) **103240036 सहायता अनुदान** (वेतन)	630

(ii) वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों का विवरण

वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 के लिए

सीएए के वार्षिक लेखें और

सी एंड एजी
की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
चेन्नई- 600 035

31-03-2025 तक तुलन पत्र

(राशि- रू.)

कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि	1	(3,66,82,120)	(3,10,65,121)
आरक्षित निधियां और अधिशेष	2		
अभिचिहिनत निधियां	3	25,40,57,800	19,75,58,848
सुरक्षित ऋण और उधारियां	4		
असुरक्षित ऋण और उधारियां	5		
आस्थगित ऋण देयताएं	6		
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	6,85,57,816	7,45,90,710
कुल		**28,59,33,496**	**24,10,84,437**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	70,14,427	76,93,868
निवेश - अभिचिहिनत निधि से	9	18,45,00,000	17,87,89,087
निवेश - अन्य	10	-	1,11,61,015
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि	11	9,44,19,069	4,34,40,467
विविध व्यय *(बट्टा खाता या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक)*			
कुल		**28,59,33,496**	**24,10,84,437**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
चेन्नई- 600 035

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सब्सिडियां	13	3,39,92,270	5,06,38,540
शुल्क/अंशदान	14	361	70
निवेशों से आय (निधियों में अंतरण की गई अभिचिहिनत निधियों से निवेश पर आय)	15		
रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17	9,18,657	-
अन्य आय	18	6,542	2,935
तैयार माल के स्टॉक और प्रगतिधीन में वृद्धि/(कमी)	19		
कुल (क)		**3,49,17,830**	**5,06,41,545**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	1,93,80,390	2,52,71,528
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,84,21,683	2,64,54,003
अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय	22		
ब्याज	23		
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल कुल - अनुसूची 8 के तदनुरूप)		18,07,197	18,63,577
पूर्व अवधि मदें			
वेतन और भत्ते			(28,392)
कुल (ख)		**3,96,09,270**	**5,35,60,716**
व्यय पर आय की अधिकता के होते हुए शेष (क-ख)			
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरण			
कॉपर्स/पूंजीगत निधि में ले जाया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		**(46,91,440)**	**(29,19,171)**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालनविभाग
मत्स्यपालनपशुपालन और डेयरी मंत्रालय
चेन्नई- 600 035
31-03-2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	(राशि - रु.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारंभिक शेष		
हाथ में रोकड़		
बैंक शेष		
चालू खाता		
जमा खाता		
बचत खाता	3,50,64,215	2,07,51,253
पेंशन निधि खाता	-	1,96,408
II. प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से -		
पूंजी प्राप्तियां	-	13,61,460
राजस्व प्राप्तियां:		
जीआईए वेतन	2,14,50,000	2,60,00,000
जीआईए सामान्य	2,14,00,000	2,46,38,540
ख) राज्य सरकार से		
III. निम्न से निवेश पर आय		
निर्धारित/संचयी निधियां (एफडीआर व ब्याज)		
स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)		
सावधि जमा बन्द करने पर प्राप्ति	1,13,51,143	1,87,24,180
IV. प्राप्त ब्याज		
बैंक जमाराशियों पर	7,28,529	6,23,681
ऋण, अग्रिम आदि		
निर्धारित निधि पर	4,03,745	2,13,727
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
विविध आय	6,542	14,354
आरटीआई शुल्क	361	70
VI. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्योरे दें)		
प्रक्रिया शुल्क एलवी हैचरी	97,20,330	54,20,000
आवेदन शुल्क 30%	5,44,279	4,81,012
फीड उत्पाद	2,65,90,000	1,14,36,000
फार्म का नवीकरण	91,76,052	11,83,826
संग्रहीत जुर्माना	1,00,000	
शुल्क और कर		66,401
स्टाफ कटौती और प्रेषण	82,023	69,624
गारंटियां		5,00,000
प्रतिभूति जमा		
एमईए, दिल्ली		21,393
VII. सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन खाते से निधि अंतरण		
वापिस किया गया अग्रिम		
वेंडरों के लिए अग्रिम	86,725	
स्टाफ द्वारा अग्रिम वापिसी	15,055	
VIII. प्रत्यक्ष वापिसी व्यय		
स्थापना व्यय		
प्रशासनिक व्यय	40,047	
कुल	**13,67,59,046**	**11,17,01,929**

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालनविभाग
मत्स्यपालनपशुपालन और डेयरी मंत्रालय
चेन्नई- 600 035
31-03-2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

भुगतान	(राशि - रु.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. व्यय		
वेतन व्यय	1,99,67,543	2,51,30,797
सामान्य व्यय	1,30,05,992	1,85,98,775
II. किए गए निवेश और जमाराशियां		
अभिचिह्नित निधियों में से	3,00,00,000	1,00,00,000
III. अचल परिसंपत्तियों और पूंजी प्रगतिधीन पर व्यय		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		13,61,460
IV. अन्यभुगतान (निर्दिष्टकरें)		
अभिचिह्नित निधि से किया गया व्यय	2,01,872	3,85,703
अभिचिह्नित निधि आय वापिसी	31,900	
ईएमएफ से दिया गया अग्रिम	2,593	
एलएसपीसी/ सीपीसी बकाया राशियां		2,09,870
हस्तगतस्टांप	3,00,000	3,00,000
शुल्कऔर कर		3,28,222
टीएनपीडब्ल्यूडी	20,62,403	
पीएफ अंशदान		1,00,242
प्रतिनियुक्ति भत्ता		1,93,350
V. ऋण और अग्रिम		
एलटीसी अग्रिम	42,986	2,250
स्टाफको अग्रिम	86,738	
वेंडरों को अग्रिम	4,24,076	3,61,437
VI. भारत सरकार को वापिस की गई राशि		
विदेश मंत्रालय - पीएओ		2,30,631
डीओएफ - पीएओ	1,82,15,910	1,94,34,977
VII. अंत जमाशेष		
हाथ में नकदी		
बैंक जमाशेष		
चालू खाते		
जमा खाते		
बचत खाते	5,24,17,032	3,50,64,215
कुल	**13,67,59,046**	**11,17,01,929**

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालनविभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
चेन्नई- 600 035

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 1 - कॉपर्स/पूंजीगत निधि:				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(3,10,65,121)		(1,32,62,129)	
जोड़ें: कॉपर्स/पूंजीगत निधि में अंशदान			13,61,460	
जोड़ें/घटायें: आय एवं व्ययसे अंतरण की गई निवल आय/(व्यय)	(46,91,440)		(29,19,171)	
घटायें: पीएओ- डीओएफ, नई दिल्लीको वापिस	9,25,560		1,62,45,281	
वर्ष के अंत में शेष		**(3,66,82,120)**		**(3,10,65,121)**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां और अधिशेष:				
1. पूंजीगत आरक्षित निधि:				
पिछले लेखा के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियां				
2. पुर्नमूल्यांकनआरक्षित निधि:				
पिछले लेखा के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन			एन ए	
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियां				
3. विशेष आरक्षित निधियां:				
पिछले लेखा के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियां				
4. सामान्यआरक्षित निधि:				
पिछले लेखा के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियां				
कुल				

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

अनुसूची 3 - अभिचिह्नित निधियां	ब्रेकअप						कुल	
	फार्म पंजीकरण शुल्क							
	एसडीएलसी/डीएलसी का 30%	प्रक्रिया शुल्क/नवीकरण शुल्क	प्रक्रिया शुल्क(एल.वी. हैचरी)	फीड उत्पाद	पंजीकरण शुल्क-डीएलसी/एसएलसी	अन्यप्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक जमाशेष	61,03,966	1,35,67,601	7,20,42,536	9,31,98,375	94,82,345	31,64,024	19,75,58,848	16,99,06,499
प्रारंभिक जमाशेष	**61,03,966**	**1,35,67,601**	**7,20,42,536**	**9,31,98,375**	**94,82,345**	**31,64,024**	**19,75,58,848**	16,99,06,499
							-	-
ख) निधियों में परिवर्धन:							-	-
दान/अनुदान	-						-	-
ii.	-	-	-				-	-
शुल्क	-	91,54,152	97,20,330	2,65,80,000	1,10,790	42,230	4,56,07,502	1,82,34,456
अंशदान							-	-
							-	-
ब्याजप्राप्तियां - सावधि जमा	-	10,33,269	37,18,156	54,46,907	4,36,247		1,06,34,579	90,89,870
ब्याज प्राप्तियां - बचत खाता	-	39,228	1,41,161	2,06,793	16,562		4,03,744	2,13,726
संग्रहीत जुर्माना						1,00,000	1,00,000	-
बैंक गारंटी							-	5,00,000
जोड़ (क+ख)	**61,03,966**	**2,37,94,250**	**8,56,22,183**	**12,54,32,075**	**1,00,45,944**	**33,06,254**	25,43,04,672	19,79,44,551
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय							-	-
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-			-	-
- अन्य- निपटान	-	-	-	-			-	-
कुल	-	-	-	-			-	-
							-	-
ii. राजस्व व्यय							-	-
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-			-	-
- फार्मों के निरीक्षण पर यात्रा व्यय आदि	-	-		-			-	-
- प्रशिक्षण, प्रायोजकता, जागरूकता आदि	-	-		-			-	1,61,320
- जांच प्रभार	-	-	1,69,465				1,69,465	61,316
- बैठक और सेमिनार			77,407				77,407	1,63,068
कुल	-	-	-	-			-	-
घ) वर्ष के दौरान भुगतान							-	-
ङ.) बैंक गारंटी में अंतरण							-	-
जोड़ (ग)	-	-	2,46,872	-	-	-	2,46,872	3,85,703
वर्ष के अंत में निवल जमाशेष (क+ख-ग)	**61,03,966**	**2,37,94,250**	**8,53,75,311**	**12,54,32,075**	**1,00,45,944**	**33,06,254**	**25,40,57,800**	**19,75,58,848**

टिप्पणियां

1) प्रकटन अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अधीन किए जाएंगे।
2) केंद्रीय/राज्यसरकारों से प्राप्तयोजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाता है न कि किन्हींअन्यनिधियों के साथ मिश्रित किया जाता है।

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधारियां:				
1. केंद्रीय सरकार				
2. राज्यसरकार (निर्दिष्टकरें)				
3. वित्तीयसंस्थान				
(क) सावधि ऋण				
(ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज				
4. बैंक		एन ए		
(क) सावधि ऋण				
प्रोद्भूत और देय ब्याज				
(ख) अन्यऋण (निर्दिष्टकरें)				
प्रोद्भूत और देय ब्याज				
5. अन्यसंस्थानऔर एजेंसियां				
6. डिबेंचर और बांड्स				
7. अन्य(निर्दिष्टकरें)				
कुल				
टिप्पणी एक वर्ष के भीतर देय राशिय				

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधारियां:				
1. केंद्रीय सरकार				
2. राज्यसरकार (निर्दिष्टकरें)				
3. वित्तीयसंस्थान				
4. बैंक				
(क) सावधि ऋण				
(ख) अन्यऋण (निर्दिष्टकरें)		एन ए		
5. अन्यसंस्थानऔर एजेंसियां				
6. डिबेंचर और बांड्स				
7. सावधि जमाराशियां				
8. अन्य(निर्दिष्टकरें)				
कुल				
टिप्पणी एक वर्ष के भीतर देय राशियां				

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 6 - आस्थगितऋण देनदारियां:				
क). पूंजीगत उपस्करऔर अन्यपरिसंपत्तियों के बंधन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां				
ख). अन्य		एन ए		
कुल				
टिप्पणी एक वर्ष के भीतर देय राशियां				

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 7 - मौजूदा देयताएं और प्रावधान:				
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध ऋणदाता				
(क) सामान के लिए				
मुथु सॉफ्ट लैब्स	31,194		31,194	
देय अस्थायी व्यय				
बीएसएनएल एवं एसीटी	10,828		9,237	
थोजा ट्रेवल्स	1,45,730		83,224	
सागबर साथिक स्टोर्स	5,440		15,332	
जीए डिजिटल	7,33,047		8,96,907	
श्री विग्नेशप्रिंट्स	-		23,305	
पीके एसोसिएट्स	85,550		74,930	
कपाडिया ग्लोबलएक्सचेंज	11,800		11,800	
प्रिजम एंड एसोसिएटस	99,710	11,23,300	99,710	12,45,639
(ख) अन्य				
3. प्राप्तअग्रिम				
4. प्रोद्भूत ब्याजलेकिन निम्नपर देय नहीं				
(क) सुरक्षित ऋण/उधारियां				
(ख) असुरक्षित ऋण/उधारियों				
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिदेय				
(ख) अन्य	98,800	98,800	2,11,759	2,11,759
6. अन्यमौजूदा देयताएं				
पीएओ - डीओएफ, नई दिल्लीको वापिसीयोग्य				
ब्याज- बचत बैंक	7,28,529		6,19,486	
जीआईए - सावधि जमा (ब्याजस	-		1,11,61,015	1,17,80,501
आरटीआई शुल्क	361			
अन्यआय	6,542			
सहायता अनुदान - अव्ययित	88,57,730	95,93,162	62,45,281	62,45,281
कर्मचारी कटौती और परेषण धनराशियां	2,77,242	2,77,242	3,15,842	3,15,842
7. प्रदर्शन गारंटी और प्रतिभूति जमा				
ऐश वर्यकंट्रक्शन	3,662		3,662	
स्टडीटेक्नॉलजी	20,800		20,800	
अनविंड लर्निंग लैब्सप्राइवेट लिमिटेड	7,425		7,425	
थोजा ट्रेवल्स	41,000		41,000	
चहल सॉफ्टेक एलएलपी	6,150	79,037	6,150	79,037
8. जमानत राशि जमा				
डे एन डे सर्विस (प्रा.) लि.	30,000		30,000	
ब्रॉडलाइन	5,000		5,000	
मुथु सॉफ्ट लैब्स	5,000		5,000	
नुकुम टेक्नॉलजी	5,000		5,000	
श्री विग्नेशकैब्स	5,000	50,000	5,000	50,000
9.प्रतिभूति जमा				
हिताची सिस्टममाइक्रो क्लिनिक प्रा. लि.	7,293	7,293	7,293	7,293
10. राज्यमत्स्यपालन आंध्र प्रदेश	50,700	50,700	50,700	50,700
जोड़ (क)		**1,12,79,533**		**1,99,86,052**
ख. प्रावधान				
1. कराधान हेतु				
2. उपदान	47,20,550	47,20,550	56,46,658	56,46,658
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-		
4. संचयित छुट्टी नकदीकरण	82,83,231	82,83,231	72,98,465	72,98,465
5. ट्रेड वारंटीज़/दावे		-		
6. अन्य(निर्दिष्टकरें)		-		
देय टीडीएस मांग	2,54,800	2,54,800	2,57,980	2,57,980
देय परामर्शदाता शुल्क		-	42,097	42,097
देय वेतन और भत्ता	14,51,363	14,51,363	15,34,436	15,34,436
टीएनपीडब्ल्यूडीको देय रखरखाव	1,24,68,625	1,24,68,625	1,35,31,028	1,35,31,028
टीएनपीडब्ल्यूडीको देय किराया	2,34,13,320	2,34,13,320	1,92,13,320	1,92,13,320
सीएटी - देय वेतन	53,58,525	53,58,525	53,58,525	53,58,525
अन्यप्रावधान		-	4,76,304	4,76,304
सीपीसी/एलएसपीसी बकाया राशियां	13,27,868	13,27,868	1245845	1245845
जोड़ (ख)		5,72,78,282		5,46,04,658
जोड़ (क + ख)		**6,85,57,816**		**7,45,90,710**

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 8 - अचल परिसंपत्तियां (राशि - रु.)

		सकल प्रखंड					मूल्यहास					निवल प्रखंड	
मूल्यहास	मूल्यहास की दर	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में संचयित मूल्यहास	वर्तमान वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौती पर मूल्यहास	पूर्व अवधि समायोजन	वर्ष के अंत में संचयित मूल्यहास	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
			सितंबर तक	सितंबर के बाद									
क. अचल परिसंपत्तियां													
संयंत्र और मशीनरी	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	95,34,763	1,90,923			97,25,686	10,81,895	12,72,818
संयंत्र और मशीनरी - प्रयोगशाला उपकरण	15%	55,49,588				55,49,588	44,74,025	1,61,334			46,35,359	9,14,229	10,75,563
कार्यालय उपकरण	15%	67,56,337		5,04,740		72,61,077	46,00,967	3,69,802		1,56,911	51,27,680	21,33,397	21,55,370
फर्नीचर और जुड़नार	10%	54,77,469		6,23,015		61,00,484	37,07,723	2,22,393		1,37,686	40,67,802	20,32,682	17,69,746
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं पेरिफेरल्स वेबसाइट डेवलपमेंट	40%	67,30,825				67,30,825	53,10,453	5,68,149			58,78,602	8,52,223	14,20,372
पुस्तकालयपुस्तकेंऔर तकनीकी पुस्तकें	40%	23,58,882				23,58,882	23,58,882			(1)	23,58,881	1	-
वर्तमान वर्ष का जोड़		**3,76,80,682**	**-**	**11,27,755**	**-**	**3,88,08,437**	**2,99,86,813**	**15,12,601**	**-**	**2,94,596**	**3,17,94,010**	**70,14,427**	**76,93,868**
पिछला वर्ष		3,40,54,740	8,46,041	5,15,419	(94,400)	3,53,21,800	2,58,47,336	18,63,577	-	(82,981)	2,76,27,932	76,93,868	82,07,404
ख. प्रगतिधीन पूंजी													
कुल												**70,14,427**	**76,93,868**
(उपर्युक्तसहित किराया खरीद आधार पर परिसंपत्तियों की लागत में टिप्पणीदी जाए)													

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 9 - अभिचिह्नित निधियों से निवेश:				
1. सरकारी प्रतिभूतियों में				
2. अन्यअनुमोदित प्रतिभूतियां				
3. शेयर				
4. डिबेंचर्स और बांड्स				
5. सहायक कंपनियां और संयुक्तउद्यम				
6. अन्य(निर्दिष्टकरें)				
साविधि जमा प्राप्तियां	18,45,00,000		17,87,63,201	
साविधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज		18,45,00,000	25,886	17,87,89,087
कुल		**18,45,00,000**		**17,87,89,087**
अनुसूची 10 - अन्यनिवेश:				
1. सरकारी प्रतिभूतियों में				
2. अन्यअनुमोदित प्रतिभूतियां				
3. शेयर				
4. डिबेंचर्स और बांड्स				
5. सहायक कंपनियां और संयुक्तउद्यम				
6. अन्य(निर्दिष्टकरें)				
साविधि जमा प्राप्तियां (जीआईए)			1,11,59,366	
साविधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज(जीआईए)		-	1,649	1,11,61,015
कुल		**-**		**1,11,61,015**

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क. वर्तमान परिसंपत्तियां				
1. वस्तुसूचियां				
(क) भंडार और पुर्जे				
(ख) लूज टूल्स				
(ग) ट्रेड में स्टॉक				
तैयार माल				
प्रगतिधीन				
कच्चामाल				
2. विविध ऋणी:				
(क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण				
(ख) अन्य				
3. रोकड़ जमाशेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)				
4. बैंक जमाशेष:				
(क) अनुसूचित बैंकों में:				
चालू खातों पर				
जमा खातों पर (मार्जिन धनराशि सहित)				
बचत खातों पर	5,24,17,032	**5,24,17,032**	3,50,64,215	**3,50,64,215**
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों पर				
जमा खातों पर (मार्जिन धनराशि सहित)				
बचत खातों पर				
5. पोस्टऑफिस - बचत खाते				
जोड़ (क)		**5,24,17,032**		**3,50,64,215**

31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी ..)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्यपरिसंपत्तियां				
1. ऋण				
(क) स्टाफ				
(ख) अन्यकंपनियां जो उसी तरह की गतिविधियों/उद्देश योंमें शामिल हैं				
(ग) अन्य(निर्दिष्टकरें)				
2. रोकड़ में या वस्तुके रूप में या प्राप्तहोने वाले मूल्यके लिए अग्रिम और अन्यराशियां				
(क) कार्यगत पूंजी पर				
(ख) पूर्व भुगतान				
(ग) अन्य				
पूर्वभुगतान व्यय				
क) स्टांप(फ्रेंकिंग मशीन)	4,79,974		4,86,384	
ख) स्टांप(पोस्टल)	3,632		4,094	
ग) फ्रेंकिंग मशीन के लिए एएमसी	-		7,875	
घ) टेली प्रभार	4,715	4,88,321		4,98,353
स्टॉफको अग्रिम	20,000	20,000	2,250	2,250
दूरभाष जमाराशियां	39,782	39,782	39,782	39,782
पीडब्ल्यूडीको अग्रिम	1,52,311	1,52,311	12,31,845	12,31,845
पंजीकरण शुल्क- प्राप्तियोग्यडीएलसी/एसएलसी	58,64,201	58,64,201	62,55,460	62,55,460
आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों को अग्रिम	5,13,757	5,13,757	3,48,562	3,48,562
3. प्रोद्भूत आय				
(क) अभिचिह्नित निधि से निवेशों पर				
सावधि जमा पर प्राप्तियोग्यब्याज				
क) संचयी ब्याज	3,48,91,017		-	
ख) प्रोद्भूत ब्याज	32,648	3,49,23,665		-
(ख) निवेशों - अन्यपर				
(ग) ऋणों और अग्रिमों पर				
(घ) अन्य				
(वसूल नहीं की गई आय रु. --------------- सहित)				
4. प्राप्तियोग्यदावे				
जोड़ (ख)		4,20,02,036		83,76,252
जोड़ (क + ख)		**9,44,19,069**		**4,34,40,467**

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय:	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बिक्री से आय				
(क) तैयार माल की बिक्री				
(ख) कच्चेमाल की बिक्री				
(ग) स्क्रेपकी बिक्री			एन ए	
2. सेवाओं से आय:				
(क) श्रम और प्रक्रिया प्रभार				
(ख) प्रोफेशनल/परामर्शी सेवाएं				
(ग) एजेंसी आयोग और ब्रोकरेज				
(घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)				
(ङ.) अन्य(निर्दिष्टकरें)				
कुल				

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकियां: (वसूल नहीं किए जाने योग्यअनुदान और प्राप्तसहायिकियां) 1. केंद्रीय सरकार 2. राज्यसरकार(रें) 3. सरकारी एजेंसियां 4. संस्थान/कल्याणनिकाय 5. अंतरराष्ट्रीयसंगठन 6. अन्य(निर्दिष्टकरें)	3,39,92,270	3,39,92,270	5,06,38,540	5,06,38,540
कुल		**3,39,92,270**		**5,06,38,540**

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान: 1. प्रवेश शुल्क 2. वार्षिक शुल्क/अंशदान 3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क 4. परामर्शदाता शुल्क 5. अन्य(निर्दिष्टकरें) आरटीआई शुल्क	361	**361**	70	**70**
कुल		**361**		**70**
टिप्पणी प्रत्येकमद की लेखाकरण नीतियां प्रकट की जाएं				

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 15 - निवेशों से आय: (अभिचिह्नित निधियों से निवेश पर आय निधियों में अंतरण की गई) 1. ब्याज (क). सरकारी प्रतिभूतियों पर (ख). अन्यबांड्स/डिबेंचर्स 2. लाभांश: (क). शेयरों पर (ख). म्यूचअलफंड प्रतिभूतियों पर 3. किराये 4. अन्य(निर्दिष्टकरें) **कुल**		एन ए		
अभिचिह्नित निधियों में अंतरण				

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 16 - रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय				
1. रॉयल्टीसे आय		एन ए		
2. प्रकाशनों से आय				
3. अन्य(निर्दिष्टकरें)				
कुल				

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज				
1. सावधि जमाराशियों पर				
(क) अनुसूचित बैंकों में	1,90,128	**1,90,128**		
(ख) गैर-अनुसूचित बैंको में				
(ग) संस्थानोंमें				
(घ) अन्य				
2. बचत खातों पर:				
(क) अनुसूचित बैंकों में	7,28,529	**7,28,529**		
(ख) अनुसूचित बैंकों में				
(ग) संस्थानोंमें				
(घ) अन्य				
3. ऋणों पर				
(क) कर्मचारी/स्टाफ				
(ख) अन्य				
4. ऋणियों पर ब्याजऔर अन्यप्राप्तियोग्य				
कुल		**9,18,657**		-
टिप्पणी स्रोत पर कटौती किया गया कर दर्शायें				

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 18 - अन्यआय:				
1. बिक्री पर संपत्ति/परिसंपत्तियों का निपटान:				
(क) स्वामित्वाली परिसंपत्तियां				
(ख) अनुदानों से अर्जित परिसंपत्तियां, या नि:शुल्कप्राप्त				
2. वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन				
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क				
4. विविध आय				
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ			2935	
स्टाफसे वसूली	6542	**6542**		**2935**
कुल		**6542**		**2935**
अनुसूची 19 - तैयार माल ओर कार्य प्रगतिधीन के स्टॉकमें वृद्धि/(कमी)				
क). अंत स्टॉक				
तैयार माल				
कार्य प्रगतिधीन				
ख). घटायें: प्रारंभिक स्टॉक				
तैयार माल				
कार्य प्रगतिधीन				
निवल वृद्धि / (कमी) [क-ख]				
अनुसूची 20 - स्थापनाव्यय				
क) वेतन और मजदूरी	1,72,12,447	**1,72,12,447**	2,27,37,085	**2,27,37,085**
ख) डीए बकाया राशियां	2,06,773	**2,06,773**		
ग) भत्तेऔर बोनस				
प्रतिनियुक्ति डयूटी भत्ता			22,350	
बाल शिक्षा भत्ता	5,64,991		5,28,201	
वर्दी भत्ता	31,250	**5,96,241**	25,000	**5,75,551**
घ) भविष्यनिधि/एनपीएस में अंशदान	11,33,556	**11,33,556**	17,01,857	**17,01,857**
ड.) अन्यनिधि में अंशदान (निर्दिष्टकरें)				
च) स्टाफकल्याणव्यय				
छ) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय				
छुट्टी लाभ	9,84,766		(2,18,485)	
उपदान लाभ	(9,26,108)	**58,658**	31,099	**(1,87,386)**
ज) अन्य(निर्दिष्टकरें)				
एलटीसी	70,015	**70,015**	21,764	**21,764**
छुट्टी नकदीकरण	14,800	**14,800**	1,70,232	**1,70,232**
छुट्टी वेतन अंशदान	87,900	**87,900**	2,17,425	**2,17,425**
मानदेय			35,000	**35,000**
कुल		**1,93,80,390**		**2,52,71,528**

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय की अनुसूचियां

(राशि - रु.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि				
1. विज्ञापन और प्रचार	1,33,943	**1,33,943**	1,35,101	**1,35,101**
2. घरेलू यात्रा व्यय	10,55,448	**10,55,448**	17,01,974	**17,01,974**
3. विदेशी यात्रा व्यय		**-**	1,77,552	**1,77,552**
4. कार्यालय व्यय				
मरम्मतें और रखरखाव	10,01,875		30,98,787	
किराया व्यय	42,00,000		42,00,000	
जल प्रभार	18,640			
डाक व्यय टेलीग्राम	3,14,432		15,399	
मुद्रण, स्टेशनरी और उपभोज्य	4,91,699		11,43,673	
इंटरनेट व्यय	4,691		17,400	
दूरभाष व्यय	1,73,196		1,57,688	
प्रोफेशनल प्रभार	4,42,991		4,93,720	
वाहन किराया प्रभार	8,70,640		24,43,935	
बैठक व्यय	90,272		77,923	
विविध व्यय	6,294		2,16,396	
सेमिनार/ वर्कशाल/ प्रशिक्षण व्यय	3,648			
अन्य संविदात्मक सेवा			38,967	
आईटी उपभोज्य	17,452		2,76,180	
जलपान और आतिथ्य व्यय	85,414		3,38,931	
एएमसी व्यय(ए.सी., कंप्यूटर कार्यालय उपक	9,584		14,160	
परामर्श शुल्क	1,95,054		5,23,591	
मैनपावर आउटसोर्सिंग प्रभार	89,42,434		96,22,503	
समाचारपत्र और पत्रिका	34,260		62,400	
अनुवाद प्रभार	50,929			
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस			12,331	
हिंदी सप्ताह समारोह/ प्रतियोगिता/ संवर्धन	10,000		46,955	
मानदेय			3,000	
लेखापरीक्षा व्यय	17,161			
स्टाफ को प्रोत्साहन			25,000	
अंशदान प्रभार	4,750		1,37,604	
दरें और कर	(3,180)		78,332	
वेबसाइट रखरखाव प्रभार - क्लॉउड	1,27,610			
सीपीएफ खाते में भुगतान किया गया ब्याज			2,74,513	
जीपीएफ खाता में भुगतान किया गया ब्याज	13,915		10,64,832	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,08,530	**1,72,32,292**	55,156	**2,44,39,376**
कुल		**1,84,21,683**		**2,64,54,003**

31.03.2025 को समाप्तअवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्ययकी अनुसूचियां

(राशि - रु.)

अनुसूची 22 - अनुदानों, सहायिकियों आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकियां	एन ए			
कुल				
टिप्पणी- कंपनियों के नाम, अनुदानों/सहायिकियों की राशि के साथ उनकी गतिविधियां प्रकट की जाएं				

(राशि - रु.)

अनुसूची 23 - ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क) सावधि ऋणों पर ख) अन्यऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) ग) अन्य(निर्दिष्टकरें)	एन ए			
कुल				

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार

मत्स्यसरकपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

अनुसूची - 24
लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी), आईसीएआई द्वारा जारी लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों (एएस) और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीजीए द्वारा यथा निर्धारित संगत प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय की सभी मदों के संबंध में लेखाकरण की उपार्जन विधि का अनुसरण करता है, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया है।

2. अचल परिसंपत्तियां

क) अचल परिसंपत्तियों का विधिवत निरीक्षण किए जाने के बाद इनका हिसाब रखा जाता है।

ख) अचल संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यह्रास लागत पर कहा जाता है जिसमें खरीद मूल्य, आवक माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा इसके इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को उसकी कामकाजी परिस्थितियों में लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है। अर्हक अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित वित्तपोषण लागत को भी उस सीमा तक शामिल किया जाता है जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

ग) पूर्ववर्ती जलकृषि प्राधिकरण की अचल संपत्तियों को भी ज्ञात परिसंपत्तियों के मूल्य के लिए सीएए द्वारा अधिग्रहण की तारीख से खरीदने की तारीख तक की अवधि के लिए लागत कम मूल्यह्रास पर ध्यान में रखा गया था। परिसंपत्तियों के अज्ञात मूल्य के मामले में, सीएए के बही-खातों में पूंजी डालने के लिए 1/- रुपये के कल्पित मूल्य पर विचार किया गया है।

घ) गैर-मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को पूंजीगत निधि के अनुरूप क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। नि:शुल्क उपहार के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को रु.1/- के नाममात्र मूल्य पर ध्यान में रखा गया है।

ड.) विशिष्ट सहायता अनुदान पर अर्जित अचल परिसंपत्तियां प्राधिकरण के खाते में अचल संपत्ति के रूप में शामिल हैं। सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों की लागत पूंजी निधि में जमा की जाती है। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास भी आयकर अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित दरों पर परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लगाया जाता है और आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त है।

च) वर्ष के दौरान, कार्यालय उपकरणों में ₹5,04,740/- और फर्नीचर एवं फिक्स्चर में ₹6,23,015/- की वृद्धि को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पूंजीकृत किया गया। यह उल्लेखनीय है कि संबंधित परिसंपत्तियों का उपयोग अगस्त 2021 से शुरू किया गया था।

3. मूल्यखह्रास

क) मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन/कटौतियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अर्जित परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में विनिदष्ट दरों पर पूर्ण मूल्यह्रास लगाया जाता है तथा वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में अर्जित परिसंपत्तियों पर 50% मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ग) 5000/- रुपये और उससे कम की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों की प्रत्येक मद का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यीह्रास किया जाता है।

घ) वित्त अधिनियम 2017 में नवीनतम संशोधन के अनुसार पुस्तकों और कंप्यूटरों के संबंध में मूल्यह्रास की दर 31.03.2025 तक ब्लॉक के डब्ल्यूडीवी के 40% तक सीमित थी।

ङ) वर्ष के दौरान, कार्यालय उपकरणों में ₹1,56,911/- और फर्नीचर एवं फिक्स्चर में ₹1,37,686/- की राशि की वृद्धि को पूर्व अवधि समायोजन के रूप में मान्यता दी गई है। ये समायोजन उन परिसंपत्तियों से संबंधित हैं जो अगस्त 2021 से मूल्यह्रास के लिए पात्र थीं, जिनमें वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 शामिल हैं।

4. पट्टा / किराया

पट्टा/किराया पट्टा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार व्यमयों के रूप में लेखांकित किए गए हैं।

5. परिसंपत्तियों की हानि

एक परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षति हानि का शुल्क उस वर्ष के लिए आय तथा व्यय विवरण से लिया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों की पहचान बिगड़ा हुआ है। क्षति हानि को पहचाना या पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि माना गया है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडियां

पूंजीगत व्यय अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रासीय परिसंपत्तियों की लागत को 'पूंजी निधि' खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से होने वाले राजस्व व्यय को "आय और व्यय खाते" में डेबिट किया जाएगा। अधिशेष/(घाटा) को वर्ष के अंत में कॉर्पस/पूंजी निधि खाते में अंतरण किया जाता है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

क) नई पेंशन योजना के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/देय प्राधिकरण के अंशदान को आय और व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ख) सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन के संबंध में देयताओं का निर्धारण डीओपीटीएम सं.7/5/2012-पी एंड पीडब्ल्यू (एफ)/बी दिनांक 26.08.2016, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972, केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमों और प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित अनुसार प्रतिवर्ष किया जाता है।

ग) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयता का प्रावधान प्रत्येक वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाएगा और आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त होगी।

8. कराधान

प्राधिकरण संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी या किसी अन्य कर के संबंध में संघ / राज्य को उनके धन, आय, प्राप्त लाभ के लाभ के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अत चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री से जुड़े प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का

बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पकणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियां न तो मान्यता प्राप्त है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई है।

10. आय और व्ययय

इस अनुच्छेदद में बाद में निर्दिष्ट आय को छोड़कर वर्ष की सभी आय और व्यय, खातों के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत उपार्जन आधार पर लेखांकित किया जाता है:

क) पिछले वर्ष की आय या व्यय, जो एक या अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान करने / देयता बनाने में चूक की त्रुटियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, को "पूर्व अवधि समायोजन" खाते के तहत रखा जाता है।

ख) यदि वास्तविक व्यय या आय व्यय के आधार पर सृजित देयता/किए गए प्रावधान से अधिक है, तो इसका हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है।

ग) वार्षिक खातों और असाधारण मदों को अंतिम रूप देने की तारीख के बाद लिए गए निर्णय के कारण प्राधिकरण को प्राप्त होने वाला व्यय/आय। यदि कोई पूर्वव्यापी प्रभाव है, तो उसका नकद आधार पर हिसाब रखा जाता है।

घ) तुलन पत्र और/या आय तथा व्यय खाते में किसी मद के प्रकटीकरण के लेखाकरण उपचार और तरीके का निर्धारण करते समय, भौतिकता की अवधारणा पर उचित विचार किया जाता है और इसलिए प्रत्येक मामले में 1,000 रुपये तक की पूर्व-भुगतान/पूर्व अवधि मदों का नकद आधार पर खाता के प्राकृतिक शीर्षों में लेखाबद्ध किया जाता है।

11. राजस्वर मान्यरता

क) प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में एकत्र किया गया शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण लिटोपेनेयस वैननामेई फार्म्स और हैचरी और फीड उत्पादों के लिए प्रक्रिया शुल्क वसूल कर रहा है। प्राधिकरण की बाहर निकलने की नीति के अनुसार; शुल्क को प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/संचयी निधि के रूप में रखा जाता है और प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाता है।

ख) ब्याज आय को प्रोदभूत आधार पर बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

12. पृथक प्रकटन

आय और व्यय खाते में निम्नलिखित के संबंध में पृथक प्रकटन किए जाते हैं:

क) "पूर्व अवधि" मदें जिनमें आय या व्यय की भौतिक मदें शामिल होती हैं जो वर्तमान अवधि में त्रुटियों या व्ययों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं जो वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं या एक या अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों की तैयारी में चूक की त्रुटियां होती हैं।

ख) "असाधारण" मदें, जो आय या व्यय की भौतिक वस्तुएं हैं जो घटना या लेनदेन से उत्पन्न होती हैं जो इकाई की सामान्य गतिविधियों से स्पष्ट रूप से अलग हैं। इसलिए, बार-बार या नियमित रूप से पुनरावृत्ति की उम्मीद नहीं है।

ग) "विविध आय" शीर्ष के तहत कोई भी वस्तु जो 50,000/- रुपये से अधिक है, आय और व्यय खाते में एक उपयुक्त खाता शीर्ष के सामने दिखाया जाता है।

घ) ''विविध व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो 50,000/- रुपये से अधिक है, उसे आय और व्यय खाते में उपयुक्त खाता मद के सामने दर्शाया जाता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार

मत्य्सरकपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

अनुसूची - 25

आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पडणियां

आकस्मिक देयताएं

31 मार्च, 2025 तक आकस्मिक देयता का कोई मामला प्रतीत नहीं होता है।

अचल परिसंपत्तियां

पूर्ववर्ती जलकृषि प्राधिकरण की अचल संपत्तियों को मूल्य ज्ञात परिसंपत्तियों के लिए सीएए द्वारा अधिग्रहण की तारीख तक की अवधि के लिए लागत कम मूल्यह्रास पर भी ध्यान में रखा गया था। मूल्य अज्ञात परिसंपत्तियों के मामले में, सीएए की लेखा बहियों में पूंजीकरण के लिए 1/- रुपए के अनुमानित मूल्य पर विचार किया जाता है। आयकर नियमावली में निर्धारित दर पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की गई है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

इस प्राधिकरण ने डाकघर से फ्रैंकिंग मशीन ली है और उस प्राधिकरण द्वारा डाकघर से सरकारी डाक टिकट खरीदने के अलावा एकमुश्त राशि के लिए टिकटों से भरा जाता है, इस तरह भुगतान की गई राशि को हाथ में डाक टिकट के रूप में दिखाया जाता है। स्टाम्प की दैनिक खपत के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर के आधार पर, डाक टिकटों पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ के खाते में टिकटों के तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा संबंधित व्यय मद में डेबिट किया जाता है। 31 मार्च, 2025 तक 4,83,606/- रुपये की राशि के डाक टिकट हाथ में थे।

वर्तमान देयताएं

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त 79,037/- रुपये की प्रतिभूति जमा राशि इसकी वारंटी अवधि के पूरा होने तक रखी जाएगी।

कराधान

यह प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, प्राप्त लाभ के लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, वर्तमान और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकारी अनुदान/संग्रहीत शुल्कप

पूंजीगत व्यय अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रासीय परिसंपत्तियों की लागत को 'पूंजी निधि' खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से होने वाले राजस्व व्यय को "आय और व्यय खाते" में डेबिट किया जाएगा। अधिशेष/(घाटा) 31 मार्च, 2025 को वर्ष के अंत में कॉर्पस/ पूंजी निधि खाते में अंतरण किया गया है।

प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए संग्रहीत शुल्क डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में प्राप्त् कर रहा है। उसके अलावा प्राधिकरण एल.वी. फार्मों और हैचरी के लिए प्रक्रिया शुल्क संग्रहीत कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार; शुल्क को प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/वृत्ति निधि के रूप में लेखांकित किया जाता है और प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट या निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु रखा जाता है।

पिछले वर्ष के आंकड़े

स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा निर्धारित लेखाकरण प्रक्रिया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और रसीद तथा भुगतान खाते में विभिन्न अनुसूचियों के साथ दिखाने के लिए निर्दिष्ट करती है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार

मत्स्यसरकपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र

पूंजी निधि/देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सीपीएफ निधि		
प्रारंभिक जमाशेष	28,93,958	20,00,953
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	(20,09,517)	8,93,005
	8,84,441	28,93,958
कुल	**8,84,441**	**28,93,958**
परिसंपत्ति यां	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
एफडी निवेश	8,37,983	10,45,466
प्राप्तियोग्य एफडी ब्याज	116	145
वर्तमान परिसंपत्तियां		
बैंक में रोकड़		
- आईडीबीआई बैंक	46,342	18,48,347
कुल	**8,84,441**	**28,93,958**

31 मार्च 2025 कोसमाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सीपीएफ अंशदान	-	5,23,930
सीपीएफ ब्याज अंशदान	-	2,74,513
बचत खाते पर ब्याज	5,841	41,912
सावधि जमा ब्याज	42,551	52,650
कुल	**48,392**	**8,93,005**
व्यय	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बैंक प्रभार	-	-
निपटान/अंतरण किया गया सीपीएफ	20,57,909	-
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	(20,09,517)	8,93,005
कुल	**48,392**	**8,93,005**

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कीअवधि के लिए प्राप्ति यां और भुगतान लेखा

प्राप्ति यां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक जमाशेष		
- आईडीबीआई बैंक	18,48,347	10,07,992
सीपीएफ अंशदान		5,23,930
सीपीएफ ब्याज अंशदान		2,74,513
बचत खाते पर ब्याज	5,841	41,912
सावधि जमाराशियों की समाप्ति	2,50,063	
कुल	**21,04,251**	**18,48,347**
भुगतान	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बैंक प्रभार	-	-
निपटान/अंतरण किया गया सीपीएफ	20,57,909	
अंत जमाशेष		
- आईडीबीआई बैंक	46,342	18,48,347
कुल	**21,04,251**	**18,48,347**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार

मत्स्यसरकपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र

पूंजी निधि/दयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जीपीएफ निधि		
प्रारंभिक जमाशेष	33,70,123	20,31,766
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	1,76,431	13,38,357
	35,46,554	33,70,123
कुल	**35,46,554**	**33,70,123**
परिसंपत्ति यां	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
एफडी निवेश	15,68,471	14,89,493
प्राप्तियोग्य एफडी ब्याज	217	207
वर्तमान परिसंपत्तियां		
बैंक में रोकड़		
- आईडीबीआई बैंक	19,77,866	18,80,423
कुल	**35,46,554**	**33,70,123**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जीपीएफ अंशदान	25,000	1,74,000
जीपीएफ ब्याज अंशदान	13,915	10,64,832
बचत खाते पर ब्याज	58,528	24,514
सावधि जमा ब्याज	78,988	75,011
कुल	**1,76,431**	**13,38,357**
व्यय	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बैंक प्रभार	-	-
निपटान/अंतरण किया गया जीपीएफ	-	-
व्यय पर अय की अधिकता/(कमी)	1,76,431	13,38,357
कुल	**1,76,431**	**13,38,357**

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 अवधि के लिए प्राप्ति यां और भुगतान लेखा

प्राप्ति यां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक जमाशेष		
- आईडीबीआई बैंक	18,80,423	6,17,077
जीपीएफ अंशदान	25,000	1,74,000
सीपीएफ ब्याज अंशदान	13,915	10,64,832
बचत खाते पर ब्याज	58,528	24,514
कुल	**19,77,866**	**18,80,423**
भुगतान	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बैंक प्रभार		
निपटान/अंतरण किया गया जीपीएफ		
अंत जमाशेष		
- आईडीबीआई बैंक	19,77,866	18,80,423
कुल	**19,77,866**	**18,80,423**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यसरकपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पेंशन निधि

31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र

पूंजीनिधि/दयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन निधि		
प्रारंभिक जमाशेष	(0)	1,85,35,863
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	-	3,88,920
	(0)	1,89,24,783
घटायें: पीएओ, डीओएफ नई दिल्ली को वापिसी	-	1,89,24,783
कुल	(0)	**(0)**
परिसंपत्ति यां	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
एफडी निवेश		
प्राप्तियोग्य एफडी ब्याज		
वर्तमान परिसंपत्तियां		
बैंक में रोकड़		
- आईडीबीआई बैंक	-	-
कुल	**-**	**-**

31 मार्च 2025 कोसमाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन अंशदान	-	-
बचत खाते पर ब्याज	-	4,195
सावधि जमा ब्याज		3,84,725
कुल	**-**	**3,88,920**
व्यय	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बैंक प्रभार	-	-
निपटान की गई/अंतरण की गई पेंशन	-	-
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	-	3,88,920
कुल	**-**	**3,88,920**

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 अवधि के लिए प्राप्ति यां और भुगतान लेखा

प्राप्ति यां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक जमाशेष		
- आईडीबीआई बैंक	-	1,96,408
पेंशन अंशदान	-	-
बचत खाते पर ब्याज		5,750
सावधि जमा बंद		1,87,24,180
कुल	**-**	**1,89,26,338**
भुगतान	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बैंक प्रभार		-
बैंक ब्याज की वापिसी		1,555
पेंशन निपटान की गई/अंतरण की गई		
पीएओ को वापिसी		1,89,24,783
अंत जमाशेष		
- आईडीबीआई बैंक	-	-
कुल	**-**	**1,89,26,338**

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै
का कार्यालय
"ऑडिट भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट चेन्नै – 600018
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT (CENTRAL), CHENNAI
'Audit Bhawan', 361, Anna Salai,
Teynampet, Chennai- 600018

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या: डीजीए(सी)/सीई/V/28-66/2025-26 **दिनांक: .11.2025**

सेवामें,

सचिव,भारत सरकार,

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,

मत्स्यपालन विभाग,

कृषि भवन,

नई दिल्ली - 110 001.

महोदय,

विषय: तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-25 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

मैं इसके साथ तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-25 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखों का विवरण संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया संसद में लेखों को प्रस्तुत करने की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें। इसके अलावा, संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति भी यथासमय इस कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया संलग्नकों सहित इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

sd/-

संलग्न: उपर्युक्तव **उप निदेशक (केंद्रीय व्यय)**

संख्या: डीजीए(सी)/सीई/V/28-66/2025-26/46 **दिनांक:27.11.2025**

वर्ष 2024-25 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई को प्रेषित की जाती है। अनुरोध है कि पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का हिंदी पाठ और संसद में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्र उपलब्ध कराएँ।

उप निदेशक (केंद्रीय व्यय)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

राय

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियाँ और भुगतान खाता, और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पिणयां,साथ ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) को तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 20(3) के साथ पठित, के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को दर्शाती है, जो केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर आधारित हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर दी गई टिप्प णियों तथा इसके बाद आने वाली पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, तथा खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार उस वर्ष समाप्त हुए इसके वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाहों की सही जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजीके लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअलों/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पअणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार संचालित की। हमारेउत्तसरदायित्वोंक को हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व"खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामलों पर जोर - शून्य

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई का प्रबंधन खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए, तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, जिसे प्रबंधन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी को सक्षम करने हेतु आवश्यक समझता है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारे उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, और सीएजीके लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअलों/ दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पैणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार अपनी राय सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नई

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 27.11.2025

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. सामान्य

लेखों के संशोधन का प्रभाव -तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया। लेखों के संशोधन के परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियाँ/देयताएँ रु.0.03 करोड़ कम हो गईं और आय का व्यय पर रु.0.44 करोड़ का अधिशेष व्यय के आय पर रु.0.47 करोड़ की अधिकता में परिवर्तित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय की आय पर अधिकता में रु.0.91 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

ख. प्रबंधन पत्र

कमियांजिन्हें इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।

ग. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यां कन

(i)	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	:	पर्याप्त
(ii)	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	:	पर्याप्त
(iii)	अचलपरिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	:	पर्याप्त
(iv)	वस्तुपसूचीके भौतिक सत्यापन की प्रणाली	:	पर्याप्त
(v)	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	:	पर्याप्त
(vi)	स्वाामित्व के कामकाज से संबंधित अन्य मामले	:	शून्यप

घ. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त रु.4.28 करोड़ के सहायता अनुदान में से, संगठन रु.3.40 करोड़ की राशि का उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च 2025 तक रु.0.88 करोड़ की राशि अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शेष बची रही।

जे. शंकर राम, आईए एवं एएस.,
उप. निदेशक
J. SHANKAR RAM, IAAS
Deputy Director

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
"ऑडिट भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट चेन्नै – 600018
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), CHENNAI
'Audit Bhawan', 361, Anna Salai,
Teynampet, Chennai- 600018

सं.: डीजीए(सी)/सीई/V/28-66/2025-26
27.11.2025

Sir,

दिनांक 27.11.2025 को जारी तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, मैं उपचारात्मक कार्रवाई हेतु लेखांकन प्रथाओं/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित विचलन को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

1. चिह्नित निधियों में रु.25,43,04,672 की निवलप्राप्तियाँ थीं और रु.2,46,872 का निवलउपयोग हुआ। डीएलसी/एसएलसी पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों के हिस्से के विरुद्ध संबंधित व्यय के लिए चिह्नित निधि का उपयोग न करने और अनुदान से उस पर व्यय करने के परिणामस्वरूप आय और व्यय खाते में व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।

With regards.

सादर,

J. Shankar Ram

श्री के.सी. देवसेनापति, आई.ए.एस.
सचिव
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग के लिए
एकीकृत कार्यालय परिसर, 5वीं मंजिल,
नंदनम, चेन्नई-600 035.

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखों पर
अंतिम पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण

टिप्प णी	उत्तपर
क. सामान्यर लेखों के संशोधन का प्रभाव - तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया। लेखों के संशोधन के परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियाँ/देयताएँ रु.0.03 करोड़ कम हो गईं और आय का व्यय पर रु.0.44 करोड़ का अधिशेष व्यय के आय पर रु.0.47 करोड़ की अधिकता में परिवर्तित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय की आय पर अधिकता में रु.0.91 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।	सीएजीआई की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।चूंकि आगे किसी कार्रवाई का सुझाव नहीं दिया गया है, इसलिए इसे शून्यव माना जाए।
ख. प्रबंधन पत्र कमियांजिन्हें इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।	सीएजीआई की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।चूंकि आगे किसी कार्रवाई का सुझाव नहीं दिया गया है, इसलिए इसे शून्या माना जाए।
ग. आंतरिक नियंत्रण मूल्यां कन (i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता : पर्याप्त (ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता : पर्याप्त (iii) अचलपरिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली : पर्याप्त (iv) वस्तुपसूचीके भौतिक सत्यापन की प्रणाली : पर्याप्त (v) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता : पर्याप्त (vi) स्वाामित्व के कामकाज से संबंधित अन्य मामले : शून्यप	सीएजीआई की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।चूंकि आगे किसी कार्रवाई का सुझाव नहीं दिया गया है, इसलिए इसे शून्या माना जाए।
ख. सहायता अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त रु.4.28 करोड़ के सहायता अनुदान में से, संगठन रु.3.40 करोड़ की राशि का उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च 2025 तक रु.0.88 करोड़ की राशि अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शेष बची रही।	निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल रु.428.50 लाख की जीआईए राशि प्राप्त हुई थी। रु.428.50 लाख में से, कुल रु.339.92 लाख का उपयोग किया गया और उसी के लिए यूसी सीएए के पत्र दिनांक 18.07.2025 के माध्यम से जमा किया गया। जीआईए की रु.88.58 लाख की अनुपयोगी राशि को सीएए के पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से वेतन एवं लेखा कार्यालय, सचिवलालय- I, मत्य्र पालन विभाग, मत्य् हपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,नई दिल्ली को वापस कर दिया गया है। अतः, इसे अनुपालन के रूप में माना जाए।

प्रबंधन पत्र डीओ सं. डीजीए(सी)/सीई/V/28-66/2025-26/46 दिनांक27.11.2025 पर पैरा-वार स्पओष्टींकरण

चिह्नित निधियों में रु.25,43,04,672 की निवलप्राप्तियाँ थीं और रु.2,46,872 का निवलउपयोग हुआ। डीएलसी/एसएलसी पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों के हिस्से के विरुद्ध संबंधित व्यय के लिए चिह्नित निधि का उपयोग न करने और अनुदान से उस पर व्यय करने के परिणामस्वरूप आय और व्यय खाते में व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।	सीएजीआई द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर, यह उल्लेआखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.11.2023 और 30.06.2025 को क्रमश: आयोजित 75वीं और 81वीं बैठकों में यथा संकल्पित सीएएकीचिह्नित निधियों के उपयोग हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इसमामले कोसीएए के पत्रों दिनांक 07.02.2024 और 11.07.2025 द्वारापहले ही मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान में लाया जा चुका है।प्रशासनिक मंत्रालय से आदेश प्रतीक्षित हैं। अतः, प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सीएजीआई के सुझाव का अनुपालन किया जाएगा।

संदर्भ: सं. डीजीए(सी)/सीई/V/28-66/2025-26/46 दिनांक 27.11.2025

सत्यमेव जयते

ANNUAL REPORT 2024-25

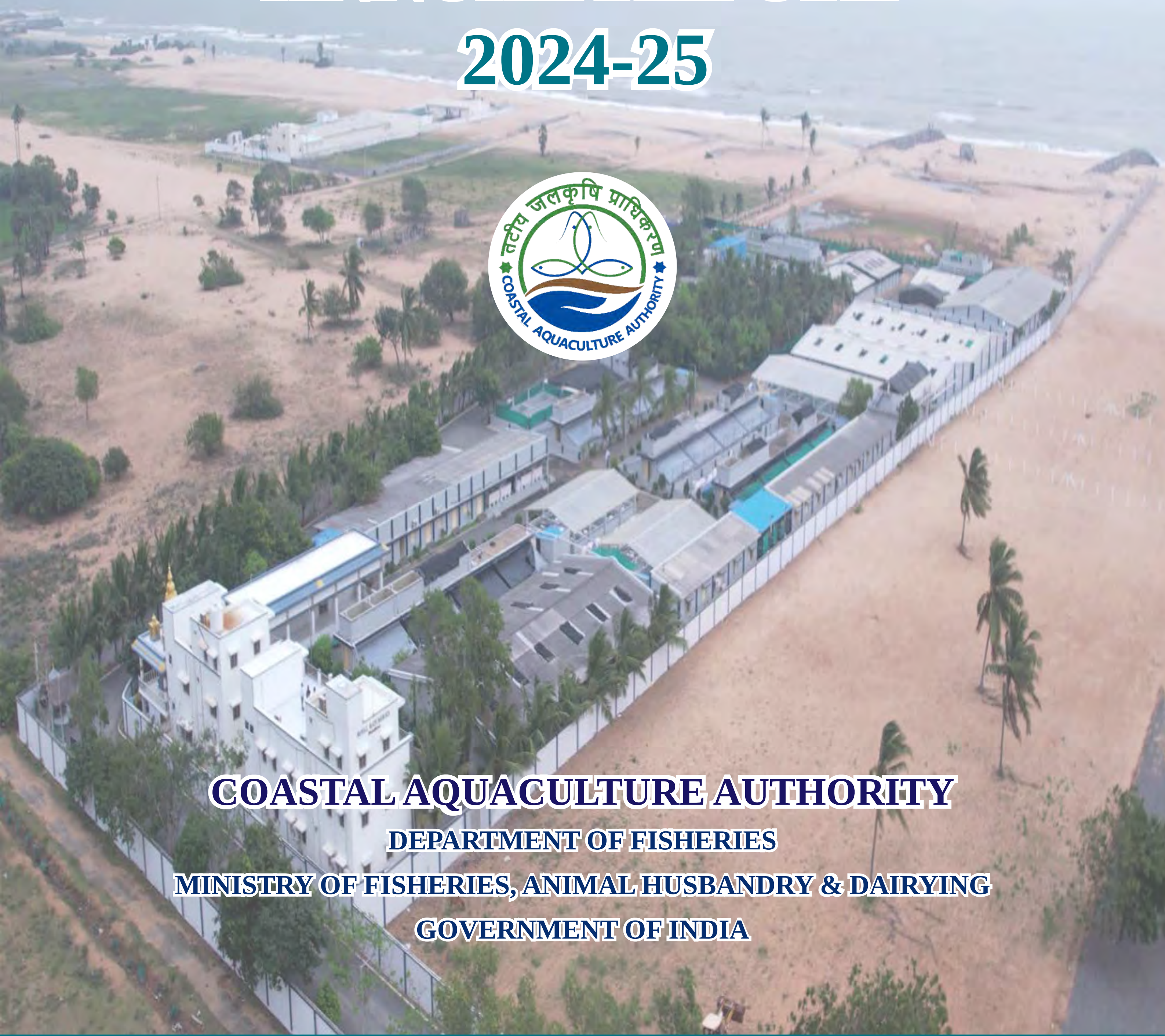

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

DEPARTMENT OF FISHERIES

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING

GOVERNMENT OF INDIA

5TH Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai-600 035
Phone: +91 44 24353502/24353784, Email: caaheadoffice@caa.gov.in
Website: https://www.caa.gov.in

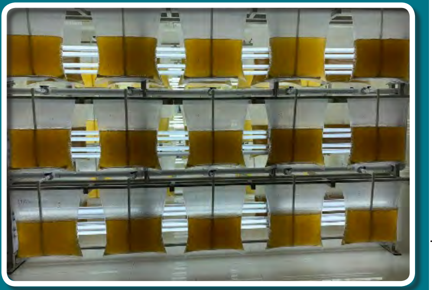

Published by

K.C. Devasenapathi, IAS
Secretary,
Coastal Aquaculture Authority

Compilation and Editing

Dr.Sankara Rao P
Kanakasabapathi D
Priya G
Ramesh Kumar S
Monica R D
Jayanthi R
Shijo Mathew
Gnanavel S
Vibha Ubare
Dhakshayani
Dinamala K
Kumar M

Designed & Printed at
PM Digital PRODUCTS
CREATIVE PERSONALISED PRINTING

Contents

S. No	Description	Page No.
	Preface	
		163
	Executive Summary	165
1.	**About CAA**	
	Genesis of Coastal Aquaculture Authority	169
	Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023 (Act No. 27 of 2023)	169
	Impact of the CAA (Amendment) Act, 2023 on the development of coastal aquaculture	169
	Composition of the Coastal Aquaculture Authority	173
	Functions of the Authority	179
	Additional functions required to be performed by the Authority as per Rule 5 of CAA Rules, 2024	179
	Functions of the SDLCs/DLCs	182
	Core activities of the Coastal Aquaculture Authority	183
2.	**Targets and Performance**	
	Annual targets and performance	187
3.	**Authority Meetings & Other Expert Committee Meetings**	
	Meetings of the Authority	194
	Meeting with the representatives of all chapters of AISHA and hatchery operators	196
	Meeting to review “Draft SOPs on import of SPF Shrimp broodstock into India with special reference to AHPND”	196
	Expert Committee Meetings to review the progress of drafting of new guidelines and SOP	196
	US Food and Drug Administration officials meeting in CAA Headquarters, Chennai	197
	Meeting with Overseas Suppliers and stakeholders on “Supply of SPF *P. monodon* Broodstock”	197
	Twenty-fourth Meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of AQF	198
	Expert Committee meeting to discuss proposed amendments in the “Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs”	198
	Stakeholders meeting with representatives of All India Shrimp Hatcheries Association and overseas suppliers of SPF shrimp broodstock	198
	Twenty-fifth Meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of AQF	198

	Meeting with the Overseas Suppliers and Hatchery Operators	198
	Meeting with Expert Committee members to discuss on the proposed amendments in the Guidelines	198
	Meetings with Expert Committee members for carrying out the corrections in the four new guidelines	198
	Review meeting on the operation and management of approved shrimp BMCs and status of Shrimp Evaluation Study Unit of MPEDA-RGCA	199
4.	**Registration and Renewal of Coastal Aquaculture Farms**	
	Registration of Coastal Aquaculture farms	201
	Renewal of Registration of coastal aquaculture farms	204
5.	**Registration and Renewal of Hatcheries and Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs)**	
	Status of hatcheries, NRHs and live feed units registered with CAA	208
	Empanelment of overseas broodstock suppliers and import by Indian hatcheries	212
	Import of SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* broodstock	212
	Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) registered for SPF *L. vannamei* and *P. monodon* Seed Production	215
	Inspection of the Shrimp Evaluation Study Unit established by Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) at Rajakkamangalam, Kanyakumari District, Tamil Nadu	218
6.	**Certification of Antibiotic Free Aquaculture Inputs**	220
7.	**Monitoring and Surveillance**	
	Monitoring of Coastal Aquaculture units/activities	224
	Surveillance of Coastal Aquaculture units/activities	226
8.	**Outreach activities**	230
9.	**In -House Activities**	
	Review meeting on actionable points of the CAA for the year 2024-25 conducted by the Secretary (Fisheries), Department of Fisheries, Govt. of India:	240
	International Yoga Day	240
	World Environment Day Celebration	240
	Workshop on “Preventive Vigilance”	241
	Mass Awareness Campaign on NashaMukt Bharat Abhiyan	241
	78th Independence Day celebration	241
	Celebration of “National Sports Day”	241
	“Swatchhata Hi Seva-2024”	242
	Hindi Week Celebration	244

	Celebration of Vigilance Awareness Week and Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day)	245
	Workshop on Official Language	245
	Constitution Day of India	245
	Audit of the Parliamentary Committee on Official Language at Pondicherry	246
	Training programme to all the Consultants of CAA	246
10.	**State-Wise Coastal Aquaculture Status 2023-2024**	
	Andhra Pradesh	248
	Goa	251
	Gujarat	251
	Karnataka	253
	Kerala	254
	Maharashtra	255
	Odisha	256
	Tamil Nadu	258
	West Bengal	260
	Union Territories	261
11.	**Participation In The Events At State And National Level**	263
12.	**Targets For 2024-25**	273
	Administrative and Accounts matters	
13.	**Staff And Existing Organizational Structure Of The Authority**	
	Existing Staff Position of CAA	278
	Recruitment / promotion / retirement / repatriation / deputation:	279
	Right to Information Act	279
14.	**Finance**	
	Summary of Actual Financial Results for Financial Year 2024-25	280
	Details of the Annual Accounts for the Year 2024-25	280
	Annexure: Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG	281
	Annual Accounts of CAA	282
	Separate Audit Report of the CAG	303
	Clarification to the Separate Audit Report of CAG	307

Abbreviations

AISHA	All India Shrimp Hatcheries Association
A&N	Andaman and Nicobar
AMR	Antimicrobial Resistance
AQF	Aquatic Quarantine Facility
AQCS	Aquatic Quarantine and Certification Services
BMC	Broodstock Multiplication Centre
CIBA	Central Institute of Brackishwater Aquaculture
CIFNET	Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training
CMFRI	Central Marine Fisheries Research Institute
CRZ	Coastal Regulation Zone
CSMCRI	Central Salt and Marine Chemical Research Institute
DLC	District Level Committee
DoF	Department of Fisheries
DPIIT	Department for Promotion of Industry and Internal Trade
ETS	Effluent Treatment System
ICAR	Indian Council of Agricultural Research
MPEDA	Marine Products Export Development Authority
NaCSA	National Centre for Sustainable Aquaculture
NBC	Nucleus Breeding Centre
NBFGR	National Bureau of Fish Genetic Resources
NCSCM	National Centre for Sustainable Coastal Management
NDZ	No Development Zone
NFDP	National Fisheries Digital Platform
NIOT	National Institute of Ocean Technology
NRCP	National Residue Control Program
NRH	Nauplii Rearing Hatcheries
NOC	No Objection Certificate
OIE	Office International des Epizooties
PMMSY	Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
PPL	Parent Post Larvae
RAS	Recirculatory Aquaculture Systems
R&D	Research & Development
RGCA	Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture
SDLC	Sub-Divisional Level Committee
SOP	Standard operating Protocol
SPF	Specific Pathogen Free
TC	Technical Committee
TFA	Total Farm Area
TNJFU	Tamil Nadu Dr.J.Jayalalithaa Fisheries University
TPD	Translucent Post-larvae Disease
UT	Union Territories
WOAH	World Organization for Animal Health
WSA	Water Spread Area

डी.वी. स्वामी, आईएएस
अध्यक्ष
D.V. SWAMY, IAS
CHAIRPERSON
☎ +91 44 2951 5437
✉ caaheadoffice@caa.gov.in

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

PREFACE

Coastal aquaculture and mariculture have emerged as critical pillars of India's food production landscape, driving nutritional security, economic development, employment generation, and international trade. As the demand for seafood increases globally and domestically, India's long coastline and favourable climatic conditions provide a strong foundation for expanding aquaculture production. However, such growth must be guided by a robust regulatory system that ensures ecological protection, sustainable practices, and responsible farming. It is within this context that the Coastal Aquaculture Authority (CAA), which was established under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, with its governing legal framework, the CAA Act, Rules, Guidelines, and subsequent Amendments, play a central and reassuring role in promoting the sustainable coastal aquaculture in harmony with the coastal environment in the country.

The Coastal Aquaculture Authority's mandate encompasses the registration of farms and hatcheries, the monitoring and enforcement of standards, the promotion of responsible aquaculture and the facilitation of sustainable sectoral development. Through its regulatory powers, the CAA ensures that farms are located in approved areas, maintain water quality, adopt appropriate effluent management systems, prevent pollution and protect sensitive coastal ecosystems. The Authority conducts inspections, evaluates compliance and implements corrective measures as needed, ensuring that aquaculture development does not compromise ecological integrity or the rights of local communities. Along side its regulatory role, the CAA plays a critical promotional and advisory role. It formulates guidelines and Best Management Practices, encourages technological advancement with a forward-looking perspective, supports disease control and biosecurity measures and disseminates scientific knowledge to farmers and stakeholders. This dual role of regulatory and developmental, coupled with a focus on technological progress, enables the CAA to guide the sector toward sustainable intensification while maintaining environmental safeguards.

The introduction of the CAA Amendment Act, updated Rules, and new Guidelines has further strengthened the sector's governance capacity. Amendments have emphasised environmental safeguards, streamlined administrative processes and expanded the scope of regulation. Enhanced biosecurity norms, refined effluent management standards and more stringent farm location criteria have contributed to improved environmental performance

of aquaculture farms. Additionally, the transition to digital registration systems along with simplified procedures and reduced regulatory compliance burdens for farmers, helps the sector reach the next level. New guidelines have been extended to cover emerging activities such as mariculture, seaweed farming and multi-species aquaculture systems, paving the way for greater diversification and technological improvement.

I want to convey my gratitude to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Government of India, ICAR institutions specifically for their role in research and development, distinguished Members of the Authority, MPEDA for their role in market promotion and export development, other Central, State and Union Territory Fisheries institutions/Departments, farmers, hatchery operators, input manufacturers/Distributors and other stakeholders for their persistent support and guidance to the Authority to promote sustainable and inclusive growth of the coastal aquaculture in the country.

I highly appreciate the Secretary and his team of officers for their effective work in bringing this Annual Report.

JAI HIND

(D.V. Swamy, IAS.)
Chairperson, CAA

के. सी. देवसेनापति, भा प्र से
सचिव
K. C. DEVASENAPATHI, IAS
SECRETARY
☎ +91 44 2435 3780
✉ caaheadoffice@caa.gov.in

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकारण
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

EXECUTIVE SUMMARY

The genesis of the Coastal Aquaculture Authority (CAA) lies in the Supreme Court's landmark judgment in Writ Petition No. 561 of 1994 (S Jagannathan vs. Union of India), which called for the protection of ecologically sensitive coastal areas and directed the Central Government to establish an authority to regulate and promote responsible coastal aquaculture. The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, enacted by Parliament and notified in June 2005, created the statutory body with the mandate to ensure that coastal aquaculture is environmentally sustainable, legally compliant, and supportive of the livelihoods of coastal communities. Over time, the need arose to address emerging challenges, remove ambiguities and expand the scope of permissible aquaculture activities, particularly within the Coastal Regulation Zone (CRZ). This led to the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023, which represented a major reform aligned with national priorities for sustainable development and ease of doing business.

The 2023 Amendment removed long-standing ambiguities, especially concerning activities allowed within the No Development Zone (NDZ) and formally permitted hatcheries, Broodstock Multiplication Centres and Nucleus Breeding Centres in accordance with CRZ notifications. This intervention safeguarded the continuity of nearly 550 hatcheries and ensured a stable seed supply vital for shrimp farming. The amendment also strengthened legal backing for prohibiting aquaculture in ecologically sensitive and geomorphological areas, reinforcing environmental protection. Significant policy clarity was brought to aquaculture activities in creeks, rivers, and backwaters, enabling mariculture activities such as cage culture, seaweed farming, and bivalve culture, which are crucial for livelihood diversification and the empowerment of coastal women.

To enhance traceability, meet international market requirements and support small farmers, the Amendment facilitated registration of farms on Government-allotted lands and simplified procedural hurdles. It introduced a participatory framework by empowering CAA to form committees inclusive of stakeholders. Recognising the risks posed by antibiotic misuse, the Amendment brought aquaculture inputs under CAA regulation, enabling the prohibition of harmful substances and ensuring the availability of certified, safe inputs. Strengthened provisions for disease-free and genetically improved stock, including mechanisms for SPF certification and the establishment of NBCs and BMCs, marked a major step toward improving biosecurity and reducing disease-related losses.

The Act now entrusts the Authority with powers to regulate inputs, monitor environmental impact, fix standards for effluents, conduct inspections, and

carry out environmental damage assessments under the polluter-pays principle. Decriminalisation of offences and introduction of monetary penalties have reduced compliance burden while retaining strong environmental safeguards. To promote farmer convenience, the Amendment introduced provisions for condoning delays in renewal, allowing changes in ownership and replacing lost or damaged certificates, benefitting thousands of small farmers. Parallel administrative reforms authorised new authorised officers, adjudicating officers, appellate mechanisms and standardised penalties following principles of natural justice.

In alignment with the Amendment, the CAA Rules, 2024 simplified registration through online submission and digital processing. Seven new guidelines were notified in March 2024 covering the regulation of farms, hatcheries, SPF shrimp species, disease surveillance, aquaculture inputs, breeding centres and solid waste management. With coastal aquaculture and mariculture fully brought under the CAA's regulatory ambit, eleven additional guidelines have been developed with support from ICAR institutes, MPEDA, CSIR-CSMCRI, NCSCM and state agencies. These forthcoming guidelines cover marine finfish, crab culture, indigenous shrimp, ornamental species, seaweed farming, cage/pen culture, live feed units, RAS/Biofloc systems, aqua zoning, bivalve farming and environmental damage costing. Together, the Amendment Act, revised Rules and new Guidelines create a modern, comprehensive and science-based regulatory framework that strengthens environmental governance while enabling sustainable growth and diversification of India's coastal aquaculture sector.

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) achieved significant progress during 2024–25. During the year, a total of 712 coastal aquaculture farms, covering a farm area of 856.10 ha and a water spread area of 546.69 ha, were registered for the culture of *Litopenaeus vannamei* and *Penaeus monodon*. In addition, 2,894 farms were renewed, covering 5,220.19 ha of farm area and 3,609.75 ha of water spread area.

Hatchery regulation also advanced considerably. Sixteen hatcheries were registered on the recommendations of the Inspection Committee and with approval of the Authority. These included ten *L. vannamei* hatcheries, two *P. monodon* hatcheries, one live feed unit, two Macrobrachiumrosenbergii hatcheries and one ICAR–CIBA unit. A total of fifteen hatcheries were renewed, comprising twelve *L. vannamei*, two *P. monodon* and one live feed unit. In addition, fourteen Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) were registered for the production of SPF *L. vannamei* seed, including thirteen *L. vannamei* units and one *P. monodon* unit.

The Authority also issued Certificates of Compliance for 1,123 antibiotic-free aquaculture inputs and renewed 167 such inputs. Progress was also made in broodstock regulation. One additional overseas supplier of SPF *L. vannamei* broodstock was empanelled, and the validity of twelve existing overseas suppliers was extended to five years to facilitate broodstock and PPL importation. In total, sixteen overseas suppliers were empanelled of which fourteen for SPF *L. vannamei* and two for SPF *P. monodon*. During the year, hatcheries and BMC operators imported 1,83,266 SPF *L. vannamei* broodstock, 9,289 SPF *P. monodon* broodstock, 4,58,208 PPL of SPF *L. vannamei* and 68,568 PPL of SPF *P. monodon*.

In accordance with the expanded regulatory mandate under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023, the CAA developed eleven new guidelines covering diverse coastal aquaculture and mariculture activities. These were prepared with technical support from ICAR institutions including CIBA, CMFRI and NBFGR as well as MPEDA, CSIR–CSMCRI, NCSCM and State Fisheries Departments and were submitted to the Department of Fisheries for notification. The Department of Fisheries (G.S.R. 750(E), dated 4 December 2025) amended Rule 3 of the CAA Rules, 2024, to include the following proposed 11 new guidelines after clause (g):

(h) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of crabs

(i) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of marine finfishes;

(j) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of indigenous shrimp species

in marine and brackish water;

(k) Guidelines for regulating hatcheries and rearing units for marine/brackish water ornamental organisms;

(l) Guidelines for regulating seaweed seedling production and farming in marine and brackish water;

(m) Guidelines for regulating cage and pen culture of marine/brackish water aquaculture species;

(n) Guidelines for regulating live feed culture units and management in coastal aquaculture;

(o) Guidelines for regulating Bio-floc, Recirculatory Aquaculture Systems (RAS), and Nursery-based Aqua Farming Systems;

(p) Guidelines for notifying the aqua zones and aqua mapping;

(q) Guidelines for regulating seed production and farming of bivalves in marine and brackish water;

(r) Guidelines for assessment of cost for the damage to environment and cost of demolition and utilisation of environment monitoring fund.

The CAA also developed the Standard Operating Procedure for health monitoring, disease surveillance and SPF certification of coastal aquaculture units and stocks, with technical support from ICAR–CIBA and submitted it for notification.

As part of the Government of India's ease-of-doing-business initiative, the CAA, with the support of the National Single Window System (NSWS) under DPIIT, developed an online application system for registration of coastal aquaculture farms and mariculture units under Rule 9(3) of the CAA Rules, 2024. The online portal was launched by the Hon'ble Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying on 21 November 2024, on the eve of World Fisheries Day. The portal links were made available on the CAA website on 9th January 2025, enabling farmers to submit applications online and facilitating SDLC/DLC Member Conveners to process and forward applications digitally.

During the year, three meetings of the Authority were held on 30th April 2025, 18th July 2024 and 21st October 2024, wherein all eligible proposals for registration and renewal of farms, hatcheries and aquaculture inputs were approved and certificates were issued both digitally and physically. The Technical Committee overseeing the Aquatic Quarantine Facility (AQF) convened two meetings on 29th November 2024 and 12th February 2025 to review broodstock import processes and AQF operations at MPEDA–RGCA, Chennai.

Environmental monitoring and surveillance were strengthened, with 269 hatcheries and NRHs inspected for registration and renewal. Additionally, 409 hatcheries were jointly inspected with MPEDA under the National Residue Control Programme and 100 samples were collected by field-level officers. A total of 6,591 farms were visited in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Odisha and water samples were collected from 678 farms.

To enhance awareness and stakeholder engagement, the CAA conducted 56 outreach programmes (both physical and virtual) in collaboration with MPEDA, ICAR–CIBA and State/UT Fisheries Departments across all coastal states and UTs. These programmes sensitised SDLC/DLC conveners, nodal officers, fisheries officials, farmers, hatchery operators, aquaculture input manufacturers and distributors, insurance representatives and other stakeholders on statutory provisions of the CAA, antimicrobial resistance, newly developed guidelines, online registration procedures, species diversification, Best Management Practices and aquaculture crop insurance under PMMKSSY. The CAA also participated in ten workshops, exhibitions and expos during the year.

K. C.Devasenapathi, IAS
Secretary, CAA

ABOUT CAA

1

ABOUT CAA

Genesis of Coastal Aquaculture Authority

The Supreme Court, in its verdict in Writ Petition No. 561 of 1994 (Jagannathan vs. Union of India), raised concern about the environmental protection of coastal areas and directed the Central Government to constitute an authority to protect ecologically sensitive coastal areas and seashore as well as to promote sustainable and responsible coastal aquaculture development in the country.

The Coastal Aquaculture Authority was set up under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (Act No. 24 of 2005) enacted by the Parliament of India, which received the assent of the Hon'ble President of India on the 23rd day of June 2005.

The Coastal Aquaculture Authority is functioning with a mandate to ensure that coastal aquaculture shall not cause any detriment to the coastal environment, to promote responsible coastal aquaculture in compliance with the provisions contained under the Act, Rules, Regulations and Guidelines and also to protect the livelihood of the various sections of the people living in the coastal areas.

Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023 (Act No. 27 of 2023):

The urgent need to remove impediments in the practice of coastal aquaculture in areas falling under the Coastal Regulation Zone (CRZ) and to decriminalise the Act was identified by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, New Delhi. It was also felt that the country has to support the diversification of coastal aquaculture by including newer forms of coastal aquaculture within the ambit of the Coastal Aquaculture Authority for harnessing the full potential of coastal waters in the country. To make provisions to address all the operational issues and to reiterate that the coastal aquaculture and activities connected therewith are permitted activities within the CRZ under the CRZ notifications, the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023 passed by both Houses of the Parliament of India, amending the CAA Act, 2005 after eighteen years after its enactment. The Government of India notified the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023 (No 27 of 2023) on 14th August, 2023 and came into force on 12th September 2023 (S.O. 3977(E) dated 07th September, 2023). The CAA (Amendment) Act, 2023 is one of the biggest supports extended by the Government of India for the sustainable development of the coastal aquaculture sector in a manner that is harmonious with the environment.

Impact of the CAA (Amendment) Act, 2023 on the development of coastal aquaculture:

The CAA (Amendment) Act 2023 has comprehensively covered all activities of coastal aquaculture under the purview of this Act and removed the ambiguities that existed in the Principal

The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023 (27 of 2023) notified on 14th August, 2023

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) Rules, 2024 notified vide G.S.R 33(E) dated 08th January 2024

Act so that the country can have a well-coordinated and inclusive regulatory regime, which is the base for sustainable development.

One of the major impacts of the Amendment is that it has been successful in removing the ambiguity on aquaculture activities that can be carried out in the 'No Development Zone" which has been plaguing the sector for the last five years. When the Principal Act was enacted in 2005, the focus was only on farms, especially on shrimp farming in land-based earthen ponds.

The Principal Act prohibited coastal aquaculture within the "No Development Zone (NDZ)", which is 200 meters from the High Tide Line (HTL) towards the landward side and in the creeks, rivers and backwaters within CRZ. At the time of promulgation of the Principal Act in 2005, the only coastal aquaculture activity considered was the farms. Since farms can occupy lakhs of acres, it was considered to ban them within the sensitive 200 m of the No-Development Zone. Hatcheries were always an exempted activity in the above NDZ as per CRZ Notifications 1991 and 2011 and now permitted activity under CRZ Notification 2019. Necessary Amendments have been made to remove the ambiguity and permitted Hatcheries, Brood Stock Multiplication Centres (BMCs) and Nucleus Breeding Centres (NBCs) within the "No Development Zone" in sync with the CRZ Notifications. The Amendments have also reduced the multi-agency regulatory and compliance burden on coastal aquaculture and reiterated the protection granted under the validation section of the Principal Act.

Good quality seed is one of the primary requirements for all aquaculture farming practices. Hatcheries and similar seed production units need to be established on the coast to get an adequate supply and access to quality seawater. The production from nearly 550 hatcheries has supported the growth of shrimp farming in the country, providing livelihood to millions in the entire production system. The timely Amendment of the CAA Act has saved the sector from retaining well-established seed production units and continuing their seed production activity seamlessly.

The CAA Guidelines framed to implement the principal Act are in synchronize with the CRZ notification and do not permit coastal aquaculture activities in Ecologically Sensitive Areas (ESAs) and Geo-morphological areas for environmental sustainability. While this provision already existed through CAA Guidelines, there was no enabling provision in the Principal CAA Act for its legal validity and effective implementation. Therefore, an express provision has been made in the Amendment, which is in harmony with the CRZ Notification. This has brought in more clarity and would further ensure that the fragile coastal ecosystems are not tampered with in the name of aquaculture.

Registration is the first step to establish traceability, which is demanded by the importing countries and therefore, it is essential that all the compliant units are registered and no one is kept pending because of procedural issues. A 'proviso has been added to register the coastal aquaculture farms established in Government allotted/ assigned land as demanded by some State Governments because of their state policies relating to lease tenure. Thousands of small farmers regularly earn their livelihood only through aquaculture on the land allotted/ assigned to them by the Government. This new provision would support the registration of all these small farmers who will get an identity and, without any hassle, market their produce, conforming to the needs of the internationally recognised traceability system.

Stakeholders have to be a part of the regulatory system, and their concerns should be heard. Now the Act has empowered the Authority to appoint Committees for the efficient discharge of its duties and performance of its functions under the Act and stakeholders can also become part of the committees. This gives a participatory approach to decision-making/implementation of various mandates of the Authority.

The Principal Act prohibited coastal aquaculture in the creeks, rivers and backwaters within the CRZ. This was done because in 2005, in some places, shrimp farms were set up in waterbodies by putting up bunds and altering the character of the waterbodies. Now newer forms of coastal aquaculture, such as cage culture, seaweed culture, bivalve culture, etc., have come up that can only be done in these areas, and use only temporary structures. These activities are very remunerative and also have the potential to create large-scale employment opportunities for coastal fisher communities, especially fisherwomen.

Already, several women Self Help Groups are regularly earning income from these small-scale activities through financial support from PMMSY. The economic growth and empowerment of coastal women have had a direct impact on the adoption of these technologies in coastal villages, especially through seaweed farming, cage culture of finfishes and oyster/mussel farming. The amendment in the CAA Act has ensured that these activities are permissible in the creeks, rivers and backwaters within the CRZ. With a vision to integrate technological development in remote sensing with coastal aquaculture, the Act amendment has included provisions for notification of aqua-zoning and aqua-mapping in all coastal areas in the country.

Detection of antibiotics in the farmed produce and rejection of the same by international importers has affected the production as well as the seafood export sectors during the last two decades. The Government is sincerely committed to regulate the misuse/abuse of antibiotics in the aquaculture sector. Now, to protect the interest of the aquaculture farmers by ensuring the availability of quality aquaculture inputs, especially certified aquaculture inputs like feed, probiotics and other healthcare products, which are free from pharmacologically active substances or antimicrobial agents, aquaculture inputs have been brought under the ambit of the CAA Act. The Coastal Aquaculture Authority is now empowered to prohibit the use of aqua inputs containing pharmacologically active substances or antimicrobial agents for the protection of the coastal environment and public health. This regulatory mechanism will also bring global recognition to the country since there will be regulations in place right from the start of the production cycle.

Disease in aquaculture has been a nightmare for stakeholders. Sudden outbreaks of diseases leading either to retarded growth or complete mortality of the farmed stock have led to huge financial losses for the stakeholders. It is now recognised that disease prevention is key to the success of coastal aquaculture and provisions have been made to provide for disease-free and genetically improved stocks and systems to promote sustainable coastal aquaculture. Accordingly, specific provisions for Specific Pathogen Free (SPF) certification, the establishment of Nucleus Breeding Centre's and Brood Stock Multiplication Centre's which are key to the production of disease-free stocks, have been made in the Act. This will enable the establishment of disease-free systems and the production of genetically improved SPF stocks to promote sustainable coastal aquaculture. Moreover, the production of high-quality certified seed can also make India an exporter of healthy seed to other developing countries. At present, the sector is importing specific pathogen-free brood stock from international empanelled suppliers.

The Act has given the powers to the Authority to make regulations for the operation of coastal aquaculture units within the coastal areas and to inspect coastal aquaculture units to ascertain their environmental impact. The Act has also empowered the Authority with the mandate of regulating coastal aquaculture, SPF certification, fixing or adopting standards for inputs used in aquaculture and for effluents from coastal aquaculture units. This would ensure that guidelines for carrying out good aquaculture practices are in place and are meticulously followed by the stakeholders so that the coastal ecosystem, which provides a multitude of ecosystem services is protected. The Amendment has also included provisions for the environmental damage assessment, which would support penalising the violators, upholding the polluter pays principle.

The Principal Act did not have any provision for renewal of registration if there was any delay in submitting the application for renewal. The farmers had to apply afresh, which is a cumbersome process. Now, provision has been made for condoning the delay in submitting the application for renewal of the registration with an additional fee. This will ensure that the farmers are not put into undue difficulty because of minor slips. The registration of nearly 65% of the farms registered with CAA has not been renewed. This amendment in the Act would enable the CAA to condone the delay and support the farmers for easy renewal. The renewal process is also simplified and now the applicants can directly submit their applications for renewal of registration to the CAA without routing through the Sub Divisional Level Committee (SDLC) or District Level Committee (DLC), which facilitates the farmers to get their renewal certificates within the prescribed time. More than 30,000 farmers will be benefitted immediately from this amendment.

In the Principal Act, there were no provisions for re-registration in case of a change in ownership. Under the concept of ease of doing business, the present amendment provides for effecting changes to the certificate of registration in case of changes in ownership and for providing a new certificate in case of mutilation, damage or loss of the certificate.

The Coastal Aquaculture Authority Act, being a law mandated to safeguard the coastal environment, certain punitive actions are required in the Act to deter violators. Accordingly, a combination of suitable monetary and other penalties has been included in place of imprisonment under the Act, applying the 'polluter pays principle'. Hence, the non-registration of the coastal aquaculture unit and non-compliance of the provisions of the statute and usage of banned substances in coastal aquaculture units /activities/ inputs will be dealt with by suspension or stoppage of the coastal aquaculture activity, imposition of penalty, removal of any structure or standing crops, suspension or cancellation of registration. As such, the Act was decriminalised by reducing the regulatory compliance burden.

In tandem with the amendment of the Penalty, consequential provisions have been made for authorising the officers as Authorised Officers and Adjudicating Officers and Appellate Authorities. Provisions for appeal against orders passed have also been included since the cases will no longer go to courts where there is a system of appeals and revisions. The penalties for non-registration and noncompliance with the provisions of the Act would be adjudicated and imposed by the officers authorised for the purpose, following "principles of natural justice". Due care has been taken to ensure that the penalties are not excessive and the upper limit does not exceed the amount already prescribed in the Amended Act. Further, efforts have been made to remove the discretionary powers of the Adjudicating Officer and Appellate Authorities.

In tandem with the CAA (Amendment) Act, 2023, the Coastal Aquaculture Authority (CAA) Rules, 2024 was notified vide G.S.R 33(E) dated 8th January 2024, wherein the process of the registration of coastal aquaculture units is simplified and several provisions were made to facilitate the farmers and other stakeholders with ease of doing business in coastal aquaculture including provision for online filing of an application for registration of coastal aquaculture farms. Accordingly, the CAA has developed an online application with the technical support of DPIIT-NSWS, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and provided access to the farmers to apply online and to the Member Conveners of SDCLs/DLCs for processing the applications online.

To promote sustainable coastal aquaculture practices and activities in line with the CAA (Amendment) Act, 2023 and as per the provisions contained under Rule 3 of the CAA Rules, 2024, the following (7) guidelines were notified:

(a) Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture (S.O.1496(E) dated 20.03.2024)

(b) Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and Culture of Specific Pathogen Free *L. vannamei* (S.O. 1457(E) dated 15.03.2024)

(c) Guidelines for seed production and culture of Specific Pathogen Free *P. monodon* (S.O.1429(E) dated 15.03.2024)

(d) Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and specific pathogen free certification of coastal aquaculture units and stocks in India (S.O.1479(E) dated 15.03.2024)

(e) Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs (S.O.1456(E) dated 15.03.2024)

(f) Guidelines for establishment and operation of Nucleus Breeding Centre and Broodstock Multiplication Centres in India (S.O.1459(E) dated 15.03.2024)

(g) Guidelines for Solid Waste Management in Coastal Aquaculture Units or Activities (S.O.1458(E) dated 15.03.2024)

Since all the verticals of coastal aquaculture units and activities, including mariculture practices, are brought under the regulatory purview of the CAA under the CAA (Amendment) Act, 2023, the CAA, with the technical support of ICAR institutions (CIBA, CMFRI and NBFGR), MPEDA, CSIR-CSMCRI, NCSCM & State Fisheries Departments, has developed 11 new guidelines and furnished them to the Department of Fisheries, Ministry

of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India for notification.

The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Government of India vide G.S.R. 750(E) dated 4th December 2025, amended rule 3 of the CAA Rules, 2024 by inserting the following 11 new guidelines after clause (g) and the notification of these new guidelines is under process.

(h) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of crab;

(i) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of marine finfishes;

(j) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of indigenous shrimp species in marine and brackish water;

(k) Guidelines for regulating hatcheries and rearing units for marine/brackish water ornamental organisms;

(l) Guidelines for regulating seaweed seedling production and farming in marine and brackish water;

(m) Guidelines for regulating cage and pen culture of marine/brackish water aquaculture species;

(n) Guidelines for regulating live feed culture units and management in coastal aquaculture;

(o) Guidelines for regulating Bio-floc, Recirculatory Aquaculture Systems (RAS), and Nursery-based Aqua Farming Systems;

(p) Guidelines for notifying the aqua zones and aqua mapping;

(q) Guidelines for regulating seed production and farming of bivalves in marine and brackish water;

(r) Guidelines for assessment of cost for the damage to environment and cost of demolition and utilization of environment monitoring fund.

Composition of the Coastal Aquaculture Authority

Under the CAA (Amendment) Act, 2023, vide sub-section 3 of Section 4, the Authority was reconstituted with 20 members and notified vide S.O. 4754(E) dated 30th October, 2023, by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India.

Members of the Authority for the year 2024-25:

1.	**Chairperson of the CAA**
	Justice Amar Singh Chauhan, Retired Judge of the High Court of Allahabad (Appointed under Section 4(3)(a) from 01.04.2024 to 09.12.2024)
	Mr. Dodda Venkata Swamy, IAS Chairman, Marine Products Export Development Authority, Ministry of Commerce & Industry, Government of India (Appointed under Section 4(3A) from 03.02.2025 onwards)
2.	**Member who is an Expert in the field of Coastal Aquaculture (Section 4(3)(b))**
	Dr. Kuldeep K. Lal Director, ICAR - Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Government of India, Chennai

3.	**Member who is an expert in the field of coastal ecology (Section 4(3)(c))**
	Dr. R. Sendhil Kumar, Scientist-D, Centre for Marine Living Resource & Ecology, Ministry of Earth Sciences, Government of India, Kochi (From 01.04.2024 to 19.03.2025)
	Dr. G.V.M. Gupta Director, Centre for Marine Living Resource & Ecology, Ministry of Earth Sciences, Government of India, Kochi (From 20.03.2025 onwards)
4.	**Member who is an expert in the field of environment protection or pollution control (Section 4(3)(d))**
	Dr. Purvaja Ramachandran Director, National Centre for Sustainable Coastal Management, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Chennai.
5.	**Member representing the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare of the Central Government (Section 4(3)(e))**
	Mr. Ashish Kumar Srivastava, IAS Joint Secretary (RKVY/PP), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India
	Mr. Muktanand Agrawal, IAS Joint Secretary (PP/ CEO-PMFBY), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India
	Ms. F. Deborah Initha, IAS Joint secretary (Crops), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India
6.	**Member representing the Ministry of Commerce and Industry of the Central Government (Section 4(3)(f))**
	Mr. Dodda Venkata Swamy, IAS Chairman, Marine Products Export Development Authority, Ministry of Commerce & Industry, Government of India

7.	**Member representing the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying of the Central Government (Section 4(3)(fa))**
	Ms. Neetu Kumari Prasad, IAS Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India
8.	**Member Representing Andaman & Nicobar Islands (Section 4(3)(g))**
	Mr. Vishwendra, IAS Secretary Fisheries , IAS Department of Fisheries, A&N Administration, Port Blair (From 01.04.2024 to 15.12.2024)
	Ms. Jyoti Kumari, IAS Secretary Fisheries , IAS Department of Fisheries, A&N Administration , Port Blair (From 16.12.2024 onwards)
9.	**Member Representing Andhra Pradesh (Section 4(3)(g))**
	Mr. Gopal Krishna Dwevedi, IAS (From 01.04.2024 to 23.06.2024) Secretary to Government Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries, Government of Andhra Pradesh
	Mr. Babu, A. IAS Secretary to Government Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries Department, Government of Andhra Pradesh (From 19.06.2024 to 16.10.2024)
	Mr. M. M. Nayak, IAS Secretary to Government Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries, Government of Andhra Pradesh (From 16.10.2024 to 22. 01.2025)
	Mr. B. Rajsekhar, IAS Special Chief Secretary to Government, Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries, Government of Andhra Pradesh (From 22. 01.2025 onwards)

10.	**Member Representing Daman and Diu (Section 4(3)(g))**
	Dr. Sagar D. Doifode, IAS Secretary Fisheries Government of Daman & Diu
11.	**Member Representing Goa (Section 4(3)(g))**
	Mr. Sarpreet Singh Gill, IAS Secretary Fisheries, Goa (From 01.04.2024 to 23.05.2024)
	Mr. E. Vallavan, IAS Secretary Fisheries, Goa (From 23.05.2024 onwards)
12.	**Member Representing Gujarat (Section 4(3)(g))**
	Mr. Sandeep Kumar, IAS Secretary (Co-operation, Animal Husbandry, Fisheries and Cow Breeding), Agriculture, Farmers Welfare & Cooperation Department, Government of Gujarat
13.	**Member Representing Karnataka (Section 4(3)(g))**
	Dr. Ajay Nagabhushan M. N. Secretary to Government, Animal Husbandry and Fisheries Department, Government of Karnataka (From 01.04.2024 to 12.02.2025)
	Ms. Salma K. Fahim, IAS Secretary to Government, Animal Husbandry and Fisheries Department, Government of Karnataka (From 12.02.2025 to 20.02.2025)
	Mr. V. Anbukumar, IAS Secretary to Government, Animal Husbandry and Fisheries Department, Government of Karnataka (From 20.02.2025 onwards)
14.	**Member Representing Kerala (Section 4(3)(g))**
	Mr. K.S. Srinivas, IAS Government Principal Secretary (Fisheries) Government of Kerala Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala (01.04.2024 to 31.01.2025)

	Mr. B. Abdul Nasar, IAS Government Special Secretary (Fisheries), Department of Fisheries, Government of Kerala Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala (From 01.02.2025 onwards)
15.	**Member Representing Lakshadweep (Section 4(3)(g))**
	Mr. Santosh Kumar Reddy V, IFS Secretary (Fisheries), Lakshadweep Islands (From 01.04.2024 to 09.10.2024)
	Mr. Rajthilak S., IFS Secretary (Fisheries), Lakshadweep Islands (From 13.10.2024 onwards)
16.	**Member Representing Maharashtra (Section 4(3)(g))**
	Mr. Rajesh Kumar, IAS Secretary (Fisheries), Department of Agriculture & Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Maharashtra (From 01.04.2024 to 30.07.2024)
	Mr. Atul Patne, IAS Secretary (Fisheries), Department of Agriculture & Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Maharashtra (From 31.07.2024 to 09.09.2024)
	Mr. B. Venugopal Reddy, IAS Principal Secretary of Fisheries, Department of Agriculture & Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Maharashtra (From 09.09.2024 to 08.01.2025)
	Dr. Ramaswamy N. (B.P.S.) Secretary, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Govt. of Maharashtra, 5th floor, Mantralaya, Mumbai, Maharashtra (From 08.01.2025 onwards)
17.	**Member Representing Odisha (Section 4(3)(g))**
	Mr. Suresh Kumar Vashishth, IAS Principal Secretary

	Fisheries and Animal Resources Development Department, Odisha Secretariat, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar, Government of Odisha
18.	**Member Representing Puducherry (Section 4(3)(g))**
	Mr. A. Nedunchezhiyan, IAS Secretary to Government, Puducherry (From 01.04.2024 to 07.02.2025)
	Dr. D. Manikandan, IAS Secretary to Government, Puducherry (From 10.02.2025 onwards)
19.	**Member Representing Tamil Nadu (Section 4(3)(g))**
	Mr. Mangat Ram Sharma, IAS Principal Secretary to Government, Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu (From 01.04.2024 to 16.07.2024)
	Dr. K. Gopal, IAS Additional Chief Secretary to Government, Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu (From 17.07.2024 to 04.10.2024)
	Mr. Satyabrata Sahoo, IAS Principal Secretary to Government, Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu (From 11.11.2024 to 10.02.2025)
	Dr. N. Subbaiyan, IAS Secretary to Government, Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu (From 10.02.2025 onwards)
20.	**Member Representing West Bengal (Section 4(3)(g))**
	Ms. Roshni Sen, IAS Additional Chief Secretary (Additional Charge) Government of West Bengal 31, GN Block, IT Building, Salt Lake, Sector V, Kolkata, West Bengal (01.04.2024 onwards)

Functions of the Authority:

As per the provisions contained under Section 11 of the CAA Act, the Authority shall exercise the following powers and perform the following functions:

- to make regulations for the construction and operation of coastal aquaculture units within the coastal areas;
- to inspect coastal aquaculture units to ascertain their environmental impact caused by coastal aquaculture;
- to register coastal aquaculture units;
- to order the removal or demolition of any coastal aquaculture unit that is causing pollution after hearing the occupier of such unit;
- to regulate or prohibit the number, species and method of any coastal aquaculture in such area, as may be prescribed, through the planning and execution of such programmes, including aqua zonation and aqua mapping for environmentally sustainable coastal aquaculture, as may be notified by the Central Government;
- to fix or adopt standards, certify, monitor, regulate or prohibit coastal aquaculture inputs, including probiotics, therapeutants and such other inputs used in coastal aquaculture, as may be prescribed, for the prevention, control and abatement of detriment to the coastal aquaculture or coastal environment;
- to fix or adopt standards, certify, monitor and regulate the coastal aquaculture units, including coastal aquaculture activities carried out in such units with bio-security and close disease surveillance to ensure freedom from disease, in such manner as may be prescribed;
- to fix or adopt the standards for the emission or discharge of effluents from coastal aquaculture units:
- to collect and disseminate information with respect to matters relating to coastal aquaculture;

Additional functions required to be performed by the Authority as per Rule 5 of CAA Rules, 2024

The Authority shall perform the following other functions in addition to the functions specified under Section 11 of the Act:

- to ensure that the agricultural lands, mangroves, wetlands, forest lands, land for village common purposes, land meant for public purposes, and national parks and sanctuaries shall not be converted for the construction of coastal aquaculture farms to protect the livelihood of the coastal community;
- to deal with any issues about coastal aquaculture, including those that may be referred to by the Central Government;
- to survey the entire coastal area of the country and advise the Central Government and the State Governments to formulate suitable strategies for achieving eco-friendly coastal aquaculture development;
- may develop nationwide aquaculture mapping and zonation, including the following,
  - ✓ use of high-resolution geographic information system maps, integrated with land surveys, subdivisions, boundaries and land ownership merged with the land use map and regulatory requirements under the law;
  - ✓ identify and locate the potential areas, based on multiple parameters including the water source such as a seafront, estuary, river, creek, backwater and the type of land through the multi-criteria decision support system that is validated by the field surveys;
  - ✓ define broad zones suitable for different types of aquaculture and other allied activities or species or stocking density or a combination of all in such zones to deter and abate any environmental hazard;
- to advise and assist the States in taking steps for the containment of infection and disease management through the development of

aquaculture management areas with enhanced traceability;

- to take steps for the grant of auto-registration for the coastal aquaculture units located in the potential zones identified through aquaculture maps;
- to advise and extend support to the State Governments to construct common infrastructure such as common water intake and discharge canals by the coastal aquaculture farms and common effluent treatment systems for achieving eco-friendly and sustainable development of coastal aquaculture;
- to fix or adopt standards, certify, monitor, regulate or prohibit coastal aquaculture inputs such as seed, feed, and growth supplements including probiotics, therapeutants and other inputs used in coastal aquaculture for the maintenance of the water bodies, the organisms reared therein and other aquatic life for the prevention, control and abatement of any detriment to the coastal aquaculture or coastal environment as may be specified in the Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs.
- to carry out and sponsor investigations and studies, or schemes relating to environmental protection and the demonstration of eco-friendly technologies in coastal aquaculture;
- to collect and disseminate data and other scientific and socio-economic information concerning matters related to coastal aquaculture;
- to prepare manuals, codes and audio-visual material relating to the sustainable development of coastal aquaculture and activities relating thereto;
- to organise through media and other means of communication a comprehensive programme regarding sustainable utilisation and fair and equitable sharing of the coastal resources for aquaculture purposes;
- to plan and organise training of personnel engaged or likely to be engaged in sustainable utilisation of the coastal resources for aquaculture purposes;
- to constitute various technical committees, sub-committees, working groups, and sub-groups that may comprise the members and officers of the Authority, scientists and officers of the national research institutes or State Governments, public representatives or representatives of the civil society or coastal aquaculture association or local body or farmer producer organisations for the preparation of technical manuals, code of conduct, etc.;
- to direct the owners or operators of the coastal aquaculture units to carry out such modifications to minimise the impacts on the coastal environment, including stocking density and the use of aquaculture inputs certified by the Authority;
- to order the seasonal closure of the coastal aquaculture units for the sustainability of the coastal aquaculture practices, maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods or for any other reasons considered necessary in the interest of the coastal environment;
- to make recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time, taking into account the changes in technology, farming practices, etc., and incorporating modifications, as may be necessary, in such Guidelines, to ensure environmental protection and the livelihoods of the coastal communities;
- to safeguard the coastal aquaculture and the environment from the impact of diseases and pests through risk analysis, risk mitigation measures, inspection and implementation of mitigation response arrangements;
- to formulate requirements for the health monitoring, disease surveillance and certification of coastal aquaculture units and stocks as Specific Pathogen Free by ensuring freedom from diseases as specified in the Guidelines for health monitoring, disease surveillance and Specific Pathogen Free certification of coastal aquaculture units and stocks in India.

As per Rule 10 of the CAA Rules, 2024, the composition of the Sub-Divisional Level Committee and District Level Committee shall be as follows:

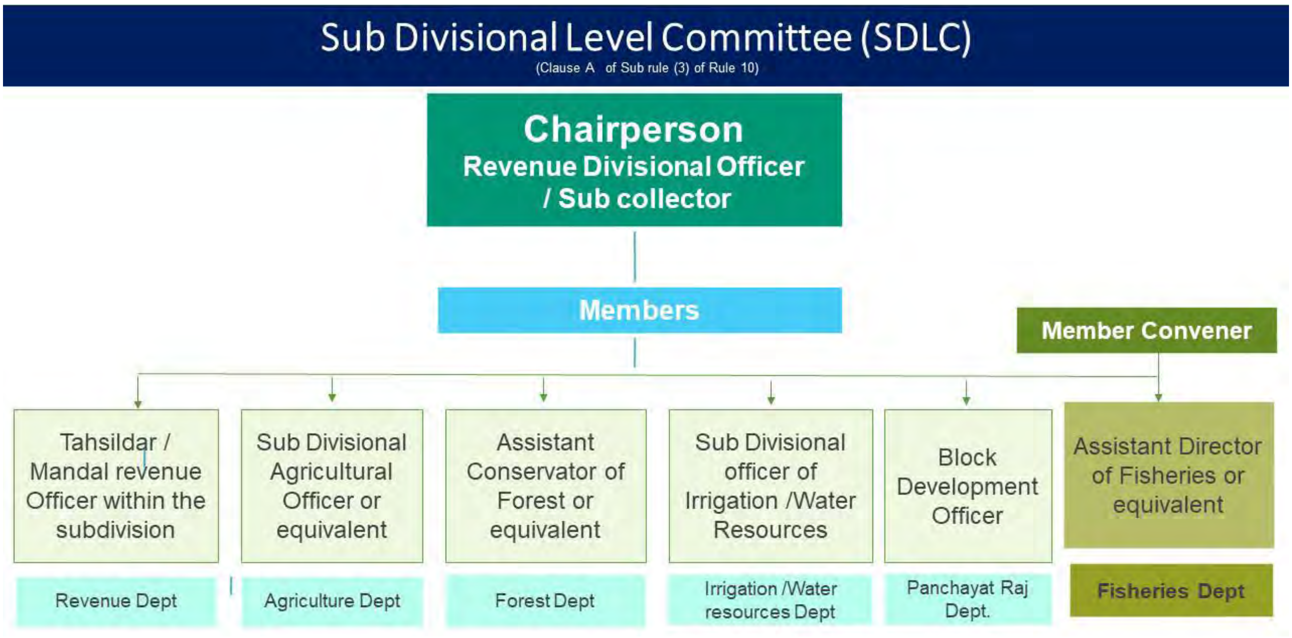
Sub Divisional Level Committee (SDLC)
(Clause A of Sub rule (3) of Rule 10)
Chairperson
Revenue Divisional Officer / Sub collector
Members
Member Convener
Tahsildar / Mandal revenue Officer within the subdivision
Revenue Dept
Sub Divisional Agricultural Officer or equivalent
Agriculture Dept
Assistant Conservator of Forest or equivalent
Forest Dept
Sub Divisional officer of Irrigation /Water Resources
Irrigation /Water resources Dept
Block Development Officer
Panchayat Raj Dept.
Assistant Director of Fisheries or equivalent
Fisheries Dept

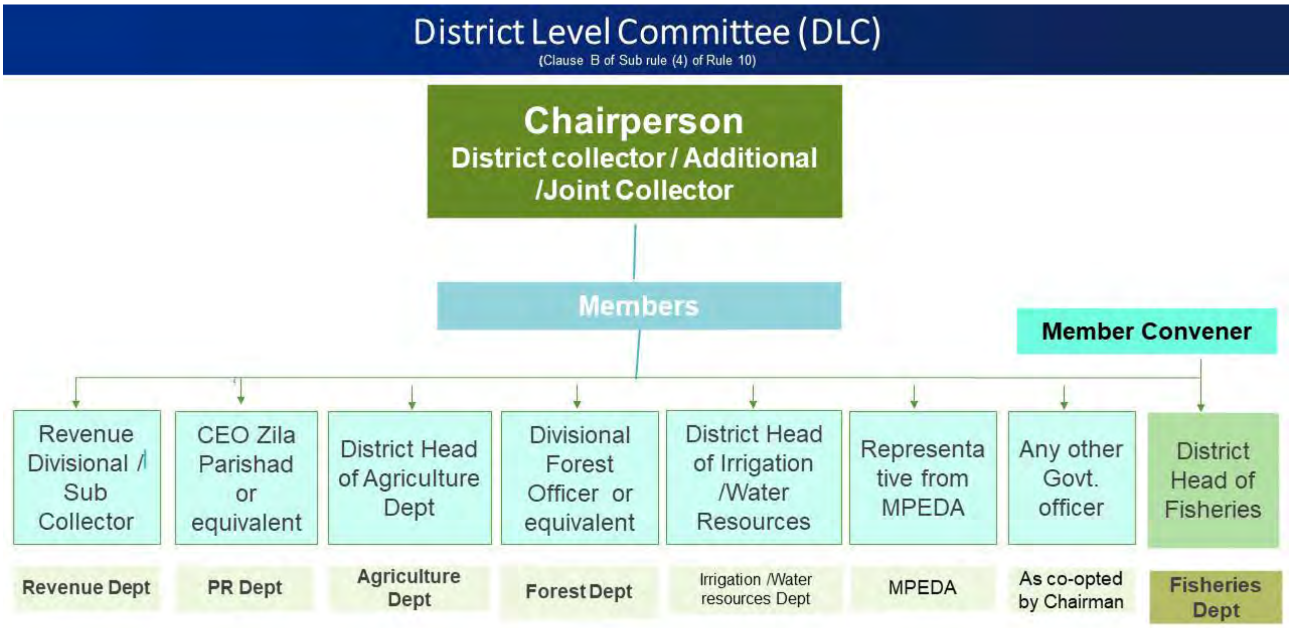
District Level Committee (DLC)
(Clause B of Sub rule (4) of Rule 10)
Chairperson
District collector / Additional /Joint Collector
Members
Member Convener
Revenue Divisional / Sub Collector
Revenue Dept
CEO Zila Parishad or equivalent
PR Dept
District Head of Agriculture Dept
Agriculture Dept
Divisional Forest Officer or equivalent
Forest Dept
District Head of Irrigation /Water Resources
Irrigation /Water resources Dept
Representative from MPEDA
MPEDA
Any other Govt. officer
As co-opted by Chairman
District Head of Fisheries
Fisheries Dept

Functions of the SDLCs/DLCs:

Manner of considering an application for registration of certain coastal aquaculture units or activities as prescribed under Rule 10 of the CAA Rules, 2024:

1) On receipt of an application for registration under sub-rule (2) of rule 9, the Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee (in the absence of a Sub-Division in a particular District) shall scrutinise the application including documents furnished therewith, with respect to the coastal aquaculture units, irrespective of their size and process them as follows:

   a) in the case of coastal aquaculture farms up to 2.0 hectares of water spread area, seaweed culture, cage culture, raft culture, pen culture, Re-circulatory Aquaculture System, Bio-floc, nurseries, etc., and traditional coastal aquaculture farms irrespective of their size, the Sub-Divisional Level Committee upon satisfaction with the information furnished therein, shall recommend the application directly to the Authority for consideration of registration;

   b) in the case of coastal aquaculture farms above 2.0 hectares of water spread area and up to 5.0 hectares of water spread area, the Sub-Divisional Level Committee shall recommend the application directly to the Authority for consideration of registration only after making such inquiry including inspection as it thinks fit, to satisfy itself that the registration of such farms shall not be detrimental to the coastal environment;

   c) in the case of coastal aquaculture farms above 5.0 ha of water spread area, the Sub-Divisional Level Committee shall recommend the application to the District Level Committee for consideration of registration;

      i. after making such an inquiry, including inspection as it thinks fit, to satisfy itself that the registration of such a farm shall not be detrimental to the coastal environment;

      ii. after making further enquiries to ascertain that the coastal aquaculture farm conforms to the stipulations laid down in the Guidelines for regulating coastal aquaculture referred to in clauses (a), (b) and (c) of Rule 3.

2) On receipt of an application under clause (c) of sub-rule (1), the District Level Committee, upon satisfaction, shall further recommend the application to the Authority for consideration of registration.

3) Any recommendations under this rule by the District Level Committee or the Sub-Divisional Committee, as the case may be, shall be made by a quorum consisting of two-thirds of the members including the Chairperson and the Member Convener, at its meeting for making such recommendations.

Core activities of the Coastal Aquaculture Authority

1. Registration of coastal aquaculture farms:
   - ➢ Ensure all coastal aquaculture activities are carried out only in permitted areas and in compliance with the statutory provisions

2. Registration of coastal aquaculture hatcheries:
   - ➢ Ensure all coastal aquaculture activities are carried out only in permitted areas and in compliance with the statutory provisions

3. Certification of antibiotic free aquaculture inputs
   - ➢ Ensure availability of antibiotic free aquaculture inputs to the farmers, hatchery operators and other stakeholders.

4. Implementation of statutory provisions through SDLCs/DLCs
   - ➢ Regulate and promote coastal aquaculture through SDLCs/DLCs in the field for eco-friendly and sustainable coastal aquaculture.

5. Empanelment of SPF shrimp Broodstock overseas suppliers
   - ➢ To ensure the supply of SPF Shrimp broodstock based on the genetic base, SPF status, bio-security facilities, etc. from the overseas suppliers.

6. Monitoring and Extension
   - ➢ To ensure environmental sustainability through eco-friendly and sustainable coastal aquaculture practices.

1) Registration and Renewals of coastal aquaculture farms:

- CAA regulates and registers all coastal aquaculture farms, as it is mandatory for every coastal aquaculture farmer to register their farms with CAA located within CAA jurisdiction (Section 13(1)).
- The farmers shall apply in Form-I, duly enclosing the relevant documents with prescribed fee as specified in Schedules I and II of the CAA Rules, 2024, to the Sub-Divisional Level Committee (SDLC) or the District Level Committee (DLC) (in the absence of the SDLC) constituted under the CAA Act, 2005, irrespective of the extent of the coastal aquaculture farm.
- The CAA registers the farms on the recommendations of the Sub-Divisional Level Committees and the District Level Committees constituted in 76 Districts of 9 maritime states and 4 UTs that comply with the statutory provisions laid down under the CAA Act, 2005, CAA Rules, 2024 and Guidelines.
- The registration certificate issued by the CAA is valid for 5 years and the farmers have to renew the validity period of the registration certificate every 5 years. The farmers shall apply directly to the CAA for renewal of the farms in Form I, enclosing relevant documents with the prescribed fee as specified in Schedules I and II of the CAA Rules, 2024, without routing through SDLCs

or DLCs. The CAA, upon scrutiny, issues the certificates of renewal to the farmers with the approval of the Authority, which is valid for 5 years.

- The list of farms registered with the CAA is placed on the CAA website (www.caa.gov.in), state & district-wise, for the access of the public and officers.

2) Registration and Renewal of Coastal Hatcheries:

- The CAA registers all the coastal shrimp and fish hatcheries and live feed units located within its jurisdiction, as these coastal aquaculture units shall be registered with the CAA (Section 13(1) and Rule 11).
- The hatchery/live feed unit operator shall apply directly to the CAA in Form-II, enclosing all relevant documents with the prescribed fee as specified in Schedules I and II of the CAA Rules, 2024 and obtain permission for the construction of the unit. Upon completion of the construction of the unit, the unit operator shall inform the CAA to obtain a registration certificate.
- The CAA, upon receipt of the application for registration, will arrange for an inspection of the unit by the Inspection Committee, comprising representatives from ICAR-CIBA, MPEDA, CAA and Fisheries Officer of the respective district, to inspect the bio-security, production facilities and sanitary condition and to make its suggestions or recommendations to register the unit by the Authority.
- Based on the recommendations of the Inspection Committee, the Authority approves the proposals and a registration certificate with a validity period of 5 years will be issued to the unit operator to carry out activities of seed and live feed production and supply to coastal aquaculture units, duly complying with the statutory provisions and Guidelines.
- The unit operator shall obtain a certificate of renewal of registration for every 5 years to carry out the seed and live feed production activities.
- The list of hatcheries and live feed units registered with CAA is placed on the CAA website (www.caa.gov.in), state & district-wise, for the public and officers to access.

3) Issuance of Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs:

- As per the provisions contained in the CAA (Amendment) Act, 2023, every aquaculture inputs manufacturer or distributor shall obtain a "Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs" from the CAA (Section 11(1)(db) and Rule 18).
- The aquaculture input manufacturers and distributors shall comply with the guidelines notified for the "Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs" and apply in Form-III directly to the CAA, enclosing all relevant documents with the prescribed fee as specified in Schedule III of the CAA Rules, 2024, to get certification from the CAA.
- The CAA, upon scrutiny and with the approval of the Authority, will issue a "Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs" to all eligible aquaculture products.
- After certification, manufacturers and distributors shall follow the labelling procedures and other provisions as prescribed in the "Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs."
- The certification's validity period is 5 years, and it will be renewed every 5 years.
- The list of antibiotic-free aquaculture inputs certified by the CAA, product and company-wise, is placed on the CAA website (www.caa.gov.in) to facilitate the public and officers to access the information.

4) Implementation of statutory provisions contained in the CAA Act, Rules, Regulations and Guidelines

- The CAA, through existing SDLCs and DLCs, ensures that all coastal aquaculture units and activities are carried out in compliance with statutory provisions in all coastal States/UTs to safeguard the coastal ecosystem and also promote sustainable coastal aquaculture in harmony with the coastal environment.
- From time to time, CAA develops Guidelines, Standard Operating Procedures (SOPs) and advisories keeping in view of the advancements in technologies, practices,

etc., in coastal aquaculture for compliance by farmers and other stakeholders.

- So far, 157 SDLCs and 76 DLCs have been constituted in 9 coastal states and 4 UTs to regulate and promote sustainable coastal aquaculture in the country.

5) Empanelment of overseas suppliers of SPF Broodstock into India and monitoring of AQF:

- The "Empanelment and Technical Evaluation Committee," constituted with members from CAA, ICAR-CIBA, NFDB, MPEDA and ICAR-NBFGR, will evaluate the proposals received from the overseas suppliers, visit their facilities in virtual mode and recommend the proposals to the CAA for their empanelment based on their genetic base, Specific Pathogen Free (SPF) status and other bio-security facilities established.
- Upon the recommendations of the Committee, the Authority examines and approves the proposals of their empanelment to supply SPF shrimp Broodstock/ Post Parental Larvae (PPL) to the CAA approved hatcheries and BMCs.
- CAA, with the approval of the Authority, empanels such overseas suppliers and notifies on the CAA website to facilitate hatchery/BMC operators to import the SPF shrimp broodstock/PPL from such approved overseas suppliers.
- So far, fourteen (14) overseas suppliers for the supply of SPF L. vannamei brood stock/ PPL and two (2) overseas suppliers for the supply of SPF P. monodon broodstock/PPL have been empanelled and placed on the CAA website (www.caa.gov.in).
- The Aquatic Quarantine Facility, which is operating by the Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA), an R&D arm of the Marine Products Exports Development Authority (MPEDA), is facilitating hatchery/ BMC operators with quarantining the imported SPF shrimp Broodstock/PPL for WOAH listed pathogens and pathogen concern to India and enabling them to produce and supply SPF seed and broodstock.
- The Technical Committee, constituted and headed by the Secretary, CAA and comprising the members from AQCS, Department of Fisheries-MoFAHD, ICAR-CIBA, MPEDA, RGCA, NFDB, AQF Project Manager and AISHA representative, oversees and monitors the operations at AQF and recommends from time to time for its smooth and effective operation.

6) Monitoring and Extension:

- The CAA Inspection Committee regularly inspects shrimp hatcheries in all coastal areas and ensures that their seed production activities are carried out in compliance with the prescribed statutory provisions and guidelines.
- The Consultants deployed in the States of Andhra Pradesh and Tamil Nadu regularly collect the water samples from the discharge points of the farms and hatcheries, analyse the samples in Government labs and check the standards of discharge water in compliance with the prescribed standards of discharge water.
- CAA staff are also associating with the MPEDA field officers for the collection of samples from hatcheries and farms under the NRCP Programme. The MPEDA officers are testing the samples collected for antibiotic residues
- The MPEDA officers, on the detection of banned antibiotics in the collected samples, report to the CAA for penalising the concerned farmer or hatchery under Section 14 of the CAA Act, 2005.
- CAA Technical Officers are regularly sensitising all the Member Conveners of the SDLCs and DLCs, farmers, hatchery operators, input manufacturers and distributors, and other stakeholders on the statutory provisions made for the registration of farms and hatcheries and the certification of aquaculture inputs, adoption of Good Aquaculture Practices, Antimicrobial Resistance etc.,
- The CAA is also associating with ICAR institutions, MPEDA, Universities and other Central/State Government Fisheries departments and participating in workshops, exhibitions, farmer conclaves, seminars, etc., and promoting sustainable coastal aquaculture practices in all coastal areas in the country.

TARGETS AND PERFORMANCE

2

TARGETS AND PERFORMANCE

As per the mandate of the CAA and the provisions contained under the CAA Act and its Rules, the activity-wise targets for the financial year 2024-25 were fixed, for which the achievements and performance are given below:

Annual targets and performance

Target		Achievement
1	**Authority Meetings:**	
	Convening meetings of the Authority at least once every two months to take appropriate decisions on the mandates of the CAA.	Three Authority meetings were held during the financial year 2024–25 on 30.04.2025, 18.07.2024 and 21.10.2024. All the proposals for registration and renewal of coastal aquaculture farms, hatcheries and certification of Aquaculture Inputs were processed and placed before the Authority. The CAA issued the certificates both digitally and physically to the concerned farmers and stakeholders with the approval of the Authority.
2	**Registration and renewal of coastal aquaculture farms**	
	The farmers shall apply in Form I to their concerned SDLC. The Sub-Divisional and District Level Committees, upon the verification of the applications at the field level, shall recommend all eligible applications to CAA for registration of coastal aquaculture farms. The farmers shall apply directly in Form I to the CAA for the renewal of coastal aquaculture farms. The Authority, upon receipt of applications from the SDLCs and DLCs for registration of coastal aquaculture farms and applications from the farmers for renewal of registration of coastal aquaculture farms, shall process the applications within the time and, with the approval of the Authority, issue both physical and digital certificates to the farmers directly.	During the year, 798 applications were received for the registration of farms with the recommendations from the Sub-Divisional and District Level Committees, of which 712 applications with a total farm area of 856.10 ha and water spread area of 546.69 ha were found in order and registration certificates were issued to the farmers directly with the approval of the Authority. 86 applications were rejected due to their non-compliance under intimation to the concerned applicants. Out of 2913 applications received for renewal of registration of coastal aquaculture farms, 2894 applications with a total farm area of 5220.19 ha and water spread area of 3609.75 ha were found in order and certificates of renewal of registration were issued to the farmers directly with the approval of the Authority. 19 applications were rejected due to their non-compliance under intimation to the concerned applicants.

3 Empanelment of SPF broodstock suppliers

The Ministry constituted the Empanelment and Technical Evaluation Committee with the representatives from NFDB, ICAR-CIBA, MPEDA, ICAR-NBFGR and headed by the Secretary CAA to screen the proposals received from the overseas suppliers and recommend to the Authority for empanelment of qualified broodstock suppliers based on the SPF status, genetic base, disease status and other biosecurity and production facilities.

The CAA ensures an uninterrupted supply of quality broodstock/PPL to the registered hatchery and BMC operators by the empanelled overseas suppliers and extends their validity period of the empanelment from time to time.

One overseas supplier for the supply of SPF broodstock of *L. vannamei* was recommended by the Committee and empanelled with the approval of the Authority.

The validity period of twelve overseas suppliers was extended to five years to facilitate the hatchery/BMC operators to import the SPF shrimp broodstock/PPL from the empanelled overseas suppliers.

14 overseas suppliers for the supply of SPF broodstock/PPL of *L. vannamei* and 02 overseas suppliers for the supply of SPF broodstock/PPL of *P. monodon* and a total of 16 overseas suppliers for the supply of SPF shrimp broodstock/PPL were empanelled.

4 Oversee and monitor of operations of the Aquatic Quarantine Facility (AQF)

The CAA, with the support of the Technical Committee which was constituted with the members from the CAA, AQCS, DoF, Ministry of Fisheries, & AHD, ICAR-CIBA, MPEDA, RGCA, NFDB, AQF Project Manager, and representatives from AISHA, regularly monitors the activities of the AQF and takes decisions for its smooth and effective operation.

During the year, two (2) Technical Committee meetings were convened on 29.11.2024 and 12.02.2025

The details of SPF shrimp broodstock and PPL imported from the CAA empanelled overseas suppliers by the operators of shrimp hatcheries and BMCs during 2024-25 are furnished below:

Import of SPF Shrimp broodstock/ PPL during 2024-25	**Numbers**
SPF *L.vannamei* broodstock	1,83,266
SPF *P.monodon* broodstock	9,289
PPL of SPF *L. vannamei*	4,58,208
PPL of SPF *P. monodon*	68,568

5 Registration and renewal of registration of hatcheries

The hatchery operators shall submit Form II for registration of hatcheries/Nauplii Rearing Centres/ Live feed Units along with required documents and fees as prescribed in Schedules I and II of the CAA Rules, 2024.

The CAA considers the applications received for registration of hatcheries/NRHs/live

CAA received 15 applications for registration of hatcheries and all 15 hatcheries were inspected and recommended by the Inspection Committee and registration certificates were issued to all 15 units (*L. vannamei* 10; *P. monodon* 02; Live Feed Units 01; *Macrobrachium rosenbergii* 02) and 01 hatchery of ICAR-CIBA with the approval of the Authority.

	feed units and renewal of these units, duly following the procedure as prescribed in Rule 11 of the CAA Rules, 2024.	CAA received 15 applications for renewal of registration of hatcheries and all 15 hatcheries were inspected and recommended by the Inspection Committee and certificates of renewal of registration were issued (*L. vannamei* – 12; *P.monodon*-02; Live feed unit-01) to all the units with the approval of the Authority.
6	**Registration and Renewal of Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs)** The CAA considers the applications received for registration and renewal of registration of NRHs in compliance with the Guidelines.	The CAA received 14 applications for registration of NRHs and all 14 units of NRHs were inspected and recommended by the Inspection Committee and registration certificates were issued (*L. vannamei*-13; *P. monodon*- 01) to all NRH units with the approval of the Authority. CAA received 35 applications for renewal of registration of NRHs and all 35 units of NRHs were inspected and recommended by the Inspection Committee and certificates of renewal of registration were issued (*L. vannamei* - 35) to all units of NRH with the approval of the Authority.
7	**Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs** As per the provisions contained under Section 11(db) of the CAA Act, 2005 and Rule 18 of the CAA Rules, 2024, it is mandatory for aquaculture input manufacturers and distributors to get a certificate of compliance for antibiotic-free aquaculture inputs. The CAA directly receives the applications in Form-III from the inputs manufacturers and distributors with relevant documents as prescribed in Schedule-III of the CAA Rules, 2024 and scrutinises the new proposals and proposals for renewal and issues a Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs.	CAA received 2690 applications for the issuance of a Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs. Out of which, 1123 applications complied with the guidelines and Certificates of Compliance were issued for 1123 antibiotic-free aquaculture inputs with the approval of the Authority. 1210 applications are complied to place in the next Authority meeting during 2025-26. 85 applications were rejected due to their non-compliance and 272 applicants were informed to rectify the deficiencies. 167 renewal certificates of compliance for antibiotic-free inputs were issued during the year 2024-25.
8	**Monitoring and Surveillance of coastal aquaculture activities** Violations of the statutory provisions contained under the CAA Act, Rules, Regulations and Guidelines by the farmers	During the year 2024-25, the field officers/staff of CAA under the Monitoring and Surveillance attended the following activities.

and hatchery operators will cause a threat to the coastal ecosystem and also to the quality and quantity of the coastal aquaculture produce. Therefore, the CAA has prioritised regular monitoring and surveillance of coastal aquaculture units and activities to safeguard the coastal ecosystem and ensure adherence to prescribed statutory provisions.

S. No	Activities targeted for the year 2024-25	Target (Nos.)	Achievement (No.)
1	Inspection of hatcheries/NRHs for registration and renewal	135	269 units
2	Collection of samples and inspection of hatcheries with MPEDA under NRCP	105	100 samples from 409 hatcheries
3	Monitoring of farms through field functionaries	2500	6591
4	Collection of water samples through field functionaries	350	678

9 Outreach/ awareness programmes

The CAA has given more thrust on conducting outreach programmes among farmers, hatchery operators, inputs manufacturers/ distributors, other stakeholders and officers of the State Fisheries Departments of all maritime states/ UTs through awareness camps, sensitization programmes, exhibitions, farmer conclaves, etc., in coordination with State Fisheries Departments, MPEDA, ICAR Institutes, etc., to sensitise them on the CAA statutory provisions, adoption of Good Management Practices in compliance with the various statutory provisions, antimicrobial resistance etc.

During the year 2024–25, the CAA technical officers and field staff have organised and participated in the outreach programmes as detailed below:

S. No	Activities targeted for the year 2024-25	Target (Nos.)	Achievement (No.)
1	No. of Sensitisation Programmes at the state level, both physically and virtually	9	12
2	Awareness camps with MPEDA, Fisheries officials at the District level	11	12
3	Awareness camps with hatchery operators and farmers, both physically and virtually	8	10
4	Sensitisation on antibiotic issues	10	12
5	Seminars/ exhibitions/ expos/ workshops	11	10

10 Development of 11 new guidelines for coverage of all verticals of coastal aquaculture:

Since all the verticals of coastal aquaculture units and activities, including mariculture practices, are brought under the regulatory purview of the CAA under the CAA (Amendment) Act, 2023, the CAA, with the technical support of ICAR institutions (CIBA, CMFRI, NBFGR), MPEDA, CSIR-CSMCRI, NCSCM, State Fisheries Departments, has developed 11 new guidelines and furnished them to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India for notification

The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India vide G.S.R. 750 (E) Dated 4th December 2024 amended rule 3 of the CAA Rules, 2024 by inserting the following 11 new guidelines after clause (g) and the notification of these new guidelines is under process.

(h) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of crabs

(i) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of marine finfishes;

		(j) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of indigenous shrimp species in marine and brackishwater; (k) Guidelines for regulating hatcheries and rearing units for marine/brackishwater ornamental organisms; (l) Guidelines for regulating seaweed seedling production and farming in marine and brackishwater; (m) Guidelines for regulating cage and pen culture of marine/brackishwater aquaculture species; (n) Guidelines for regulating live feed culture units and management in coastal aquaculture; (o) Guidelines for regulating Bio-floc, Recirculatory Aquaculture Systems (RAS), and Nursery-based Aqua Farming Systems; (p) Guidelines for notifying the aqua zones and aqua mapping; (q) Guidelines for regulating seed production and farming of bivalves in marine and brackishwater; (r) Guidelines for assessment of cost for the damage to environment and cost of demolition and utilization of environment monitoring fund.
11	Development of Standard Operating Procedure (SOP) for implementation of the “Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and specific pathogen-free certification of coastal aquaculture units and stocks in India” which was notified vide S.O. 1479(E) dated 15.03.2024.	The CAA developed the SOP for implementation of the “Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and specific pathogen-free certification of coastal aquaculture units and stocks in India” with the technical support of ICAR-CIBA and furnished to the Ministry for notification, which is under process.
12	**Development of Online Application for registration of coastal aquaculture farms**	
	The CAA as per the provisions contained under Sub-rule (3) of Rule 9 of CAA Rules, 2024, may in the public interest, make provision for online filing of an application for registration of Coastal Aquaculture Farms.	The CAA with the technical support of the National Single Window System (NSWS)-Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India developed the online application to facilitate the farmers to apply

online for registration of their coastal aquaculture farms and mariculture units as a part of ease of doing business as per the provisions laid down in rule 9(3) of the CAA Rules, 2024.

The Hon'ble Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India, launched the Online Registration Portal for coastal aquaculture farms on 21st November, 2024 on the eve of World Fisheries Day.

The links were provided on the CAA website to the farmers to apply online and to the Member Conveners of the SDLCs/DLCs of all coastal states/UTs to process the application online and to recommend to the CAA on 09th January, 2025.

Launch of online application for coastal aquaculture farms on 21st November, 2024 on the eve of World Fisheries Day by Shri Rajiv Ranjan Singh Ailas Lalan Singh Hon'ble Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry & Dairying and Panchayat Raj Government of India

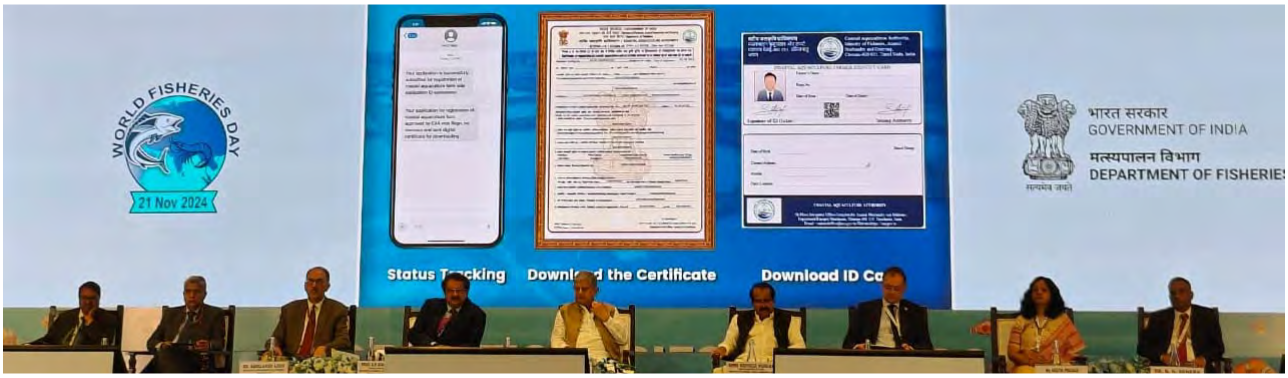

AUTHORITY MEETINGS & OTHER TECHNICAL AND EXPERT COMMITTEE MEETINGS

3

AUTHORITY MEETINGS & OTHER TECHNICAL AND EXPERT COMMITTEE MEETINGS

During 2024-25, three Authority meetings were conducted in virtual mode. In addition to these, other technical and expert committee meetings on various subjects as per the mandate of the CAA were also conducted. Details of the meetings convened are given below:

Meetings of the Authority

Three Authority meetings were convened and the details of the meetings and important decisions taken are summarised in Table 3.1. The 77th, 78th and 79th Authority meetings were held on 30.04.2024, 18.07.2024 and 21.10.2024 respectively with the members of the Authority reconstituted under Section 4 of the CAA (Amendment) Act, 2023, wherein the Secretaries of all coastal States and UTs are notified as the members of the Authority.

The proposals received for registration or renewal of coastal aquaculture farms, hatcheries, NRHs and certificates of compliance for antibiotic-free aquaculture inputs, which were complied with, were approved in the Authority meetings for the issuance of certificates to the concerned farmers and other stakeholders. Shri Justice Amar Singh Chauhan, Chairperson of CAA presided over the three Authority meetings.

Visual recordings of the Authority meetings convened during 2024-25

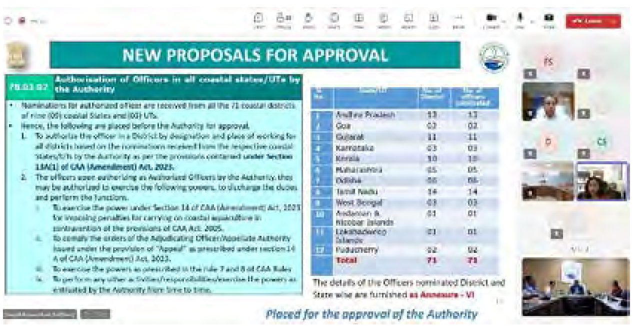

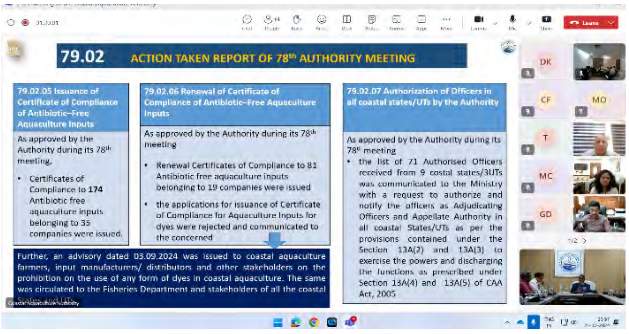

Table 3.1 Important agenda points approved in the Authority meetings of the Coastal Aquaculture Authority during the year 2024-25

Meeting No.	Date & mode of the meeting conducted	Major Decisions of the meeting
Seventy Seventh (77th)	30.04.2024 Virtual mode Chennai	• Approved registration of 419 shrimp farms with a total farm area of 428.69 ha and a total water spread area of 258.09 ha • Approved renewal of registration of 671 shrimp farms with a total farm area of 1311.30 ha and a total water spread area of 930.93 ha • Approved the registration of four (04) new hatcheries. • Approved the registration of one (01) Nauplii Rearing Hatchery. • Granted approval for the renewal of registration of thirty three (33) units that included nine (09) hatcheries, twenty-three (23) Nauplii Rearing Hatcheries and one (01) unit for live feed. • Approved 187 aquaculture inputs belonging to 46 companies for issuance of Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs. • Approved the renewal of 76 aquaculture inputs belonging to 19 companies for the issuance of Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs. • The validity period of 12 CAA empanelled overseas suppliers for the supply of SPF shrimp broodstock and PPL was extended for a further period of 5 years. • Action of the CAA on the issuance of an order for removal or demolition of 46 shrimp farms, which are constructed by encroachment and carrying out illegal and unauthorized shrimp culture since long back in the river bed of the river Nagavali in Srikakulam District, Andhra Pradesh State, as per the orders of the NGT, was ratified.
Seventy Eighth (78th)	18.07.2024 Virtual mode Chennai	• Approved registration of 132 shrimp farms with a total farm area of 142.81 ha and a total water spread area of 98.13 ha. • Approved renewal of registration of 779 shrimp farms with a total farm area of 1435.76 and a total water spread area of 1016.66 ha. • Approved registration of five (05) Nauplii Rearing Hatcheries. • Approved renewal of registration of two (02) hatcheries and seven (07) Nauplii Rearing Hatcheries. • Approved 174 aquaculture inputs belonging to 35 companies for the issuance of Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs. • Approved 81 aquaculture inputs belonging to 19 companies for the issuance of a renewal Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs. • Approved for authorization of 71 officers in 71 coastal districts in 09 coastal states and 03 UTs as Authorised Officers as prescribed under Section 13A of the CAA

		(Amendment) Act, 2023 to exercise the powers and perform the duties as prescribed under Section 14 of the CAA Act, 2005 and Rule 7 and 8 of the CAA Rules, 2024. • Approved the Annual Report of the CAA for the year 2023-24 • Approved the Annual Accounts of the CAA for the year 2023-24.
Seventy-Ninth (79th)	21.10. 2024 Virtual mode Chennai	• Approved registration of 161 shrimp farms with a total farm area of 284.60 ha and a total water spread area of 191.47 ha. • Approved renewal of registration for 1444 shrimp farms with a total farm area of 2473.13 ha and a total water spread area of 1662.16 ha. • Approved new registration of nine (09) units that included five (05) hatcheries, three (03) NRHs and one (01) live feed unit. • Approved renewal of registration of three (03) Nauplii Rearing Hatcheries. • Approved 762 aquaculture inputs belonging to 119 companies for the issuance of Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs. • Approved 10 aquaculture inputs belonging to 04 companies for the issuance of renewal Certificates of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs. • Approved for imposing a penalty against 03 shrimp hatcheries for violation of statutory provisions under Section 14 of the CAA Act, 2005. • Approved for authorization of 02 officers as nominated by Daman and Diu Administration as Authorised Officers as prescribed under Section 13A of the CAA (Amendment) Act, 2023. • Approved the revised Annual Accounts of the CAA for the financial year 2023-24.

Meeting with the representatives of all chapters of AISHA and hatchery operators

The CAA and RGCA jointly organised a meeting with the representatives of all chapters of AISHA and hatchery operators on 15.04.2024 through video conference. During the meeting, it was discussed the current status of the import of broodstock, issues related to the booking of quarantine cubicles at AQF and other operational issues of shrimp hatchery operators.

Meeting to review "Draft SOPs on import of SPF Shrimp broodstock into India with special reference to AHPND"

The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended the meeting on review of "Draft SOPs on import of SPF Shrimp broodstock into India with special reference to AHPND" and Drafting of new guidelines under CAA Act, 2005" convened under the chairmanship of the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Government of India on 07.05.2024 through video conference. The representatives from ICAR institutions, MPEDA and other expert committee members attended the meeting.

Expert Committee Meetings to review the progress of drafting of new guidelines and SOP

The Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries cum Secretary, Coastal Aquaculture Authority, conducted a series of meetings with Expert Committee members on 03.06.2024,

28.06.2024, 25.07.2024 and 06.08.2024 on the development of new guidelines to cover all verticals of coastal aquaculture including mariculture activities and a Standard Operating Procedure (SOP) on implementation of "Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and specific pathogen-free certification of coastal aquaculture units and stocks in India". These meetings were attended by representatives from ICAR-CIBA, CMFRI, CSIR-CSMCRI, MPEDA, NIOT, DoF, CAA, NCSCM and Fisheries Officers from Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra and other members of the Technical Expert Committee. The following 11 new guidelines and SOPs developed by the CAA with the technical support of ICAR-CIBA, ICAR-CMFRI, CSIR-CSMCRI, and MPEDA and furnished to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India for notification.

I. Details of 11 new Guidelines submited

1) Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and culture of crab
2) Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and culture of marine finfishes
3) Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and culture of Indigenous shrimp species in marine and brackishwater
4) Guidelines for Regulating Hatcheries and Rearing Units for marine/brackishwater ornamental organisms
5) Guidelines for regulating Seaweed seedling production and farming in marine and brackishwater
6) Guidelines for Regulating cage and pen culture of marine/brackishwater aquaculture species
7) Guidelines for regulating live feed culture units and management in coastal aquaculture
8) Guidelines for Regulating Bio-floc, Re-circulatory Aquaculture Systems (RAS) and Nursery based aqua farming systems
9) Guidelines for notifying the aqua zones and aqua mapping
10) Guidelines for Regulating seed production and farming of Bivalves in marine and brackishwater
11) Guidelines for Assessment of Cost for the damage to environment and cost of demolition and Utilization of Environmental monitoring fund.

The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India vide G.S.R. 750(E) dated 4th December, 2024, amended rule 3 of the CAA Rules, 2024 by inserting the above 11 new guidelines after clause (g) and the notification of these new guidelines is under process.

II. Drafting of Standard Operating Procedure (SOP) submited

Standard Operating Procedure (SOP) on implementation of the "Guidelines for health monitoring, disease surveillance and specific pathogen-free certification of coastal aquaculture units and stocks in India"

US Food and Drug Administration officials meeting in CAA Headquarters, Chennai

The USFDA officials and the CAA jointly hosted the seminar on FDA Seafood Traceability on 26.08.2024 at CAA Headquarters, Chennai through a hybrid mode. The FDA team made presentations on Seafood Traceability, the International Traceability Campaign and Seafood safety. The officers from CAA, FSSAI, MPEDA, EIC and Spices Board India attended the meeting physically and virtually. Around 80 officers attended the meeting virtually.

Meeting with Overseas Suppliers and stakeholders on "Supply of SPF *P. monodon* Broodstock"

The CAA convened virtual meetings on "Supply of SPF *P. monodon* Broodstock to CAA registered hatcheries by the empanelled overseas suppliers and BMC operators" on 07.10.2024. The Director, RGCA, Principal Scientist, ICAR-CIBA, Deputy Commissioner, Department of Fisheries, representatives of overseas suppliers, AISHA, farmers' association and hatchery operators attended the meeting.

Twenty-fourth Meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of AQF

The twenty fourth meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of Aquatic Quarantine under the Chairmanship of the Secretary, CAA cum Chairperson, Technical Committee of AQF was held on 29.11.2024 through hybrid mode. The Members from ICAR-CIBA, MPEDA-RGCA, AQCS, NFDB, DoF, RGCA-AQF, AISHA and CAA attended the meeting.

Expert Committee meeting to discuss proposed amendments in the "Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs"

A meeting of the Expert Committee constituted vide Order No. J-1903336/2/2024-Fy (E-23648) by the Department of Fisheries, Government of India, was held on 09.12.2024 through video conferencing under the Chairmanship of the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries. The meeting was convened to deliberate on the proposed amendments to the "Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs" in line with the provisions contained under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023.

Stakeholders meeting with representatives of All India Shrimp Hatcheries Association and overseas suppliers of SPF shrimp broodstock

As per the decision taken in the 24th meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of Aquatic Quarantine held under the Chairmanship of the Secretary, CAA cum Chairperson, TC of AQF on 29th November 2024, the CAA convened Stakeholders meeting with representatives of All India Shrimp Hatcheries Association and overseas suppliers of shrimp broodstock through video conferencing on 20.12.2024. During the meeting, the issues related to the screening of emerging disease TPD in imported shrimp broodstock and PPL at AQF and at the country of origin by the overseas suppliers were discussed.

Twenty-fifth Meeting of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of AQF

The Twenty-fifth Meeting of the Technical Committee to Oversee and Monitor the Functioning of the Aquatic Quarantine Facility was convened under the Chairmanship of the Secretary, CAA, on 12.02.2025 through video conference. The members of the Technical Committee from AQCS, ICAR-CIBA, MPEDA, AQF-RGCA, CAA, NFDB and the representatives of the All India Shrimp Hatcheries Association (AISHA) attended the meeting.

Meeting with the Overseas Suppliers and Hatchery Operators

The CAA and MPEDA-RGCA jointly convened a meeting with the representatives of the overseas suppliers and All India Shrimp Hatcheries Association (AISHA) on the inclusion of the disease Translucent Post Larval Disease-TPD (VHVP2) in the screening list and test the pathogen in imported shrimp broodstock and PPL of *L. vannamei* and *P. monodon* through hybrid mode on 17.02.2025.

Meeting with Expert Committee members to discuss on the proposed amendments in the Guidelines

The CAA convened a virtual meeting with the Members of the Expert Committee on 11.03.2025 to discuss the proposed amendments to the Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs. The meeting was attended by the Members of the Expert Committee from CAA, ICAR-NBFGR, ICAR-CIBA, MPEDA and Fisheries Officers from the states of Andhra Pradesh, Odisha and Gujarat. Based on the technical inputs received from participants, the proposal was submitted to the Ministry for making penal provisions in the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and for inserting new provisions in the Guidelines for the issuance of Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs.

Meetings with Expert Committee members for carrying out the corrections in the four new guidelines

The CAA convened a virtual meeting with the members of the Expert Committee on 12.03.2025 to carry out the corrections suggested by the Legislative Department, Government of India, in four new draft Guidelines. The Expert Committee members from ICAR-CIBA, MPEDA and Fisheries Officers from Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra participated in the meeting. Based on the technical inputs received during the meeting, the necessary

corrections were made and the CAA communicated the corrected versions of the following four new Guidelines to the Ministry on 18.03.2025.

1. The Guidelines for "Regulating Hatcheries and Farms for seed production and culture of Crab' under Clause(h) of CAA Rules, 2024.
2. The Guideline for 'Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and Culture of marine finfishes' under Clause (i) of CAA Rules, 2024.
3. The Guideline for 'Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and Culture of indigenous shrimp in marine and brackishwater under Clause (j) of CAA Rules, 2024.
4. The Guideline for 'Regulating Hatcheries and rearing units for marine and brackishwater ornamental organisms' under Clause (k) of CAA Rules, 2024

Review meeting on the operation and management of approved shrimp BMCs and status of Shrimp Evaluation Study Unit of MPEDA-RGCA

The Director (Technical) and Assistant Director (Technical) of CAA attended a review meeting convened by the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, on review of operation and management of approved shrimp BMCs and status of Shrimp Evaluation Study Unit of MPEDA-RGCA on 19.03.2025 through video conferencing.

Visual records of Expert Committee meetings

Review meeting on the drafting of new Guidelines as per the provisions contained under CAA (Amendment) Act, 2023 on 06.08.2025

Meeting of the Technical Committee constituted to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility(AQF) on 12.02.2025

Meeting with Expert Committee to discuss amendments in the "Guidelines for certification of compliance for aquaculture inputs", under the CAA Rules, 2024 on 09.12.2024.

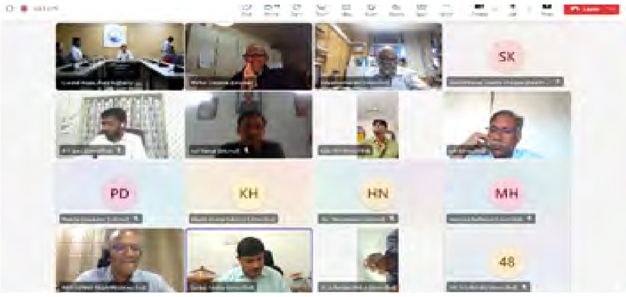

Meeting with Overseas Suppliers and stakeholders on "Supply of SPF *P. monodon* broodstock into Indian Hatcheries on 07.10.2024

The USFDA officials and the CAA jointly hosted the seminar on FDA Seafood Traceability on 26.08.2024

REGISTRATION AND RENEWAL OF COASTAL AQUACULTURE FARMS

4

REGISTRATION AND RENEWAL OF COASTAL AQUACULTURE FARMS

A. Registration of Coastal Aquaculture Farms

The CAA is functioning with a mandate to ensure that the coastal aquaculture activities shall not cause any detriment to the coastal environment and to protect the livelihood of the various sections of the people living in the coastal areas (Section 3). No person shall carry on, or cause to be carried on, coastal aquaculture in a coastal area (Section 13(1)) unless he/she registered the coastal aquaculture farm with the Coastal Aquaculture Authority.

Several statutory provisions are made under the CAA (Amendment) Act, 2023, the CAA Rules, 2024 and the Guidelines to promote sustainable coastal aquaculture practices in harmony with the coastal ecosystem. To facilitate coastal aquaculture farmers with a simplified registration process, the Sub-Divisional Level Committees (SDLC) at the Divisional level and the District Level Committees (DLC) at the District level were constituted to receive, process and recommend the applications to the CAA for registration of coastal aquaculture farms within their jurisdiction. Across the East and West Coast, 76 District level committees and 157 Sub-Divisional committees were constituted under CAA Rules, 2024.

As provided in the CAA guidelines, mangroves, agricultural lands and ecologically sensitive areas like sanctuaries and marine parks should not be converted for shrimp farming and the minimum distance to be maintained from the natural resources to aquaculture farms was also prescribed for environmental sustainability as a precautionary principle of Environmental Law in the Guidelines for regulating coastal aquaculture (Para 11 of the guidelines).

The farmer for registration of a coastal aquaculture farm shall apply in Form I to the concerned SDLC. The Sub-Divisional and District Level Committees shall forward the applications that comply with the statutory provisions of CAA duly following "Manner of considering application for registration of certain coastal aquaculture units or activities" as prescribed under Rule 10 of CAA Rules 2024. The CAA shall scrutinise such applications received from SDLCs and DLCs and issue certificates of registration to all eligible farms with the approval of the Authority.

During the year 2024-25, the CAA has registered and issued both digital and printed certificates of registration to 712 farms covering a total farm area of 856.10 ha and a water spread area of 546.69 ha, located in seven coastal States. The district-wise details of coastal aquaculture farms registered in the coastal states/UT with CAA are also made available on the CAA website (www.caa.gov.in).

The State-wise coastal aquaculture farms registered with CAA during the year 2024-25 are given in Table 4.1

Table 4.1 Coastal aquaculture farms registered with CAA during the year 2024-25

Sl. No.	Name of the State	Extent-wise (WSA) farms registered (in ha)					Total No. of Farms registered	Total Farm Area (TFA)(in ha)	Water Spread Area (WSA) (in ha)
		Up to 2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	Above 40.01			
1	Andhra Pradesh	113	4	0	0	0	117	134.91	96.16
2	Goa	2	0	0	0	0	2	2.48	1.66
3	Gujarat	0	14	0	0	0	14	70	42.00
4	Kerala	31	0	0	0	0	31	46.75	27.89
5	Odisha	495	3	0	0	0	498	489.07	306.35
6	Tamil Nadu	41	7	0	0	0	48	111.38	71.51
7	West Bengal	2	0	0	0	0	2	1.51	1.12
	Total	**684**	**28**	**0**	**0**	**0**	**712**	**856.10**	**546.69**

Fig 4.1 Coastal Aquaculture Farms registered with CAA during the year 2024-25

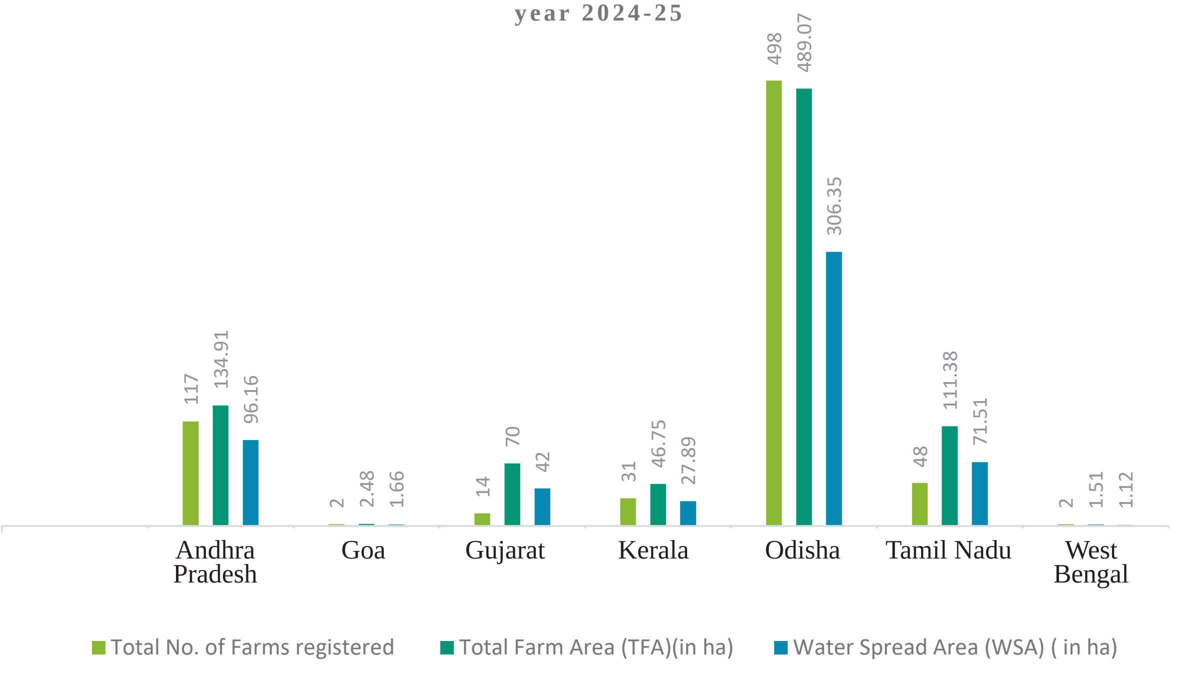

Coastal aquaculture farms registered with the CAA from 2006-07 to 2024-25

After the establishment of CAA in 2005, the registration of coastal aquaculture farms started in the year 2006-07, and 1334 farms were registered with a total area of 1856.61 ha and a water spread area of 1352.30 ha. Due to the continuous efforts of the CAA, in total, 47,038 coastal aquaculture farms covering a total farm area of 71211.39 ha and a water spread area (WSA) of 48465.02 ha were registered with the support of SDLCs and DLCs of all coastal states and UTS. The state-wise details of coastal aquaculture farms registered with the CAA from inception to 2024-25 are given in Table 4.2.

Table 4.2 Coastal aquaculture farms registered with CAA from 2006-07 to 2024-25									
Sl. No.	Name of the State	Extent-wise (WSA) farms registered (in ha)					Total No. of Farms registered	Total Farm Area	Water Spread Area
		Up to 2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	Above 40.01		(TFA)(in ha)	(WSA) (in ha)
1	Andaman & Nicobar	3	1	0	0	0	4	22.18	5.29
2	Andhra Pradesh	21909	658	103	70	11	22751	33281.88	23178.72
3	Diu & Daman	0	12	0	0	0	12	60.01	38.40
4	Goa	31	15	3	1	0	50	159.03	113.36
5	Gujarat	262	838	10	10	2	1122	5237.32	3723.02
6	Karnataka	276	38	1	1	0	316	462.54	351.56
7	Kerala	1303	214	13	4	1	1535	2952.16	2029.22
8	Maharashtra	159	113	20	19	6	317	2361.99	1497.24
9	Odisha	13371	74	24	22	0	13491	15868.13	9870.97
10	Puducherry	86	6	1	0	0	93	141.31	105.46
11	Tamil Nadu	1818	532	54	5	0	2409	6331.62	4609.16
12	West Bengal	4918	19	1	0	0	4938	4333.23	2942.62
	Total	**44136**	**2520**	**230**	**132**	**20**	**47038**	**71211.39**	**48465.02**

The above table reveals that 48.37% of coastal aquaculture farms registered with CAA were in Andhra Pradesh followed by Odisha (28.68%), West Bengal (10.50%) and Tamil Nadu (5.12%), whereas in other States, the percentage of farms registered is less than 4 percent of the total coastal aquaculture farms registered in the country.

Considering the extent of the water spread area of the farms, 93.81 % of the registered farms have an extent of less than 2 ha of WSA, 5.36% of the farms have an extent of 2.01 to 5.0 ha of WSA, and only 0.84% of farms have a WSA of more than 5.00 ha.

Fig-4.2 Coastal Aquaculture Farms Registered with CAA from 2006-07 to 2024-25

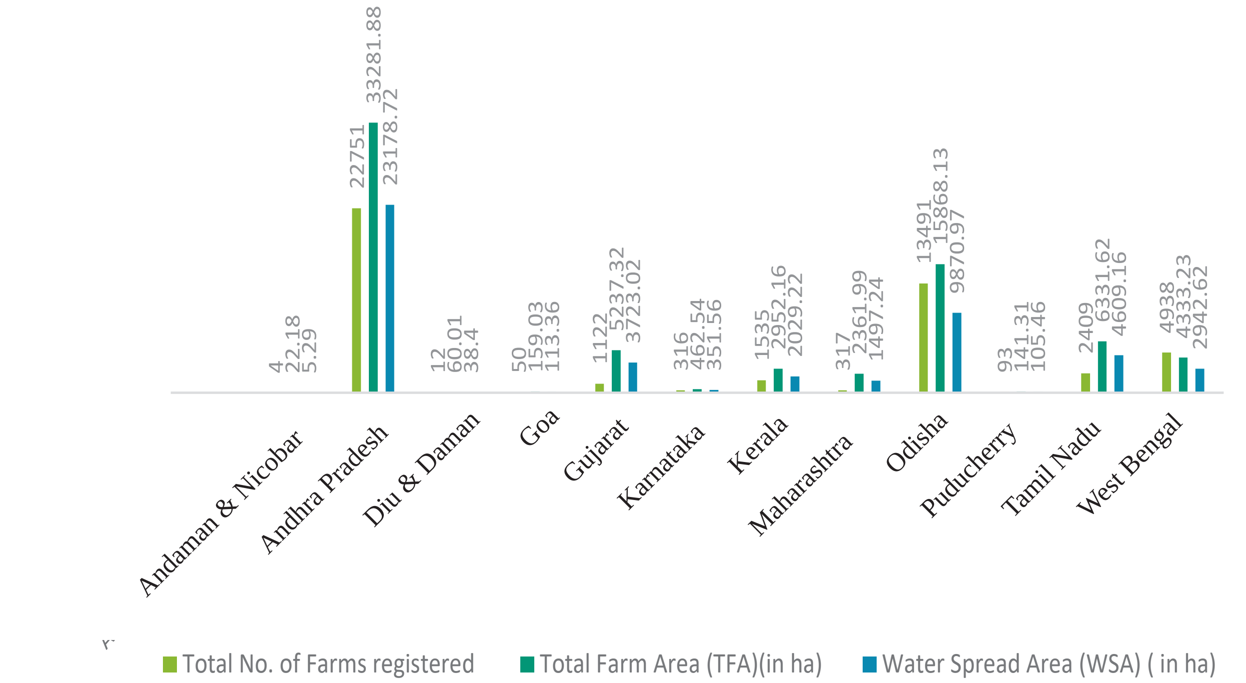

B. Renewal of Registration of coastal aquaculture farms

All the coastal aquaculture farms registered with CAA shall be renewed every five years, as the registration certificate for farms will be issued with a validity period of five years. The farmers shall apply in Form I before ninety days from the date of expiry of the period of validity (Rule 13(1)) to the Authority. Since the validity period of the registration or renewal of most of the coastal aquaculture farms expired, a provision was made in the CAA (Amendment) Act, 2023, that the Authority may condone the delay in making a renewal application, subject to payment of two times the applicable fee for renewal of registration and submission of reasons for the delay in writing (Section 13(10)(b) (Proviso)). The Authority, if satisfied, may condone the delay in making an application for renewal.

- During the year 2024-25, the CAA has renewed the registration period of the farms and issued both digital and printed certificates to 2894 farms covering a total farm area of 5220.19 ha and a water spread area of 3609.75 ha located in eight states and one UT (Table 4.3).
- The district-wise of coastal aquaculture farms renewed in all coastal states/UTs with CAA is made available on the CAA website (www.caa.gov.in).

Table 4.3 Coastal aquaculture farms renewed their registration with CAA during the year 2024-25

Sl. No.	Name of the State	Extent-wise (WSA) farms registered (in ha)					Total No. of Farms renewed their registration	Total Farm Area (TFA)(in ha)	Water Spread Area (WSA) (in ha)
		Up to 2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	Above 40.01			
1	Andhra Pradesh	1033	62	13	6	0	1114	1950.48	1369.767
2	Goa	2	0	0	0	0	2	1.81	1.42
3	Gujarat	10	103	0	0	0	113	528.5	387.84
4	Karnataka	15	1	0	0	0	16	30.43	16.37
5	Kerala	1	0	0	0	0	1	1.35	1.08
6	Maharashtra	6	10	0	0	0	16	70.37	52.52
7	Odisha	1226	5	3	1	0	1235	1557.96	972.44
8	Puducherry	1	0	0	0	0	1	2.71	1.56
9	Tamil Nadu	285	103	7	1	0	396	1076.58	806.75
	Total	**2579**	**284**	**23**	**8**	**0**	**2894**	**5220.19**	**3609.75**

Fig. 4.3 Coastal aquaculture farms renewed their registration with CAA during the year 2024-25

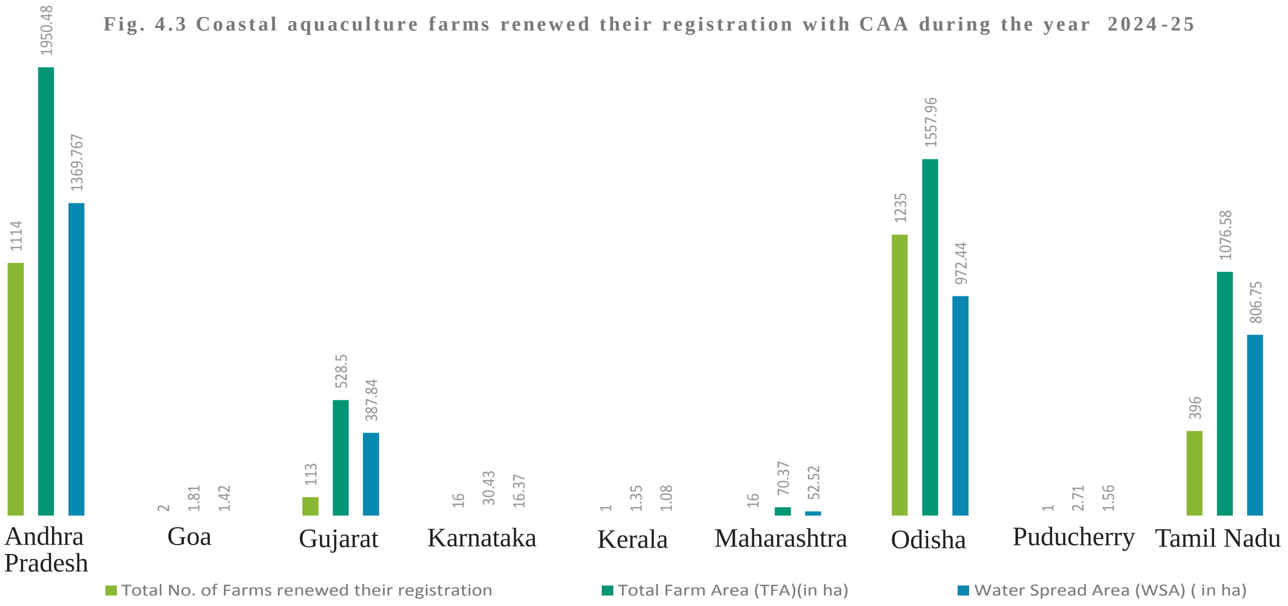

Coastal aquaculture farms renewed their registration from 2012–13 to 2024-25.

From 2012–13 to 2024–25, in total 15714 coastal aquaculture farms with a total farm area of 31904.41 ha and a water spread area of 22324.25 ha were renewed. The state-wise details of coastal aquaculture farms renewed from inception to 2024-25 are given in Table 4.4.

Table 4.4 Coastal aquaculture farms renewed their registration with CAA from inception to 2024-25

Sl. No.	Name of the State	Extent-wise (WSA) farms registered (in ha)					Total No. of Farms renewed their registration	Total Farm Area (TFA)(in ha)	Water Spread Area (WSA) (in ha)
		Up to 2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	Above 40.01			
1	Andhra Pradesh	7526	189	46	34	8	7803	13110.02	9363.17
2	Diu & Daman	0	9	0	0	0	9	45	28.80
3	Goa	24	20	2	1	0	47	141.73	104.02
4	Gujarat	139	887	6	1	2	1035	4685.12	3360.74
5	Karnataka	119	21	0	0	0	140	232.84	174.83
6	Kerala	295	31	2	1	1	330	674.34	503.49
7	Maharashtra	88	70	11	6	2	177	1025.85	695.69
8	Odisha	3924	40	26	20	0	4010	6023.86	3725.81
9	Puducherry	38	7	1	0	0	46	91.52	67.96
10	Tamil Nadu	1578	456	59	8	0	2101	5859.87	4289.59
11	West Bengal	16	0	0	0	0	16	14.26	10.15
	Total	**13747**	**1730**	**153**	**71**	**13**	**15714**	**31904.41**	**22324.25**

Fig 4.4 Coastal aquaculture farms renewed their registration withCAA from inception to 2024-25

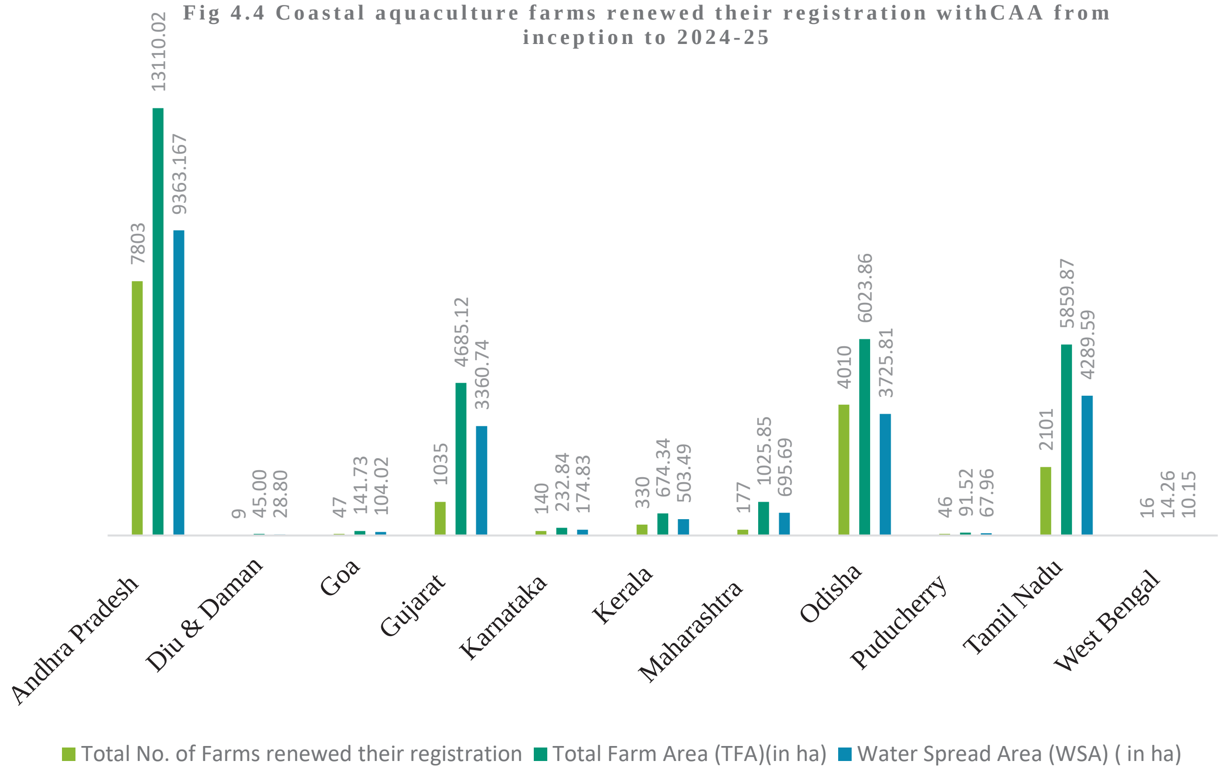

REGISTRATION AND RENEWAL OF HATCHERIES AND NAUPLII REARING HATCHERIES (NRHS)

5

REGISTRATION AND RENEWAL OF HATCHERIES AND NAUPLII REARING HATCHERIES (NRHS)

The production and supply of healthy seed is crucial for ensuring profitable and sustainable coastal aquaculture. In India, hatcheries play a pivotal role in supplying high-quality seed to coastal aquaculture farms. Hatcheries catering to coastal aquaculture farms in India shall be registered with the Coastal Aquaculture Authority (CAA) (Section 13(1)), which are located within the jurisdiction of the CAA. The CAA, before registering hatcheries, ensures that they strictly adhere to statutory provisions, guidelines and regulations aimed at maintaining biosecurity, disease prevention and environmental sustainability. Thus, the CAA registers private and Government hatcheries to produce seed of *L. vannamei*, *P. monodon*, finfish, scampi, live feed and crab to facilitate farmers across the country procuring and stocking SPF/healthy seed in their farms.

In the case of *L. vannamei*, which is an exotic species, the hatchery or BMC operators shall import the SPF broodstock or PPL from the approved overseas suppliers that are empanelled by the CAA based on the recommendations of the Empanelment Committee, which consists of members from the National Fisheries Development Board (NFDB), the ICAR-Central Institute of Brackishwater Aquaculture (ICAR-CIBA), the ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources (ICAR-NBFGR), the Marine Product Export Development Authority (MPEDA) and the CAA. The Empanelment Committee, on receipt of the proposals, evaluate the proposals of the overseas suppliers for the supply of SPF shrimp broodstock/PPL based on their genetic base, disease-free status, biosecurity facilities established, etc., The Empanelment Committee also recommends for empanelment of overseas suppliers to supply SPF *P. monodon* broodstock/PPL to India. Based on the recommendations of the Empanelment Committee, the Authority empanel the overseas supplier for the supply of SPF shrimp broodstock and PPL to the CAA registered hatcheries and BMCs. The Aquatic Quarantine Facility (AQF) located at Neelankarai, Chennai and operating by the MPEDA-RGCA quarantines the imported SPF broodstock/PPL and allows the hatcheries/BMCs to produce the SPF shrimp seed/broodstock if the broodstock/PPL is tested negative for WOAH listed pathogens and pathogens of concern to India. The Secretary, CAA heads a Technical Committee, which oversees and monitors the functioning of AQF.

As provided under the Guidelines, the Authority constituted an Inspection Committee headed by the Director (Technical), CAA, with representations from ICAR-CIBA, MPEDA and DLC to conduct inspections of hatcheries and NRHs for their status of compliance with bio-security and sanitary requirements for registration and renewal of hatcheries and NRHs. The Authority issue an annual allocation order to the registered shrimp hatcheries for the import of SPF broodstock from the empanelled overseas suppliers.

During the year 2024-25, a total of 15 applications for registration of new hatcheries (*L. vannamei* – 10 nos.; *P. monodon* – 02 nos.; *Macrobrachium rosenbergii* 02; Live Feed Unit – 01 nos.) and 14 applications for registration of Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) were received (*L. vannamei* – 13 nos.; *P. monodon* – 01 nos.). All these units were inspected by the Inspection Committee and approved by the Authority based on the recommendation of the Inspection Committee and issued registration certificates for carrying out the production and supply of SPF shrimp seed and Live Feed.

During the year, 15 applications for renewal of registration of hatcheries and 35 applications for renewal of registration of Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) were received. All these units were inspected by the Inspection Committee and approved by the Authority based on the recommendation of the Inspection Committee and issued certificates of renewal of registration for continuing their activities of production and supply of SPF shrimp seed.

Status of hatcheries, NRHs and live feed units registered with CAA

The guidelines notified by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, prescribed the requirement of sanitary, bio-security and other facilities in shrimp hatcheries for the production of SPF shrimp seed and supply to the registered farmers. Though many hatcheries established maturation facilities by investing a huge amount, the hatchery operators are facing difficulty for operating the maturation section, mainly due to inadequate success in the maturation process and a lack of suitable and trained technical personnel. The hatcheries that successfully carried out the maturation process and produced excess Nauplii supply to other hatcheries struggling with maturation. This led to the recognition of Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) as critical units for SPF *L. vannamei* seed production. The continued support and development of NRHs supports further growth of the shrimp aquaculture industry. As a result, considerable growth in NRHs for SPF L. vannamei was achieved in India in last ten years. The same conditions is also prevailed in SPF P. monodon hatcheries. Hence, the number of NRHs for both *L. vannamei* and *P. monodon* has grown significantly from 05 units with a seed production capacity of 267 million seed per year during 2015–16 to 216 units during 2024–25 with a production capacity of 24,320 million seed per year.

L. vannamei hatcheries/NRHs:

Since inception to 2024–25, a total of 498 shrimp seed production units of *L. vannamei* with a production capacity of 89,590 million seed per year were registered with CAA. These hatcheries/NRHs are spread across five maritime states, i.e., Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Gujarat and West Bengal. Out of 498 units registered, 382 units are located in Andhra Pradesh, accounting 76.71% of the total production units, followed by Tamil Nadu (18.67 %), Odisha (3.82%), Gujarat (0.6%) and West Bengal (0.2%)

P. monodon hatcheries/NRHs:

In total, 37 shrimp seed production units of SPF *P. monodon* (23 hatcheries and 14 NRHs) with a total seed production capacity of 9,410 million seed per year were registered with CAA. Out of 37 units registered, 22 units are located in Andhra Pradesh, accounting (59.46%) of the total production units, followed by Tamil Nadu (27.03%) and Gujarat (8.11%), Odisha (2.7%) and Karnataka (2.7%).

Marine Finfish Hatcheries:

In total, 5 marine finfish hatcheries were registered with CAA with a total fish seed production capacity of 285 million per annum and are located in Andhra Pradesh (02), Karnataka (01) Gujarat (01) and West Bengal (01).

Live feed production units:

Live feed is crucial for successful shrimp larval rearing in coastal aquaculture. To meet the demand for high-quality live feed in shrimp hatcheries, the Coastal Aquaculture Authority has registered ten live feed production units, out of which three units were registered for Artemia production located in Andhra Pradesh and the remaining seven units were registered for polychaete worm production located in Andhra Pradesh (06) and Tamil Nadu (01). Table 5.9 & Fig. 5.8

R&D and extension units:

Seven R&D/Government units located in Tamil Nadu (04 units) and Kerala (03 units) and operated by ICAR-CIBA, MPEDA-RGCA, TNJFU and the Govt. of Kerala were registered with the CAA for shrimp and multispecies finfish seed production for research and extension activities.

Table 5.1 State and species-wise hatcheries and NRHs registered with CAA from inception to 2024-25							
S. No.	Species/State	Number of Hatcheries	Seed Production Capacity (million seed per annum)	No. Of NRH	Seed Production Capacity of NRHs (million seed per annum)	Total Seed Production Units (Hatchery +NRH)	Total Seed Production Capacity (Hatchery +NRH) (million seed per annum)
	***L. vannamei* seed production units**						
1	Andhra Pradesh	211	51240	171	17140	382	68380
2	Tamil Nadu	75	14450	18	2880	93	17330
3	Odisha	6	1410	13	1390	19	2800
4	Gujarat	3	780	0	0	3	780
5	West Bengal	1	300	0	0	1	300
	Total *L. vannamei*	**296**	**68180**	**202**	**21410**	**498**	**89590**
B	***P.monodon* seed production units**						
1	Andhra Pradesh	16	4440	6	1590	22	6030
2	Tamil Nadu	5	1160	5	700	10	1860
3	Odisha	0	0	1	80	1	80
4	Gujarat	2	900	1	480	3	1380
5	Karnataka	0	0	1	60	1	60
	Total *P. monodon*	**23**	**6500**	**14**	**2910**	**37**	**9410**
C	**Multispecies Finfish Seed Production units**						
1	Andhra Pradesh	2	20	0	0	2	20
2	Karnataka	1	5	0	0	1	5
3	Gujarat	1	200	0	0	1	200
4	West Bengal	1	60	0	0	1	60
	Total marine finfish	**5**	**285**	**0**	**0**	**5**	**285**
D	***Macrobrachium rosenbergii* seed production units**						
1	Andhra Pradesh	1	240	0	0	1	240
2	Tamil Nadu	1	30	0	0	1	30
	Total *M.rosenbergii*	**2**	**270**	**0**	**0**	**2**	**270**
E	**Research Institute (Multispecies)**						
1	Kerala	3	**For research program**	0	**For research program**	3	0
2	Tamil Nadu	4		0		4	0
	Total	**7**		**0**		**7**	**0**
	Grand total	**333**	**75235**	**216**	**24320**	**549**	**99555**

Fig. 5.1.1. Number of *L. vannamei* Hatcheries/ NRH registered with CAA as on March 2025

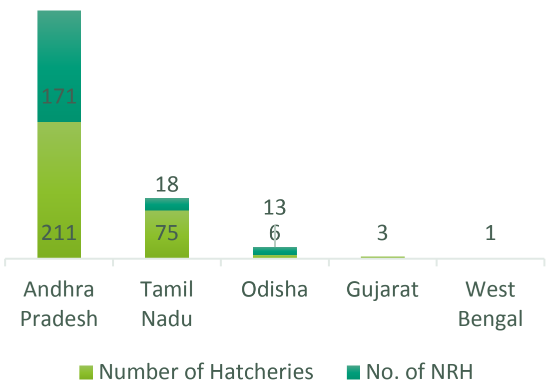

Fig. 5.1.2. Number of *P.monodon* Hatcheries/ NRH registered with CAA as on March 2025

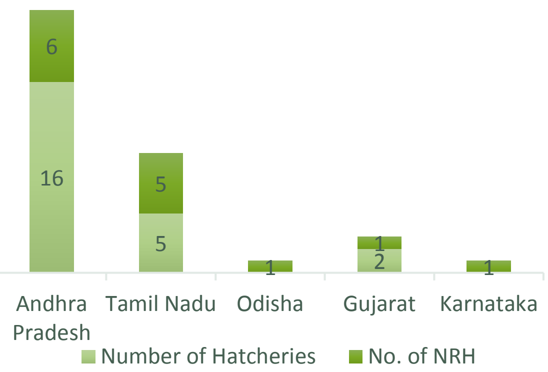

Important Notifications, Advisories and Guidelines issued by the Govt. of India/CAA for regulating and promoting the seed production and farming of SPF *L. vannamei* in India

2008: Notification dated 15th October 2008 issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898 (as amended by the Livestock Importation Act, 2001), to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei.*

2009: The Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005; Guidelines issued for regulating hatcheries and farms for the introduction of SPF *L. vannamei,* laying down the criteria to breed *L. vannamei,* the technical requirements and procedures for the production and sale of SPF *L. vannamei* seed and specific norms and regulations for the approval and operation of farms.

2012: Notification in March, 2012 amending CAA Rules, 2005: To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, towards (i) permitting the import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10 g for rearing to adult broodstock; (ii) selling nauplii among the permitted hatcheries; and (iii) shifting the culture of one species to another after an adequate dry-out period. This notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorised seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorised stock or through discard and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

2015: Notification dated 16th February 2015: Guidelines are laid down for permitting farms that are registered for *P. monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange. Amendment in November 2015 to the Guidelines at Annexure 1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including *P. monodon)* in the coastal areas by the CAA in consonance with the provisions of the CAA Act.

2020: Order dated 16th December 2020: The Department of Fisheries, Govt. of India issued an order to do away with the requirement of Sanitary Import Permit (SIP) for the import of SPF shrimp broodstock from overseas suppliers approved by the Coastal Aquaculture Authority (CAA) only with immediate effect. However, at the port of entry, the Animal Quarantine and Certification Services (AQCS) shall issue a NOC to the customs after verifying the pre-pathogen quarantine certificate and a certificate declaring freedom from the OIE-listed pathogen of the susceptible species, issued by the competent authority of the exporting country. Besides, the import of SPF shrimp broodstock shall be subject to compliance with all other

requirements notified under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and the Livestock Importation Act, 1898 (as amended in 2001).

2024: the following guidelines were notified by the Ministry to promote and regulate the seed production and farming of *L. vannamei:*

(1) Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture (S.O.1496(E) dated 20.03.2024)

(2) Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and culture of Specific Pathogen Free *L. vannamei* (S.O.1457(E) dated 15.03.2024)

(3) Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and specific pathogen free certification of coastal aquaculture units and stocks in India (S.O.1479(E) dated 15.03.2024)

(4) Guidelines for establishment and operation of Nucleus Breeding Centre and Broodstock Multiplication Centres in India (S.O.1459(E) dated 15.03.2024)

(5) Guidelines for Solid Waste Management in Coastal Aquaculture Units or Activities (S.O.1458(E) dated 15.03.2024)

Inspection of Hatcheries/NRHs in Andhra Pradesh

Inspection of Hatcheries/NRHs in Tamil Nadu

Inspection of Hatcheries/NRHs in Odisha

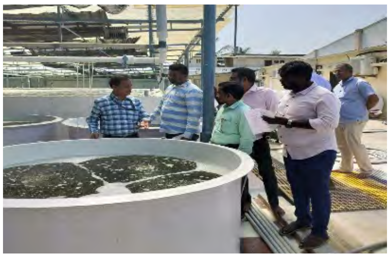

Inspection of Hatcheries/NRHs in Gujarat

Empanelment of overseas broodstock suppliers and import by Indian hatcheries/BMCs:

CAA empanels the overseas suppliers for the supply of SPF shrimp broodstocks/PPL to the country based on the recommendation of the Empanelment Committee which was constituted with members from CAA, ICAR-CIBA, MPEDA, NFDB and ICAR-NBFGR. The Committee evaluate the proposals of overseas suppliers based on the genetic base, SPF status and bio-security facilities established in the facility of the overseas suppliers and recommends to the CAA for their empanelment.

CAA so far empanelled 14 overseas suppliers for SPF *L. vannamei* and 02 overseas suppliers for SPF *P. monodon* to facilitate the CAA-registered hatcheries and BMCs to import SPF shrimp broodstock and PPL from the CAA empanelled suppliers. The CAA updates the details of the hatcheries/BMCs that have imported SPF shrimp broodstock/PPL on the CAA website (www.caa.gov.in) for information of the farmers.

Import of SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* broodstock/PPL

The import of SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* broodstock/PPL plays a crucial role in sustaining and expanding India's shrimp aquaculture sector. It ensures the availability of disease-free and genetically improved shrimp stock, which is essential for maintaining high standards of cultured shrimp production and meeting global market demands. The biosecurity requirements for quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements, etc., on arrival of imported broodstock, disinfection methods and other operational details are prescribed in the notified Guidelines.

The details of the import of SPF shrimp broodstock and PPL during the year is as follows:

No. of male *L. vannamei* brooders imported (nos.)	91586
No. of female *L. vannamei* brooders imported (nos.)	91680
Total *L. vannamei* broodstock imported (nos.)	183266
No. of male *P. monodon* brooders imported (nos.)	4687
No. of female *P. monodon* brooders imported (nos.)	4602
Total *P. monodon* broodstock imported (nos.)	9289
No. of *L. vannamei* PPL imported (nos.)	458208
No. of *P. monodon* PPL imported (nos.)	68568

Table 5.2. Year-wise *L. vannamei* hatcheries registered with CAA since inception (from July, 2009 up to March, 2025)

Year	Total No. of hatcheries Permitted	Production Capacity (million PL/year)	No. of broodstock permitted/year	No. of broodstock imported during the year
2008-09	9	-	-	-
2009-10	24	615	30600	24734
2010-11	21	1329	32200	21466
2011-12	74	5608	97440	37960
2012-13	105	8295	132720	129160
2013-14	117	8776	140416	105636
2014-15	183	13928	330312	199798
2015-16	259	24209	605264	169458
2016-17	281	26783	678600	204720
2017-18	298	29155	736600	257100
2018-19	310	31568	793400	231140
2019-20	315	32518	815400	249914
2020-21	293	43342	1040200	276346
2021-22	305	68200	1081720	249088
2022-23	312	71055	1126200	230900
2023-24	301	69190	1408200	189314
2024-25	296	68180	1407200	183266

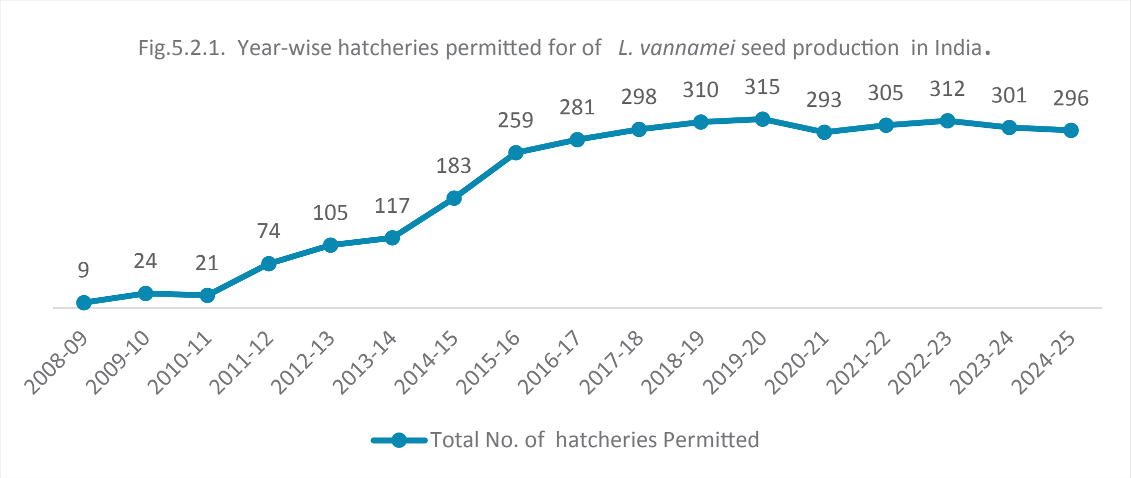

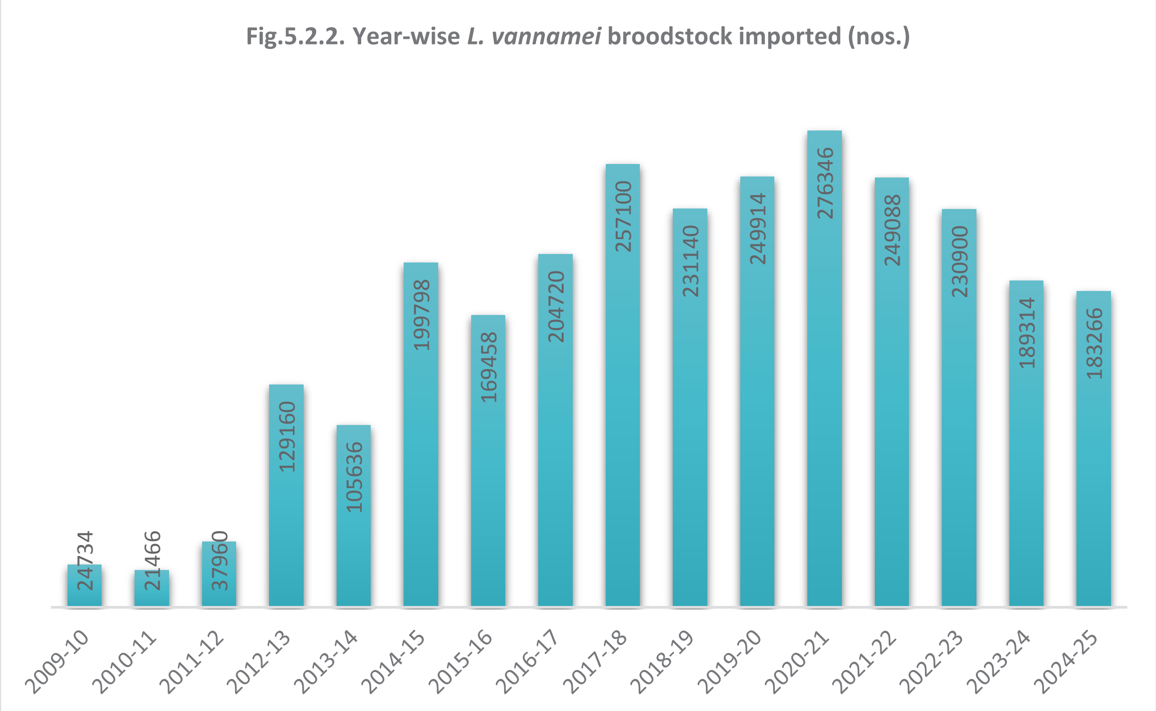

Table 5.3 Year-wise SPF *P. monodon* Hatcheries registered with the CAA

Year	No. of Hatcheries registered	Seed production capacity (million PL/year)	No. of broodstock permitted/year	No. of broodstock imported during the year
2021-22	5	1325	21600	5854
2022-23	7	2025	124200	12553
2023-24	20	6200	108000	3611
2024-25	23	6500	198200	9289

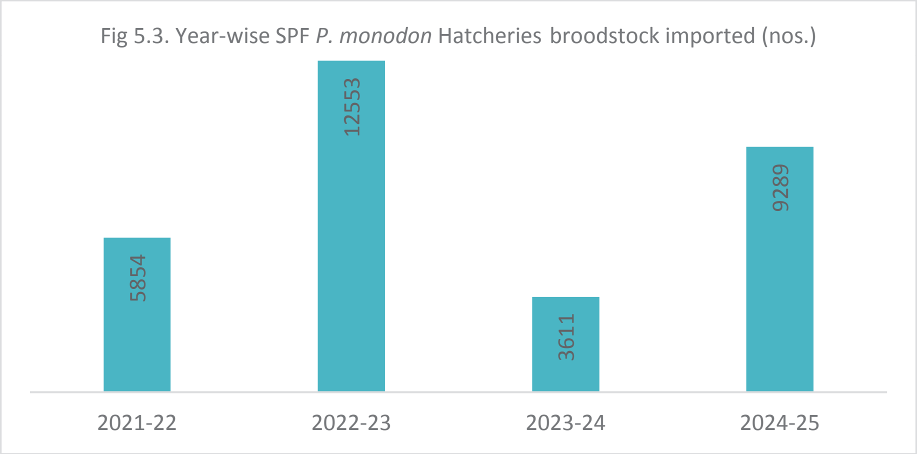

Table 5.4. District-wise SPF *L. vannamei* hatcheries registered with CAA and annual allocation made for import of broodstock

	State/District	No. of Hatcheries registered	Seed Production Capacity (million/annum)	Number of broodstock permitted
1	**Tamil Nadu**			
	Chengalpattu	30	4470	85600
	Cuddalore	1	250	3800
	Mayiladuthurai	5	1400	22200
	Ramanathapuram	1	300	3600
	Villupuram	38	8030	128400
	Sub-Total	**75**	**14450**	**243600**
2	**Andhra Pradesh**			
	Anakapalli	23	6885	99600
	Bapatla	15	5575	72000
	Dr. B.R. Ambedkar Konaseema	4	650	9600
	Kakinada	64	13865	225600
	SPSR Nellore	51	9985	169800
	Prakasam	26	5100	109200
	Srikakulam	1	350	4200
	Tirupathi	10	2655	48200
	Visakhapatnam	9	3225	31800
	Vizianagaram	8	2950	32400
	Sub-Total	**211**	**51240**	**802400**
3	**Odisha**			
	Ganjam	6	1410	17400
	Sub-Total	**6**	**1410**	**17400**
4	**Gujarat**			
	Gir-Somnath	2	300	4200
	Porbandhar	1	480	7200
	Sub-Total	**3**	**780**	**11400**
5	**West Bengal**			
	Purba Medinipur	1	300	6000
	Sub-Total	**1**	**300**	**6000**
	Grand Total	**296**	**68180**	**1080800**

Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) registered for SPF *L. vannamei* and *P. monodon* Seed Production

The trend in growth of Nauplii Rearing Hatcheries for SPF *L. vannamei* and *P. monodon* registered with CAA since inception (2015-16) up to 2024-25 in the country is presented Table 5.5 to 5.8.

Table 5.5. Year-wise Nauplii Rearing Hatcheries registered with the CAA for SPF *L. vannamei*

Year	No. of NRHs Registered	Seed production capacity (million PL/year)
2015-16	5	267
2016-17	10	915
2017-18	31	3485
2018-19	84	7519
2019-20	132	11620
2020-21	150	13922
2021-22	163	15437
2022-23	171	17960
2023-24	192	20445
2024-25	202	21410

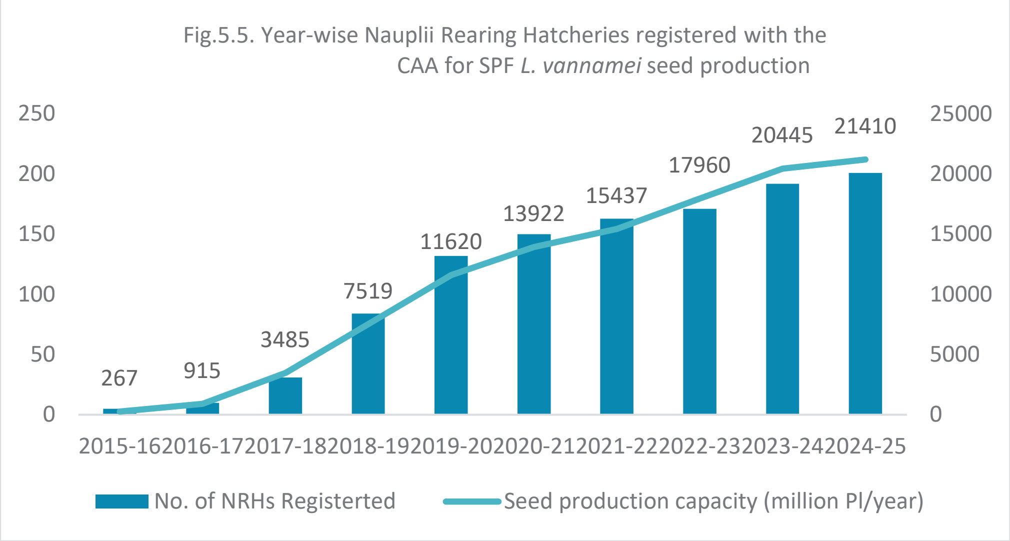

Table 5.6. Year-wise Nauplii Rearing Hatcheries registered with the CAA for SPF *P. monodon* seed production

Year	No. of NRHs registered	Seed production capacity (million PL/year)
2021-22	3	730
2022-23	7	1560
2023-24	12	2560
2024-25	14	2910

Fig. 5.6. Year-wise Nauplii Rearing Hatcheries registered with the CAA for SPF *P. monodon* seed production

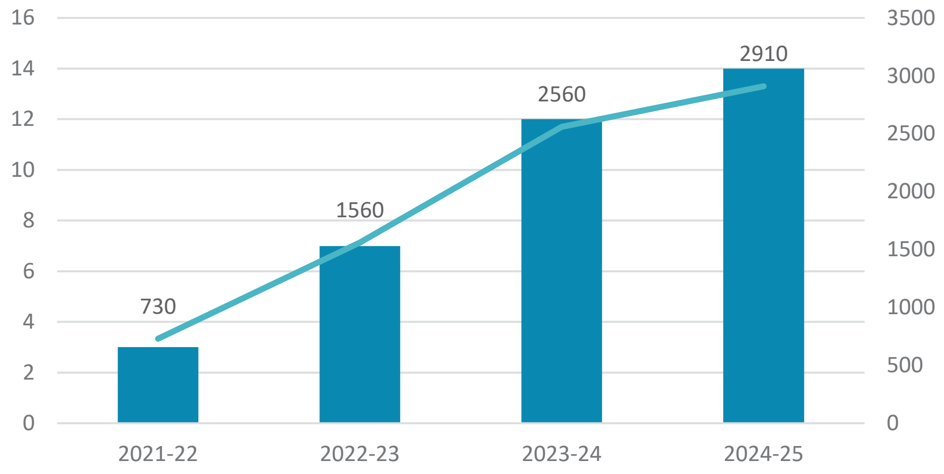

Table 5.7. District-wise NRHs registered with CAA for SPF *L. vannamei* seed production			
State	**District**	**No. of NRHs registered**	**Seed production capacity Million PL/year**
Tamil Nadu	Chengalpattu	9	720
	Mayiladuthurai	1	60
	Villupuram	8	2100
	Sub – total	**18**	**2880**
Andhra Pradesh	Anakapalli	14	1355
	Bapatla	3	300
	Dr. B.R. Ambedkar Konaseema	3	310
	Kakinada	111	10355
	Krishna	7	400
	SPSR Nellore	12	1555
	Prakasam	6	1160
	Srikakulam	4	600
	Tirupathi	2	150
	Visakhapatnam	3	295
	Vizianagram	6	660
	Sub – total	**171**	**17140**
Odisha	Ganjam	10	1030
	Puri	3	360
	Sub-total	**13**	**1390**
Total		**202**	**21410**

Table 5.8. District-wise Hatcheries and NRHs registered with CAA for SPF *P. monodon* seed production

State	District	No. of Hatcheries registered	Seed Production Capacity (Millions PL/year)	No. of NRHs registered	Seed Production Capacity (Millions PL/year)	Total Seed Production Units registered	Total Seed Production Capacity (Millions PL/year)
Andhra Pradesh	Anakapalli	1	280	1	305	2	585
	Bapatla	1	560	0	0	1	560
	SPSR Nellore	7	2110	1	225	8	2335
	Krishna	0	0	1	480	1	480
	Kakinada	1	200	1	250	2	450
	Srikakulam	0	0	1	80	1	80
	Tirupati	2	370	1	250	3	620
	Visakhapatnam	2	570	0	0	2	570
	Vizianagram	2	350	0	0	2	350
Tamil Nadu	Chengalpattu	3	650	4	500	7	1150
	Villupuram	2	510	1	200	3	710
Odisha	Ganjam	0	0	1	80	1	80
Gujarat	Gir Somnath	1	750	0	0	1	750
	Valsad	1	150	1	480	2	630
Karnataka	Uttar Kannada	0	0	1	60	1	60
Total		**23**	**6500**	**14**	**2910**	**37**	**9410**

Table 5.9. District-wise Live Feed units registered with CAA

State	District	Live feed units registered	
		Artemia	Polychaete worm
Andhra Pradesh	Anakapalli	0	1
	Bapatla	0	1
	Dr. B.R. Ambedkar Konaseema	0	1
	Kakinada	3	0
	Nellore	0	2
	Tirupathi	0	1
Subtotal		**3**	**6**
Tamil Nadu	Villupuram	0	1
Total	**10**		

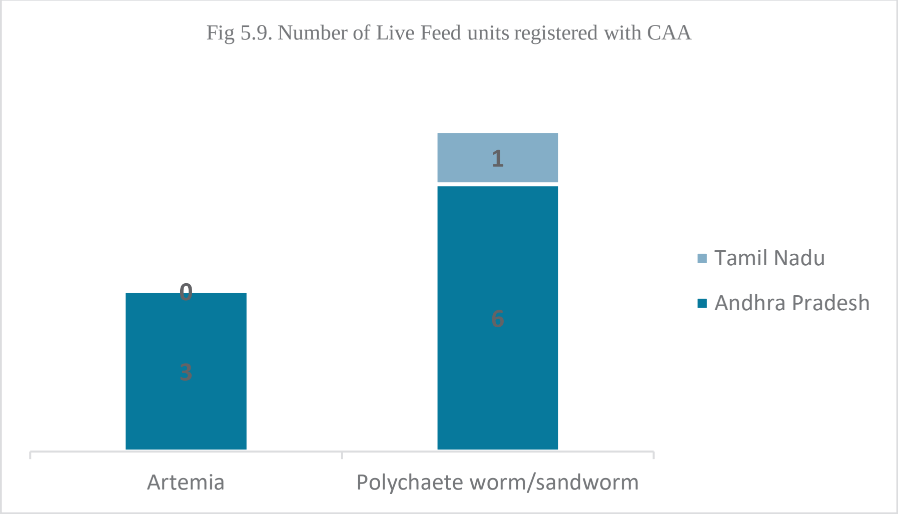

Inspection of the Shrimp Evaluation Study Unit established by Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) at Rajakkamangalam, Kanyakumari District, Tamil Nadu

The Director (Technical), CAA participated in the inspection of Shrimp Evaluation Study Unit for Tiger shrimp of MPEDA-RGCA established under PMMSY for Research & Development Programme at Rajakkamangalam, Kanyakumari District, Tamil Nadu along with other members of the Technical and Inspection Committee headed by the Director, ICAR-CIBA on 24th September, 2024 and furnished the evaluation report to the Department of Fisheries, Govt. of India.

CERTIFICATION OF ANTIBIOTIC FREE AQUACULTURE INPUTS

6

CERTIFICATION OF ANTIBIOTIC FREE AQUACULTURE INPUTS

The rejection of seafood exports due to the presence of antibiotic residues is one of the challenges facing by the shrimp aquaculture industry. Realising the severity of the issues, the statutory provisions were made in the CAA (Amendment) Act, 2023, regulating the usage of pharmacologically active substances and anti-microbial agents in coastal aquaculture units and activities (Section 12A). The CAA is empowered to fix or adopt standards, certify, monitor, regulate or prohibit coastal aquaculture inputs including probiotics, therapeutants and other inputs used in coastal aquaculture, for the prevention, control and abatement of detriment to the coastal aquaculture or coastal environment (Section 11(1)(db)).

Accordingly, the provision was made under Rule 18(3) of CAA Rules, 2024 that "No aquaculture inputs shall be made available or used in coastal aquaculture without the certification from the Authority, except those specifically exempted by the Authority, as may be specified in the Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Input." The list of prohibited pharmacologically active substances and anti-microbial agents or other materials, the use of which in coastal aquaculture may cause harm to human health, is as given below (Rule 18(1)(c):

List of pharmacologically active substance, antimicrobial agent or other material, banned for the use in coastal aquaculture as per Rule 18 of Rules 2024

(i) Chloramphenicol	(xi) Dimetridazole
(ii) Nitrofurans including: Furaltadone, Furazolidone, Furylfuramide, Nifuratel, Nifuroxime, Nifurprazine, Nitrofurantoin, Nitrofurazone;	(xii) Metronidazole
(iii) Neomycin	(xiii) Ronidazole
(iv) Nalidixic acid	(xiv) Ipronidazole
(v) Sulphamethoxazole	(xv) Other nitroimidazoles
(vi) Aristolochiaspp and preparations thereof	(xvi) Clenbuterol
(vii) Chloroform	(xvii) Diethylstilbestrol (DES)
(viii) Chlorpromazine	(xviii) Sulfonamide drugs (except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine)
(ix) Colchicine	(xix) Fluroquinolones
(x) Dapsone	(xx) Glycopeptides

The Guidelines for issuance of the "Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs" are notified vide S.O. 1456(E) dated 15.03.2024, prescribing the labelling standards, certification process, enforcement mechanism, etc. Therefore, all manufacturers and distributors of aquaculture inputs, including those for imports, shall apply in Form III with relevant documents and fee as prescribed in Schedule III of the CAA Rules, 2024, directly to the CAA and shall obtain certification for their products that are antibiotic-free. Farmers, hatchery operators and other coastal aquaculture unit operators are advised to use only CAA-approved inputs. Penal provisions are also made under Section 14 of the CAA Act, 2005, for imposing penalties for the use of materials prohibited under Section 12A.

During the year 2024-25, the CAA issued Certificate of Compliance for 1123 antibiotic-free aquaculture inputs under ten categories, such as Feed-Larval, Feed-Adult, Feed Additive, Probiotics, Immunostimulants, Drugs, Chemicals

and Disinfectants, Mineral Mixture and others. The list of aquaculture inputs certified by the CAA, product and firm-wise up to 2024-25 is placed on the CAA website and updated from time to time.

The CAA certified 6901 aquaculture inputs under ten categories up to 2024-25. The category-wise, state and year- wise aquaculture inputs certified by the CAA are furnished in Tables 6.1 and 6.2.

Table 6.1 Category and year-wise Certification of Antibiotic-free Aquaculture Inputs by the CAA from 2015-16 to 2024-25

Sl. No	Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Total
1	Feed Larval	37	11	14	23	2	4	6	26	50	3	176
2	Feed Adult	27	31	18	44	19	5	21	23	31	38	257
3	Feed Additive	72	281	208	859	60	54	189	355	490	453	3021
4	Probiotic	75	147	130	478	13	31	65	169	282	258	1648
5	Immunostimulant	4	12	19	57	3	1	5	11	31	31	174
6	Drug	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	9
7	Chemical	31	65	53	376	6	3	23	118	165	166	1006
8	Disinfectant	11	35	55	180	5	6	19	33	92	73	509
9	Mineral Mixture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
10	Others	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	Total	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**104**	**328**	**735**	**1141**	**1123**	**6901**

Table 6.2. State and year-wise Certification of Antibiotic free Aquaculture Inputs by the CAA from 2015-16 to 2024 -25

STATE	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Total
Andhra Pradesh	23	120	176	805	28	47	83	190	252	497	2221
Chattisgarh	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
Delhi	0	2	0	4	0	0	0	4	3	4	17
Goa	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Gujarat	0	0	39	77	1	8	30	31	74	37	297
Haryana	0	0	3	17	8	0	2	1	11	3	45
Karnataka	15	17	20	82	10	6	24	53	62	77	366
Kerala	0	0	0	0	0	0	1	4	1	16	22
Madhya Pradesh	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
Maharashtra	36	97	29	140	5	13	16	73	51	36	496
Odisha	0	0	0	4	0	0	1	0	0	19	24
Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	2	12	4	18
Tamil Nadu	117	151	136	198	39	12	88	115	233	98	1187
Telangana	66	197	74	658	17	16	77	239	403	320	2067
Uttar Pradesh	0	0	11	12	0	0	0	0	10	2	35
Uttarakhand	0	0	0	3	0	0	0	5	5	1	14
West Bengal	1	0	10	10	0	2	6	9	24	9	71
Total	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**104**	**328**	**735**	**1141**	**1123**	**6901**

FIg 6.1. Category-wise Certification of Antibiotic-free aquaculture inputs by the CAA from 2015-16 to 2024-25

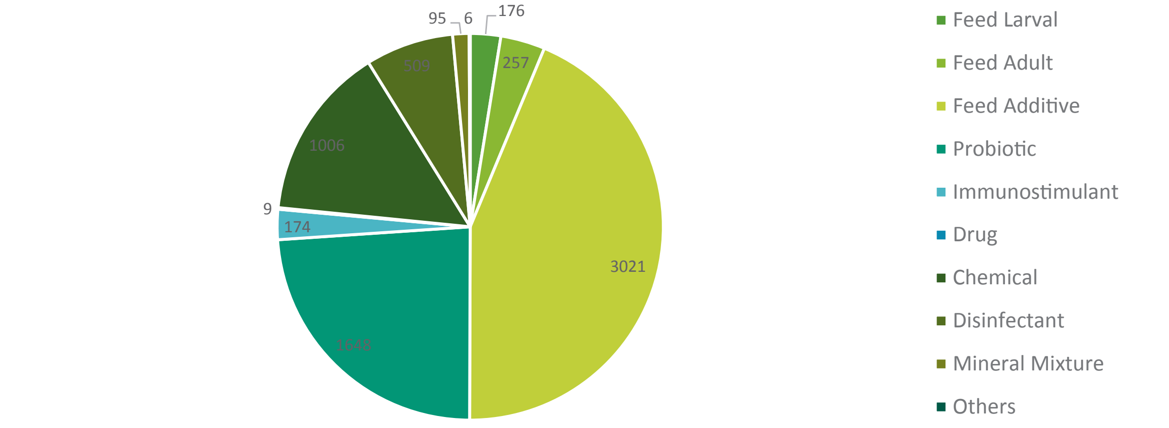

Fig 6.2. State-wise Certification of Antibiotic free aquaculture inputs by the CAA from 2015-16 to 2024-25

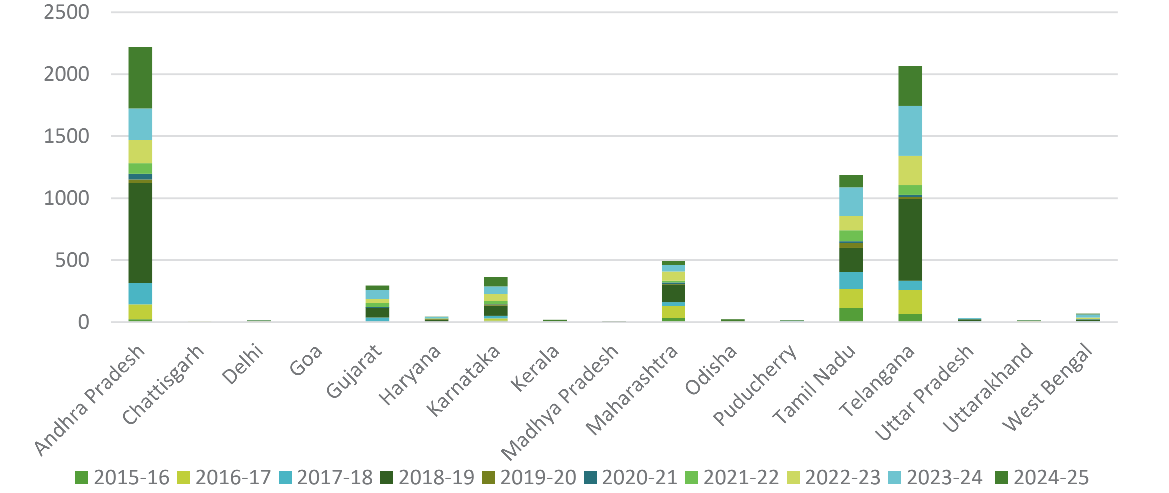

Fig 6.3 Category and year-wise Certification of Antibiotic-free Aquaculture Inputs by the CAA from 2015-16 to 2024-25

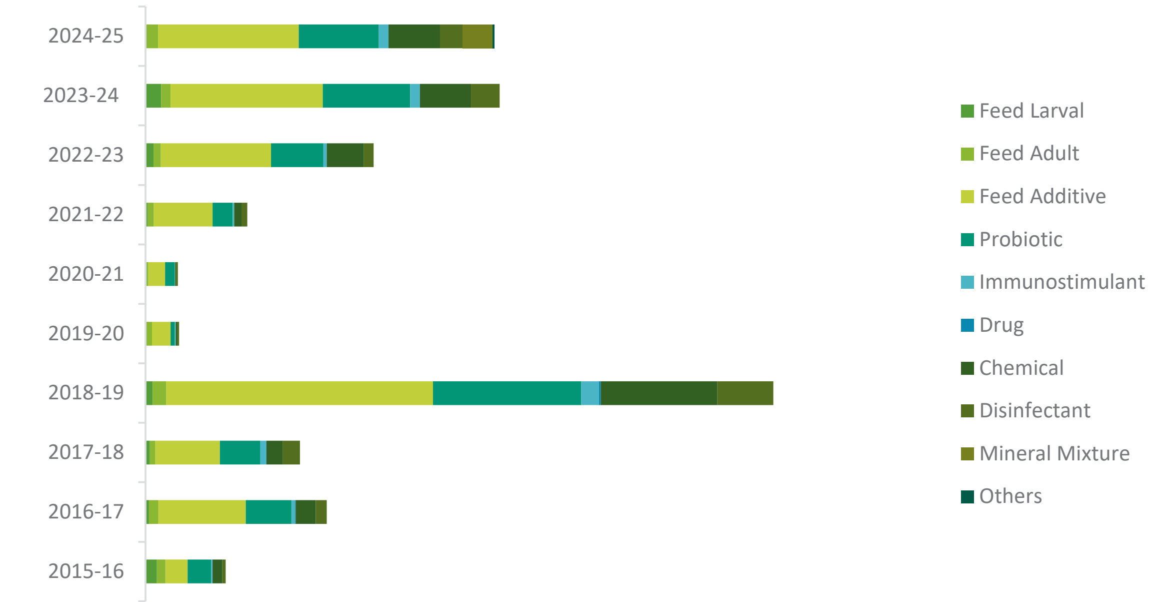

MONITORING AND SURVEILLANCE

7

MONITORING AND SURVEILLANCE

A. Monitoring of Coastal Aquaculture units/ activities

- During the year 2024–25, the technical officers and consultants of CAA regularly monitored the coastal aquaculture farms and hatcheries and collected water and animal samples from the farms and hatcheries in various coastal districts.
- The CAA team visited 6591 farms and 40 hatcheries located in Andhra Pradesh and Odisha (Table 7.1) and collected 678 water samples from the final discharge point of ETS at farms (662 samples) and hatcheries (16 samples). The water samples were analysed in nearby recognised Government labs for parameters such as pH, suspended solids, dissolved oxygen, free ammonia (as NH3-N), Biochemical Oxygen Demand-BOD, Chemical Oxygen Demand-COD, Dissolved Phosphate (as P), Total Nitrogen (as N) and Nitrate as per the guidelines to check whether the water samples are meeting the standards of waste water discharges as prescribed or not (Table 7.2).
- The results indicated that the parameters of the water samples collected from the discharged points from the farms and hatcheries, are within the optimal standards.
- Apart from water quality monitoring, the CAA technical staff participated in the sample collection of seed and cultured shrimp under the NRCP program in hatcheries and farms located in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, along with MPEDA officials. The team collected 100 samples from 409 units (Table 7.3), which were analysed by the MPEDA in their laboratories for antibiotic residues. The MPEDA reported positive alerts for antibiotic residues from 08 units, which include 04 hatcheries, 01 NRHs and 03 farms. The CAA has issued show-cause notices to all 08 registered hatcheries/NRHs and farms for their explanation.

Monitoring of coastal aquaculture farms and activities

Monitoring of coastal aquaculture hatcheries

Inspection of Aquaculture inputs in Hatcheries and aquaculture farms

NRCP seed sample collection with MPEDA team

Table 7.1. No. of Coastal aquaculture units monitored and water samples collected during the year 2024- 25

Sl. No.	Districts	Farms		Hatcheries		Total	
		Farms monitored	Water samples collected	Hatcheries monitored	Water samples collected	Units Monitored	Water samples collected
1	Baptala, Andhra Pradesh	903	99	19	5	922	104
2	Prakasam, Andhra Pradesh	427	3	3	0	430	3
3	Srikakulam, Andhra Pradesh	675	97	0	0	675	97
4	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	7	0	0	0	7	0
5	Vizianagaram, Andhra Pradesh	21	0	0	0	21	0
6	Anakapalli, Andhra Pradesh	126	0	0	0	126	0
7	SPSR Nellore, Andhra Pradesh	752	102	13	8	765	110
8	Tiupathi, Andhra Pradesh	507	55	0	0	507	55
9	Krishna, Andhra Pradesh	1100	144	5	3	1105	147
10	West Godavari, Andhra Pradesh	79	15	0	0	79	15
11	Dr. B.R. Ambedkar Konaseema , Andhra Pradesh	1518	141	0	0	1518	141
12	Kakinada, Andhra Pradesh	384	6	0	0	384	6
13	Balasore, Odisha	52	0	0	0	52	0
14	Bhadrak, Odisha	40	0	0	0	40	0
	Total	**6591**	**662**	**40**	**16**	**6631**	**678**

Table 7.2: Standards prescribed for wastewater discharges from the coastal aquaculture units

Sl. No	Parameters	Final Discharge Point	
		Coastal Marine Waters	Creek or estuarine courses when the same inland watercourses are used as water source & disposal point
1.	pH	6.0 – 9.0	6.0 – 9.0
2.	Suspended solids mg / 1	100	100
3.	Dissolved oxygen mg / 1	Not less than 3	Not less than 3
4.	Free Ammonia (as NH3-N) mg / 1	1	0.5
5.	Biochemical Oxygen Demand-BOD (5 days @ 20^{o}C) mg / 1 Max	50	20
6.	Chemical Oxygen Demand-COD mg/1 Max	100	75
7.	Dissolved Phosphate (as P) mg / 1 Max	0.4	0.2
8.	Total Nitrogen (as N) mg / 1	2	2
9.	Nitrate N (ppm)	1	0.5

Table 7.3.**Districts-wise number of NRCP samples collected during the year 2024-25**

Sl. No.	Districts	No. of Hatcheries inspected	No.of samples collected
1.	Villupuram, Tamil Nadu	143	22
2.	Chengalpattu, Tamil Nadu	136	29
3.	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	25	4
4.	Anakapalli, Andhra Pradesh	29	11
5.	Bapatla, Andhra Pradesh	14	8
6.	Srikakulam, Andhra Pradesh	5	2
7.	Vizianagaram, Andhra Pradesh	8	2
8.	Tirupathi, Andhra Pradesh	3	1
9.	Krishna, Andhra Pradesh	9	5
10.	Kakinada, Andhra Pradesh	15	7
11.	Prakasam, Andhra Pradesh	12	6
12.	SPSR Nellore, Andhra Pradesh	10	3
	Total	**409**	**100**

B. Surveillance of Coastal Aquaculture units/ activities

The SDLCs and DLCs concerned shall inspect the farms and the hatcheries by the Inspection Committee to ensure the establishment and operation of biosecurity facilities, ETS, sanitation and other production facilities in compliance with the Guidelines, and recommend to the CAA for the issuance of a Certificate of Registration for farms and hatcheries respectively. As such, a proper regulatory mechanism is in place under the CAA Act, Rules and Guidelines to promote the establishment of bio-secured, eco-friendly coastal aquaculture units and carry out the activities in harmony with the coastal environment across the country.

Surprise inspections of hatcheries

- CAA technical staff along with Task Force Committees made surprise inspections of eight (08) shrimp hatcheries to verify the unauthorised seed production activities if any, in Srikakulam (02), Visakhapatnam (04), Anakapalli (01) and Vizianagram (01) Districts of Andhra Pradesh on 04th, 10th 11th & 12th July 2024. It was reported that unauthorised seed production of *P. monodon* in one hatchery located at Parwada Mandal, Anakapalli District, Andhra Pradesh and destroyed 54 million seeds by applying bleaching powder.
- Penalties were imposed on three hatcheries located in Tamil Nadu and Andra Pradesh, that were involved in unauthorised shrimp seed production and imposed a penalty amount of Rs. 25,000/- from each hatchery. It was also reported illegal seed production without CAA registration one hatchery in Andhra Pradesh and imposed a penalty of Rs.50,000/- as a first-time offence as per the provisions contained under Section 14 of the CAA Act, 2005.

Table 7.4 The details of inspection of aqua shops, feed units and hatcheries conducted in Andhra Pradesh to regulate the usage of antibiotics in aquaculture

Sl. No.	Districts	No. of hatcheries Inspected	No. of Aqua shops Inspected	No. of Feed unit Inspected
1.	Rapalle Mandal, Bapatla District	0	3	0
2.	Dr. B.R. Ambedkar Konaseema District	3	1	0
3.	T.P. Gudur Mandal, Nellore District	1	2	1
4.	Vidavalur Mandal at Nellore District,	1	0	0
5.	Pittalavanipalem Mandal, Bapatla District	0	1	0
6.	Nizampatnam Mandal, Bapatla District	2	0	0
7.	Kothapatnam Mandal, Prakasam District	2	1	0
8.	Chellapalli Mandal, Krishna District	1	0	2
9.	Koduru Mandal, Krishna District	0	2	0
10.	Bhogapuram Mandal, Vizianagaram District	4	0	0
11.	Muthukur Mandal, Nellore District	0	1	0
12.	Ongole, Prakasam District	0	6	0
13.	Nellore Town, Nellore District	0	3	0
14.	I. Polavaram, Murumulla and Kesanakurrupalem Villages	0	5	0
15.	Malkipuram Village	0	3	0
16.	Kavali Mandal. Nellore District.	0	4	0
17.	Krithivennu, Bantumilli Mandal, Krishna District	2	3	0
18.	Bapulapadu Mandal, Krishna District	0	3	3
19.	Mummidivaram and Amalapuram	0	6	0
20.	Bapatla District	1	3	0
21.	Challapalli, Gantasala Mandal, Krishna District	1	0	2
22.	Ramatheertham village, Vidavalur mandal, Nellore District.	1	0	0
23.	Machilipatnam , Krishna District	0	4	0
24.	Nagayalanka and Koduru Mandal Krishna District	0	6	0
	Total	**19**	**57**	**8**

Inspection of Aqua shops, Feed units and hatcheries with the Task Force Committee

The field staff of CAA participated in the inspection of aqua shops, feed units and hatcheries with Task Force Committees for regulation on the usage of antibiotics in aquaculture in Andhra Pradesh and the details are furnished in Table 7.4

Inspection of aqua shops, feed units and hatcheries with Task Force Committees

The activities attended under monitoring and surveillance during 2024-25 are summarised in Table 7.5

Table 7.5 Activities attended under monitoring and surveillance during 2024-25

Sl. No	Description	Numbers
1	Inspection of hatcheries/ NRHs by the Inspection Committee	269
2	No. of visits made to Hatcheries/ NRHs along with MPEDA team for the collection of the seed samples	409
	a) No. of samples collected	100
	b) No. of NRCP Alerts received for positive case of antibiotic residues	08
	c) No. of show cause notices issued	08
3	Monitoring of farms and hatcheries and collection of water samples	
	a) No. of farms monitored	6591
	b) No. of hatcheries monitored	40
	c) No. of water samples collected from the discharge points of farms and analysed for water parameters	662
	d) No. of water samples collected from the discharge points of hatcheries and analysed for water parameters	16

OUTREACH ACTIVITIES

8

OUTREACH ACTIVITIES

During the year, the CAA conducted several outreach programmes at the District and State level in coordination with ICAR-CIBA, MPEDA-RGCA, the State Fisheries Department, the Shrimp Farmers Association, the All India Shrimp Hatcheries Association, the Aquaculture Health Products Manufacturers Association and other stakeholders (Table 8.1). The CAA also deployed field consultants in Andhra Pradesh and Tamil Nadu states for conducting sensitisation programmes with the farmers in the field.

❖ The outreach programmes were conducted in the following areas:

- Statutory provisions laid down under the CAA (Amendment) Act, 2023, CAA Rules, 2024 and Guidelines for farmers, stakeholders, fisheries officials, technicians, other institutes, etc.
- Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries with CAA.
- Implementation of bio-security measures, sanitary protocols, water treatment and discharge protocols in farms and hatcheries.
- Certification for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs.
- Adoption of Good Aquaculture Practices in Coastal Aquaculture.
- Promotion of diversification in coastal aquaculture with alternative candidate species.
- Regulation on the usage of pharmacologically active substances and other antimicrobial agents and antimicrobial resistance.

❖ The technical officers of CAA participated in the National and State-level events, established exhibition stalls and sensitised the farmers and other stakeholders.

❖ CAA participated in the farmers' conclaves and workshops organised by ICAR Institutions and other organisations and presented on various aspects of coastal aquaculture.

❖ Sensitisation programmes were conducted with the Member Conveners of SDLCs and DLCs, farmers, hatchery operators and other stakeholders at the National and State levels through video conferencing.

❖ Farmer meetings were organised at the District level in Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

The details of outreach activities organised during the year are furnished in Table 8.1.

Table. 8.1

Sl. No	Date	Description of the outreach activities organised
1	02.04.2024	The Director (Technical), CAA convened a sensitisation programme virtually with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers and MPEDA officers of Odisha on registration and renewal of coastal aquaculture units and also sensitised them on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines.

2	03.05.2024	The Director (Technical), CAA, attended the training programme jointly organised by ICAR-CIBA & ICAR-CIFE at ICAR-CIFE, Mumbai with the fisheries/ insurance professionals through video conferencing and presented on the CAA activities & statutory provisions for registration and renewal of coastal aquaculture units.
3	21.05.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation programme virtually with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Farmers and other Stakeholders of Gujarat and sensitised them on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms.
4	22.05.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation programme virtually with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Farmers and other Stakeholders of Karnataka and sensitised them on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms
5	06.06.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation meeting with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Officials of MPEDA, Farmers and other Stakeholders of Tamil Nadu through Video Conferencing and sensitised on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms.
6	13.06.2024	CAA organised an awareness programme with members of the Aquaculture Healthcare Products Manufacturers Association (AHMA**)** at Vijayawada, Andhra Pradesh. The meeting aimed to sensitize stakeholders on the mandatory requirement of certification for antibiotics-free aquaculture inputs. The officers from the Fisheries Department and MPEDA have also participated in the meeting.
7	14.06.2024	The CAA organised a sensitisation meeting with members of the Aqua Inputs Dealers Association at Bhimavaram, Andhra Pradesh**.** The meeting aimed to emphasise on mandatory requirement of certification of antibiotics-free aquaculture inputs. The officials from the Fisheries Department**,** MPEDA**,** and NaCSA have also attended the programme.
8	18.06.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation programme with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Officials of MPEDA, Farmers and other Stakeholders of Andhra Pradesh through Video Conferencing and sensitised on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms.
9	20.06.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation programme with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Officials of MPEDA, Farmers and other Stakeholders of Puducherry through Video Conferencing and sensitised on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms.
10	24.06.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation programme with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Farmers and other Stakeholders of Goa through Video Conferencing and sensitised on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms.

11	05.07.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation programme with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Officials of MPEDA, Farmers and other Stakeholders of West Bengal through Video Conferencing and sensitised on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms.
12	30.07.2024	The Director (Technical), CAA conducted a sensitisation programme with SDLCs/DLCs members, State Fisheries Officers, Officials of MPEDA, Farmers and other Stakeholders of Kerala through Video Conferencing and sensitised on recent amendments made in the CAA Act, Rules & Guidelines and status registration and renewal of registration of coastal aquaculture farms.
13	31.07.2025	CAA organized a demonstration session on the software application developed by DPIIT-NSWS and explained the process at each level to the officers of SDLCs, DLCs and other State Fisheries Officers through video conferencing. Around 120 officials from all coastal States/UTs attended the meeting.
14	02.08.2024	The Director (Technical), CAA conducted a Sensitisation programme virtually on the CAA (Amendment) Act, 2023, CAA Rules, 2024, Guidelines and the status of coastal aquaculture farms registered with CAA with the Fisheries Officers and farmers of Odisha State.
15	09.08.2024	The Director (Technical), CAA, as a resource person, participated in the training Programme organised with the representatives of Insurance Companies, Fisheries Departmental officers, farmers and other stakeholders on “Shrimp crop insurance and loss assessment” at ICAR-CIFE Centre at Kolkata organised by ICAR-CIBA and CIFE. The Director (Technical) presented on the CAA Activities and its role in regulating and promoting sustainable coastal aquaculture in India through video conference.
16	09.10.2024	CAA convened the “Demonstration Programme on Processing of Application Online for Registration of Coastal Aquaculture Farms” with the Nodal officers of all coastal states and UTs at CAA Headquarters, Chennai. 13 Nodal officers from 6 coastal states and one UT attended the Programme. 155 fisheries officers from all coastal States and UTs have attended the demonstration programme through video conferencing. Resource persons from NSWS and TCS have given a demo on the processing of applications online.
17	24.10.2024	The Director (Technical), CAA, as a resource person, attended the Stakeholders Interactive meeting on Aquaculture Crop Insurance and National Fisheries Digital Platform (NFDP) jointly organised by NFDB- CIBA at ICAR-CIBA, Chennai, with the representatives of Insurance companies, Fisheries Officers, NaCSA, farmers and other stakeholders. The Director (Technical) CAA presented on the Role and Responsibilities of the CAA in Regulating and Promoting Coastal Aquaculture in the Country.
18	19.11.2024	The Director (Technical), CAA, convened the sensitisation programme on "Containment of Antimicrobial Resistance in Aquaculture" among the CAA technical staff and Consultants through a hybrid mode
19	22.11.2024	The Director (Technical), CAA, as a resource person attended the awareness programme on Antimicrobial Resistance (AMR) conducted at Tallarevu Village, Kakinada District, Andhra Pradesh with farmers and other stakeholders by the NaCSA and Department of Fisheries through video conferencing and presented on the "Containment of Antimicrobial Resistance in Aquaculture".

20	25.11.2024	The Director (Technical), CAA, as a resource person, attended the training Programme organised by the MPEDA in Puducherry with Aquaculture Technicians and presented on "CAA Statutory provision for registration of coastal aquaculture farms and hatcheries and Guidelines to be followed in coastal aquaculture units" through video conferencing.
21	26.11.2024	The Director (Technical) CAA, as a resource person, attended the training programme organised by the MPEDA in Bhimavaram, Andhra Pradesh, with Aquaculture Technicians and presented on "CAA Statutory provision for registration of coastal aquaculture farms, hatcheries and Certification of antibiotic-free aquaculture inputs" through video conferencing.
22	03.12.2024	The CAA convened a Demonstration session on online application for registration of coastal aquaculture farms among the Nodal Officers, Member Conveners of Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) and District Level Committees (DLCs) of all coastal states and UTs through Video Conferencing. The Secretary, CAA cum Joint Secretary (Marine Fisheries), Dept. of Fisheries, Govt. of India, addressed the participants and requested to ensure the processing of applications for registration of farms and mariculture units through online mode. The NSWS team has given a demo on the processing of applications online.
23	04.12.2024	The Director (Technical), CAA as a resource person attended the "Training Programme for Aquaculture Technicians" organised by the MPEDA in Visakhapatnam with aquaculture technicians and presented on the "CAAs Role in Regulating and Promoting Coastal Aquaculture in the Country and key Provisions made in CAA Act, 2005, CAA Rules, 2024 and Guidelines" through Video Conferencing.
24	10.12.2024	The Director (Technical), CAA as a resource attended the "Capacity Building Basic Training Programme for Farm Technicians" organised by the MPEDA with aquaculture technicians in Bapatla, Andhra Pradesh State and presented on the "Diversification in Coastal Aquaculture and Key amendments made in the CAA Act, 2005, CAA Rules, 2024 and Guidelines" through Video Conferencing.
25	16.12.2024	The Director (Technical), CAA as a resource person, attended the "Training Programme for Hatchery Technicians" organised by the MPEDA with shrimp hatchery technicians in Pondicherry and presented on the " Statutory Provisions made in the CAA Act, 2005, CAA Rules, 2024 and Guidelines prescribed for Hatcheries" through Video Conferencing.
26	19.12.2024	The Director (Technical) and Senior Technical Assistant, CAA, attended the "State Level Sensitisation Meeting on Registration and Renewals of Coastal Aquaculture Farms" in the Office of the Commissioner of Fisheries, Cuttack, Odisha, convened by the Department of Fisheries, Odisha, with coastal Fisheries Officers, farmers and other stakeholders. The Director of Fisheries, Odisha State, and the Deputy Director, MPEDA, have addressed the participants. The Director (Technical), CAA, presented on the "Status of coastal aquaculture units registered with CAA, farms pending for renewals and key highlights of the CAA (Amendment) Act, 2023, CAA Rules, 2024 and Guidelines".
27	30.12.2024	The Director (Technical) CAA, a resource person, attended the "Farmer Meet on Eco-friendly & Sustainable Shrimp Farming" convened by the MPEDA with farmers and other stakeholders of Gujarat State through Video Conferencing and presented on “Key provisions and amendments made in the CAA Act, 2005, Rules and Guidelines”.

28	09.01.2025	The Director (Technical) and Senior Technical Assistant, CAA, attended the "State Level Sensitisation Meeting on Registration and Renewals of Coastal Aquaculture Farms" in the Office of the Commissioner of Fisheries, Vijayawada, Andhra Pradesh convened by the Department of Fisheries, Andhra Pradesh with coastal Fisheries Officers, farmers and other stakeholders. The Commissioner of Fisheries and the Additional Director of Fisheries, Andhra Pradesh, have addressed the participants. The Director (Technical), CAA presented on the "Status of coastal aquaculture units registered with CAA and farms pending for renewals and key highlights of the CAA (Amendment) Act, 2023, CAA Rules, 2024 and Guidelines".
29	11.01.2025	The Director (Technical), CAA, convened a sensitisation programme on Biosecurity issues in Hatcheries and production & supply of SPF shrimp seed jointly with the AISHA Chapter, Kakinada. Dr. Poornima, Principal Scientist, ICAR-CIBA, Shri Rajakumar Naik, DD, MPEDA, AD, EIA have participated in the programme as resource persons. The Office bearers of AISHA and hatchery operators have attended the programme.
30	10.01.2025 and 23.01.2025	The Director (Technical), CAA attended the meetings of "Task Force Committee" on regulation on the usage of antibiotics in aquaculture through video conferencing on 10.01.2025 and 23.01.2025 convened by the Commissioner of Fisheries, Government of Andhra Pradesh with the line departments of MPEDA, FSSAI, APPCB, CAA, DoF and Departmental officers and appraised on the statutory provisions made on regulation of pharmacologically active substances and antimicrobial agents in aquaculture.
31	24.02.2025	The Director (Technical), CAA, convened a sensitisation programme with the Director and Officers of the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands and sensitised them on the "Promotion of sustainable coastal aquaculture practices and mariculture activities in compliance with the statutory provisions contained under the CAA. Act, 2005, CAA Rules, 2024 & Guidelines and notification of Aqua Zones" through Video Conferencing.
32	24.02.2025	The Director (Technical) CAA participated in the "Training programme for aquaculture technicians" conducted by the MPEDA with aquaculture technicians in Bhimavaram of Andhra Pradesh State on 24.02.2025 as a resource person and presented on "Statutory provisions of CAA for regulating coastal aquaculture farms and hatcheries" through Video Conferencing.
33	25.02.2025	The Director (Technical), CAA organised a training programme among all CAA Consultants at CAA Headquarters, Chennai on "Processing of applications online for registration of coastal aquaculture farms and mariculture units" to sensitise the farmers in the field to apply online for registration of their coastal aquaculture farms and mariculture units.
34	27.02.2025	The Director (Technical) CAA participated in "Advanced Training in Hatchery Technology" conducted by the MPEDA with hatchery technicians in Gopalpur, Ganjam District, Odisha as a resource person and presented on "Statutory provisions of CAA for regulating hatcheries and coastal aquaculture farms of *L. vannamei* and *P. monodon*" through Video Conferencing.

35	05.03.2025	The Assistant Director (Technical), CAA participated in the training programme as a resource person, convened with Departmental officers of TN Fisheries Department by the Fisheries Staff Training Institute and Department of Fisheries & Fishermen Welfare, Chennai, Tamil Nadu State and presented on the Statuary provisions made in the CAA Act 2005, CAA Rules 2024 & its Guidelines for promotion of sustainable coastal aquaculture and also given demo on "Processing of applications for registration of coastal aquaculture farms and Mariculture units through online mode".
36	07.03.2025	The Director (Technical), CAA, convened an orientation programme with shrimp hatchery operators of the Kakinada coast and sensitized on CAA statutory provisions on the maintenance of biosecurity facilitates, Effluent Treatment Systems, Solid Waste Management and adoption of BMPs in production units. Dr. Ananda Raja, Principal Scientist, ICAR-CIBA, Dr. Bangaramma, JTO, MPEDA, Shri Umamaheswara Rao, Shri.Ramakrishna, Fisheries Development Officers and Senior Technical Assistant, CAA have also participated in the Programme as a resource persons.

Screenshots and photos of various sensitisation programmes conducted in coastal States/ UTs

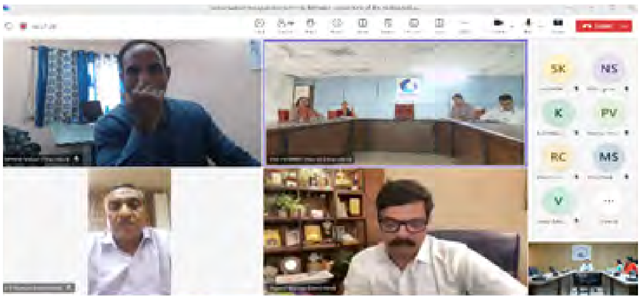

Gujarat

Tamil Nadu

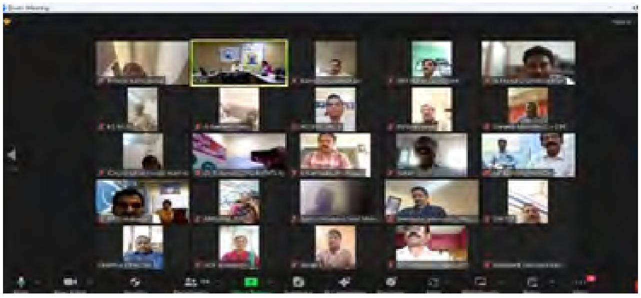

Andhra Pradesh

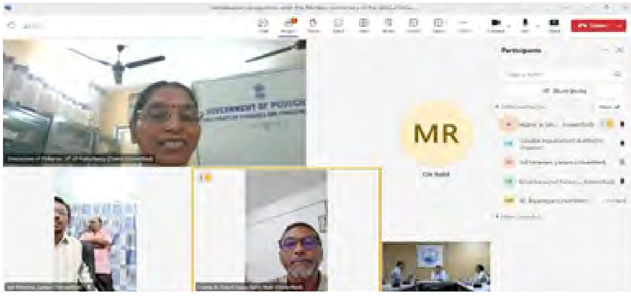

Puducherry

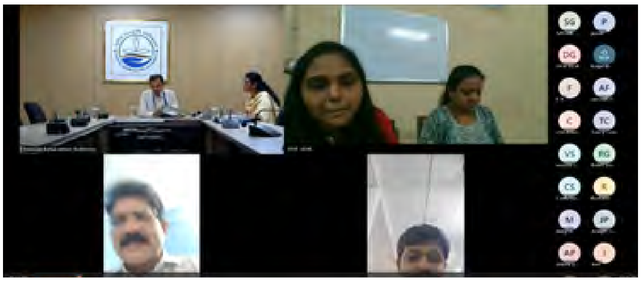

Goa

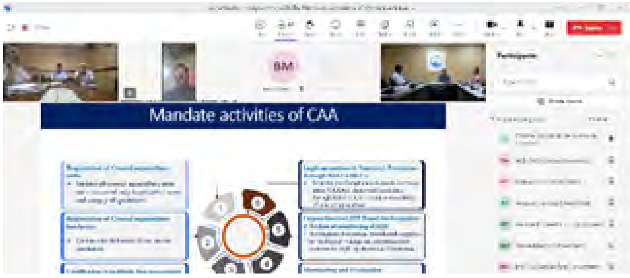

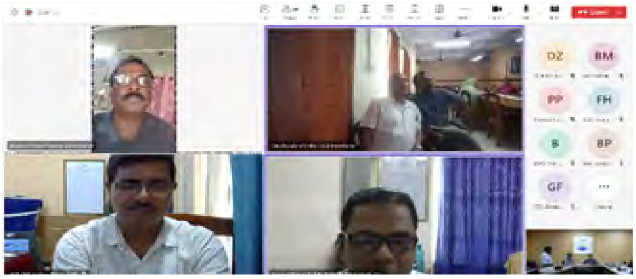

West Bengal

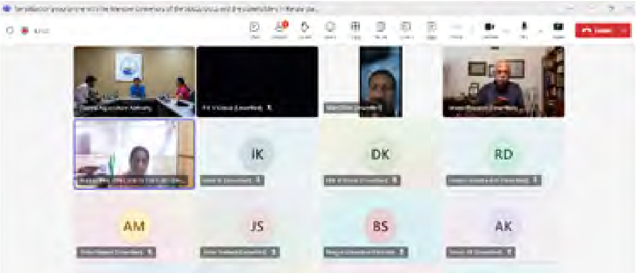

Kerala

Odisha

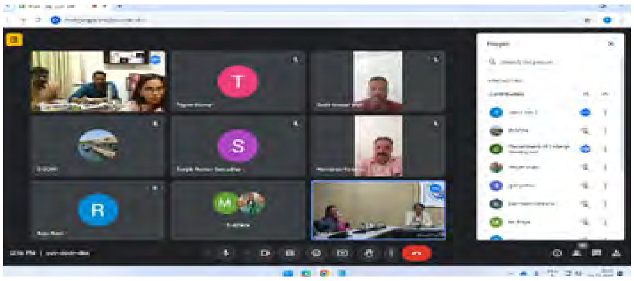

Andaman and Nicobar

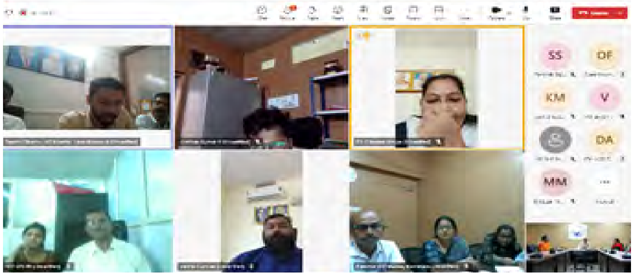
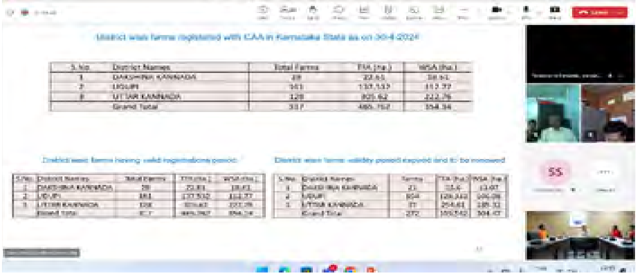

Karnataka

Awareness programme with members of the Aquaculture Healthcare Products Manufacturers Association (AHMA), Vijayawada on 13.06.2024

Sensitisation meeting with members of the Aqua Inputs Dealers Association, Bhimavaram on14.06.2024

Demonstration on online application for registration of coastal aquaculture units to the officers of SDLCs, DLCs and other State Fisheries Officers in CAA on 09.10.2024

Stakeholders Interactive meeting on Aquaculture Crop Insurance and National Fisheries Digital Platform (NFDP) on 24.10.2024

NSWS Demonstration session to Member Convenors of SDLCs/ DLCs on 03.12. 2024

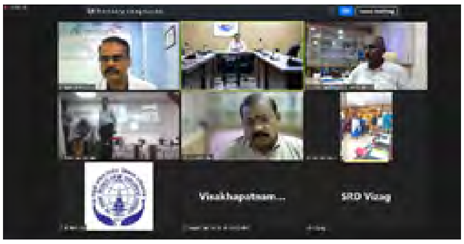

Training Programme for Aquaculture Technicians in Visakhapatnam on 04.12.2024

State Level Sensitisation Meeting on Registration and Renewals of Coastal Aquaculture Farms, in the Office of the Commissioner of Fisheries, Cuttack on 19.12.2024

Farmer Meet on Eco-friendly & Sustainable Shrimp Farming, Gujarat on 30.12.2024

State Level Sensitisation Meeting on Registration and renewals of Coastal aquaculture Farms, in the Office of the Commissioner of Fisheries, Vijiayawada on 09.01.2025.

sensitisation programme on Biosecurity issues in Hatcheries and production & supply of SPF shrimp seed jointly with the AISHA Chapter, Kakinada on 11.01.2025

Assistant Director (Technical), participated in the training programme as a resource person, convened by the Fisheries Staff Training Institute and Department of Fisheries & Fishermen Welfare, Tamil Nadu on 05.03.2025

Stakeholders Interactive meeting on Aquaculture Crop Insurance and National Fisheries Digital Platform (NFDP) on 24.10.2024

❖ Participation in Antimicrobial Resistance (AMR) Awareness Week

The CAA Technical officers and field staff associated with MPEDA-NaCSA and participated in the Antimicrobial Resistance (AMR) Awareness Week from 18th to 24th November 2024 and created awareness on the “Containment of Antimicrobial Resistance in Aquaculture” among shrimp aqua farmers, hatchery operators and other stakeholders and also sensitised on the ban on usage of antibiotics, dyes in aquaculture, feed and health management, maintenance of bio-security facilities, sanitation and hygiene conditions, adoption of Good Aquaculture Management Practices, etc.,

The details of the programme attended by the CAA staff are as follows:

Sl. No.	Dates of Event	Places of awareness programme conducted
1.	18.11.2024	Viswanadhapalli Village, Krishna District, Andhra Pradesh
2.	19.11.2024	Chintuvalasa Village, Gara Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh
3.	21.11.2024	Karaimedu Village, Sirkali Taluk, Mayiladuthurai District, Tamil Nadu
4.	22.11.2024	Gangapatnam Village, Indukurpet Mandal, Nellore District, Andhra Pradesh
5.		Muthupettai Village, Thiruvarur District, Tamil Nadu
6.	23.11.2024	Nizampattinam Village, Bapatla District, Andhra Pradesh
7.		Talleravu Village, Kakinada District, Andhra Pradesh
8.	26.11.2024	Sakhinettipalli Village, Dr.BR Ambedkar Konaseema District, Andhra Pradesh
9.	28.11.2024	Navaduru Village, Veeravasaram Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh

Director, CAA sensitising the farmers and other stakeholders on antimicrobial resistance through VC

Mayiladuthurai, Tamil Nadu

Mayiladuthurai,Tamil Nadu

Thiruvarur, Tamil Nadu

Srikakulam, Andhra Pradesh

Kakinada, Andhra Pradesh

Nellore, Andhra Pradesh

Nellore, Andhra Pradesh

Bapatla, Andhra Pradesh

IN-HOUSE ACTIVITIES

9

IN-HOUSE ACTIVITIES

The CAA has organized various programs following the Government of India's instructions. These activities were planned and attended in a time-bound manner with the participation of all staff and consultants at CAA. A brief report of the various activities attended is given below:

Review meeting on actionable points of the CAA for the year 2024-25 conducted by the Secretary (Fisheries), Department of Fisheries, Govt. of India:

The Secretary, Department of Fisheries, Government of India reviewed the actionable points for the year 2024-25 of CAA and the progress of various activities of CAA on 22.05.2024 through Video conferencing. During the meeting, the Secretary, CAA and the Director (Technical), CAA appraised the progress of the activities of CAA and the action plan of CAA for 2024-25.

World Environment Day Celebration

The CAA celebrated World Environment Day on 05.06.2024 by taking a pledge. All staff of the CAA participated in the event and reaffirmed their commitment to protect and conserve the environment.

International Yoga Day

International Yoga Day was celebrated in the CAA office on 21.06.2024. All Officers and Staff of CAA participated in the event. Ms. G.Padmini, Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai, organised the Yoga Sessions and delivered a talk on the importance of Yoga on the physical and mental health of human beings.

Workshop on "Preventive Vigilance"

The CAA staff participated in the workshop on "Preventive Vigilance" at the CIFNET Unit office, Chennai, organised by Shri Sushil Kumar Jha, Director (Vigilance), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, AHD, Government of India on 19.07.2024.

Mass Awareness Campaign on Nasha Mukt Bharat Abhiyan

The staff of Coastal Aquaculture Authority have taken a pledge on the eve of the "Mass Awareness Campaign on Nasha Mukt Bharat Abhiyan" on 12.08.2024 at CAA Headquarters, Chennai

78th Independence Day celebration

The Director (Technical) and other staff of CAA attended the flag hoisting ceremony on the eve of 78th Independence Day celebration at the integrated office Complex for the Animal Husbandry and Fisheries Department, Chennai on 15.08.2024.

Celebration of "National Sports Day"

All staff members of the CAA took the "Fit India Pledge" on 26.08.2024 at the CAA Office in Chennai as part of the celebrations for National Sports Day. Competitions were conducted on various sport activities among the staff of CAA.

"Swatchhata Hi Seva-2024"

The staff of CAA organised various programmes in the office premises and at the field level on the eve of the "Swatchhata Hi Seva-2024" programme from 16th September to 30th September 2024. The date-wise details of the programme organised/attended are given below:

Sl. No.	Events	Date of event organised
1.	All staff of Coastal Aquaculture Authority have taken the Pledge" Swatchhata Hi Seva 2024 " at Head Quarters in Chennai.	16.09.2024
2.	The Director (Technical), CAA with staff and Principal Scientist, ICAR-CIBA, Fisheries officers attended "Coastal Village Cleanliness Programme" in Srinivasasatram Village, Kota Mandal, Tripathi District, Andhra Pradesh. Around 38 villagers and hatchery employees participated in the programme.	18.09.2024
3.	CAA conducted special cleanliness drive in and around the office premises of CAA.	18.09.2024
4.	CAA staff attended "Coastal Village Cleanliness Programme" in Yekuvuru/Battigalluru village Sompeta Mandal Srikakulam District Andhra Pradesh	18.09.2024
5.	CAA staff attended " Swachhata Hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme" in Kammanamolu Village Nagayalanka Mandal Krishna District of Andhra Pradesh.	18.09.2024
6.	CAA staff attended "Swachhata hi Seva Pledge" in Yekuvuru/ Battigalluru Village, Sompeta Mandal Srikakulam District Andhra Pradesh.	18.09.2024
7.	The Director (Technical), CAA with staff and Principal Scientist, ICAR-CIBA, Fisheries officers have taken pledge in Koduru Bit II Village, T.P.Gudur Mandal, Nellore District, Andhra Pradesh under " Coastal Village Cleanliness Programme. Around 20 staff of M/s.CPF India Pvt. Ltd. participated in the programme.	19.09.2024
8.	CAA staff attended "Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme " in Kondurpalem Village, Dugarajapatnam Panchayat, Vakadu Mandal, Tirupati District of Andhra Pradesh.	20.09.2024
9.	CAA staff attended "Swachhata hi Seva Pledge" in Kurmanadhapuram Village, Balarampuram Panchayat, Gara Mandal, Srikakulam District of Andhra Pradesh.	20.09.2024
10.	CAA staff attended "Coastal Village Cleanliness Programme" in Kurmanadhapuram Village, Balarampuram Panchayat, Gara Mandal, Srikakulam District of Andhra Pradesh.	20.09.2024
11.	CAA staff attended "Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme " in Gamallapalem Village Kothapatnam Mandal Prakasam District of Andhra Pradesh	20.09.2024
12.	CAA staff along with MPDO, FDO, VFAs, sagar mitra team attended " Coastal Village Cleanliness Programme & Swachhata hi Seva Pledge" in Tuplipalem beach, Vakadu Mandal, Tirupati District of Andhra Pradesh.	21.09.2024

13.	CAA staff attended " Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme" in Nattalavari palem, Allur mandal, Bapatla District of Andhra Pradesh.	23.09.2024
14.	CAA staff attended "Coastal Village Cleanliness Programme" in Kanuru Village, Machilipatnam Mandal, Krishna District of Andhra Pradesh.	23.09.2024
15.	CAA staff attended " Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme" in Thiruppalaikkudi Beach, R.S. Mangalam Taluka, Ramanathapuram District, Tamil Nadu.	24.09.2024
16.	CAA staff attended the "Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme " in Thalayamazhai Village, Kilvelur Taluk, Nagapattina District,Tamil Nadu.	24.09.2024
17.	CAA staff and NaCSA field manager attended "Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme " at Gangapatnam Village, Indukurpet Mandal, Nellore District of Andhra Pradesh.	25.09.2024
18.	CAA staff attended "Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme " in Korlam Village, Gara Mandal, Srikakulam District of Andhra Pradesh	25.09.2024
19.	CAA staff attended "Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme" along with AD, MPEDA and Regional Coordinator NaCSA at Periyakuthagai Village, Vedaranyam Taluk, Nagapattinam District, Tamil Nadu.	25.09.2024
20.	CAA staff attended "Swachhata hi Seva Pledge & Coastal Village Cleanliness Programme " in along with the sub Inspector of Fisheries, Inspector of Fisheries, Fisheries Oversees Sagar mitra Team, Local Panjchayat Team, Khadir Mohideen college National service scheme Students , Department of post office, Nehru Yuva kendra members Thanjavur at Sarabendrarajanpattinam, Manora Beach, Pattukottai Taluk, Thanjavur District of Tamil Nadu.	26.09.2024
21.	CAA staff attended "SHS 2024 Plantation Drive" in Chintalapalli Malikinpurum Road, Malikinpurum Konaseema District of Andhra Pradesh.	26.09.2024
22.	CAA staff conducted Cleanliness and Tree Plantation programmes"SHS 2024 Plantation Drive" in Arifa Aqua farm, Poovaithedi Village, Kilvelur Taluk, Nagapattinam District, Tamil Nadu.	26.09.2024
23.	The Director Technical, Officers and staffs of CAA attended "Plantation drive" in CAA Office Premises,Chennai, Tamil Nadu.	26.09.2024
24.	CAA staff conducted Tree Plantation programme"SHS 2024 Plantation Drive" in M/S Ramesh Reddy Aqua farm, Bhramadevam Village, Muthukur Mandal, Nellore District, Andhra Pradesh.	26.09.2024
25.	CAA staff conducted Tree Plantation programme"SHS 2024 Plantation Drive" in Pedapatnam Village, Machilipatnam Mandal, Krishna District of Andhra Pradesh.	26.09.2024
26.	The Chairman, Officers and staffs of CAA attended "Plantation drive" in CAA Office Premises, Chennai, Tamil Nadu	26.09.2024
27.	CAA staff attended "SHS 2024 Plantation Drive and Coastal Village Cleanliness Programme" in along with the President (NAFA), Proprietor (TST Agencies), Proprietor (Nethra Aqua Needs), local Corporation Officer & staffs and NaCSA in Velankanni Beach, Kilvelur Taluk, Nagapattinam District, Tamil Nadu.	27.09.2024
28.	CAA staff attended "SHS 2024 Plantation Drive and Coastal Village Cleanliness Programme" in along with the Inspector of Fisheries, Sagar Mitra Team, Village People, Local Panjchayat Team in Jambuvanodai village, Muthupettai Taluk, Thiruvarur District, Tamil Nadu.	27.09.2024
29.	The Director (Technical) and technical staff of CAA participated in "Plantation drive" in Srirampuram Village, U. Kothapalli Mandal, Kakinada District Andhra Pradesh.	27.09.2024
30.	CAA staff attended "SHS 2024 Plantation Drive and Coastal Village Cleanliness Programme" along with aqua farmers and Village vice president at Sachivalayam Rajukavala Village Repalle Mandal, Bapatla District, Andhra Pradesh.	27.09.2024
31.	CAA staff attended "SHS 2024 Plantation Drive " along with Progressive Farmer Society president at S. Rayavaram Village & Mandal, Anakapalli District, Andhra Pradesh.	27.09.2024
32	Installation of Napkin vending machines / Incinerator at Women Toilet (East and West Wing) in CAA Office Premises, Chennai, Tamil Nadu.	27.09.2024

Pledge on “Swatchhata Hi Seva-2024” in CAA Headquarters

Plantation in the premises of CAA office

“Swatchhata Hi Seva-2024” progrmmes attended in coastal areas of Andhra Pradesh

“Swatchhata Hi Seva-2024” progrmmes attended in coastal areas of Tamil Nadu

Hindi Week Celebration

Every year, the CAA is organising a fortnightly programme as part of Rajbhasha Week celebrations starting on 14th September, 2024. Accordingly, during the year, the CAA celebrated Hindi Pakhwada from 14th to 29th September 2024, to encourage staff and officers to learn and communicate in Hindi. As part of the celebration, a quiz competition was conducted among CAA staff in the Hindi language.

Celebration of Vigilance Awareness Week and Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day)

Vigilance Awareness Week was observed by taking the Integrity pledge on 28.10.2024 with all CAA staff, followed by a quiz competition conducted with the staff of CAA. A pledge was taken by all the staff of CAA on National Unity marking the Rashtriya Ekta Diwas at the CAA office, Chennai.

Workshop on Official Language

The CAA convened a workshop on 03.10.2024 on implementation of official language and the use of e-tools with all the CAA Staff. Ms. Reshmi, Assistant Director (OL), Department of Fisheries, Government of India has attended the workshop as a resource person at CAA Headquarters, Chennai.

Constitution Day of India

The CAA staff participated in the meeting organised by the Department of Fisheries, Government of India and read the "Preamble of the Indian Constitution" on the eve of National Constitution Day on 26.11.2024.

Inspection of the Parliamentary Committee on Official Language at Pondicherry

The Director (Technical), CAA, Shri SK. Jha, Director (Administration), DOF and Technical & Administration staff of CAA attended the 2nd Sub-Committee meeting of the Parliament Committee on Official Language on 07.01.2025 in Pondicherry and appraised on the implementation of official language in the office of the Coastal Aquaculture Authority and displayed all documents and reports corresponded in Hindi language in the exhibition stall at the meeting venue Ocean Bay, Pondicherry.

Training programme to all the Consultants of CAA

The CAA organised a training programme for all CAA Consultants on 25.02.2025 at the CAA Headquarters, Chennai on the “Processing of applications online for registration of coastal aquaculture farms and mariculture units”. The programme aimed to sensitise the consultants to assist the farmers in submitting applications online.

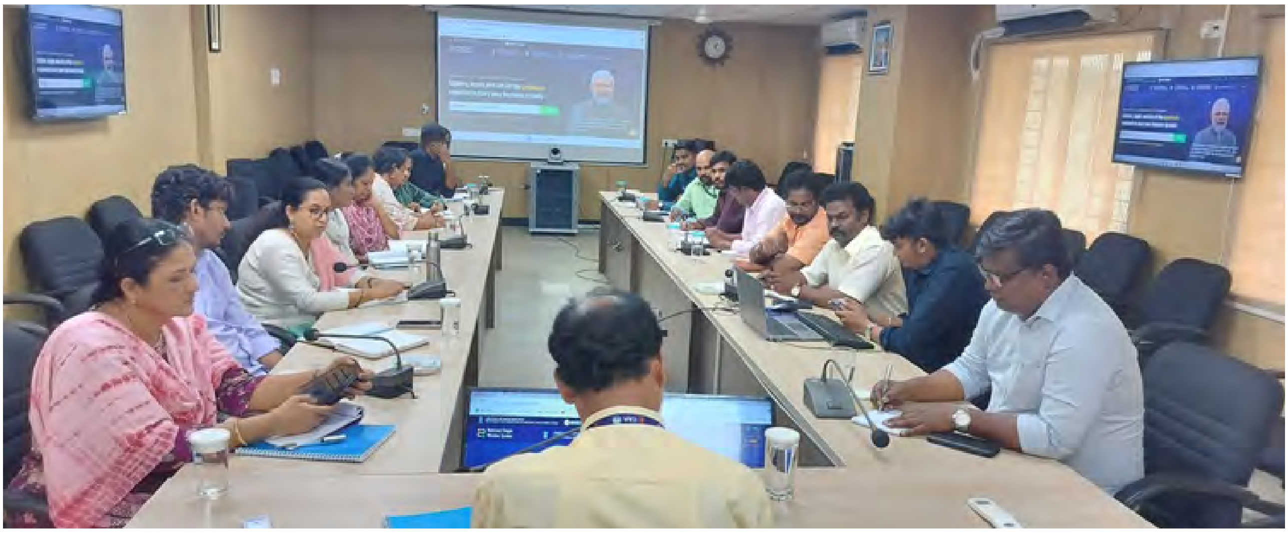

STATE-WISE COASTAL AQUACULTURE STATUS UPTO 2024-2025

10

STATE-WISE COASTAL AQUACULTURE STATUS UPTO 2024-2025

Aquaculture is a rapidly expanding sector, with economically viable technologies for farming diverse aquatic species being developed and refined year after year. The R&D and promotional activities by different groups of researchers, planners and promoters have led to the adoption of various new types of farming in the country, especially cage culture of finfish, seaweed farming, crab fattening, bivalve farming, ornamental fish culture, bio-floc etc., in addition to existing shrimp farming practices.

Over the past five years, *L. vannamei* production has demonstrated a consistent upward trend, increased from 7,11,674 metric tons in 2019–20 to 10,76,970 metric tons in 2023–24 and the highest production of 10,97,481 metric tons was recorded in the year 2022–23, reflecting the Cumulative Annual Growth Rate (CAGR) of 8.64%.

P. monodon also witnessed significant growth during this period, increasing steadily from 35,437 metric tons in 2019–20 to 85,752 metric tons in 2023–24, marking an impressive Cumulative Annual Growth Rate (CAGR) of 19.33%.

During the past five years, the total shrimp production shown a significant growth from 7,47,111 metric tonnes in 2019-20 to 11,62,722 metric tonnes in 2023-24 with a Cumulative Annual Growth Rate (CAGR) of 9.25%. Shrimp farming remains the most popular coastal aquaculture activity as it is a premier export product in the international market.

Details of the number of farms, area-wise farms in different states, the number of hatcheries, Nauplii Rearing Hatcheries and their seed production capacity in each District are presented in figures 10.1–10.14. The state-wise review is presented in alphabetical order.

Andhra Pradesh

- The state has thirteen District Level Committees (DLCs) and twenty Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Anakapalli, Bapatla, Dr. B. R. Ambedkar, Eluru, Konaseema, Kakinada, Krishna, Prakasam, SPSR Nellore, Srikakulam, Tirupati, Visakhapatnam, Vizianagaram and West Godavari, which process the applications for coastal aquaculture farm registration.
- With 22,751 farms, the state has 48.37% of the total farms registered with CAA in the country. Area-wise, 96.3% of farms are smaller with an extent less than 2 ha, 2.89% of the farms have an extent of 2.01–5.0 ha and 0.8% of the farms have an extent more than 5ha.
- The SPSR Nellore District has the highest number of farms, having 19.30% of the total farms in the State, followed by Dr. B. R. Ambedkar Konaseema (18.76%) and Bapatla (17.65%) Districts (Table 10.1).
- In Andhra Pradesh, 406 seed production units of SPF *L. vannamei*, SPF *P. monodon* and marine finfish were registered with CAA, which have a total seed production capacity of 74,430 million (Table 10.2).
- The maximum number of seed production units are located in Kakinada, where 175 SPF *L. vannamei* seed production units with a seed production capacity of 24,220 million seeds per year, 01 hatchery and 01 NRHs for SPF *P. monodon* with a seed production capacity of 450 million per year and two marine finfish hatcheries were registered with CAA.

- The seed production units of 71 nos. in SPSR Nellore, 39 nos. in Anakapalli, 32 nos. in Prakasam and 19 nos. in Bapatla of SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* were registered with CAA with a total seed production capacity of 13,875, 8825, 6260 and 6435 million per year, respectively, in the four Districts.

Table 10.1. District-wise farms registered with CAA in Andhra Pradesh

Sl. No.	Districts	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms in %	TFA%	WSA%
1	Anakapalli	67	226.80	178.05	0.294493	0.681452	0.768161
2	Bapatla	4016	5594.66	4249.31	17.65197	16.80993	18.33281
3	Dr. B. R. Ambedkar Konaseema	4269	5192.18	3593.42	18.76401	15.60062	15.5031
4	Kakinada	1251	1743.06	1260.96	5.498659	5.237264	5.440162
5	Krishna	3918	4688.99	3041.11	17.22122	14.08872	13.12027
6	SPSR Nellore	4393	8888.94	5436.53	19.30904	26.70805	23.45483
7	Prakasam	1798	3252.60	2468.70	7.902949	9.772885	10.65072
8	Srikakulam	870	1036.77	827.63	3.824008	3.115118	3.570646
9	Tirupathi	38	64.30	38.99	0.167026	0.193198	0.168215
10	Visakhapatnam	117	484.39	378.40	0.514263	1.455417	1.632532
11	Vizianagaram	18	51.96	39.65	0.079117	0.156121	0.171062
12	West Godavari	1996	2057.23	1665.97	8.773241	6.181231	7.187498
	Total	**22751**	**33281.88**	**23178.72**	100		

Fig.10.1. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area (WSA) (ha) registered with CAA in Andhra Pradesh

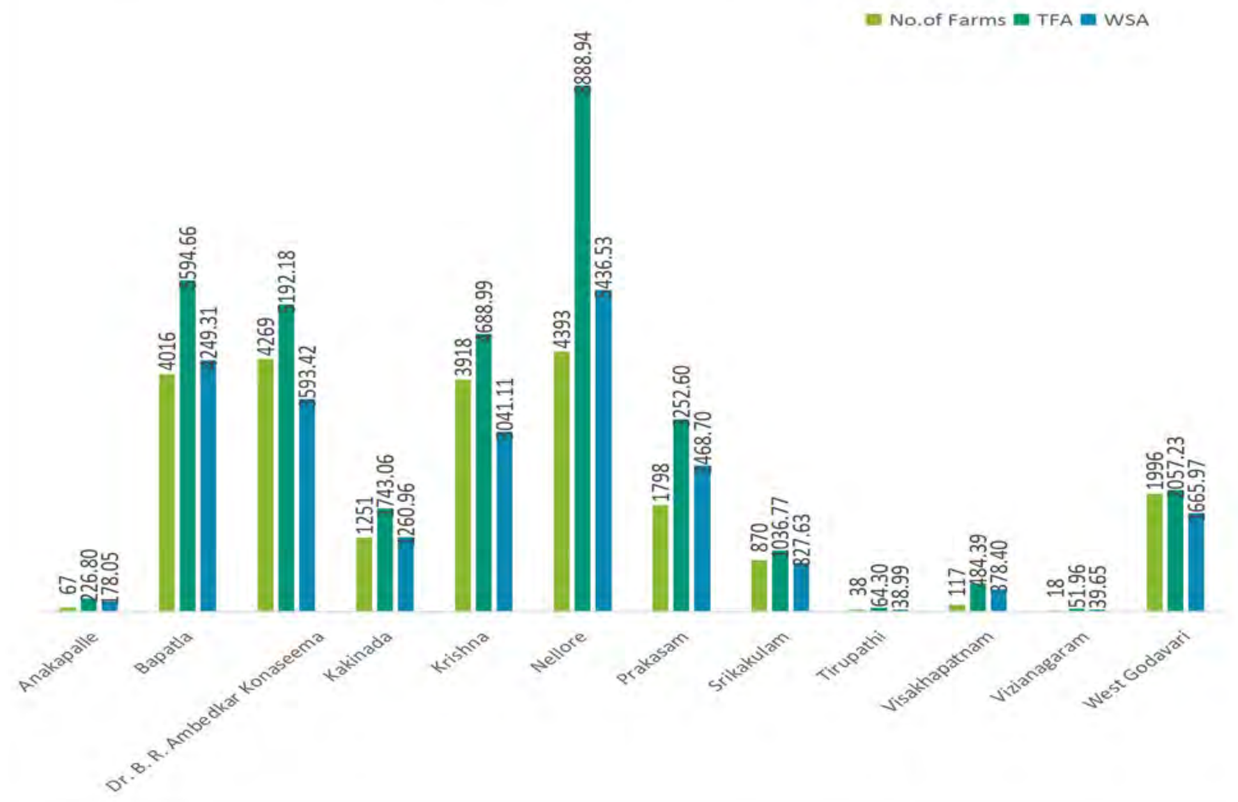

Table 10.2. Seed production units with production capacity registered with the CAA in Andhra Pradesh							
Species	**District**	**Hatcheries registered**	**Seed Production Capacity (Million PL per year)**	**NRHs registered**	**Seed Production Capacity (Million PL per year)**	**Total Seed Production Units**	**Total Seed Production Capacity (Million PL per year)**
L.vannamei	Anakapalli	23	6885	14	1355	37	8240
	Bapatla	15	5575	3	300	18	5875
	Dr. B.R. Ambedkar Konaseema	4	650	3	310	7	960
	Kakinada	64	13865	111	10355	175	24220
	Krishna	0	0	7	400	7	400
	SPSR Nellore	51	9985	12	1555	63	11540
	Prakasam	26	5100	6	1160	32	6260
	Srikakulam	1	350	4	600	5	950
	Tirupathi	10	2655	2	150	12	2805
	Visakhapatnam	9	3225	3	295	12	3520
	Vizianagaram	8	2950	6	660	14	3610
P. monodon	Anakapalli	1	280	1	305	2	585
	Bapatla	1	560	0	0	1	560
	SPSR Nellore	7	2110	1	225	8	2335
	Krishna	0	0	1	480	1	480
	Kakinada	1	200	1	250	2	450
	Srikakulam	0	0	1	80	1	80
	Tirupathi	2	370	1	250	3	620
	Visakhapatnam	2	570	0	0	2	570
	Vizianagaram	2	350	0	0	2	350
Marine finfish	Kakinada	2	20	0	0	2	20
	Total	**229**	**55700**	**177**	**18730**	**406**	**74430**

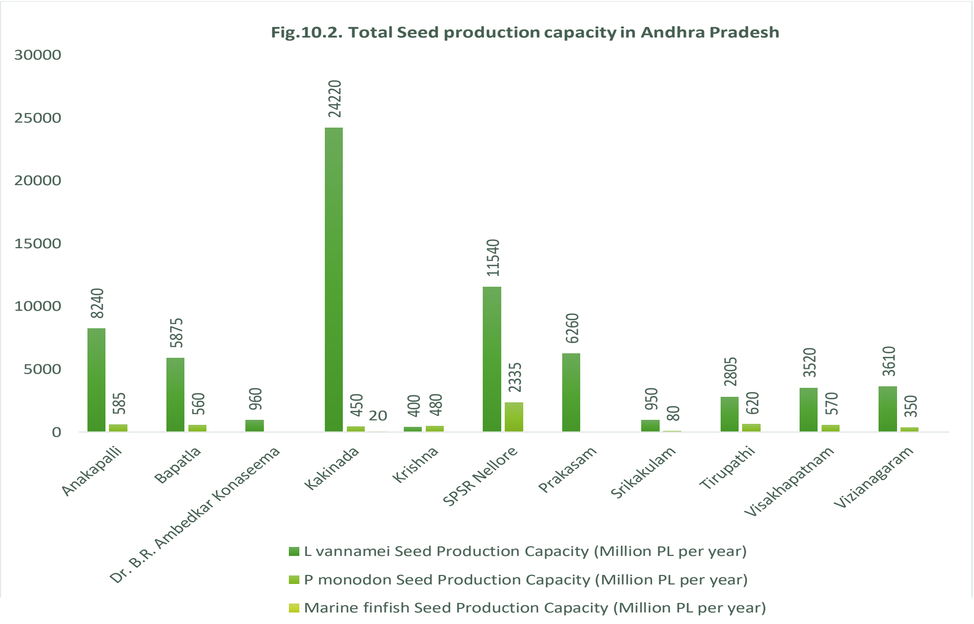

Goa

- The State has two District Level Committees (DLCs) and two Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of North Goa and South Goa, which process and recommend the applications for coastal aquaculture farms registration.
- A total of 50 coastal aquaculture farms were registered with CAA, area-wise, 62% of farms are smaller with an extent less than 2 ha, 30% of the farms have an extent of 2.01- 5.0 and 8% of the farms have an extent more than 5 ha (Table 10.3).
- No hatcheries or Nauplii Rearing Hatcheries is registered with CAA in Goa.

Table 10.3. District-wise farms registered with CAA in Goa

Sl. No.	Districts	No. of Farms	TFA (ha)	WSA(ha)	No. of Farms in %	TFA%	WSA%
1	North Goa	20	81.34	61.04	40	51.15	53.85
2	South Goa	30	77.69	52.32	60	48.85	46.15
	Total	**50**	**159.03**	**113.36**	100		

Fig.10.3. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area (WSA) (ha) registered with CAA in Goa

Gujarat

- The State has fourteen District Level Committees (DLCs) and fifty-three Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Amreli, Anand, Bharuch, Bhavnagar, Devbhoomi Dwarka, Girsomnath, Jamnagar, Junagadh, Kutch, Morbi, Navsari, Porbander, Surat and Valsad, which process the applications for coastal aquaculture farms registration.
- With 1122 farms, the state has 2.38% of the farms registered with the CAA in the country. Area-wise, 74.69% of the farms have an extent of 2.01–5.0 ha, 23.35% of the farms are smaller with less than 2 ha and 1.96% of the farms have an extent more than 5 ha.
- Surat District has the highest number of farms, having 32.97% of the total farms in the State, followed by 31.55% in Navsari and 12.03% in Valsad. However, the Total Farm Area and Water Spread Area are higher in Navsari than in Surat (Table 10.4).
- In Gujarat, 07 seed production units of SPF *L. vannamei*, SPF *P. monodon* and marine finfish were registered with CAA with a total seed production capacity of 2360 million per year.
- Out of the 07 seed production units registered in Gujarat, 03 registered for SPF *L. vannamei*, 03 for SPF *P. monodon* and 01 for marine finfish which are located in four coastal Districts (Table 10.5).

Table 10.4 District-wise farms registered with CAA in Gujarat.							
Sl. No.	Districts	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms in %	TFA%	WSA%
1	Amreli	12	58.65	39.85	1.07	1.12	1.07
2	Anand	47	226.88	175.89	4.19	4.33	4.72
3	Bharuch	132	651.39	430.52	11.76	12.44	11.56
4	Bhavnagar	52	238.55	161.10	4.63	4.55	4.33
5	Girsomnath	7	21.91	15.01	0.62	0.42	0.40
6	Junagadh	12	44.53	28.25	1.07	0.85	0.76
7	Navsari	354	2149.27	1522.89	31.55	41.04	40.90
8	Porbander	1	2.00	1.60	0.09	0.04	0.04
9	Surat	370	1331.58	959.42	32.98	25.42	25.77
10	Valsad	135	512.56	388.49	12.03	9.79	10.43
	Total	**1122**	**5237.32**	**3723.02**	100		

Fig.10.4. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area (WSA) (ha) registered with CAA in Gujarat

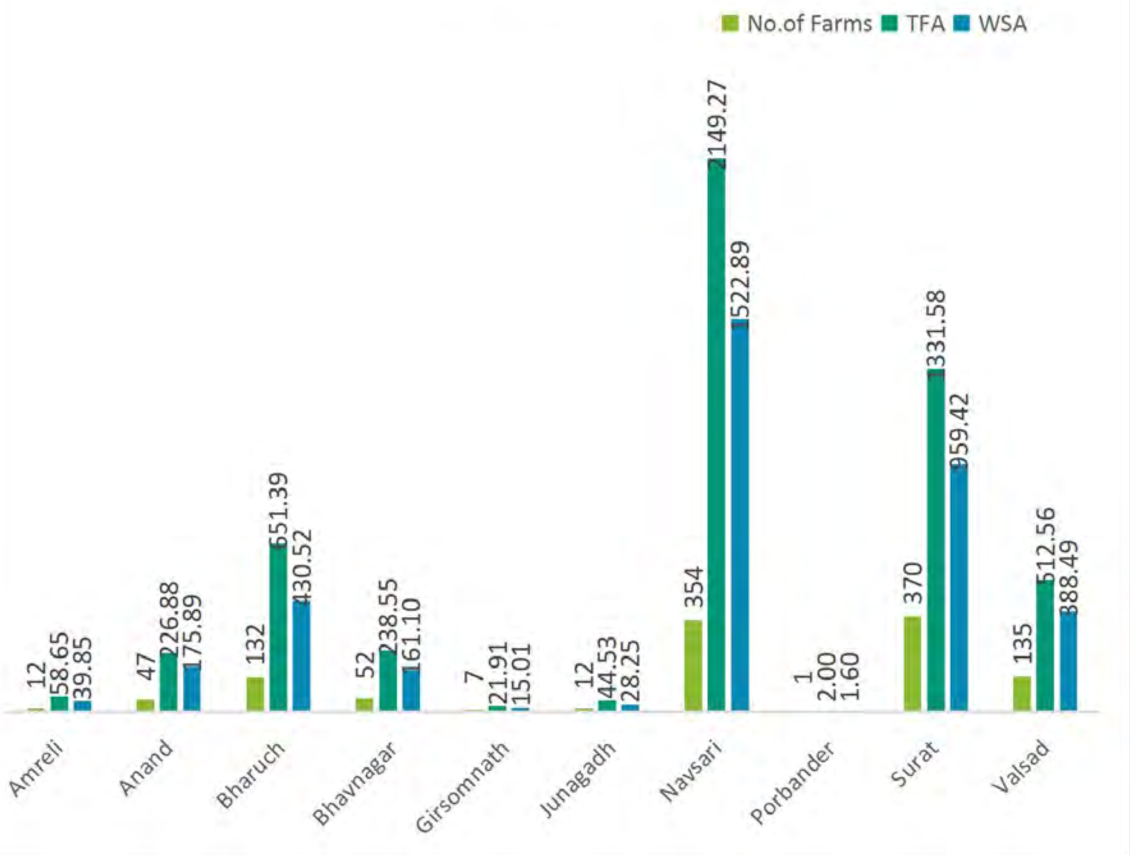

Table 10.5. Seed production units with production capacity registered with the CAA in Gujarat							
Species	**Districts**	**No. of Hatcheries**	**Seed Production Capacity of hatcheries (Million Per Year)**	**No. of NRH**	**Seed Production Capacity of NRHs(Million Per Year)**	**Total Seed Production Units (hatchery and NRH) (number)**	**Total Seed Production Capacity (million Per Year**
L. vannamei	Gir-Somnath	2	300	0	0	2	300
	Porbandar	1	480	0	0	1	480
P. monodon	Gir-Somnath	1	750	0	0	1	750
	Valsad	1	150	1	480	2	630
Marine finfish	Navsari	1	200	0	0	1	200
	Total	**6**	**1880**	**1**	**480**	**7**	**2360**

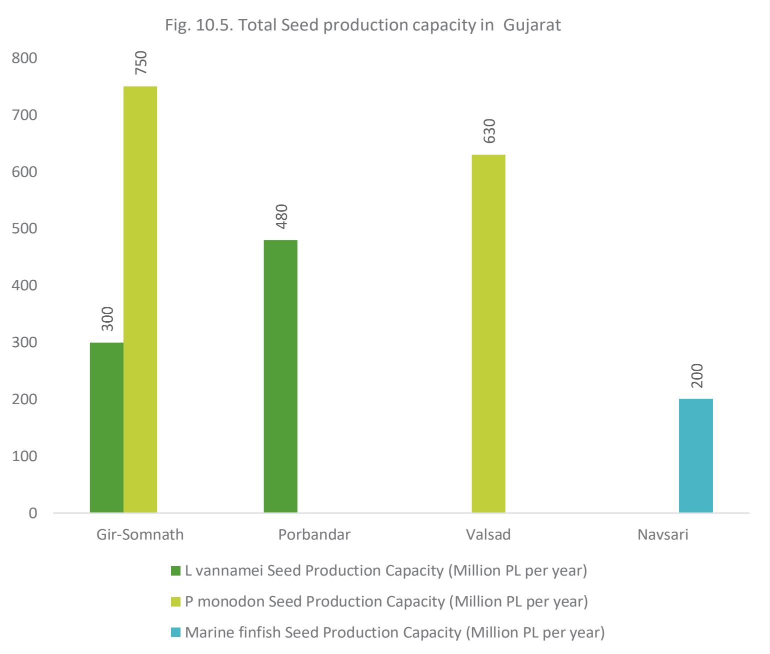

Karnataka

- The State has three District Level Committees (DLCs) and four Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Udupi, Uttar Kannada and Dakshina Kannada, which process and recommend the applications for coastal aquaculture farms registration.
- With 316 farms, the state has 0.67 % of the total farms registered with CAA in the country. Area-wise, 87.34% of farms are smaller with an extent less than 2 ha, 12.03 % of the farms have an extent of 2.01-5.0 ha and 0.63% of the farms have an extent more than 5 ha. Although the number of farms is higher in Udupi (51%), the area under cultivation (water spread area) is higher in Uttar Kannada (63%) (Table 10.6).

- In Karnataka, the CAA registered one SPF *P. monodon* NRH in Uttar Kannada with a production capacity of 60 million seeds per year and one marine finfish hatchery with a production capacity of 5 million seeds per year.

Table 10.6 District-wise farms registered with CAA in Karnataka.

Sl. No.	Districts	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms in %	TFA%	WSA%
1	Dakshina Kannada	28	22.61	18.61	8.86	4.89	5.29
2	Udupi	161	137.53	112.77	50.95	29.73	32.08
3	Uttar Kannada	127	302.4	220.18	40.19	65.38	62.63
	Total	**316**	**462.54**	**351.56**	100		

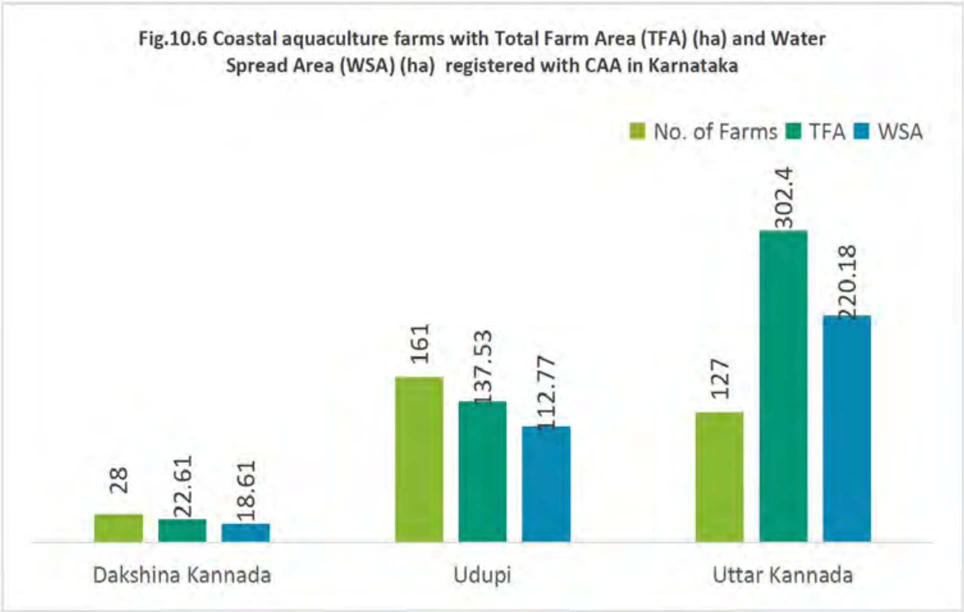

Kerala

- The State has nine District Level Committees (DLCs) and fourteen Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Alappuzha, Ernakulam, Kannur, Kasaragod, Kollam, Kozhikode, Malappuram, Thiruvananthapuram and Thrissur, which process the applications for coastal aquaculture farm registration.
- With 1,535 farms, the State has 3.26% of the total farms registered with CAA in the country. Area-wise, 84.89% of farms are smaller with an extent less than 2 ha, 13.94% of the farms have an extent of 2.01- 5.0 ha and 1.17% of the farms have an extent more than 5 ha.
- Ernakulam District has the highest number of farms, having 24.56% of the total farms in the State, followed by Thrissur 24.36% and Alappuzha (19.21%) Districts (Table 10.7).
- Three multispecies seed production units belongs to the Research Institutes were registered with CAA in Kerala.

Table 10.7 District-wise farms registered with CAA in Kerala.							
Sl. No.	**Districts**	**No. of Farms**	**TFA (ha)**	**WSA (ha)**	**No. of Farms in %**	**TFA%**	**WSA%**
1	Alappuzha	295	442.43	254.80	19.22	14.99	12.56
2	Ernakulam	377	813.64	615.46	24.56	27.56	30.33
3	Kannur	267	697.65	422.02	17.39	23.63	20.80
4	Kasaragod	9	24.01	17.46	0.59	0.81	0.86
5	Kollam	159	164.06	97.22	10.36	5.56	4.79
6	Kottayam	1	1.50	1.20	0.07	0.05	0.06
7	Kozhikode	27	59.85	43.99	1.76	2.03	2.17
8	Malappuram	16	19.10	13.51	1.04	0.65	0.67
9	Thiruvananthapuram	10	8.84	4.11	0.65	0.30	0.20
10	Thrissur	374	721.08	559.45	24.36	24.43	27.57
	Total	**1535**	**2952.16**	**2029.22**	100		

Fig.10.7. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area (WSA) (ha) registered with CAA in Kerala

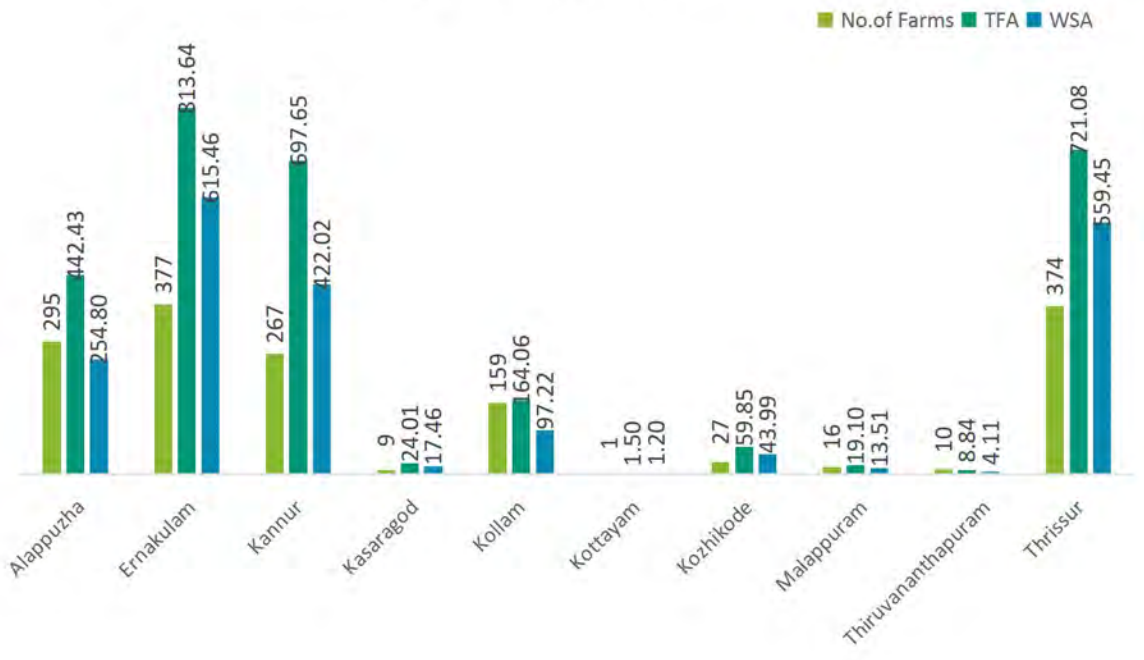

Maharashtra

- The State has five District Level Committees (DLCs) and nineteen Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Palghar, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg and Thane, which process the applications for coastal aquaculture farms registration.
- With 317 farms, the state has 0.67% of the total farms registered with CAA in the country. Area-wise, 50.16% of farms are smaller with an extent less than 2 ha, 35.64% of the farms have an extent of 2.01- 5.0 ha and 14.19% of the farms have an extent more than 5 ha.
- Thane District has the highest number of farms, having 36.90% in the state followed by Raigad District (24.60%) (Table 10.8).
- No hatcheries or Nauplii Rearing Hatcheries is registered with CAA in Maharashtra.

Table 10.8 District-wise farms registered with CAA in Maharashtra.							
S. No.	**Districts**	**No. of Farms**	**TFA (ha)**	**WSA (ha)**	**No. of Farms in %**	**TFA%**	**WSA%**
1	Palghar	15	32.76	22.01	4.73	1.39	1.47
2	Raigad	78	491.29	312.73	24.61	20.8	20.89
3	Ratnagiri	52	175.06	126.57	16.4	7.41	8.45
4	Sindhudurg	55	131.98	95.66	17.35	5.59	6.39
5	Thane	117	1530.9	940.27	36.91	64.81	62.8
	Total	**317**	**2361.99**	**1497.24**	100		

Fig.10.8. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area (WSA) (ha) registered with CAA in Maharashtra

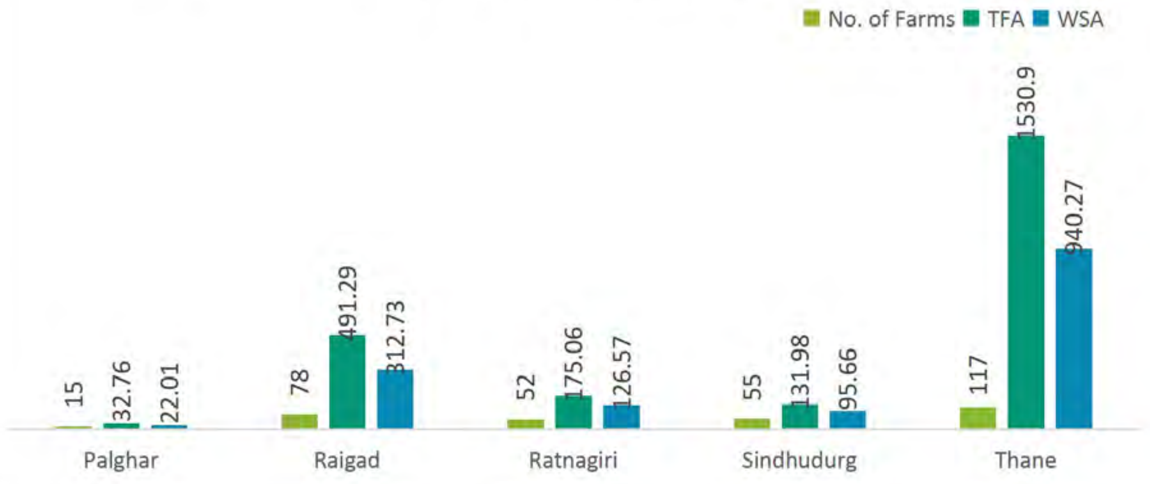

Odisha

- The State has six District Level Committees (DLCs) and eight Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Balasore, Bhadrak, Khorda, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara and Ganjam, which process the applications for coastal aquaculture farms registration.
- With 13,491 farms, the State has 28.68% of the total farms registered with CAA in the country. Area-wise, 99.11% of farms are smaller with an extent less than 2 ha, 0.55% of the farms have an extent of 2.01-5.0 ha and 0.34% of the farms have an extent of more than 5 ha (Table 10.9).
- Bhadrak District has the highest number of farms, having 32.65%, of the total farms in the State, followed by Balasore District (27.87%) .
- 20 seed production units for SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* were registered with CAA in the State with a total seed production capacity of 2800 million per year (Table 10.10).

Table 10.9 District-wise farms registered with CAA in Odisha.

S.No.	Districts	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms in %	TFA%	WSA%
1	Balasore	3761	4383.05	2617.93	27.88	27.62	26.52
2	Bhadrak	4406	6088.45	3655.04	32.66	38.37	37.03
3	Ganjam	649	562.06	381.53	4.81	3.54	3.87
4	Jagatsinghpur	1185	1214.47	800.39	8.78	7.65	8.11
5	Kendrapara	862	995.41	743.75	6.39	6.27	7.53
6	Khordha	7	11.44	6.82	0.05	0.07	0.07
7	Puri	2621	2613.25	1665.51	19.43	16.47	16.87
	Total	**13491**	**15868.13**	**9870.97**		100	

Fig.10.9. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area (WSA) (ha) registered with CAA in Odisha

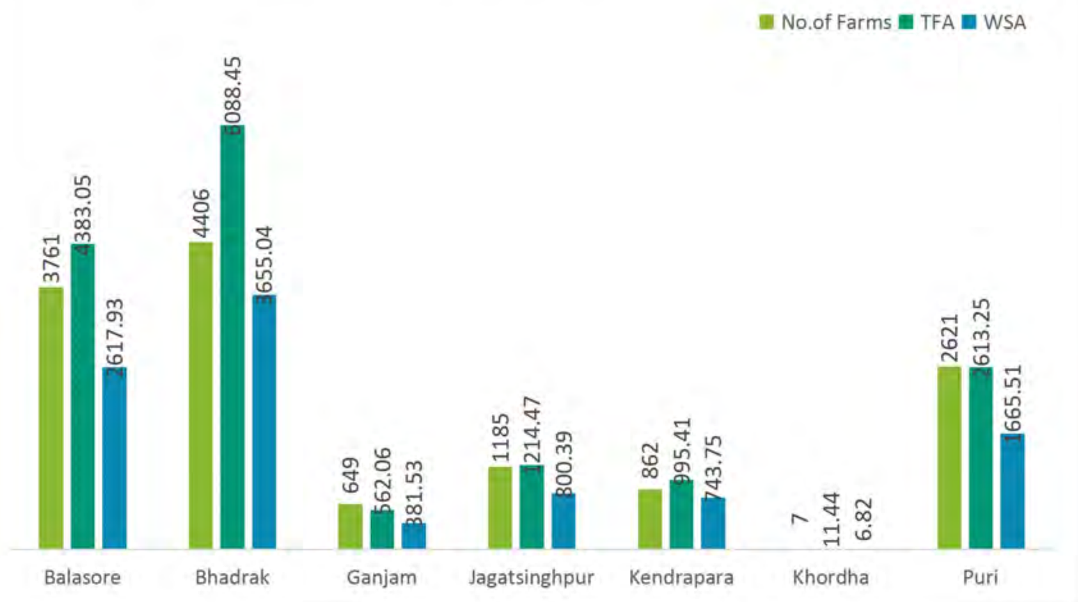

Table 10. 10. Seed production units with production capacity registered with CAA in Odisha

Species	District	Hatcheries registered	Seed Production Capacity (Million PL per year)	NRHs registered	Seed Production Capacity (Million PL per year)	Total Seed Production Units	Total Seed Production Capacity (Million PL per year)
L.vannamei	Ganjam	6	1410	10	1030	16	2440
	Puri	0	0	3	360	3	360
P. monodon	Ganjam	0	0	1	80	1	80
	Total	**6**	**1410**	**14**	**1470**	**20**	**2880**

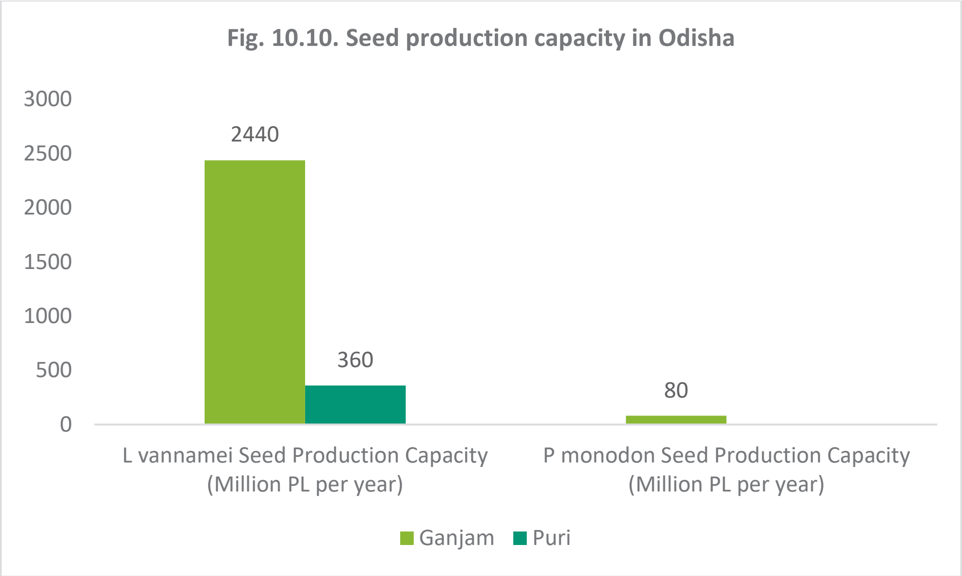

Tamil Nadu

- The State has thirteen District Level Committees (DLCs) and twenty Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Chengalpattu, Cuddalore, Kanyakumari, Mayiladuthurai, Nagapattinam, Pudukottai, Ramanathapuram, Thanjavur, Thiruvallur, Thiruvarur, Thoothukudi, Villupuram and Tirunelveli, which process the applications for coastal aquaculture farms registration.
- With 2409 farms, the State has 5.12% of the farms registered with CAA in the country. Area-wise, 75.47% of farms are smaller with an extent less than 2 ha, 22.08% of the farms have an extent of 2.01-5.0 ha and 2.44% of the farms have an extent of more than 5ha.
- Nagapattinam District has the highest number of farms, having 31.84%, followed by Thanjavur (14.98%) (Table 10.11).
- The State has the second highest shrimp seed production units next to Andhra Pradesh. A total of 103 seed production units of SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodoni* were registered with CAA, with a total seed production capacity of 19131 million per year (Table 10.12).
- The maximum number of seed production units are located in Villupuram District, where 46 units are for SPF *L. vannamei* seed production with a seed production capacity of 10,130 million seeds per year. 02 hatcheries and 01 NRH for SPF *P. monodon* with the seed production capacity of 710 million seeds per year.
- The Chengalpattu District has 46 nos of seed production units registered with CAA for SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* with a total seed production capacity of 6,340 million per year.

Table 10.11 District-wise farms registered with CAA in Tamil Nadu.

Sl. No.	District Names	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms in %	TFA%	WSA%
1	Chengalpattu	79	131.18	102.21	3.28	2.07	2.22
2	Cuddalore	209	494.18	339.12	8.68	7.80	7.36
3	Kanyakumari	1	0.60	0.50	0.04	0.01	0.01
4	Mayiladuthurai	310	789.35	559.18	12.87	12.47	12.13
5	Nagapattinam	767	1827.67	1389.9	31.84	28.87	30.16
6	Pudukottai	56	159.63	120.09	2.32	2.52	2.61
7	Ramanathapuram	166	571.09	392.54	6.89	9.02	8.52
8	Thanjavur	361	993.95	735.69	14.99	15.70	15.96
9	Thiruvallur	125	332.80	249.78	5.19	5.26	5.42
10	Thiruvarur	211	641.46	481.04	8.76	10.13	10.44
11	Thoothukudi	23	199.89	104.62	0.95	3.16	2.27
12	Villupuram	101	189.82	134.49	4.19	3.00	2.92
	Total	**2409**	**6331.62**	**4609.16**	100		

Fig.10.11. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area(WSA) (ha) registered with CAA in Tamil Nadu

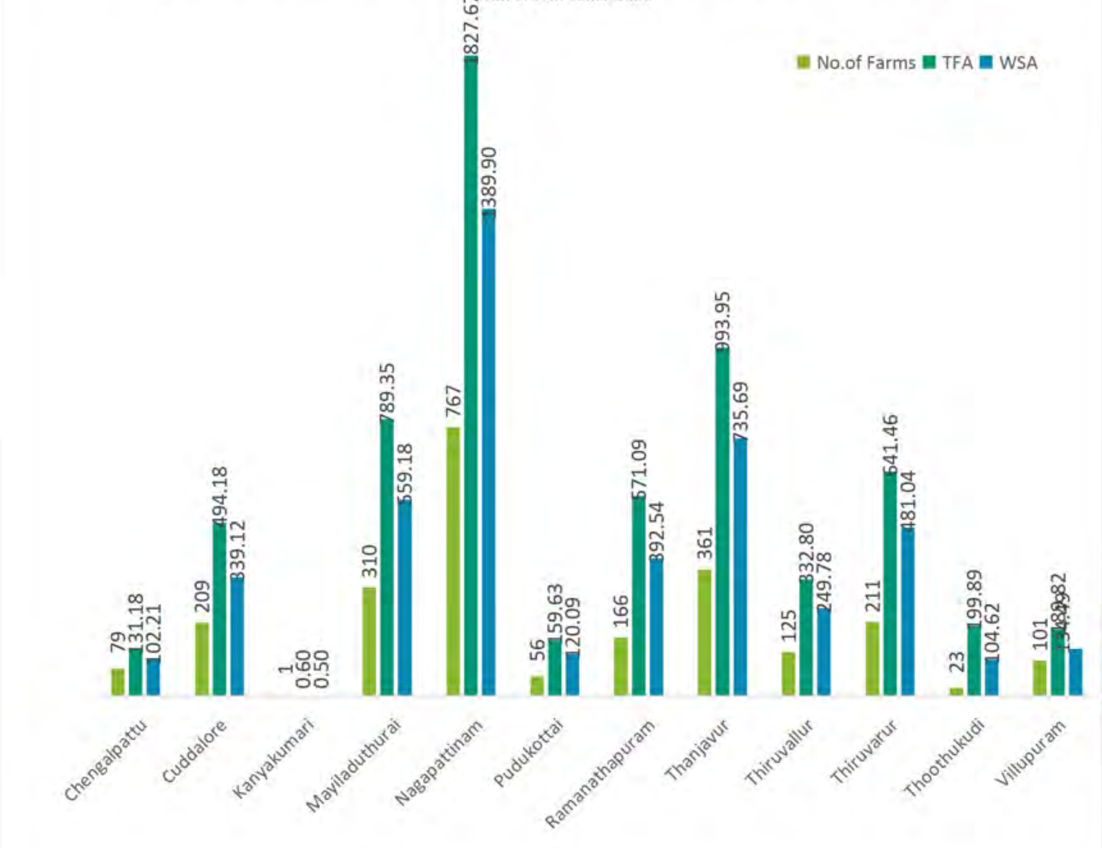

Table 10.12. Seed production units with production capacity registered with the CAA in Tamil Nadu							
Species	**District**	**Hatcheries registered**	**Seed Production Capacity (Million PL per year)**	**NRHs registered**	**Seed Production Capacity (Million PL per year)**	**Total Seed Production Units**	**Total Seed Production Capacity (Million PL per year)**
L. vannamei	Chengalpattu	30	4470	9	720	39	5190
	Cuddalore	1	250	0	0	1	250
	Mayiaduthurai	5	1400	1	60	6	1460
	Ramnathapuram	1	300	0	0	1	300
	Villupuram	38	8030	8	2100	46	10130
P. monodon	Chengalpattu	3	650	4	500	7	1150
	Villupuram	2	510	1	200	3	710
	Total	**80**	**15610**	**23**	**3580**	**103**	**19190**

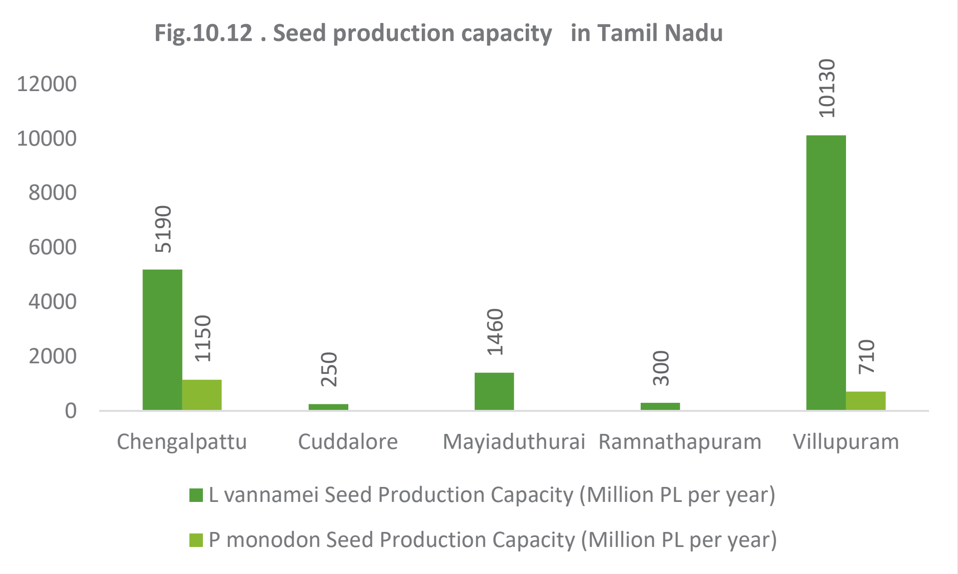

West Bengal

- The State has three District Level Committees (DLCs) and ten Sub-Divisional Level Committees (SDLCs) in the coastal Districts of Purba Medinipur, South 24 Parganas and North 24 Parganas which process the applications for coastal aquaculture farms registration.
- With 4,938 farms, the State has 10.49% of the total farms registered with CAA in the country. Area-wise, 99.59% of farms are smaller with an extent less than 2 ha.
- Purba Medinipur has the highest number of farms, having 40.56% of the total farms in the State, followed by South 24 Parganas (30.63%) and North 24 Parganas (28.79%). (Table 10.13).

- There is one SPF *L. vannamei* hatchery registered with the CAA, with a seed production capacity of 300 million per year and one marine finfish hatchery with a seed production capacity of 60 million per year in Purba Medinipur.

Table 10.13. District-wise farms registered with CAA in West Bengal

S.No.	District Names	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms in %	TFA%	WSA%
1	North 24 Parganas	1422	1489.58	1041.71	28.80	34.38	35.40
2	Purba Medinipur	2003	1393.47	1045.45	40.56	32.16	35.53
3	South 24 Parganas	1513	1450.18	855.46	30.64	33.47	29.07
	Total	**4938**	**4333.23**	**2942.62**	100		

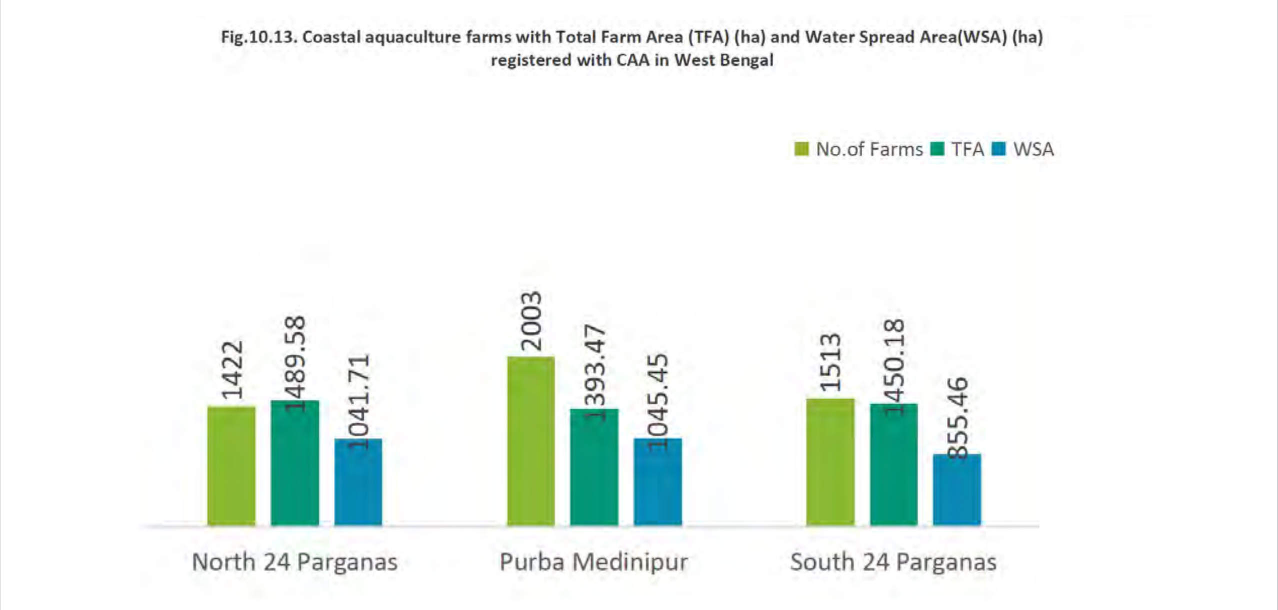

Union Territories:

Puducherry, Daman and Diu, Andaman and Nicobar & Lakshadweep islands

- Among three UTs, large numbers of shrimp farms are located in the Puducherry.
- Puducherry has two District Level Committees (DLCs) and one Sub-Divisional Level Committee (SDLC) with 93 farms registered with CAA (Table 10.14). Area-wise, 92.5% of farms are smaller with an extent of less than 2ha, 6.5% of farms have an extent of 2.01 -5.0 ha and 1% of the farms have an extent more than 5ha.
- The CAA registered 12 farms in Daman and Diu and 04 farms in Andaman and Nicobar Islands.
- There are no coastal aquaculture farms registered with CAA in Lakshadweep.
- No hatcheries is registered in the UTs.

Table 10.14 District-wise farms registered with CAA in Puducherry.							
Sl. No.	**Districts**	**No. of Farms**	**TFA** (ha)	**WSA** (ha)	**No. of Farms in %**	**TFA%**	**WSA%**
1	Karaikal	57	90.53	66.76	61.3	64.07	63.31
2	Yanam	36	50.78	38.7	38.7	35.94	36.7
	Total	**93**	**141.31**	**105.46**	100		

Fig.10.14. Coastal aquaculture farms with Total Farm Area (TFA) (ha) and Water Spread Area(WSA) (ha) registered with CAA in Puducherry

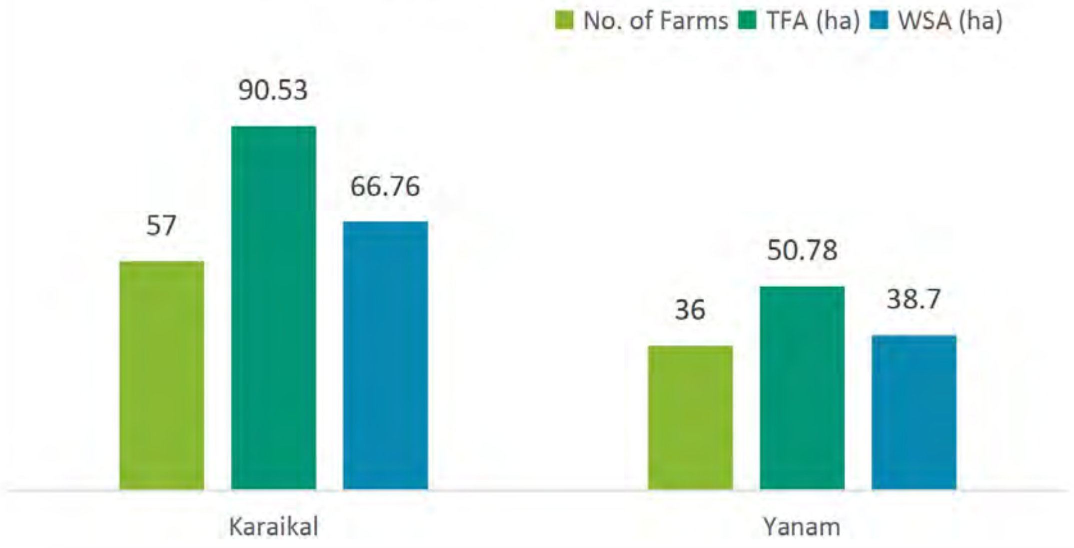

11

PARTICIPATION IN THE EVENTS AT NATIONAL AND STATE LEVEL

The details of the technical officers and field staff of CAA participation in the events at the National and State levels are given below:

Sl. No	Description of the Event	Date of meeting Attended
1.	The Director (Technical) with the technical staff, CAA attended a video conference held under the Chairpersonship of the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Government of India, on "Issues on broodstock and seed production of marine and brackishwater finfishes."	08.04.2024
2.	The Director (Technical) with the technical staff, CAA attended the 39th Meeting of the National Committee on Introduction of Exotic Aquatic Species convened under the Chairpersonship of the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Government of India. During the meeting, the Director (Technical) provided CAA's inputs on the import of Polychaete worms into India.	10.04.2024
3.	The Director (Technical), CAA, attended a workshop on Aquaculture Crop Insurance, organised by the ICAR-CIBA at CIBA, Chennai, with representatives from insurance companies and Government officers. During the session, the Director delivered a lecture on the status of coastal aquaculture in India and the process for registering and renewing coastal aquaculture farms by the CAA.	13.04.2024
4.	The Director (Technical), CAA attended a meeting on the "Negative publicity on Indian Aquaculture sector being attempted in the USA" in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, convened under the Chairmanship of the Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India. The meeting was also attended by the Chairman, MPEDA, Commissioner of Fisheries, Andhra Pradesh and officials from APPCB, EIA, DCA, MPEDA and the State Fisheries Department. During the meeting, the Director (Technical), CAA appraised the mandatory activities of CAA and action taken against the hatcheries on the detection of Antibiotics in the seed samples collected from hatcheries under NRCP.	17.04.2024

5.	The Director (Technical) and technical staff of CAA attended a virtual meeting to review the progress of seaweed projects in Lakshadweep, Gujarat, and Andaman & Nicobar Islands. The meeting was held under the Chairmanship of the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Government of India.	05.06.2024
6.	The Director (Technical) and technical staff of CAA attended the 5th meeting virtually on the latest technology applications for Fisheries and Aquaculture, held under the Chairmanship of the Secretary (Fisheries), Department of Fisheries, Government of India.	07.06.2024
7.	The Director (Technical) and technical staff of CAA attended the 41st "Meeting of the National Committee on Introduction of Exotic Aquatic Species into Indian Waters" held under the Co-Chairmanship of the Joint Secretary (Inland Fisheries) and Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Government of India through video conference.	18.06.2024
8.	The Director (Technical) and technical staff of CAA attended a meeting to discuss guidelines on the Traceability component under the "Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PMMKSSY)," a Central Sector Sub-scheme of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)held under the Chairmanship of the Joint Secretary (Inland Fisheries), Department of Fisheries, Government of India through video conference.	20.06.2024
9.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended a meeting with all the committee members of "Summer Meet 2024" held under the Chairmanship of the Joint Secretary (Inland Fisheries), Department of Fisheries, Government of India through video conference.	22.06.2024
10.	The Director (Technical) and the technical staff of CAA attended the 18th meeting of the Technical Monitoring Committee to expedite the collection and finalization of the state-wise fish production data for all States and Union Territories for the year 2023-24 held under the chairmanship of the Director, ICAR-IASRI through video conference.	25.06.2024
11.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended a meeting to discuss the guidelines on the Traceability component under PMMKSSY held under the Chairmanship of the Joint Secretary (Inland Fisheries), Department of Fisheries, Government of India through video conference.	27.06.2024
12.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended the 7th meeting on the "Latest technology applications for Fisheries and Aquaculture" held under the Chairmanship of the Secretary (Fisheries), Department of Fisheries, Government of India through video conference.	27.06.2024

13.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended the "Introductory Meeting on the Performance of Aquatic Animal Health Services" organized by WOAH under the chairmanship of the Joint Secretary (Inland), Department of Fisheries, Government of India through video conference.	02.07.2024
14.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended the meeting on the implementation of e-Office in all attached/subordinate offices and statutory/autonomous bodies under all Ministries and Departments of the Government of India, held under the chairmanship of the Secretary (AR&PG) through video conference.	10.07.2024
15.	The Director (Technical) and other Technical Officers of CAA participated in the "Fisheries Summer Meet-2024" at Madurai, Tamil Nadu, organized by the Department of Fisheries, Government of India. The CAA established an exhibition stall at the event venue, showcasing CAA's activities and achievements through informative posters and distributed brochures to visitors.	12.07.2024
16.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended a meeting on Australia's biosecurity import conditions for prawn and AQUAPLAN on aquatic animal health convened under the chairmanship of the Joint Secretary (Inland Fisheries), Department of Fisheries, Government of India through video conference.	26.07.2024
17.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended the meeting convened under the chairmanship of the Chief Executive, NFDB, to create awareness about the new sub-scheme Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana (PM-MKSSY) under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) through video conference.	26.07.2024
18.	The Director (Technical), CAA participated in the 3rd Shrimp Farmers Conclave in Kakdwip, West Bengal organised by the ICAR-CIBA with shrimp farmers, officers, Insurance company representatives and other stakeholders. The Director appraised on the process of registration of coastal farms, important amendments and provisions made in the CAA (Amendment) Act, 2023, the CAA Rules, 2024 and Guidelines and the present status of coastal aquaculture units registered with CAA in West Bengal State.	10.08.2024
19.	The Director (Technical), CAA attended the meeting on the GEF-8 Project of FAO "Transforming Andhra Pradesh Aquaculture to a Sustainable, Low Carbon Footprint, and Climate-Resilient Food System," virtually organized by the Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh. The meeting was also attended by representatives from FAO, officers from the Department of Fisheries, ICAR scientists and various stakeholders.	13.08.2024

20.	The Director (Technical), CAA participated in the "Symposium on Australian National Bio-security" sponsored by the Govt. of Australia under the "Canberra Fellowship Programme". The visit to Australia provided an experience of the way in which biosecurity is built into their farming systems, Post Entry Quarantine Facility - their state-of-the-art centralised quarantine facility in Melbourne for live animals and plants. Participated in the Australian Biosecurity Symposium at the Gold Coast, which is the apex forum for biosecurity in their country and had an experience on a farm with world-leading productivity levels from 24th August to 31st August 2024.	26.08.2024 to 31.08.2024
21.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended the Webinar on Budget Para-Blue Economy convened under the Chairpersonship of Secretary, EFCC and discussed on the initiative in the coastal aquaculture and mariculture to promote Blue Economy through video conference.	11.09.2024
22.	The Joint Secretary (Marine Fisheries) cum Secretary, CAA and Technical Officers attended the "India-Philippines Seaweed Stakeholders Consultation Meeting" through Video Conferencing convened by the Chairman, MPEDA virtually.	04.10.2024
23.	The Director (Technical), CAA attended the meeting through Video Conferencing on PMMKSSY convened by the Joint Secretary (Inland Fisheries) Department of Fisheries, Government of India.	04.10.2024
24.	The Director (Technical) and Technical staff of CAA attended the shrimp harvesting programme at Mutukkadu, convened by ICAR-CIBA, and participated in the stakeholders' meeting on "Super-Intensive Precision & Natural Shrimp Farming (SIPNSF)". The event was graced by the Hon'ble Minister of State, Shri George Kurian; the Deputy Director General, ICAR; the Chairman, MPEDA; the Chief Executive, NFDB; the Director, ICAR-CIBA; and other stakeholders. During the programme, the Director (Technical), CAA presented highlighting the core functions of the Coastal Aquaculture Authority	08.10.2024
25.	The Director (Technical), CAA attended a video conference on the supply of Specific Pathogen Free (SPF) *Penaeus monodon* broodstock to CAA-registered hatcheries. The meeting was convened by the Chairperson, MPEDA with the representatives of the All India Shrimp Hatcheries Association (AISHA).	22.10.2024
26.	The Director (Technical), CAA attended the third meeting of the "Steering Committee for the Promotion of Marine Products Exports" through video conference, chaired by the Additional Secretary, Department of Commerce, Government of India through video conference.	04.11.2024

27.	The Director (Technical) and Assistant Director (Technical), CAA attended the meeting of the "Technical Monitoring Committee for Finalization of Fish Production Data for the FY year 2023- 2024" held under the Chairmanship of the Director, ICAR-Indian Agricultural Statistics Research Institute (IASRI), New Delhi.	18.11.2024
28.	The Director (Technical), along with the technical staff of CAA, attended the video conference on "Global Biosecurity Solutions -Genics Role in India's Aquaculture Future", organized by Genics. The event was jointly organised by the Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Government of Australia and the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India.	28.11.2024
29.	The Director (Technical), CAA, along with the technical staff, attended the meeting on the promotion of seaweed cultivation, hosted by the Department of Fisheries, Government of India. The meeting was conducted through video conferencing under the chairmanship of the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries.	02.12.2024
30.	The Secretary, CAA cum Joint Secretary (Marine Fisheries) and Director (Technical), CAA attended the Inter-Session Meeting of the Consultative Committee of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying on the theme "Value Addition in Fisheries Products and Export Promotion," held at the Parliament House Annexe Building, New Delhi.	13.12.2024
31.	CAA officials attended the 8th Lecture of the Matsya Manthan Series session on "Latest Technology Applications for Fisheries and Aquaculture" presented by Mr. Ganesh Nakhwa, CEO of M/s BluCatch and organised by the Department of Fisheries under the chairpersonship of the Secretary, Department of Fisheries, through Video Conferencing.	19.12.2024
32.	The Assistant Director (Technical), CAA participated in the 'National Workshop on Mariculture Policy Framework" at NFDB, Hyderabad. The workshop emphasized on developing a robust policy framework to enhance India's mariculture potential, boost the Blue Economy and strengthen coastal livelihoods.	23.12.2024
33.	The Assistant Director (Technical) and CAA staff attended the meeting on the integration of Bhashini with the Department of Fisheries and its subordinate offices portals organized by the Department of Fisheries, Government of India through Video Conferencing.	24.12.2024
34.	The Director (Technical), CAA participated in the "4th Edition of the Shrimp Farmers Conclave" at Balasore, Odisha organised by the ICAR-CIBA with shrimp farmers and other stakeholders and appraised on the process of registration of coastal farms, important amendments and provisions made in CAA (Amendment) Act, 2023, the CAA Rules, 2024 and Guidelines and present status of coastal aquaculture units registered with CAA in Odisha.	31.01.2025

35.	The Director Technical CAA attended the "Aquaculture Innovation Tech 2.0" convened by the "Global Forum for Sustainable Transformation" (GFST) and Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh in Vijayawada. The Director participated in the brainstorming session on "Promotion and Expansion of Seafood Exports and Strengthening the Infrastructure Facilitates" and presented on the regularisation of coastal aquaculture units and traceability issues.	16.02.2025 to 18.02.2025
36.	The Asst. Director (Technical), CAA attended the meeting through Video Conferencing held under the Chairmanship of the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Government of India to review the Mariculture Policy, the status of Implementation of Artificial Reef and the Establishment of Marine Finfish Hatcheries.	20.02.2025
37.	The Chairperson, CAA attended the 11th Governing Body Meeting of the National Fisheries Development Board (NFDB) held in Hyderabad and participated in the deliberations. During the meeting, the Chairperson, CAA cum Chairman, MPEDA briefed the Hon'ble Union Minister and the Hon'ble Minister of State for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India on the key activities of the Coastal Aquaculture Authority (CAA) and the ongoing initiatives aimed at promoting coastal aquaculture and enhancing seafood exports.	08.03.2025
38.	The Director (Technical) and Assistant Director (Technical), CAA attended the review meeting convened by the Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India on operation and management of approved shrimp BMCs and status of Shrimp Evaluation Study Unit of MPEDA-RGCA through video conferencing.	19.03.2025
39.	The Director (Technical), CAA attended a meeting virtually convened under the chairmanship of the Joint Secretary (Inland Fisheries), Department of Fisheries, Government of India to discuss the strategy for mobilisation of Performance Grant applications under the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY). The meeting was attended by representatives from the National Fisheries Development Board (NFDB), Coastal Aquaculture Authority (CAA), Fisheries Survey of India (FSI), National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training (NIFPHATT) and the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (CIFNET).	24.03.2025
40.	The Director (Technical) and Assistant Director (Technical), CAA attended the Seventy-Third Executive Meeting of RGCA convened under the Chairmanship of the Chairman, MPEDA through video conferencing	26.03.2025

Participation of the CAA Officers at the various events in the International, National and State level

Fisheries Summer Meet 2024

3rd Shrimp Farmers Conclave in Kakdwip, West Bengal

4th Edition of the Shrimp Farmers Conclave, Balasore

Symposium on Australian Bio-security system under Canberra Fellowship Programme

11th Governing Body Meeting of the National Fisheries Development Board (NFDB), Hyderabad

Visit of Team from DG(SANTE) Mission 2024 of the European Union

Aquaculture Innovation Tech 2.0 ,Vijayawada

Super intensive Precision and Natural Shrimp Framing at ICAR - CIBA

VC on Issues on broodstock and seed production of marine and brackishwater finfishes

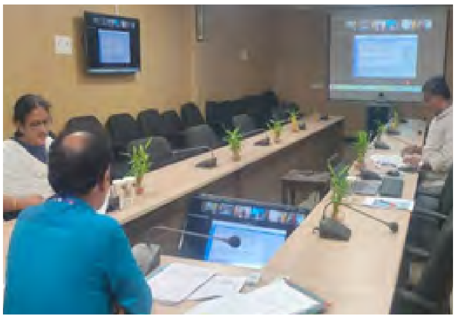

39th Meeting of the National Committee on Introduction of Exotic Aquatic Species

Meeting on the Negative publicity on Indian Aquaculture sector being attempted in the USA

Introductory Meeting on the Performance of Aquatic Animal Health Services

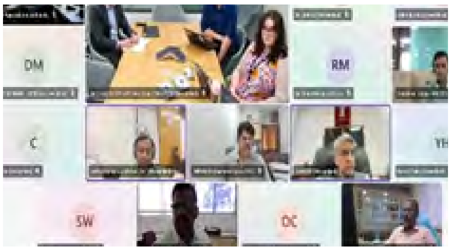

Meeting on Australia's biosecurity import conditions for prawn and AQUAPLAN on Aquatic Animal Health

GEF-8 Project of FAO "Transforming Andhra Pradesh Aquaculture to a Sustainable, Low Carbon Footprint, and Climate-Resilient Food System

Webinar on Budget Para-Blue Economy

VC meeting on PMMKSSY

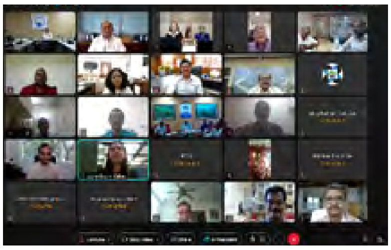

India-Philippines Seaweed Stakeholders Consultation Meeting

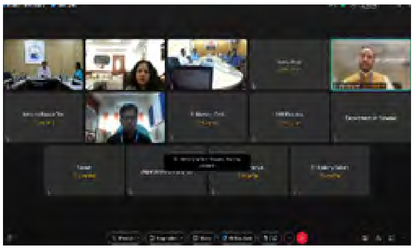

"Global Biosecurity Solutions -Genics Role in India's Aquaculture Future", organized by Genics

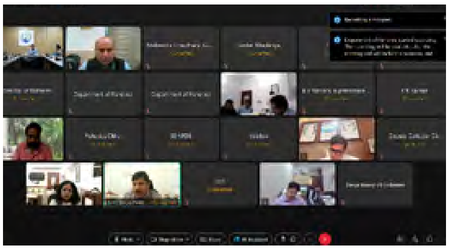

Meeting on the promotion of seaweed cultivation

8th Lecture of the Matsya Manthan Series session

National Workshop on Mariculture Policy Framework, NFDB

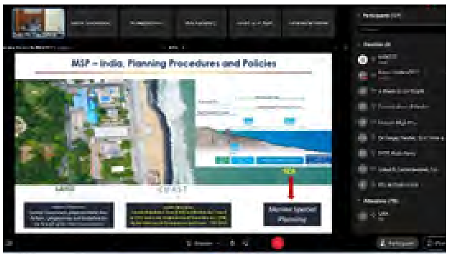

Webinar on Budget Para-Blue Economy

strategy for mobilization of Performance Grant applications under the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)

TARGETS AND ACTION PLAN FOR 2025-26

12

TARGETS AND ACTION PLAN FOR 2025-26

The CAA as per its mandate as provided under Section 3 of the CAA Act, 2024, ensures that coastal aquaculture units and activities shall not cause any detriment to the coastal environment, promote responsible coastal aquaculture in compliance with the notified guidelines and protect the livelihood of various sections of the people living in the coastal areas. Accordingly, the CAA maintains the balance between the regulation of coastal aquaculture activities for environmental protection and the promotion of sustainable and eco-friendly coastal aquaculture practices in all coastal areas in the country. To achieve its mandatory goal, the targets for major CAA activities are envisaged for the financial year 2025-26 as given below:

A) Registration and renewal of coastal aquaculture farms

Registration and renewal of coastal aquaculture farms is a continuous process. Constant efforts will be made to register unregistered coastal aquaculture farms as prescribed under Section 13 of the CAA Act, 2005 and Rule 10 of the CAA Rules, 2024 and renew all coastal aquaculture farms for which the validity of five-year registration period or renewal period has lapsed as per the provisions made under sub-section 10 of Section 13 of the CAA Act, 2005 and Rule 13 of the CAA Rules, 2024 with the support of SDLCs and DLCs constituted in all maritime States and UTs.

B) Registration and renewal of Hatcheries, NRHs and Live feed units

CAA promotes the establishment of bio-secured hatcheries, NRHs and live feed units for the production and supply of SPF/ healthy seed of cultivable species for coastal aquaculture and live feed for hatcheries/NRHs.

The applications received for registration of new hatcheries, NRHs and live feed units will be given top priority to refer to the Inspection Committee for inspection of the units in the field. The registration certificates will be issued to the unit operators which are complied with within the prescribed time limit with the approval of the Authority to facilitate them to continue their seed/ live feed production activities seamlessly.

The hatcheries, NRHs and live feed units whose registration is to be renewed during 2025-26 will be informed to the concerned unit operators in advance to apply to CAA within time, ensure inspection of such units by the Inspection Committee and issue renewal certificates with the approval of the Authority before the expiration of the registration/ renewal period of such units.

C) Registration of newer farms, hatcheries and mariculture units

The CAA has developed the following nine (9) guidelines with the technical support of Expert Committee members for the promotion of diversification, mariculture activities and innovative technologies in coastal aquaculture, which are now under the process of notification by the Department of Fisheries, Government of India. Upon notification of these guidelines, the CAA will initiate action to register such newer farms, hatcheries and mariculture units for the promotion and expansion of coastal aquaculture.

1) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of crab;

2) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of marine finfishes;

3) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of indigenous shrimp species in marine and brackish water;

4) Guidelines for regulating hatcheries and rearing units for marine/brackish water ornamental organisms;

5) Guidelines for regulating seaweed seedling production and farming in marine and brackish water;

6) Guidelines for regulating cage and pen culture of marine/brackish water aquaculture species;

7) Guidelines for regulating live feed culture units and management in coastal aquaculture;

8) Guidelines for regulating Bio-floc, Recirculatory Aquaculture Systems (RAS), and Nursery-based Aqua Farming Systems;

9) Guidelines for regulating seed production and farming of bivalves in marine and brackish water;

D) Implementation of the Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and specific pathogen-free certification of coastal aquaculture units and stocks in India:

The CAA developed the Standard Operating Procedures (SOPs) for implementation of the "Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and specific pathogen-free certification of coastal aquaculture units and stocks in India" with a mandate to all BMCs to get SPF Certification and hatcheries to get SPF Certification as optional. The SOP was furnished to the Department of Fisheries, Government of India for notification. On notification of SOP's, the CAA will initiate action to implement the same guidelines.

E) Notification of aqua zones and aqua mapping:

As prescribed under Section 11(1)(da) of the CAA Act, 2005 and Rule 5 of the CAA Rules, 2024, the Authority shall regulate or prohibit the number, species and method of any coastal aquaculture in such area through planning and execution of such programmes, including aqua zonation and aqua mapping for environmentally sustainable coastal aquaculture. Accordingly, the CAA developed the new "Guideline for notification of aqua zones and aqua mapping" and furnished it to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Government of India, which is now under process of notification. Upon notification of the same guidelines, the CAA will initiate action to technically support all the coastal states/UTs for notification of aqua zones and aqua mapping for the promotion of environmentally sustainable coastal aquaculture in the country.

F) Issuance of a Certificate of Compliance for Antibiotic-Free Aquaculture Inputs

Since the rejection of seafood exports by the importing country due to the presence of antibiotic traces is one of the major challenges in coastal aquaculture particularly in shrimp farming, the CAA has given special focus to sensitise the fisheries officers, farmers, hatchery operators and other stakeholders with the coordination of MPEDA, ICAR Institutions and State Fisheries Departments to strictly regulate the usage of pharmacologically active substances and antimicrobial agents in all coastal aquaculture units and activities as prescribed under Rule 18 of CAA Rules, 2024

As per the provisions contained under Subsection 1(db) of Section 11 of the CAA Act, 2005, Rule 18 of the CAA Rules, 2024 and the Guidelines for Certificate for Compliance for Aquaculture Inputs, all the aquaculture input manufacturers and distributors shall invariably obtain certification from CAA for their antibiotic-free aquaculture inputs and no aquaculture input shall be available in the market without CAA certification.

CAA has already taken all steps to sensitise the Fisheries Officers, farmers, hatchery operators, input manufacturers and distributors and other stakeholders on the usage of CAA-certified products in the coastal aquaculture units and activities and the mandatory certification of all aquaculture products with CAA. Further, during 2025-26, the organisation of sensitisation programmes with all the stakeholders will be intensified at field level.

The applications received for certification of new aquaculture products and renewal of certification of aquaculture products will be processed in time and certificates will be issued for such aquaculture products with the approval of the Authority.

The CAA by obtaining technical inputs from the Expert Committee members, has furnished the proposals to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Government of India to make penal provisions for non-certification and non-compliance of aquaculture inputs under Section 14 of the CAA Act, 2005, and also to make new provisions in the "Guidelines for issuance of Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs". Upon notification of these

amendments, the CAA will initiate action through the Task Force to conduct surprise inspections in the field, collect the samples from the manufacturing companies, importers, aqua shops, farms, hatcheries, etc., test the samples, penalise for non-certification and non-compliance of inputs and positive case for antibiotic residues.

G) Monitoring and Surveillance

The CAA ensures regular monitoring of the facilities at farms and hatcheries, particularly related to bio-security, sanitary conditions, Effluent Treatment Systems, production facilities, etc., to ensure proper compliance with the statutory provisions by the technical officers and field consultants in coordination with the MPEDA, ICAR Institutes, State Fisheries Officials and other allied departments in coastal States and UTs.

Regular monitoring and surveillance mainly includes

- Collection of water samples from discharge points of coastal aquaculture farms and hatcheries to check whether the discharged water is meeting the standards of wastewater discharges or not as prescribed in the "Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture" for ensuring environmental sustainability.
- Collection of seed /culture species samples from the farms and hatcheries with MPEDA field officers under the National Residue Control Plan (NRCP) Programme to test the samples for antibiotic traces.
- Regular visits to farms and hatcheries by the Inspection Team and officers authorised by the CAA to ensure the adoption of BMPs, maintenance of bio-security facilities, Effluent Treatment Systems, sanitary and hygiene conditions etc., in accordance with the statutory provisions.

The CAA as per the provision contained under Section 13(A) requested all the coastal states/UTs to nominate officers not below the rank of Asst. Director of Fisheries in all coastal districts to authorise them as Authorised Officers for regular monitoring of coastal aquaculture units as prescribed under Rule 7 and 8 of the CAA Rules, 2024. Accordingly, the CAA received the nomination of Officers from all 9 coastal states and 4 UTs and furnished the proposals to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Government to notify the Officers as Adjudicating Officers to adjudicate the penalties imposed by the Authorised Officer and take up appeals by the Appellate Authority as per the provisions contained under Section 13A(2) and 13A (3) simultaneously with notification of Authorised Officers by the CAA. Upon notification of Adjudicating Officers and Appellate Authority by the Department of Fisheries, Govt. of India, the CAA notifies the officers as Authorised Officers and initiates action to ensure the regular monitoring of the coastal aquaculture units and activities in all coastal states and UTs on a regular basis.

H) Extension programmes

- Awareness programmes on environmental protection, farm registration and renewal, good aquaculture practices and antimicrobial awareness programmes will be organised in coastal States and UTs.
- Advisories will be issued on matters related to coastal aquaculture from time to time to sensitise the stakeholders to regulate unauthorised activities and adoption of BMPs for the promotion of sustainable coastal aquaculture.
- Brochures, pamphlets and handouts on salient features of CAA rules and regulations, good aquaculture practices, the regulation on usage of antibiotics and other matters relevant to coastal aquaculture will be printed and circulated for wide publicity.
- Stakeholder meetings will be organised in convergence with MPEDA, ICAR Institutes, State Fisheries officials and other allied departments to address the gaps and operational issues in coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects will be shared.

Table 12. The tentative targets proposed for the organisation of various outreach programmes and monitoring activities during the year 2025-26 are as follows.

S. No	Activities proposed for the year 2025-26	No's.
1	Sensitisation programmes at the State and District level with farmers, hatchery operators, inputs manufacturers/Distributions, Fisheries Officers and other stakeholders	20
2	Inspection of hatcheries/NRHs for registration and renewal	100
3	Collection of seed samples and inspection of hatcheries with MPEDA field officers under National Residue Control Programme (NRCP)	100
4	Sensitisation on Antimicrobial Resistance (AMR)	10
5	Conduct/participate in Seminars/ exhibitions/ expos/ workshops	15
6	Monitoring of farms	3000
7	Collection of water samples	500

I) Development of software applications to automate all the services of CAA

Under sub-rule 3 of Rule 9 of the CAA Rules, 2025, it is prescribed that the Authority may in the public interest, make provision for online filing of an application for registration of coastal aquaculture units. Accordingly, the CAA developed the online applications with the technical support of the National Single Window System (NSWS), Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India to facilitate the farmers to apply online for registration of their coastal aquaculture farms and mariculture units and to process the application by the Member Conveners of the SDLCs/DLCs online and recommend to the CAA to register such units. The link for farmers to apply online through the NSWS portal was provided on the CAA website (https://caa.gov.in/NSWS_farms.html) on 9th January 2025. Further, the CAA conducted several demonstration programmes with Nodal Officers, farmers, MPEDA field officers, and Fisheries Officers of all coastal states and UTs during the year on the processing of the applications online for registration of coastal aquaculture farms.

Further, during 2025-26, online applications for other services of the CAA such as renewal of coastal aquaculture farms, registration and renewal of coastal aquaculture hatcheries and certification of antibiotic-free aquaculture inputs will be developed on fast track mode with the technical support of NSWS-DPIIT to automate all the services of the CAA to deliver the services in time.

ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTS MATTERS

13

STAFF AND EXISTING ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE AUTHORITY

(A) Existing staff position of CAA

At present, the sanctioned strength of CAA is 21 posts and the staff in position during the financial year 2024-25 is as follows:

DETAILS OF SANCTIONED POSTS AND STAFF IN POSITION

Sl. No	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	No. of staff repatriated / promoted / retired during the year	No. of new staff added / promoted during the year	Staff at the end of the year [(5-6)+7]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Director	1	1	0	0	1
		Sr. Admin. Officer	1	1	0	0	1
		Asst. Director	1	1	0	0	1
2	B	Superintendent	1	0	0	0	0
		Private Secretary	2	2	2	0	0
		Sr. Tech. Assistant	2	1	0	0	1
		Accountant	1	0	0	0	0
		Steno. Gr. 'C'	2	1	0	0	1
3	C	Sr. Clerk	2	2	0	0	2
		Steno. Gr. 'D'	1	0	0	0	0
		Jr. Clerk	2	0	0	0	0
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
		MTS	4	4	0	0	4
		Total	**21**	**14**	**2**	**0**	**12**

CONSULTANTS

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Consultant (Admn)	1	1	0	0

ON CONTRACT THROUGH A MANPOWER AGENCY:

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year [(3-4)+5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Consultant Technical	16	2	0	14
2.	Consultant IT	3	1	0	2
3.	Consultant (Accounts)	1	1	0	0
4	Clerical Staff	1	0	0	1
5	Support Staff	2	0	0	2

(B) Recruitment / Promotion / Retirement/ Repatriation / Deputation:

- Justice Amar Singh Chauhan after completion of 3 years tenure as Chairperson of CAA relieved from the position on 09.12.2024.
- Shri. D.V. Swamy, IAS, Chairman, Marine Products Export Development Authority (MPEDA) has been nominated as Chairperson, CAA w.e.f. 03.02.2025 by the Central Government vide Order No.9-6/2017-Admn. V dated 03.2.2025.
- Smt. G. Durga, Private Secretary Retired from the services of CAA on attaining the retirement age of 60 years on 30.04.2024.
- Shri. P.K. Ganesan, Private Secretary Retired from the services of CAA on attaining the retirement age of 60 years on 31.01.2025.

(C) Right to Information Act

Totally Nineteen (19)Applications to CPIO and One (01) Application to First Appellate were received under RTI Act, 2005 during the year 2024-25. Information sought for total 20 applications were furnished under RTI Act, 2005.

14

FINANCE

(i) Summary of actual financial results for financial year 2024-25

The Accounts pertaining to the financial year 2024-25 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Director General of Audit (Central), Chennai and its report is presented as ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the Grant-in-Aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in 2 (two) installments, under the budgetary provisions of the Department of Fisheries, Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, New Delhi. The administrative Ministry has sanctioned GIA of Rs.572 lakhs for the financial year 2024-25 and admitted Revised Estimates for Rs.500 lakhs. Accordingly,the Ministry has released the GIA of Rs.428.50 lakhs for the financial year 2024-25 against RE of Rs.500 lakhs.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2024-25 are as follows:

(₹in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
572	500	428.50	339.92	88.58

(₹in Lakhs)

Sl. No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2025-26
1	Coastal Aquaculture Authority	**103240031 Grant-in-Aid** (General) **103240036 Grant-in-Aid** (Salaries)	630

(ii). Details of the Annual Accounts for the year 2024-25

The Details of the Annual Accounts for the year 2024-25 are presented as ANNEXURE.

ANNEXURE

Annual Accounts of CAA

and

Separate Audit Report of the

C & AG

for the year 2024-2025

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF FISHERIES
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
Chennai - 600 035

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2025

(Amount in Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME FROM SALES / SERVICES	12		
GRANTS/ SUBSIDIES	13	3,39,92,270	5,06,38,540
FEES/SUBSCRIPTIONS	14	361	70
INCOME FROM INVESTMENTS (INCOME ON INVESTMENT FROM EARMARKED FUNDS TRANSFERRED TO FUNDS)	15		
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC	16		
INTEREST EARNED	17	9,18,657	-
OTHER INCOME	18	6,542	2,935
INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORKS-IN PROGRESS	19		
TOTAL(A)		**3,49,17,830**	**5,06,41,545**
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	1,93,80,390	2,52,71,528
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	21	1,84,21,683	2,64,54,003
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	22		
INTEREST	23		
DEPRECIATION (NET TOTAL AT THE YEAR-END CORRESPONDING TO SCHEDULE 8)		18,07,197	18,63,577
PRIOR PERIOD ITEMS			
- SALARY AND ALLOWANCES			(28,392)
TOTAL(B)		**3,96,09,270**	**5,35,60,716**
BALANCE BEING EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A-B)			
TRANSFER TO SPECIAL RESERVE (SPECIFY EACH)			
TRANSFER TO / FROM GENERAL RESERVE			
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**(46,91,440)**	**(29,19,171)**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF FISHERIES
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
Chennai - 600 035

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2025

(Amount in Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME FROM SALES / SERVICES	12		
GRANTS/ SUBSIDIES	13	3,39,92,270	5,06,38,540
FEES/SUBSCRIPTIONS	14	361	70
INCOME FROM INVESTMENTS (INCOME ON INVESTMENT FROM EARMARKED FUNDS TRANSFERRED TO FUNDS)	15		
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC	16		
INTEREST EARNED	17	9,18,657	-
OTHER INCOME	18	6,542	2,935
INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORKS-IN PROGRESS	19		
TOTAL(A)		**3,49,17,830**	**5,06,41,545**
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	1,93,80,390	2,52,71,528
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	21	1,84,21,683	2,64,54,003
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	22		
INTEREST	23		
DEPRECIATION (NET TOTAL AT THE YEAR-END – CORRESPONDING TO SCHEDULE 8)		18,07,197	18,63,577
PRIOR PERIOD ITEMS			
- SALARY AND ALLOWANCES			(28,392)
TOTAL(B)		**3,96,09,270**	**5,35,60,716**
BALANCE BEING EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A-B)			
TRANSFER TO SPECIAL RESERVE (SPECIFY EACH)			
TRANSFER TO / FROM GENERAL RESERVE			
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**(46,91,440)**	**(29,19,171)**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF FISHERIES
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
Chennai - 600 035
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2025

Receipts	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances		
Cash in hand		
Bank Balances		
Current accounts		
Deposit accounts		
Savings accounts	3,50,64,215	2,07,51,253
Pension Fund Account	-	1,96,408
II. Grants Received		
a) From Government of India-		
Capital Receipts	-	13,61,460
Revenue Receipts:		
GIA Salary	2,14,50,000	2,60,00,000
GIA General	2,14,00,000	2,46,38,540
b) From State Government		
III. Income on Investment from		
Earmarked Funds(FDR Interest)		
Own Funds (other Investment)		
Receipt towards closure of Fixed Deposit	1,13,51,143	1,87,24,180
IV. Interest Received		
On Bank deposits	7,28,529	6,23,681
Loans, Advances etc.		
On Earmarked fund	4,03,745	2,13,727
V. Other Income (Specify)		
Misc Income	6,542	14,354
RTI Fees	361	70
VI. Any other receipts (give details)		
Processing Fees - LV Hatchery	97,20,330	54,20,000
Application Fees - 30%	5,44,279	4,81,012
Feed Products	2,65,90,000	1,14,36,000
Renewal of Farm	91,76,052	11,83,826
Penalty collected	1,00,000	
Duties and taxes		66,401
Staff Deduction & Remittances	82,023	69,624
Guarantees		5,00,000
Security Deposit		
MEA, Delhi		21,393
VII. Fund Transfer from CPF, GPF,Pension A/c		
Advance Refund		
Advance for Vendors	86,725	
Advance refund by staff	15,055	
VIII. Direct Expenses reversal		
Establishment Expenses		
Administrative Expenses	40,047	
Total	**13,67,59,046**	**11,17,01,929**

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकारण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF FISHERIES
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
Chennai - 600 035
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2025

Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year
I. Expenses		
Salary Expenses	1,99,67,543	2,51,30,797
General Expenses	1,30,05,992	1,85,98,775
II. Investments and deposits made		
Out of Earmarked funds	3,00,00,000	1,00,00,000
III. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress		
Purchase of Fixed Assets		13,61,460
IV. Other Payments (Specify)		
Expenditure out of Earmarked fund	2,01,872	3,85,703
Earmarked fund Income reversal	31,900	
Advance given out of EMF	2,593	
LSPC/ CPC arrears		2,09,870
Stamps in Hand	3,00,000	3,00,000
Duties and taxes		3,28,222
TNPWD	20,62,403	
PF Contribution		1,00,242
Deputation allowance		1,93,350
V. Loans and Advances		
LTC Advance	42,986	2,250
Advance to Staff	86,738	
Advance to Vendors	4,24,076	3,61,437
VI. Amount refunded to GOI		
Ministry of External Affairs - PAO		2,30,631
DOF - PAO	1,82,15,910	1,94,34,977
VII. Closing Balances		
Cash in hand		
Bank Balances		
Current Accounts		
Deposit Accounts		
Savings Accounts	5,24,17,032	3,50,64,215
Total	**13,67,59,046**	**11,17,01,929**

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Senior Administrative Officer

निदेशक (तकनीकी)
Director (Technical)

सचिव / Secretary
विभागाध्यक्ष/(Head of Deptt.)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF FISHERIES
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
Chennai - 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :				
Balance as at the beginning of the year	(3,10,65,121)		(1,32,62,129)	
Add : Contributions towards Corpus / Capital Fund			13,61,460	
Add / (Deduct) : Balance of net income / (expenditure)	(46,91,440)		(29,19,171)	
Less: Refund to PAO – DoF, New Delhi	9,25,560		1,62,45,281	
BALANCE AS AT THE YEAR – END		**(3,66,82,120)**		**(3,10,65,121)**

SCHEDULE 2–RESERVES AND SURPLUS:				
1. Capital Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year		NA		
3. Special Reserves:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
4. General Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
TOTAL				

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

SCHEDUEL 3 - EARMARKED FUNDS :	BREAK UP						TOTALS	
	Farm Registration Fees		Processing Fees (L.V Hatchery)	Feed Products	Registration Fee - DLC/SLC	Other receipts	Current Year	Previous
	30% of SDLCs/DLCs	Processing Fees / Renewal Fees						
a) **Opening balance of the funds**	61,03,966	1,35,67,601	7,20,42,536	9,31,98,375	94,82,345	31,64,024	19,75,58,848	16,99,06,499
Opening Balance	**61,03,966**	**1,35,67,601**	**7,20,42,536**	**9,31,98,375**	**94,82,345**	**31,64,024**	**19,75,58,848**	16,99,06,499
b) **Addition to the Funds:**							-	-
Donations/grants	-						-	-
Fees	-	91,54,152	97,20,330	2,65,80,000	1,10,790	42,230	4,56,07,502	1,82,34,456
Contributions							-	-
							-	-
Interest receipts - Fixed Deposit	-	10,33,269	37,18,156	54,46,907	4,36,247		1,06,34,579	90,89,870
Interest receipts - Savings account	-	39,228	1,41,161	2,06,793	16,562		4,03,744	2,13,726
Penalty collected						1,00,000	1,00,000	-
Bank Guarantee							-	5,00,000
TOTAL (a+b)	**61,03,966**	**2,37,94,250**	**8,56,22,183**	**12,54,32,075**	**1,00,45,944**	**33,06,254**	**25,43,04,672**	**19,79,44,551**
c) **Utilisation/Expenditure towards objectives of funds**								
i. **Capital Expenditure**							-	-
- Fixed Assets	-	-	-	-			-	-
- Others - Settlement	-	-	-	-			-	-
Total	-	-	-	-			-	-
							-	-
ii. **Revenue Expenditure**							-	-
- Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-	-			-	-
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc	-	-		-			-	-
- Training, sponsorship, awareness etc	-	-		-			-	1,61,320
- Testing Charges	-	-	1,69,465				1,69,465	61,316
- Meeting and Seminar			77,407				77,407	1,63,068
Total	-	-	-	-			-	-
d) paid during the year							-	-
e) Transfer to Bank Guarantee							-	-
TOTAL (c)	-	-	2,46,872	-	-	-	2,46,872	3,85,703
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)	**61,03,966**	**2,37,94,250**	**8,53,75,311**	**12,54,32,075**	**1,00,45,944**	**33,06,254**	**25,40,57,800**	**19,75,58,848**

Notes

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants

2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 4–Secured loans and borrowings :				
1. Central Government				
2. State government (Specify)				
3. Financial Institutions				
(a) Term Loans				
(b) Interest accrued and due				
4. Banks				
(a) Term Loans			NA	
- Interest accrued and due				
(b) Other Loans (Specify)				
- Interest accrued and due				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Others (Specify)				
TOTAL				
Note : Amounts due within one year				

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 5–UNsecured loans and borrowings :				
1. Central Government				
2. State government (Specify)				
3. Financial Institutions				
4. Banks			NA	
(a) Term Loans				
(b) Other Loans (Specify)				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Fixed Deposits				
8. Others (Specify)				
TOTAL				
Note : Amounts due within one year				

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 6–deferred credit liabilities:				
a). Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets				
b). Others			NA	
TOTAL				
Note : Amounts due within one year				

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 7–current liabilities and provisions:				
A. **Current liabilities**				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors				
(a) For Goods				
Muthu soft labs	31,194		31,194	
Provisional Expense payable				
BSNL & ACT	10,828		9,237	
Thozha Travels	1,45,730		83,224	
Saguber sathik stores	5,440		15,332	
GA Digital	7,33,047		8,96,907	
Shri Vignesh Prints	-		23,305	
PK Associates	85,550		74,930	
Kapadia Global Actuarial	11,800		11,800	
Prism & Associates	99,710	11,23,300	99,710	12,45,639
(b) Others				
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on				
(a) Secured Loans / borrowings				
(b) Unsecured Loans / borrowings				
5. Statutory Liabilities				
(a) Overdue				
(b) Others	98,800	98,800	2,11,759	2,11,759
6. Other Current Liabilities				
Refundable to PAO - DOF, New Delhi				
Interest - Savings bank	7,28,529		6,19,486	
GIA - Fixed Deposit (including interest)	-		1,11,61,015	1,17,80,501
RTI Fees	361			
Other Income	6,542			
Grant in Aid - Unspent	88,57,730	95,93,162	62,45,281	62,45,281
Staff Deduction & Remittances	2,77,242	2,77,242	3,15,842	3,15,842
7. Performance Guarantee & Security Deposit				
Aishwarya Construction	3,662		3,662	
Stuby Technology	20,800		20,800	
Unwind Learning Labs private Limited	7,425		7,425	
Thoza Travels	41,000		41,000	
Chael Softech LLP	6,150	79,037	6,150	79,037
8.Earnest Money Deposit				
Day N Day services(P) Ltd	30,000		30,000	
Broadline	5,000		5,000	
Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
Nucum Technology	5,000		5,000	
Sri Vignesh Cabs	5,000	50,000	5,000	50,000
9. Security Deposit				
Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	7,293	7,293	7,293
10. State fisheries- Andhra Pradesh	50,700	50,700	50,700	50,700
TOTAL (A)		**1,12,79,533**		**1,99,86,052**
B. **PROVISIONS**				
1. For Taxation				
2. Gratuity	47,20,550	47,20,550	56,46,658	56,46,658
3. Superannuation / Pension		-		
4. Accumulated Leave Encashment	82,83,231	82,83,231	72,98,465	72,98,465
5. Trade Warranties / Claims		-		
6. Others (Specify)		-		
TDS Demand Payables	2,54,800	2,54,800	2,57,980	2,57,980
Consultant fees payable		-	42,097	42,097
Salary and Allowance payable	14,51,363	14,51,363	15,34,436	15,34,436
Maintaines payable to TNPWD	1,24,68,625	1,24,68,625	1,35,31,028	1,35,31,028
Rent payable to TNPWD	2,34,13,320	2,34,13,320	1,92,13,320	1,92,13,320
CAT - Salary payable	53,58,525	53,58,525	53,58,525	53,58,525
Other Provision		-	4,76,304	4,76,304
CPC / LSPC Arrears	13,27,868	13,27,868	1245845	1245845
TOTAL (B)		5,72,78,282		5,46,04,658
TOTAL (A + B)		**6,85,57,816**		**7,45,90,710**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE 8 – FIXED ASSETS

(Amount - Rs.)

DEPRECIATION	Rate of Dep.	Gross Block: Cost /Valuation as at Beginning of the Year	Gross Block: Addition during the year – up to Sep	Gross Block: Addition during the year – after Sep	Gross Block: Dedu. during the Year	Gross Block: Cost Valuation at the Year end	Depreciation: Accumulated Depreciation as at the Beginning of the Year	Depreciation: Depreciation charged for the current year	Depreciation: Depreciation on Deduction during the Year	Depreciation: Prior period Adjustments	Depreciation: Accumulated Depreciation as at the End of the Year	Net Block: As at the Current Year end	Net Block: As at the Previous Year end
A. **FIXED ASSETS**													
Plant & Machinery	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	95,34,763	1,90,923			97,25,686	10,81,895	12,72,818
Plant and Machinery - Lab Equipments	15%	55,49,588				55,49,588	44,74,025	1,61,334			46,35,359	9,14,229	10,75,563
Office Equipment	15%	67,56,337		5,04,740		72,61,077	46,00,967	3,69,802		1,56,911	51,27,680	21,33,397	21,55,370
Furniture & Fixtures	10%	54,77,469		6,23,015		61,00,484	37,07,723	2,22,393		1,37,686	40,67,802	20,32,682	17,69,746
Computers, Software & Peripherals ,Website Development	40%	67,30,825				67,30,825	53,10,453	5,68,149			58,78,602	8,52,223	14,20,372
Library Books & Technical Books	40%	23,58,882				23,58,882	23,58,882			(1)	23,58,881	1	-
TOTAL of Current Year		**3,76,80,682**	**-**	**11,27,755**	**-**	**3,88,08,437**	**2,99,86,813**	**15,12,601**	**-**	**2,94,596**	**3,17,94,010**	**70,14,427**	**76,93,868**
PREVIOUS YEAR		3,40,54,740	8,46,041	5,15,419	(94,400)	3,53,21,800	2,58,47,336	18,63,577	-	(82,981)	2,76,27,932	76,93,868	82,07,404
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS													
TOTAL												**70,14,427**	**76,93,868**

(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 9–investments from earmarked funds:				
1. In Government Securities				
2. Other approved Securities				
3. Shares				
4. Debentures and Bonds				
5. Subsidiaries and Joint Ventures				
6. Others (to be specified)				
Fixed Deposit Receipts	18,45,00,000		17,87,63,201	
Accrued Interest on Fixed Deposit		18,45,00,000	25,886	17,87,89,087
TOTAL		**18,45,00,000**		**17,87,89,087**
SCHEDULE 10–Investments others:				
1. In Government Securities				
2. Other approved Securities				
3. Shares				
4. Debentures and Bonds				
5. Subsidiaries and Joint Ventures				
6. Others (to be specified)				
Fixed Deposit Receipts (GIA)			1,11,59,366	
Accrued Interest on Fixed Deposit (GIA)		-	1,649	1,11,61,015
TOTAL		-		**1,11,61,015**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 11–Current assets, loans, advances etc:				
A. Current assets				
1. Inventories				
(a) Stores and Spares				
(b) Loose Tools				
(c) Stock-in-trade				
Finished Goods				
Work-in-progress				
Raw Materials				
2. Sundry Debtors:				
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
(b) Others				
3. Cash balances in (including cheques / drafts and imprest)				
4. Bank Balances:				
(a) With Scheduled Banks:				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts (including margin money)				
- On Savings Accounts	5,24,17,032	**5,24,17,032**	3,50,64,215	**3,50,64,215**
(b) With non-Scheduled Banks				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts (including margin money)				
- On Savings Accounts				
5. Post Office-Savings Accounts				
TOTAL (A)		**5,24,17,032**		**3,50,64,215**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 11–Current assets, loans, advances etc (Contd..):				
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans				
(a) Staff				
(b) Other Entities engaged in activities / objectives similar to that of the Entity				
(c) Other (specify)				
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:				
(a) On Capital Account				
(b) Prepayments				
(c) Others				
Prepaid Expenses				
a) Stamps (Franking Machine)	4,79,974		4,86,384	
b) Stamps (Postal)	3,632		4,094	
c) AMC for Franking Machine	-		7,875	
d) Tally Charges	4,715	4,88,321		4,98,353
Advance to Staff	20,000	20,000	2,250	2,250
Telephone deposits	39,782	39,782	39,782	39,782
Advance to PWD	1,52,311	1,52,311	12,31,845	12,31,845
Registration fee - DLC/SLC receivable	58,64,201	58,64,201	62,55,460	62,55,460
Advance to Suppliers/Vendors	5,13,757	5,13,757	3,48,562	3,48,562
3. Income Accrued				
(a) On Investments from Earmarked Fund				
Interest receivable on Fixed Deposit				
a) Cumulative Interest	3,48,91,017		-	
b) Accrued Interest	32,648	3,49,23,665		-
(b) On Investments – Others				
(c) On Loans and Advances				
(d) Others				
(includes income due unrealised Rs. ……………..)				
4. Claims Receivable				
TOTAL (B)		4,20,02,036		83,76,252
TOTAL (A + B)		**9,44,19,069**		**4,34,40,467**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 12–INCOME FROM SALES / SERVICES:				
1. Income from Sales				
(a) Sale of Finished Goods				
(b) Sale of Raw Material				
(c) Sale of Scraps			NA	
2. Income from Services:				
(a) Labour and Processing Charges				
(b)Professional / Consultancy Services				
(c) Agency Commission and Brokerage				
(d) Maintenance Services (Equipment / Property)				
(e) Others (Specify)				
TOTAL				

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 13–GRANTS / SUBSIDIES:				
(Irrecoverable Grants & Subsidies Received)				
1. Central Government	3,39,92,270	3,39,92,270	5,06,38,540	5,06,38,540
2. State Government(s)				
3. Government Agencies				
4. Institutions / Welfare Bodies				
5. International Organisations				
6. Others (Specify)				
TOTAL		**3,39,92,270**		**5,06,38,540**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 14–fees / subscriptions :				
1. Entrance Fees				
2. Annual Fees / Subscriptions				
3. Seminar / Programme Fees				
4. Consultancy Fees				
5. Others (Specify)				
RTI Fees	361	**361**	70	**70**
TOTAL		**361**		**70**
towards each item are to be disclosed				

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 15–income from investments:	NA			
(Income on Investment from Earmarked Funds transferred to Funds)				
1. Interest				
(a). On Govt. Securities				
(b). Other Bonds / Debentures				
2. Dividends:				
(a). On Shares				
(b).On Mutual Fund Securities				
3. Rents				
4. Others (Specify)				
TOTAL				
Transferred to Earmarked funds				

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 16–income from royalty, publication etc:	NA			
1. Income from Royalty				
2. Income from Publications				
3. Others (Specify)				
TOTAL				

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 17–Interest earned:				
1. On Term Deposits				
(a) With Scheduled Banks	1,90,128	**1,90,128**		
(b) With Non-Scheduled Banks				
(c) With Institutions				
(d) Others				
2. On Savings Accounts:				
(a) With Scheduled Banks	7,28,529	**7,28,529**		
(b) With Non-Scheduled Banks				
(c) With Institutions				
(d) Others				
3. On Loans				
(a) Employees / Staff				
(b) Others				
4. Interest on Debtors and Other Receivables				
TOTAL		**9,18,657**		-
Note: Tax deducted at source to be indicated				

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 18–Other income:				
1. Property on Sale / disposal of Assets:				
(a) Owned assets				
(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost				
2. Export Incentives realised				
3. Fees for Miscellaneous Services				
4. Miscellaneous Income				
Profit on sale of Asset			2935	
Recovery from Staff	6542	**6542**		**2935**
TOTAL		**6542**		**2935**
SCHEDULE 19–increase / (decrease) in stock of finshed goods & works in progress:				
a). Closing stock				
- Finished Goods				
- Work-in-progress				
b). Less : Opening Stock				
- Finished Goods				
- Work-in-progress				
Net increase / (decrease) [a-b]				
SCHEDULE 20–Establishment expenses				
a)Salaries and Wages	1,72,12,447	**1,72,12,447**	2,27,37,085	**2,27,37,085**
b)DA Arrears	2,06,773	**2,06,773**		
c) Allowances and Bonus				
Deputation Duty Allowance			22,350	
Children Education Allowance	5,64,991		5,28,201	
Uniform Allowances	31,250	**5,96,241**	25,000	**5,75,551**
d) Contribution to Provident Fund / NPS	11,33,556	**11,33,556**	17,01,857	**17,01,857**
e) Contribution to Other fund (specify)				
f) Staff Welfare Expenses				
g) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits				
Leave benefits	9,84,766		(2,18,485)	
Gratuity benefits	(9,26,108)	**58,658**	31,099	**(1,87,386)**
h) Others (Specify)				
LTC	70,015	**70,015**	21,764	**21,764**
Leave encashment	14,800	**14,800**	1,70,232	**1,70,232**
Leave salary contribution	87,900	**87,900**	2,17,425	**2,17,425**
Honorarium			35,000	**35,000**
TOTAL		**1,93,80,390**		**2,52,71,528**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 21–OTHER administrative expenses etc.	Current Year		Previous Year	
1. Advertisement and Publicity	1,33,943	**1,33,943**	1,35,101	**1,35,101**
2. Domestic Travelling Expenses	10,55,448	**10,55,448**	17,01,974	**17,01,974**
3. Foreign Travelling Expenses		-	1,77,552	**1,77,552**
4. Office Expenditure				
Repairs and maintenance	10,01,875		30,98,787	
Rental Expenses	42,00,000		42,00,000	
Water Charges	18,640			
Postage, Telegram	3,14,432		15,399	
Printing ,Stationery and Consumables	4,91,699		11,43,673	
Internet Expenses	4,691		17,400	
Telephone Expenses	1,73,196		1,57,688	
Professional Charges	4,42,991		4,93,720	
Vehicle Hire Charges	8,70,640		24,43,935	
Meeting Expenses	90,272		77,923	
Miscellaneous Expenses	6,294		2,16,396	
Seminar/Workshops/Training Expenses	3,648			
Other Contractual Service			38,967	
IT Consumables	17,452		2,76,180	
Refreshment & Hospitaliy Expenses	85,414		3,38,931	
AMC Expenses(A.C, Computers, Office Equipment Etc)	9,584		14,160	
Consultant Fees	1,95,054		5,23,591	
Manpower outsourced charges	89,42,434		96,22,503	
Newspaper and Magazine	34,260		62,400	
Translation charges	50,929			
International Yoga Day			12,331	
Hindi Week Celebration / competition / promotion	10,000		46,955	
Honarorium			3,000	
Audit Expenses	17,161			
Incentives to Staff			25,000	
Subscription charges	4,750		1,37,604	
Rates and Taxes	(3,180)		78,332	
Website Maintenance Charges - Cloud	1,27,610			
Interest paid to CPF Account			2,74,513	
Interest paid to GPF Account	13,915		10,64,832	
Medical reimbursement	1,08,530	**1,72,32,292**	55,156	**2,44,39,376**
TOTAL		**1,84,21,683**		**2,64,54,003**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31-03-2025

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 22–Expenditure on Grants, subsidies etc.	Current Year		Previous Year	
a) Grants given to Institutions / Organisations b) Subsidies given to Institutions / Organisations	NA			
TOTAL				
Note–Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants / Subsidies are to be disclosed				

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 23–interest	Current Year		Previous Year	
a) On Fixed Loans b) On Other Loans (including Bank Charges) c) Others (Specify)	NA			
TOTAL				

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

Department of Fisheries

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

SCHEDULE - 24
ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles(GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority Follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and

Income except where otherwise stated.

2. FIXED ASSESTS

a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.

b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.

c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.

d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of Rs.1/-

e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

f) During the year, additions amounting to ₹5,04,740/- to Office Equipment and ₹6,23,015/- to Furniture & Fixtures were capitalized upon receipt of the utilization certificate. It is noted that the respective assets were put to use from August 2021.

3. DEPRECIATION

a) Depreciation is provided on written down value method as per rates

Specified in Income Tax Act.1961

b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

c) Each item of fixed assets costing Rs.5000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

d) As per latest amendment in Finance Act 2017 the rate of depreciation in respect of books and Computers were limited to 40% of the WDV of the block as at 31.03.2025.

e) During the year, additions amounting to ₹1,56,911/- to Office Equipment and ₹1,37,686/- to Furniture & Fixtures have been recognized as prior period adjustments. These adjustments pertain to assets that were

eligible for depreciation from August 2021, covering the financial years 2021–22, 2022–23, and 2023–24.

4. LEASE/ RENT

Lease/ Rent are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease agreement.

5. IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. GOVT.GRANTS / SUBSIDIES

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Surplus / (Deficit) transferred to corpus/capital fund account at the end of the year.

7. RETIREMENT BENEFITS

a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.

b) The liabilities in respect of Retirement benefits viz., Gratuity, leave encashment, pension are ascertained annually as per DOPTM No.7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26.08.2016, Central Civil Service Pension rules, 1972, Central Civil Service leave rules and as approved by the authority.

c) Provision for liability towards retirement benefits of employees shall be accrued on the basis of actuarial valuation for every year and recognized in the income and expenditure account.

8. TAXATION

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, service Tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGEMENT ASSETS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. INCOME AND EXPENSES

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision/creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "prior period Adjustment" account.

b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

c) Expenditure/Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items. if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.

d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/ prior period items up to Rs.1,000 in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. REVENUE RECOGNITION

a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for Litopenaeus vannamei Farms and Hatchery and Feed Products. As per the exiting policy of the Authority; fee is

accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

b) Interest income is recognized on accrual basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. SEPARATE DISCLOSURE

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

a) “Prior period” items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result or errors of omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.

b) “Extra–ordinary” items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and. Therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

c) Any item under the head “Miscellaneous Income “which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

d) Any item under the head ‘Miscellaneous Expenses’ which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

Department of Fisheries

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

SCHEDULE – 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS.

Contingent liabilities

As on 31st March, 2025, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2024-25 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount in addition to that Authority Purchase Govt. Postal stamp from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March, 2025 the stamps in hand amounted to Rs. 4,83,606/-.

Current Liabilities

Security deposits of Rs. 79,037/- which includes previous years' balance as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income –tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants/Fees Collected

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account. Surplus / (Deficit) transferred to corpus/capital fund account at the end of the year as on 31st March, 2025.

Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for L.V Farms and Hatchery. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/ Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account & Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Contibutory Provident Fund

Balance Sheet as at 31st March 2025

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
CPF Fund		
Opening balance	28,93,958	20,00,953
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	(20,09,517)	8,93,005
	8,84,441	28,93,958
Total	**8,84,441**	**28,93,958**
Assets	**Current Year**	**Previous Year**
FD Investments	8,37,983	10,45,466
FD Interest Receivable	116	145
Current Assets		
Cash at Bank		
- IDBI Bank	46,342	18,48,347
Total	**8,84,441**	**28,93,958**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2025

Income	Current Year	Previous Year
CPF Contributions	-	5,23,930
CPF Interest Contributions	-	2,74,513
Interest on Savings Account	5,841	41,912
Interest on Fixed Deposit	42,551	52,650
Total	**48,392**	**8,93,005**
Expenditure	**Current Year**	**Previous Year**
Bank charges	-	-
CPF Settled / Transferred	20,57,909	-
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	(20,09,517)	8,93,005
Total	**48,392**	**8,93,005**

Receipts and Payments account for the period: 1st April 2024 to 31st March 2025

Receipts	Current Year	Previous Year
Opening Balances		
- IDBI Bank	18,48,347	10,07,992
CPF Contributions		5,23,930
CPF Interest Contributions		2,74,513
Interest on Savings Account	5,841	41,912
Closure of Fixed Deposits	2,50,063	
Total	**21,04,251**	**18,48,347**
Payments	**Current Year**	**Previous Year**
Bank charges	-	-
CPF Settled / Transferred	20,57,909	
Closing Balances		
- IDBI Bank	46,342	18,48,347
Total	**21,04,251**	**18,48,347**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

General Provident Fund

Balance Sheet as at 31st March 2025

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
GPF Fund		
Opening balance	33,70,123	20,31,766
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	1,76,431	13,38,357
	35,46,554	33,70,123
Total	**35,46,554**	**33,70,123**
Assets	**Current Year**	**Previous Year**
FD Investments	15,68,471	14,89,493
FD Interest Receivable	217	207
Current Assets		
Cash at Bank		
- IDBI Bank	19,77,866	18,80,423
Total	**35,46,554**	**33,70,123**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2025

Income	Current Year	Previous Year
GPF Contributions	25,000	1,74,000
GPF Interest Contributions	13,915	10,64,832
Interest on Savings Account	58,528	24,514
Fixed deposit Interest	78,988	75,011
Total	**1,76,431**	**13,38,357**
Expenditure	**Current Year**	**Previous Year**
Bank charges	-	-
GPF Settled / Transferred	-	-
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	1,76,431	13,38,357
Total	**1,76,431**	**13,38,357**

Receipts and Payments account for the period: 1st April 2024 to 31st March 2025

Receipts	Current Year	Previous Year
Opening Balances		
- IDBI Bank	18,80,423	6,17,077
GPF Contributions	25,000	1,74,000
GPF Interest Contributions	13,915	10,64,832
Interest on Savings Account	58,528	24,514
Total	**19,77,866**	**18,80,423**
Payments	**Current Year**	**Previous Year**
Bank charges		
GPF Settled / Transferred		
Closing Balances		
- IDBI Bank	19,77,866	18,80,423
Total	**19,77,866**	**18,80,423**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Pension Fund

Balance Sheet as at 31st March 2025

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
Pension Fund		
Opening balance	(0)	1,85,35,863
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	-	3,88,920
	(0)	1,89,24,783
Less: Refund to PAO, DOF New Delhi	-	1,89,24,783
Total	(0)	**(0)**
Assets	**Current Year**	**Previous Year**
FD Investments		
FD Interest Receivable		
Current Assets		
Cash at Bank		
- IDBI Bank	-	-
Total	**-**	**-**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2025

Income	Current Year	Previous Year
Pension Contributions	-	-
Interest on Savings Account	-	4,195
Fixed Deposit Interest		3,84,725
Total	**-**	**3,88,920**
Expenditure	**Current Year**	**Previous Year**
Bank charges	-	-
Pension Settled / Transferred	-	-
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	-	3,88,920
Total	**-**	**3,88,920**

Receipts and Payments account for the period: 1st April 2024 to 31st March 2025

Receipts	Current Year	Previous Year
Opening Balances		
- IDBI Bank	-	1,96,408
Pension Contributions	-	-
Interest on Savings Account		5,750
Fixed Deposit closure		1,87,24,180
Total	**-**	**1,89,26,338**
Payments	**Current Year**	**Previous Year**
Bank charges		-
Reversal of Bank interest		1,555
Pension Settled / Transferred		
Refund to PAO		1,89,24,783
Closing Balances		
- IDBI Bank	-	-
Total	**-**	**1,89,26,338**

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै
का कार्यालय
"ऑडिट भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट चेन्नै – 600018
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT (CENTRAL), CHENNAI
'Audit Bhawan', 361, Anna Salai,
Teynampet, Chennai- 600018

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

No.DGA(C)/CE/V/28-66/2025-26 Date : .11.2025

To

The Secretary to Government of India,
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying,
Department of Fisheries,
KrishiBhavan,
New Delhi – 110 001.

Sir,

Sub.: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2024-25.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2024-25 along with the statement of accounts.

The date of presentation of the accounts to Parliament may please be intimated to this office, In addition, a copy of the report as presented to Parliament may also be sent to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

Encl: As above. Deputy Director (Central Expenditure)

No.DGA(C)/CE/V/28-66/2025-26/46 Date :27.11.2025

Copy of the Separate Audit Report for the year 2024-25 is forwarded to the Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai. It is requested to furnish a copy of the Hindi version of the separate Audit Report and once copy of Annual Report as presented to Parliament at an early date.\

Deputy Director (Central Expenditure)

Opinion of the Competroller& Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Coastal Aquaculture Authority, Chennai which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account / Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting polices under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller of Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms etc. Audit observations on financial transaction regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports / CAG's audit reports separately.

In our opinion the accompanying financial statements of Coastal Aquaculture Authority, Chennai, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025 and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/ guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter – Nil

Responsibilities of Management for the financial statements

The Authority of Coastal Aquaculture Authority, Chennai is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/ standards/manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc.

Place: Chennai

Date: 27.11.2025

For and on behalf of the CAG of India
Director General of Audit (Central) Chennai

Separate Audit Report on the accounts of Coastal Aquaculture Authority

A. General

Effect of revision of Accounts - The accounts of the Coastal Aquaculture Authority were revised based on audit comments. As a result of revision of accounts, the Assets/ Liabilities decreased by Rs.0.03 crore and the surplus of income over expenditure of Rs.0.44 crore converted to an excess of expenditure over income by Rs.0.47 crore resulting in an net increase of excess of expenditure over income by Rs.0.91 crore

B. Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

C. Assessment of Internal Controls

(i)	**Adequacy of Internal Control System**	**:**	**Adequate**
(ii)	**Adequacy of Internal Audit System**	**:**	**Adequate**
(iii)	**System of Physical verification of fixed assets**	**:**	**Adequate**
(iv)	**System of Physical verification of inventory**	**:**	**Adequate**
(v)	**Regularity in payment of statutory dues**	**:**	**Adequate**
(vi)	**Other matters relating to functioning of the entity**	**:**	**Nil**

D. Grants in aid

Out of the grants in aid of Rs.4.28 crore received during the year, the organization could utilize a sum of Rs.3.40 crore leaving a balance of Rs.0.88 crore as unutilized grant as on 31 March 2025.

जे. शंकर राम, आईए एवं एएस.,
उप. निदेशक
J. SHANKAR RAM, IAAS
Deputy Director

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
"ऑडिट भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट चेन्नै – 600018
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), CHENNAI
'Audit Bhawan', 361, Anna Salai,
Teynampet, Chennai- 600018

DGA(C)/CE/V/28-66/2025-26/46
27 .11.2025

Sir,

Please refer to the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2024-25 issued on 27.11.2025. I wish to bring the following deviation noticed in accounting practices/procedures to your notice for remedial action.

1. The earmarked funds had a net receipt of ₹25,43,04,672 and the net utilisation of ₹2,46,872. The non-utilisation of Earmarked Fund for the related expenditure against the share of receipt of DLC/SLC registration fee and meeting the expenditure threon from the Grants, resulted in the overstatement of expenditure in the Income and Expenditure Account.

With regards.

Yours sincerely,

J. Shankar Ram

Shri. K C Devasenapathi, IAS
Secretary
Coastal Aquaculture Authority
5th Floor, Integrated Office Complex for
Animal Husbandry and Fisheries Department
Nandanam, Chennai-600 035.

Clarifications to the final Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority for the year ended 31 March 2025

<table>
<tr><th colspan="2">Observation</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td>A.</td><td>General

Effect of revision of Accounts - The accounts of the Coastal Aquaculture Authority were revised based on audit comments. As a result of revision of accounts, the Assets/ Liabilities decreased by Rs.0.03 crore and the surplus of income over expenditure of Rs.0.44 crore converted to an excess of expenditure over income by Rs.0.47 crore resulting in an net increase of excess of expenditure over income by Rs.0.91 crore</td><td>No adverse remarks are made by Audit Report of CAGI. Since no further action is suggested, it may be considered as nil.</td></tr>
<tr><td>B.</td><td>Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</td><td>No adverse remarks are made by Audit Report of CAGI.Since no further action is suggested, it may be considered as nil.</td></tr>
<tr><td>C.</td><td>Assessment of Internal Controls

(i) Adequacy of Internal Control System : Adequate
(ii) Adequacy of Internal Audit System : Adequate
(iii) System of Physical verification of fixed assets : Adequate
(iv) System of Physical verification of inventory : Adequate
(v) Regularity in payment of statutory dues : Adequate
(vi) Other matters relating to functioning of the entity : Nil</td><td>No adverse remarks are made by Audit Report of CAGI.Since no further action is suggested, it may be considered as nil.</td></tr>
<tr><td>D.</td><td>Grants in aid

Out of the grants in aid of Rs.4.28 crore received during the year, the organization could utilize a sum of Rs.3.40 crore leaving a balance of Rs.0.88 crore as unutilized grant as on 31 March 2025.</td><td>It is submitted that the total GIA amount received was Rs.428.50 Lakhsduring the Financial Year 2024-25. Out of Rs.428.50 lakhs, totally Rs.339.92 lakhs was utilized and submitted the UC for the same vide CAA's letter dated 18.07.2025. The unutilised amount of GIA for Rs.88.58 Lakhs has been surrendered vide CAA's letter dated 30.06.2025 to the Pay and Accounts Office, Secretariat – I, Dept of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi.
Hence, it may be considered as complied with.</td></tr>
</table>

Para-wise clarification to Management Letter
DO No. DGA(C)/CE/V/28-66/2025-26/46 dated 27.11.2025

The earmarked funds had a net receipt of Rs.25,43,04,672 and the net utilisation of Rs.2,46,872. The non-utilisation of Earmarked Fund for the related expenditure against the share of receipt of DLC / SLC registration fee and meeting the expenditure thereon from the Grants, resulted in the overstatement of expenditure in the Income and Expenditure Account.	Based on the observation made by the CAGI, it is to state that the matter has already been brought to the notice of the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Government of India for its approval to utilise CAA Earmarked Fund as resolved by the Authority in its 75th and 81st Meetings held on 28.11.2023 and 30.06.2025 respectively vide CAA letters dated 07.02.2024 and 11.07.2025. The orders from the Administrative Ministry is awaited. Hence, the suggestion of the CAGI will be complied with upon approval of the Administrative Ministry.

Ref. No.DGA(C)/CE/V/28-66/2025-26/46 Date :27.11.2025

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

मत्स्यपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

भारत सरकार

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

DEPARTMENT OF FISHERIES
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING
GOVERNMENT OF INDIA

5 वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्पलेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग
वेटरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई- 600 035, तमिलनाडु, भारत
फोन / Phone: +91 44 24353502 / 24353784, ई. मेल / Email: caaheadoffice@caa.gov.in
वेबसाइट / Website: https://www.caa.gov.in

5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai-600 035
Phone: +91 44 24353502 / 24353784, Email: caaheadoffice@caa.gov.in
Website: https://www.caa.gov.in